संस्कृतिका
Sanskritika

MINISTRY OF CULTURE • GOVERNMENT OF INDIA
सत्यमेव जयते
संस्कृति मंत्रालय • भारत सरकार

संस्कृतिका

सत्यमेव जयते

संस्कृति मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

2018

संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित और इंदू कार्ड्स और ग्राफिक्स में मुद्रित, चावड़ी बाजार दिल्ली–110006,
फोनः 011–23278311, मो. 9811419531

डा. महेश शर्मा
Dr. Mahesh Sharma

सत्यमेव जयते

संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
भारत सरकार, नई दिल्ली–110 115
Minister of State (IC) For Culture
Minister of State for Environment,
Forest & Climate Change
Government of India, New Delhi

संदेश

संस्कृति मंत्रालय भारत की मूर्त और अमूर्त विरासत से संबंधित कार्य करता है। मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में संस्मारक एवं पुरातत्व विज्ञान, लोक एवं जनजातीय कला, साहित्य, अभिलेखागार, पुस्तकालय, संगीत, नृत्य और नाटक सहित मंच कलाओं तथा चित्रकला, मूर्तिकला एवं ग्राफिक्स के रूप में दृश्य कलाओं सहित विभिन्न पहलू शामिल हैं। मंत्रालय द्वारा देश की सांस्कृतिक विरासत के प्रचार–प्रसार, परिरक्षण एवं संरक्षण संबंधी सभी कार्यकलाप 2 संबद्ध कार्यालयों, 6 अधीनस्थ कार्यालयों एवं इसके नियंत्रणाधीन 34 स्वायत्त संगठनों के नेटवर्क तथा कला एवं संकृति के संवर्धन और प्रसार हेतु मंत्रालय द्वारा सीधे ही संचालित की जाने वाली कई स्कीमों के माध्यम से किए जाते हैं। इसके प्रसार, पुरातत्व विज्ञान, संग्रहालय, अभिलेखागार, मानवविज्ञान, मंच कलाएं, सार्वजनिक पुस्तकालय, बौद्ध एवं तिब्बती संस्थान, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, स्मारक, शताब्दियां एवं वर्षगांठ, अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध तथा निर्माण परियोजनाएं आदि।

स्कीमों के बारे में जनता को जागरुक करने के लिए, मंत्रालय ने ''संस्कृतिका'' नामक एक संग्रह प्रकाशित किया है। संस्कृतिका के इस संस्करण में संस्कृति मंत्रालय की सभी मौजूदा स्कीमों का विवरण है।

मुझे प्रयोक्ताओं को संग्रह का यह संस्करण सौंपते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है और मैं यह आशा करता हूँ कि कला एवं संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए यह उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त, इन स्कीमों से संबंधित विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.indiaculture.nic.in पर भी उपलब्ध है।

(डॉ. महेश शर्मा)

अरूण गोयल, भा.प्र.से.
सचिव
Arun Goel, IAS
Secretary

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
नई दिल्ली–110 115
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NEW DELHI-110 115

संदेश

संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2014 में ''समर्थन'' का अंतिम संस्करण प्रकाशित किया था जिसमें संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित स्कीमों के ब्यौरे शामिल थे। उसके बाद से मंत्रालय द्वारा अनेक स्कीमें संशोधित करने के साथ–साथ कुछ नई स्कीमें शुरू की गई हैं। इस मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न स्कीमों से संबंधित संस्करण 'संस्कृतिका' नाम से प्रकाशित किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि संस्कृति के क्षेत्र से जुडे सरकारी विभाग, राज्य सरकार और विभिन्न संगठन तथा व्यक्ति आवश्यक सूचना एक ही स्थान पर पाकर लाभान्वित होंगे।

मुझे इस बात का भी विश्वास है कि यह संग्रह सभी स्कीमों के प्रभावी रूप से कार्यान्वयन में इस मंत्रालय और इसके संगठनों के अधिकारियों को सहायता प्रदान करने के साथ–साथ उन्हें प्रेरित करेगा और जैसी इसकी अभिकल्पना की गई है, उसी भावना से इसकी प्रदायगी सुनिश्चित करेगा।

(अरुण गोयल)

विषयवस्तु
संस्कृति मंत्रालय की योजनाएं

क्र.सं.	योजना का नाम	पृष्ठ संख्या
1.	**कला और संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता की योजना**	**7**
1.1	रेपर्टरी अनुदान	8–11
1.2	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	12–14
1.3	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)	15–17
1.4	हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता	18–21
1.5	बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के विकास के लिए वित्तीय सहायता	22–26
2.	**कलाकार पेंशन और चिकित्सा सहायता स्कीम**	**27–33**
3.	**कला और संस्कृति के प्रचार के लिए छात्रवृत्ति और फैलोशिप की योजना**	**34**
3.1	संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों को वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति प्रदान करना	35–37
3.2	विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करना	38–42
3.3	टैगोर राष्ट्रीय सांस्कृतिक शोध अध्येतावृत्ति	43–53
4.	**सांस्कृतिक भूमिका रूप व्यवस्था के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की योजना**	**54**
4.1	स्टूडियो थिएटर सहित बिल्डिंग अनुदान के लिए वित्तीय सहायता	55–63
4.2	टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के लिए वित्तीय सहायता	64–73
5.	**संग्रहालय अनुदान योजना**	**74**
5 .1	क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर में संग्रहालयों का विकास और स्थापना	75–80
5.2	संग्रहालय संग्रह का डिजिटाइजेशन	81–83
5.3	संग्रहालय पेशेवरों की क्षमता निर्माण और ट्रेनिंग	84–88
6	**विज्ञान की संस्कृति के संवर्धन की स्कीम**	**89–101**
6.1	विज्ञान शहर	102–111
6.2	विज्ञान केंद्र	112–130

6.3	इनोवेशन हब	131–136
6.4	मौजूदा विज्ञान शहरों/केंद्र/अभिनव केंद्र विज्ञान का आधुनिकीकरण/उन्नयन	137–139
7.	**अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों के प्रचार के लिए योजना**	**140**
7.1	विदेशों में महोत्सव	141–143
7.2	इंडो विदेशी मैत्री सांस्कृतिक समाज योजना की सहायता में अनुदान	144–146
8.	**अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराएं की योजना**	**147–152**

1

कला और संस्कृति के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय सहायता स्कीम

इस स्कीम में निम्नलिखित पांच घटक शामिल हैं:–

घटक–I :	रेपर्टरी अनुदान
घटक–II :	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता
घटक–III :	सांस्कृतिक समारोह एवं निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)
घटक–IV :	हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता
घटक–V :	बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के विकास के लिए वित्तीय सहायता

1.1

'रेपर्टरी अनुदान'

1.1 'रेपर्टरी अनुदान'

क. प्रस्तावना

इस अनुदान का शीर्षक 'रेपर्टरी अनुदान' होगा। इसके अंतर्गत वित्तीय सहायता नाटक मंडलियों, रंगमंच समूहों, संगीत कलाकारों की टुकड़ियों, बाल थियेटर और सभी शैलियों के रंगमंच कला कार्यकलापों के लिए प्रदान की जाएगी।

ख. अनुदान के लिए पात्रता और मानदण्ड

1. रेपर्टरी अनुदान सहायता के लिए नाटक मंडलियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके पास पर्याप्त संख्या में और गुणवत्ता परक रंगपटल हों और वे अखिल भारतीय स्तर पर प्रदर्शन कर रही हों।
2. वे अनुदानग्राही जो रेपर्टरी अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, उनके रेपर्टरी अनुदान के नवीकरण की सिफारिश तभी की जाएगी जब वे वित्त वर्ष के दौरान कम से कम दो प्रस्तुतियों का मंचन करें। इनमें से एक प्रस्तुतिकरण नया अर्थात जो पहले मंचित न किया गया हो, होना चाहिए।
3. इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा रेपर्टरी अनुदान का वार्षिक पुनरीक्षण किया जाएगा।
4. संगठन एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही अनुदान के लिए पात्र होंगे।
5. रेपर्टरी अनुदान को जारी रखने के लिए प्रत्येक चार वर्ष बाद वास्तविक सत्यापन आवश्यक होगा।
6. रेपर्टरी अनुदान को अनुदान नवीकरण करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर एक किश्त में संवितरित किया जाएगा :–

   (क) जिन संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, वे अपने आसपास के किसी भी स्कूल में कम से कम 02 सांस्कृतिक कार्यकलाप (समारोह, व्याख्यान, सेमिनार, कार्यशाला, प्रदर्शनी आदि) अनिवार्य रूप से आयोजित करेंगे। अनुदान के नवीकरण और जारी करने के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य से इस आशय का एक प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अपेक्षित होगा।

   (ख) रेपर्टरी अनुदान प्राप्त कर रहे संगठनों को अपने निर्माण/कार्यक्रम/संगोष्ठी आदि की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करनी होगी तथा यू ट्यूब/फेसबुक/संस्कृति मंत्रालय के ट्विटर पेज से लिंक प्रदान करना होगा और यह रेपर्टरी अनुदान के नवीकरण के लिए पूर्वापेक्षित शर्त है तथा उनके द्वारा अपलोड किये गए वीडियो/सामग्री पर आम जनता से प्राप्त टिप्पणियां भी रेपर्टरी अनुदान के नवीकरण के लिए ध्यान में रखी जाएंगी।

(ग) रेपर्टरी अनुदान के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन

1. जब विज्ञापन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली और संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से प्रति वर्ष दिया जाएगा, तब संगठन आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1 फरवरी से 15 मार्च के बीच (दोनों तारीखें सम्मिलित हैं) आवेदन कर सकते हैं, मूल्यांकन इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा आवधिक आधार पर किया जाएगा। विहित तारीख से पहले अथवा बाद में प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन–पत्र विधिवत रूप से संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासन या किसी भी राज्य अकादमी या राष्ट्रीय अकादमी सहित राष्ट्रीय नाट्य

विद्यालय (एनएसडी), कलाक्षेत्र फाउंडेशन, सांस्कृतिक स्त्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आइजीएनसीए), क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) और इसी प्रकार के निकायों से संस्तुत होना चाहिए।

2. नीचे पैरा च में यथा निर्धारित दस्तावेज, आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने चाहिएं। इन दस्तावेजों के बिना प्रस्तुत आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

3. संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय नाटय विद्यालय (एनएसडी) प्रति वर्ष एनएसडी/मंत्रालय की वेबसाइटों nsd.gov.in@indiaculture.nic.in पर 'रेपर्टरी अनुदान' को अधिसूचित करेगा।

4. 'रेपर्टरी अनुदान' दिशा–निर्देशों के पैरा च में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेजों द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदनों को "निदेशक, राष्ट्रीय नाटय विद्यालय, बहावलपुर हाउस, प्लॉट न. 1, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001 को भेजें (आवेदक संगठनों द्वारा राष्ट्रीय नाटय विद्यालय को प्रस्तुत आवेदन पत्र में किसी कमी की जानकारी सीधे निदेशक, एनएसडी को प्रस्तुत की जाए)

(घ) चयन पद्धति

1. रेपर्टरी अनुदान पर इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार और सिफारिश की जाएगी। विशेषज्ञ समिति के गठन और कार्यकाल पर मंत्रालय द्वारा निर्णय एवं अनुमोदन किया जाएगा। विशेषज्ञ समिति अपनी सिफारिशों के लिए मामला दर मामला आधार पर औचित्य बताएगी। विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के पश्चात, प्रस्तावों की जांच संबंधित प्रभाग द्वारा की जाएगी और निधि जारी होने से पहले सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

2. निधियों की उपलब्धता और अनुदान के लिए आवेदनों की संख्या के आधार पर विशेषज्ञ समिति द्वारा आवेदनों की संवीक्षा आवधिक आधार पर की जाएगी।

3. आरंभिक तौर पर नए संगठनों के लिए रेपर्टरी अनुदान एक गुरू और दो कलाकारों के लिए हो सकता है जिसे क्रमशः बढ़ाकर एक गुरू और अठारह कलाकारों तक किया जा सकता है। तथापि, यह वृद्धि किसी भी समय मौजूदा संख्या के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए और नृत्य एवं संगीत के क्षेत्रों के लिए यह एक गुरू और दस कलाकारों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4. बजटीय बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए और नए कलाकार समूहों/संगठनों को अवसर प्रदान करने के लिए, रेपर्टरी अनुदान प्राप्त करने वाले मौजूदा संगठनों के 10 प्रतिशत को प्रत्येक वर्ष हटा दिया जाएगा। हटाने के लिए मानदण्ड पूर्व निष्पादन, साख, कार्य करने की कला (दुर्लभ/पारम्पारिक/प्रायोगिक/अभिनव/ मौलिक/विलुप्तप्रायः कला रूप आदि) हो सकते हैं।

5. रेपर्टरी अनुदान नवीकरण प्रस्ताव के लिए वैयक्तिक चर्चा होगी।

ड़. अनुदान राशि

1. प्रत्येक गुरू/निदेशक के लिए सहायता 10000/– रूपये (दस हजार रूपये) प्रति माह की दर से जबकि प्रत्येक शिष्य/कलाकार के संबंध में सहायता निम्नानुसार होगीः–

शिष्य/कलाकर की श्रेणी	आयु समूह	सहायता/मानदेय की प्रतिमाह राशि
(क) वयस्क शिष्य/कलाकार	(18 वर्ष और इससे अधिक आयु)	6000/– रूपये (छः हजार रूपये केवल)
(ख) क श्रेणी बाल शिष्य/कलाकार	(12 से 18 वर्ष तक की आयु)	4,500/– रूपये (साढे चार हजार रूपये केवल)

(ग) ख श्रेणी बाल शिष्य/कलाकार	(6 से 12 वर्ष तक की आयु)	2000/– रूपये (दो हजार रूपये केवल)
(घ) ग श्रेणी बाल शिष्य /कलाकार	(3 से 6 वर्ष तक की आयु)	1000/– रूपये (एक हजार रूपये केवल)

2. रेपर्टरी अनुदान के अंतर्गत व्यय अनुदान के आंवटित परिव्यय तक सीमित होना चाहिए।

नोटः प्रचलन के अनुसार आवेदक संगठनों को भुगतान केवल इलेक्ट्रोनिक पद्धति/आरटीजीएस के माध्यम से ही किया जाएगा।

च. आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज

(i) संगठन के गत वर्ष के कार्यकलापों के संबंध में प्रेस समीक्षा, प्रेस विज्ञापनों, स्मारिका टिकट की प्रतियों सहित आवेदक संगठन का संक्षिप्त परिचय।

(ii) पंजीकरण प्रमाण–पत्र और संगम ज्ञापन/विलेख, उपनियमों की प्रति।

(iii) एनजीओ–दर्पण पोर्टल से प्राप्त संगठन की विशिष्ट पहचान संख्या की पत्र प्रति।

(iv) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) की प्रति।

(v) निर्धारित प्ररूप में विधिवत् भरा गया संकल्प (मूल में) ।

(vi) निर्धारित प्ररूप में विधिवत भरा गया क्षतिपूर्ति बंध पत्र (मूल में) जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सहित दो गवाहों के नाम और दी गई जगह पर पूरे पते सहित हस्ताक्षर के साथ संगठन की मुहर सहित हस्ताक्षर किये गए हों।

(vii) निम्नलिखित अन्य बातों के साथ– साथ संगठन की वार्षिक कार्य योजना (साक्ष्य सहित):–

(क) संगठन द्वारा अपने आस–पास के किसी विद्यालय में कम से कम दो सांस्कृतिक कार्यकलापों (समारोह, भाषण, संगोष्ठी, कार्यशाला, प्रदर्शनी आदि) के आयोजन का ब्यौरा। इस संबंध में अनुदान के नवीकरण और जारी होने के लिए विद्यालय के प्राचार्य से आवश्यक रूप से प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

(ख) पूर्वाभ्यास, वेशभूषा, परिवहन, अनुसंधान, अंकन, मंचन आदि की लागत जैसे मदवार ब्यौरे दर्शाते हुए उसकी अनुमानित लागत सहित मंचित कम से कम दो प्रस्तुतियों (150 से कम शब्दों में टंकित की गई (इन दो मे से कम से कम एक प्रस्तुति नई होनी चाहिए अर्थात् जिसका मंचन पूर्व में न किया गया हो) के वार्षिक कार्यक्रम से संबंधित ब्यौराः और

(ग) प्रस्तुति/समारोह/संगोष्ठी आदि के अपलोड किये गए वीडियो/सामग्री पर आम जनता से प्राप्त टिप्पणियों की हार्डकापी (इसे भी अनुदान के नवीकरण हेतु ध्यान मे रखा जाएगा) सहित, यू ट्यूब पर अपनी प्रस्तुति/समारोह/संगोष्ठी आदि की वीडियो अपलोड करने और संस्कृति मंत्रालय के यू ट्यूब/ट्विटर पेज/ फेसबुक का लिंक प्रदान करने (यह रेपर्टरी अनुदान के नवीकरण के लिए पूर्वापेक्षित शर्त रहेगी) का साक्ष्य।

(viii) संगठन से जुड़े गुरू/निदेशक और शिष्य/कलाकार जिनके लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है, का निर्धारित प्रपत्र में संपूर्ण ब्यौरा।

(ix) नए रेपर्टरी अनुदान या रेपर्टरी अनुदान के नवीकरण या रेपर्टरी अनुदान में वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता

मांगने का औचित्य ।

(x) संगठन के सभी कार्यकलाप कवर करते हुए और प्राप्ति एवं भुगतान तथा आय एवं व्यय आदि के स्रोत एवं पद्धति सहित लेखाओं के विगत तीन वर्ष के संपरीक्षित विवरण।

(xi) विगत तीन वर्ष के आयकर आकलन आदेश।

(xii) लेखापरीक्षक के प्रमाण पत्र सहित विगत तीन वर्ष के तुलन पत्र।

(xiii) सनदी लेखाकार (सीए) द्वारा अपने लेटर हैड पर निर्धारित प्रपत्र (अर्थात/अनुलग्नक I एवं II सहित फार्म जीएफआर 12–ए) में उपयोगिता प्रमाण–पत्र और संगठन द्वारा प्राप्त अंतिम अनुदान के संबंध में मुहर सहित अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत प्रति हस्ताक्षरित (सीए की सदस्यता संख्या लेटर हैड पर दर्शाई जानी चाहिए) रसीदें और भुगतान विवरण (मूल में)।

(xiv) गत वर्ष की प्रस्तुतियों की प्रेस समीक्षाएं, प्रेस विज्ञापन, टिकट आदि की स्मरण प्रतियां।

(xv) इस तथ्य का दस्तावेजी साक्ष्य कि अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन ने प्रत्येक वैयक्तिक लाभार्थी (अर्थात् गुरू एवं शिष्य/कलाकार जैसे प्रत्येक लाभार्थी की बैंक स्टे्टमेंट की प्रति) (यह रेपर्टरी अनुदान के नवीकरण की बाध्यकारी शर्त है) के बैंक खाते में गत वर्ष के इलेक्ट्रानिक रूप से प्राप्त अनुदान के रोकड़ घटक अंतरित किये हैं।

(xvi) विधिवत् भरा हुआ और हस्ताक्षरित निर्धारित बैंक प्रपत्र/प्राधिकार पत्र (मूल में) संबंधित बैंक के प्रबंधक द्वारा अधिप्रमाणित और हस्ताक्षरित हो।

(xvii) आवेदन फार्म के साथ संलग्न विधिवत भरी गई चैक–लिस्ट।

(xviii) आवेदन पर संबंधित राज्य सरकारों/संघशसित क्षेत्र के प्रशासकों या किसी भी राज्य की अकादेमियों या राष्ट्रीय नाटय विद्यालय (एनएसडी), कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आईजीएनसीए), क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों और सदृश महत्व के निकायों सहित राष्ट्रीय अकादेमियों द्वारा विधिवत् सिफारिश की जानी चाहिए। इस संबंध में निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त सिफारिश पत्र (मूल में) आवेदन फार्म के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

नोट 1. पदम पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या किसी भी राज्य अकादमियों या राष्ट्रीय अकादमियों जिसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, कला क्षेत्र फाउंडेशन, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आईजीएनसीए), क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र और सदृश प्रकृति के निकाय शामिल हैं, से संस्तुति प्राप्त करने की छूट होगी।

2. आवेदन मौजूदा रेपर्टरी अनुदान के दिशा निर्देशों के अनुसार हर तरह से परिपूर्ण होने चाहिए। यदि कोई त्रुटि/कमी पाई जाती है, तो उन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में एनएसडी/संस्कृति मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा।

छ. रेपर्टरी अनुदान का मूल्यांकन और मॉनिटरिंग

संस्कृति मंत्रालय, जैसा भी आवश्यक समझे, आवधिक आधार पर विशेषतः रेपर्टरी अनुदानग्राहियों के लिए, आवधिक निरीक्षणों, फील्ड दौरों आदि के माध्यम से अनुदानग्राहियों का मूल्यांकन करेगा। जहां तक रेपर्टरी अनुदान के नए मामलों का संबंध है, प्रत्येक मामले में अनुमोदित अनुदान मंत्रालय द्वारा यथानिर्धारित संगठनों के वास्तविक सत्यापन के पश्चात ही जारी किया जाएगा। इसके अलावा कम से कम 5–10 प्रतिशत नए संस्तुत प्रस्तावों/मामलों का वास्तविक निरीक्षण/सत्यापन संस्कृति मंत्रालय में संबंधित अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी या संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

1.2

राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

1. पात्रता

(क) यह अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्रता हेतु आवेदक संगठन का एक समुचित रूप से गठित प्रबंधन निकाय अथवा शासी निकाय अथवा शासी परिषद होनी चाहिए जिसमें लिखित संविधान के रूप में इनकी शक्तियों, दायित्वों और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से उल्लिखित और निर्धारित किया होना चाहिए।

(ख) इसके पास जिस परियोजना के लिए अनुदान अपेक्षित है उसको शुरू करने के लिए सुविधाएं, संसाधन, कार्मिक एवं अनुभव होना चाहिए।

(ग) आवेदक संगठन को भारत में पंजीकृत होना चाहिए और राष्ट्रीय मौजूदगी समेत इसे अखिल भारतीय स्तर का होना चाहिए तथा इसकी राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यात्मक मौजूदगी होनी चाहिए।

(घ) इस संगठन के कार्यकलाप मुख्य रूप से और महत्वपूर्ण रूप से सांस्कृतिक होने चाहिए।

(ङ) इस संगठन की क्षमता वर्ष भर में कम से कम 20 समारोह / कार्यक्रम करने की होनी चाहिए।

(च) इस संगठन के पास पर्याप्त कार्यक्षमता, कलाकार / स्टाफ / स्वैच्छिक सदस्य होने चाहिए।

(छ) इस संगठन द्वारा सांस्कृतिक कार्यकलापों पर विगत 5 वर्षों के 3 वर्षों में 1.00 करोड़ अथवा अधिक की राशि खर्च की हुई होनी चाहिए।

(ज) वित्तीय सहायता नीचे सूचीबद्ध सभी मदों और अथवा कुछ मदों के लिए प्रदान की जाएगी।

(i) सामान्यतः कुल सरकारी अनुदान के 25 प्रतिशत का उपयोग कला एवं संस्कृति के प्रोन्नयन पर केन्द्रीत संस्थान / संगठन/ संस्कृति के भवन के रख–रखाव (स्टाफ वेतन, कार्यालयी खर्च, विविध खर्च) और निर्माण / मरम्मत / विस्तार/ पुनर्स्थापना/ नवीकरण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

(ii) सामान्यतः कुल सरकारी अनुदान के 75 प्रतिशत का उपयोग हर हाल में कला एवं संस्कृति के संवर्धन संबंधी शोध परियोजनाओं समेत सांस्कृतिक विरासत तथा कला के परिरक्षण और संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण समारोह को प्रदर्शित/आयोजित करने पर हुए अन्य विविध खर्चों तथा मानदेय के भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता है।

2 चयन पद्धति और अनुदान जारी करने की शर्तें

(क) संचालन समिति द्वारा स्कीम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों / प्रस्तावों के मूल्यांकन तथा इसके पश्चात् संस्कृति मंत्रालय में सक्षम प्राधिकरण के प्रशासनिक अनुमोदन के आधार पर अनुदान प्रदान किया जाएगा।

(ख) यह अनुदान 2 किश्तों में प्रदान किया जाएगा (अर्थात् 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत), इसकी पहली किश्त परियोजना के अनुमोदन के समय जारी की जाएगी। इसकी दूसरी किश्त समुचित प्रारूप (इसके अनुलग्नक–I एवं II सहित जीएफआर–12–ए के अनुसार) में उपयोग प्रमाण–पत्र, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित अनुदान प्राप्तकर्ता के हिस्से समेत अनुदान की संपूर्ण राशि के उपयोग को दर्शाते हुए लेखाओं का विधिवत लेखा–परीक्षा विवरण तथा अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति होने पर जारी की जाएगी। अनुदान की शेष राशि को जारी करने पर निर्णय संस्वीकृत अनुदान की अधिकतम सीमा के अध्यधीन परियोजना पर किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाएगा।

(ग) वित्तीय सहायता पाने वाले संगठन का संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी / प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

(घ) परियोजना के लेखाओं को समुचित तथा पृथक रूप से रखा जाएगा और भारत सरकार द्वारा जब कभी मांगा जाए, इन्हें प्रस्तुत किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकारी विवेकानुसार उनकी जांच के अध्यधीन होगा।

(ङ) यह संगठन कला एवं संस्कृति के प्रोन्नयन पर केन्द्रीत संस्था / संगठन/ केन्द्र के भवन के रख–रखाव (स्टाफ वेतन, कार्यालय खर्च, विविध खर्च) और निर्माण / मरम्मत / विस्तारण / पुनर्स्थापना / नवीकरण के लिए उपयोग किए गए व्यय का विस्तृत मद–वार ब्यौरा प्रदान करेंगे।

(च) अनुदान प्राप्तकर्ता निम्नलिखित का रख–रखाव करेगा :

i. सरकार से प्राप्त सहायतानुदान के अतिरिक्त लेखे।

ii. सजिल्द हाथ से लिखे हुए बही–खाते जिनमें मशीन से संख्यांकन किया गया हो।

iii. सरकार और अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान के लिए सहायतानुदान रजिस्टर।

iv. व्यय की प्रत्येक मद जैसे हॉस्टल भवन का निर्माण आदि के पृथक बहीखाते।

(छ) संगठन केन्द्र सरकार के अनुदान से पूर्णतः और आंशिक रूप से अर्जित सभी परिसम्पत्तियों का रिकॉर्ड रखेगा और जिस उद्देश्य के लिए अनुदान दिया गया है, के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए इन्हें भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं बेचेगा अथवा ऋणग्रस्त और उपयोग करेगा।

(ज) किसी भी समय यदि भारत सरकार के पास ऐसा विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि मंजूर की गई धनराशि का उपयोग अनुमोदित उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा है, तो अनुदान का भुगतान रोका जा सकता है और पहले के अनुदानों की वसूली की जा सकती है।

(झ) संगठन को अनुमोदित परियोजना के कार्य के लिए अवश्य ही तर्कसंगत मितव्ययिता अपनानी चाहिए।

(ञ) अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन वास्तविक उपलब्धियों तथा प्रत्येक अनुमोदित मद पर पृथक रूप से हुए व्यय, दोनों, के विस्तृत ब्यौरे देते हुए परियोजना की तिमाही प्रगति रिपोर्ट संस्कृति मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।

(ट) ऐसे आवेदन जिनके पिछले अनुदान / उपयोग प्रमाण–पत्र लंबित हैं, उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ठ) संगठन को अपने आस–पास के किसी भी विद्यालय में कम से कम 2 गतिविधियां (समारोह, व्याख्यान, सेमिनार, कार्यशाला, प्रदर्शनी आदि) अवश्य ही आयोजित करनी चाहिए। दूसरी किस्त जारी करने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से अपेक्षित होगा।

3. सहायता की राशि

एक संगठन को सामान्यतः 1.00 करोड़ रू. तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा दी जाने वाले वित्तीय सहायता केवल 2.00 करोड़ रू. तक सीमित होगी। तथापि, माननीय संस्कृति मंत्री के अनुमोदन से आपवादिक / सुयोग्य मामलों में इस धनराशि को 5.00 करोड़ रू. तक बढ़ाया जा सकता है। स्कीम के अंतर्गत किसी संगठन के लिए सहायता उपरोक्त सीमा के अध्यधीन अनुमोदित लागत के अधिकतम 67 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। अनुमोदित लागत के शेष 33 प्रतिशत को संगठन द्वारा इसके 'समतुल्य हिस्सेदारी' (राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार/ केन्द्रीय मंत्रालय/ पीएसयू/ विश्वविद्यालय द्वारा अंशदान के अलावा) के रूप में खर्च किया जाएगा।

4. लेखांकन प्रक्रियाएं

(क) केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदान के संबंध में पृथक लेखाओं का रख–रखाव किया जाएगा।

(ख) अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन के लेखे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अथवा उसके विवेकानुसार उनके नामिती के द्वारा किसी भी समय लेखा–परीक्षा के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(ग) अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन अनुमोदित परियोजना पर हुए खर्च को दर्शाते हुए तथा पूर्व वर्षों में सरकारी अनुदान के उपयोग का उल्लेख करते हुए सनदी लेखाकार द्वारा सम्प्रीक्षित लेखा विवरण भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो जब तक सरकार द्वारा कोई विशेष छूट न दी गई हो, वह तुरंत प्राप्त अनुदान की राशि को उस पर भारत सरकार की मौजूदा ब्याज दर के साथ वापस लौटाने की व्यवस्था करेगा।

(घ) अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन, जब कभी भी सरकार को आवश्यक प्रतीत होने पर भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय द्वारा समिति के नियुक्त करने अथवा सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य तरीके के माध्यम से समीक्षा के लिए खुला रहेगा।

(ङ) अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन विदेश मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना किसी विदेशी प्रतिनिधिमंडल (जिन्हें संस्कृति मंत्रालय के अनुदान द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के संबंध में आमंत्रित किया जा रहा है) को आमंत्रित नहीं करेगा। इस प्रकार की अनुमति के आवेदन संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से भेजे जाएंगे।

(च) यह संगठन समय–समय पर सरकार द्वारा लगाई गई ऐसी अन्य शर्तों के अध्यधीन होगा।

5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :

संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर पात्र संगठनों से आवेदनों को आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन अपलोड किया जाएगा। विहित प्रपत्र में विधिवत भरे आवेदन पत्रों को केन्द्र सरकार / राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के संबंधित सांस्कृतिक विभाग/स्कंध अथवा संस्कृति मंत्रालय के किसी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र / राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी), संगीत नाटक अकादमी (एसएनए), ललित कला अकादमी (एलकेए), सीसीआरटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आईजीएनसीए), सहित राष्ट्रीय अकादमियों तथा इसके सदृश प्रकृति के निकायों द्वारा संस्तुत किया जाना चाहिए और इन्हें केवल इन्हीं संगठनों के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। तथापि, संस्कृति मंत्रालय के पास किसी आवेदन पर सीधे विचार करने का विवेकाधिकार होगा।

6. आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

क. संगठन की संरचना

ख. शासी निकाय के प्रबंधन बोर्ड का संघटन और प्रत्येक सदस्य संबंधी ब्यौरे

ग. अद्यतन उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट की प्रति

घ. निम्नलिखित को शामिल करते हुए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ;

1. जिस परियोजना के लिए सहायता चाहिए उसकी अवधि समेत उस परियोजना का ब्यौरा।
2. आवर्ती तथा गैर–आवर्ती व्यय का अलग–अलग मदवार ब्यौरा प्रदान करते हुए परियोजना का वित्तीय विवरण।
3. उस स्रोत का उल्लेख जहां से सदृश धनराशि प्राप्त की जाएगी।

ड. आवेदक संगठन का विगत तीन वर्षों की आय और व्यय का विवरण तथा तुलन पत्र की एक प्रति।

च. समुचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर विहित प्रपत्र में एक क्षतिपूर्ति बंध पत्र।

छ. संस्वीकृत अनुदान के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण को सुलभ बनाने के लिए विहित प्रपत्र में बैंक खाते के विवरण।

7. छूट

आपवादिक मामलों में विशेषज्ञ / संचालन / सलाहकार समिति की सिफारिशों जिसके लिए कारणों का लिखित में उल्लेख करना होगा, के आधार पर, संस्कृति मंत्रालय को दिशा निर्देशों के किसी मानदंड में छूट देने का अधिकार सुरक्षित है।

1.3

सांस्कृतिक समारोह एवं निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

1. शीर्षक

इस स्कीम को सांस्कृतिक समारोह एवं निर्माण अनुदान (सीएफपीजी) कहा जाएगा।

2. कार्यक्षेत्र

इस स्कीम में सोसाइटियों, न्यासों तथा विश्वविद्यालयों, जो भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर सेमिनार, अनुसंधान, कार्यशालाएं, उत्सव तथा प्रदर्शनियां आयोजित करते हैं, सहित सभी गैर लाभकारी संगठनों को सहायता देना शामिल है। ये संगठन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI), न्यास अधिनियम, कंपनी अधिनियम या केन्द्र या राज्य सरकार के अन्य किसी अधिनियम के तहत पंजीकृत होने चाहिए और कम से कम तीन वर्ष से कार्यरत होने चाहिए। इस स्कीम घटक के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है।

तथापि यह स्कीम ऐसे संगठनों या संस्थाओं के लिए नहीं होगी जो धार्मिक संस्थाओं या स्कूलों/कॉलेजों के रूप में कार्य कर रहे हों। यह स्कीम घटक कालेज/विश्वविद्यालय महोत्सवों हेतु नहीं है।

अनुदान, सांस्कृतिक विरासत, कला, साहित्य और अन्य सृजनात्मक कार्यों के परिरक्षण या संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, विचार–गोष्ठियों, महोत्सवों तथा प्रदर्शनियों जैसे सभी प्रकार के परस्पर मेलजोल के मंचों के लिए दिया जाएगा।

3. पात्रता

क) अनुदान का पात्र होने के लिए आवेदक संगठन जो स्वैच्छिक संगठन या एनजीओ हैं, का समुचित रूप से गठित ऐसा प्रबंधन निकाय या शासी परिषद होनी चाहिए जिसकी शक्तियां, कार्य व जिम्मेदारियां लिखित संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित व निर्धारित हों।

ख) संगठन /व्यक्ति द्वारा परियोजना लागत के कम से कम 25 प्रतिशत तक समतुल्य संसाधनों का करार किया होना चाहिए या इसकी योजना बनाई जानी चाहिए।

ग) संगठन/व्यक्ति के पास उस कार्यक्रम/परियोजना को शुरू करने के लिए सुविधाएं, संसाधन, कार्मिक तथा अनुभव होना चाहिए जिसके लिए अनुदान की मांग की गई हो।

घ) यथा आवेदित ऐसे समारोह के आयोजनों के विगत अनुभव को वरीयता दी जाएगी।

4. कार्यकलाप जिनके लिए सहायता दी जानी है और सहायता की सीमा

वित्तीय सहायता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दी जा सकती है :

क) किसी भी कला रूप/महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मामलों पर सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशालाएं, विचार–गोष्ठियां, महोत्सव, प्रदर्शनियां आयोजित करना और लघु अनुसंधान परियोजनाएं आदि शुरू करना।

ख) सांस्कृतिक विषयों एवं उनके प्रकाशनों सहित उनके संबंध में सर्वेक्षण, प्रायोगिक परियोजनाएं आदि संचालित करने जैसे विकास प्रकृति के कार्यकलापों पर व्यय की पूर्ति करना।

5. सहायता की राशि :

उपर्युक्त पैरा 4 के तहत विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुदान, विशेषज्ञ समिति द्वारा यथा संस्तुत व्यय का 75 प्रतिशत तक सीमित होगा, जो प्रति परियोजना अधिकतम 5.00 लाख रू. के अध्यधीन होगा।

मंत्रालय अपवादस्वरूप परिस्थितियों में समुचित अनुमोदन के तहत उत्कृष्ट योग्यता व प्रासंगिकता की किसी भी परियोजना के लिए सहायता की राशि माननीय संस्कृति मंत्री के अनुमोदन से 20 लाख रु. तक बढा सकता है।

6. लेखांकन पद्धतियां

केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदानों के संबंध में अलग लेखे रखे जाएंगे

क) अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन/व्यक्ति के लेखाओं की समीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उसके विवेक पर उसके नामिती द्वारा कभी भी की जा सकेगी।

ख) अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन/व्यक्ति, भारत सरकार को अनुमोदित परियोजना पर किए गए व्यय का उल्लेख करते हुए और पूर्व वर्षों में सरकारी अनुदान के उपयोग का ब्यौरा देते हुए किसी सनदी लेखाकार से संपरीक्षित लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करेगा। यदि उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अनुदान प्राप्तकर्ता को प्राप्त अनुदान की समग्र राशि और उस पर भारत सरकार की प्रचलित उधार दर पर ब्याज तत्काल वापिस करना होगा बशर्ते कि सरकार द्वारा विशेष रूप से ब्याज माफ न किया गया हो।

ग) अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन/व्यक्ति की, सरकार द्वारा कभी भी आवश्यक समझे जाने पर कोई समिति नियुक्त करके या सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य तरीके से भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाएगी।

घ) अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन/व्यक्ति, विदेश मंत्रालय से अनुमति लिए बिना विदेशी प्रतिनिधिमण्डल को आमंत्रित नहीं करेगा, जिसके लिए आवेदन अनिवार्यतः संस्कृति मंत्रालय के जरिए प्रस्तुत किया जाएगा।

ड.) यह ऐसी अन्य शर्तों के अध्यधीन होगा जो समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की जाएं।

7. आवेदन प्रस्तुत करने की पद्धति

यह स्कीम घटक वर्ष भर खुला रहेगा। इस घटक के तहत अनुदान के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (एनसीजेडसीसी), 14, सीएसपी सिंह मार्ग, इलाहाबाद–211001 को भिजवाए जाएं। दूरभाष संख्या है 0532– 2421855, 0532–2423698। आवेदन को किसी भी राष्ट्रीय अकादेमी या भारत सरकार के अधीन किसी अन्य संस्कृति संबंधी संगठन या संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, राज्य अकादेमियों द्वारा संस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।

8. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

(क) संगठन का संघटन। यह व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होगा।

(ख) प्रबंधन बोर्ड या शासी निकाय का गठन और प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा। यह व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होगा।

(ग) नवीनतम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट की प्रति।

(घ) निम्नलिखित सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट :

  (i) परियोजना की अवधि सहित उस परियोजना का विवरण जिसके लिए सहायता का अनुरोध किया गया है तथा परियोजना के लिए नियोजित किए जाने वाले स्टाफ की अर्हताओं तथा अनुभव का ब्यौरा;

  (ii) आवर्ती व गैर–आवर्ती व्यय का अलग से मदवार ब्यौरा देते हुए परियोजना का वित्तीय विवरण, और

(iii) स्रोत जिनसे सहयोगी निधियां प्राप्त की जाएंगी।

(ड.) आवेदक संगठन/व्यक्ति के गत तीन वर्षों के आय व व्यय का विवरण तथा किसी सनदी लेखाकार या सरकारी लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित गत वर्ष के तुलन–पत्र की प्रति।

(च) समुचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रोफर्मा में क्षतिपूर्ति बंध पत्र।

(छ) संस्वीकृत निधियों के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण हेतु निर्धारित प्रोफार्मा में बैंक खाते का ब्यौरा

9. किस्त

अनुदान, 75 प्रतिशत (प्रथम किस्त) और 25 प्रतिशत (दूसरी किस्त) की दो किस्तों में जारी किया जाएगा।

10. भुगतान का तरीका

सभी भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक अतंरणों से किया जाएगा।

11. स्कीम घटक का आउटपुट

अनुदान प्राप्तकर्ता संगठनों/व्यक्तियों से अपेक्षित होगा कि वे अपने निर्माण/समारोह/संगोष्ठी) आदि के वीडियो यू ट्यूब पर अपलोड करें तथा संस्कृति मंत्रालय के यू ट्यूब/फेसबुक/ट्विटर पेज का लिंक उपलब्ध कराएं।

12. संपर्क सूत्र :

अनुभाग अधिकारी (एस एंड एफ),

दूरभाष संख्या 011– 24642157

पूछताछ का समय सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 3.00 बजे से 4.00 बजे तक है।

1.4

हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता स्कीम

1. उद्देश्य :

इस स्कीम का उद्देश्य अनुसंधान, प्रलेखन, प्रसार आदि माध्यमों से जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में फैले हिमालयी क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन, संरक्षा व संरक्षण करना है।

2. अनुदान का मापदंड :

(i) स्वैच्छिक संस्थान का पंजीकरण, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या सार्वजनिक न्यास के रूप में भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत होना चाहिए और वह विगत तीन वर्षों से कार्यरत हो।

(ii) कॉलेज और विश्वविद्यालय भी आवेदन हेतु पात्र हैं।

(iii) संस्थान के पास अनुसंधान परियोजनाओं को हाथ में लेने और उसको आगे बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। इसके पास अनुदान के लिए अपेक्षित स्कीम को लागू करने के लिए आवश्यक सुविधाएं, संसाधन और कार्मिक भी होने चाहिए।

(iv) कॉलेज और विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम की विवरणी या अनुसंधान पाठयक्रम में, हिमालय की कला और संस्कृति के परिरक्षण से संबद्ध अध्ययन के विभिन्न पहलुओं को प्रारंभ करना चाहिए, यदि इन्हें पहले शामिल नहीं किया गया हो।

(v) आवेदन करने वाले कॉलेज को विश्वविद्यालय से संबद्ध होना चाहिए।

(vi) अनुदान, तदर्थ और गैर–आवर्ती प्रकृति का होगा।

(vii) इस स्कीम से अनुदान केवल उन संस्थानों को दिए जाएंगे जो किसी अन्य स्रोत से, ऐसे ही उद्देश्य के लिए अनुदान नहीं प्राप्त कर रहे हैं।

(viii) ऐसे संस्थानों को वरीयता दी जाएगी जो अपने क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहे हैं और अपने हिस्से की धन राशि जुटाने में समर्थ हैं।

3. सहायता का उद्देश्य और मात्रा : वित्तीय सहायता, अधोलिखित किसी भी मद के लिए, किसी एक संस्थान को अधिकतम, 10.00 लाख रू. तक दी जाती है :

क्र.सं.	मद	प्रतिवर्ष अधिकतम राशि
i.	सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन और अनुसंधान	10.00 लाख रू.
ii.	प्राचीन पांडुलिपियों, साहित्य, कला और शिल्प का अनुरक्षण और संस्कृति कार्यकलापों/कार्यक्रमों जैसे संगीत नृत्य आदि का प्रलेखन।	10.00 लाख रू.
iii.	कला और संस्कृति के श्रृव्य–दृश्य कार्यक्रमों के माध्यमों से प्रसार करना।	10.00 लाख रू.
iv.	पारम्परिक और लोक कलाओं में प्रशिक्षण	10.00 लाख रू.

3.1 किसी संस्थान के लिए अधिकतम स्वीकार्य अनुदान राशि, किसी मद पर अधिकतम निर्धारित सीमा के अधीन खर्च किए जाने वाली राशि की 75ः प्रतिशत होगी। शेष 25 प्रतिशत ः या उससे अधिक व्यय, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन वहन करेगा। ऐसा न होने पर अनुदान प्राप्त करने वाला संस्थान, अपने संसाधनों से धन जुटाएगा। तथापि, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के मामलों में निधि का बंटवारा भारत सरकार और उस संस्थान के मध्य क्रमशः 90:10 के अनुपात में किया जाएगा।

4. आवदेन की प्रक्रिया :

4.1 संस्थान/व्यक्ति, अपना विधिवत भरा हुआ आवेदन, अधोलिखित दस्तावेजों/ सूचना सहित संस्कृति मंत्रालय में प्रस्तुत करने के पूर्व, उस संस्थान की पात्रता के आकलन के लिए संबद्ध राज्य सरकार के माध्यम से भेजेगा, जहां पर परियोजना को लागू करने का प्रस्ताव है। तथापि, ऐसे संस्थान जो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के लेह और कारगिल जिलों में स्थित हैं, केवल उस जिले के कलेक्टर/उपायुक्त की सिफारिश से, उन्हें अपने आवेदन सीधे संस्कृति मंत्रालय को भेजने की छूट दी गई है। कॉलेज और विश्वविद्यालय अपने आवेदन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से संस्कृति मंत्रालय को अग्रेषित करेंगे।

क्र.सं.	दस्तावेज/सूचना
i.	पंजीकरण प्रमाण–पत्र की वैध प्रतिलिपि, जिसमें स्पष्ट रूप से पंजीकरण की वैधता दर्शित हो। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित की जाए।
ii.	संगम ज्ञापन की प्रतिलिपि।
iii.	पिछले तीन वर्षों के संपरीक्षित लेखाओं की प्रतियां।
iv.	पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां, जिनमें उपलब्धि से संबंधित दस्तावेजी प्रमाण पुष्टि हेतु संलग्न हों।
v.	प्रारंभ की जाने वाली परियोजना के कार्यकलापों का क्रमिक विवरण जिसमें लागत अनुमानों का ब्यौरा, सरकार से निधि प्राप्त करने की आवश्यकता, निधियन के अन्य स्रोत, परियोजना की पूर्णता विषयक सारिणी आदि शामिल हों।
vi.	अनुसंधान से संबंधित कार्मिकों के मामले में संक्षिप्त वर्णन।

4.2 **संस्तुति** : प्रस्ताव की संस्तुति के समय राज्य सरकार/जिला कलेक्टर/उपायुक्त/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग :

i. संस्थान की पंजीकरण स्थिति की जांच करेगा।

ii. यह प्रमाणित करेगा कि स्वैच्छिक संगठन ऐसी परियोजना का दायित्व लेने में समर्थ हैं।

iiii. यह प्रमाणित करेगा कि परियोजना/चलाई जाने वाली परियोजना का प्रस्तावित शीर्ष/क्षेत्र पहले कभी शुरू नहीं किया गया और यह नई परियोजना है।

iv. कार्यकलाप/ गतिविधियों और उससे संबद्ध राशि की संस्तुति करेगा।

5. अनुदान जारी होने की शर्तें और तरीका :

क. अनुदान की राशि दो समान किस्तों में भुगतान की जाएगी, सामान्य रूप से, पहली किस्त– परियोजना के अनुमोदन के साथ ही जारी कर दी जाएगी। दूसरी किस्त, परियोजना के पूर्ण होने और विधिवत संपरीक्षित लेखा विवरण, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि अनुदान की समस्त राशि तथा अनुदान प्राप्तकर्ता/संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र की

सरकार के अंशदान का सदुपयोग कर लिया गया है सहित अन्य दस्तावेज प्राप्त होने पर जारी कर दी जाएगी। अनुदान की शेष राशि जारी करने का निर्णय, परियोजना के लिए अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए, परियोजना पर किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाएगा।

ख. इस स्कीम के तहत जो संगठन आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं, उनका निरीक्षण संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार या संबंधित राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

ग परियोजना के लेखों का रख–रखाव उचित रूप से और पृथक रूप से किया जाएगा और भारत सरकार को, जब कभी आवश्यक हो, प्रस्तुत किए जायेंगे और इसकी जांच केंद्र सरकार के किसी अधिकारी या राज्य सरकार या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा उनके विवेक के अधीन होगी।

घ. अनुदान प्राप्तकर्ता निम्नलिखित का रख–रखाव करेगा :–

i. सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के सहायक खाते।

ii. सजिल्द हाथ से लिखी कैश बुक रजिस्टर जिनमें मशीन से विधिवत् संख्यांकन किया गया हो।

iii. सरकार और अन्य अभिकरणों से प्राप्त अनुदान के लिए सहायता अनुदान रजिस्टर।

iv. सिविल कार्य का निर्माण आदि जैसे प्रत्येक मद के व्यय के लिए अलग–अलग लेखा बही।

ड. संगठन केन्द्र सरकार के अनुदान से पूर्णतः और आंशिक रूप से अर्जित सभी परिसम्पत्तियों का रिकॉर्ड रखेगा और जिस उद्देश्य के लिए अनुदान दिया गया है, के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए इन्हें भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं बेचेगा अथवा ऋण पर देगा या उपयोग करेगा।

च. यदि किसी समय, भारत सरकार के पास ऐसा विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि स्वीकृत राशि का उपयोग अनुमोदित प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा रहा है, तो अनुदान का भुगतान रोका जा सकता है और पूर्व अनुदानों की वसूली की जा सकती है।

छ. संस्थान को अनुमोदित परियोजना की कार्य प्रणाली में तर्कयुक्त मितव्ययिता का अनुसरण करना चाहिए।

ज. अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान, संस्कृति मंत्रालय को, परियोजना की एक तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें वास्तविक उपलब्धियों और प्रस्तावित प्रत्येक मद पर व्यय, दोनों के विवरणों को, अलग से दिखाया गया हो।

झ. अनुदान प्राप्तकर्ता, विधिवत रूप से जिल्दसाजी युक्त परियोजना रिपोर्ट/श्रव्य–दृश्य सीडी/फोटोग्राफ सहित, तीन प्रतियां संस्कृति मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा और एक प्रति, उस राज्य को भेजेगा, जहां पर परियोजना को प्रारंभ किया गया है।

ञ. उन संस्थानों जिनके विरुद्ध पूर्व अनुदान/उपयोग प्रमाण–पत्र विलंबित है, के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. भुगतान का तरीका :

सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक अन्तरणों द्वारा किए जाएंगे।

7. स्कीम का आउटकम :

अंतिम किस्त के लिए अनुरोध करते समय तीन प्रतियों में, विधिवत जिल्दसाजी की गई, शुरू किए गए कार्यकलाप के संबंध में कार्य निष्पादन–सह–उपलब्धि रिपोर्ट संस्कृति मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ, परियोजना रिपोर्ट का कार्यकारी सारांश, लाभार्थियों की संख्या, परियोजना का स्थान आदि अधोलिखित प्रारूप में दिए जाने चाहिए :

8. अपूर्ण आवेदन :

ऐसे आवेदन जो उचित रूप में नहीं भरे गए हैं और जिनके साथ में आवश्यक दस्तावेज नहीं लगाए गए है तथा वे आवेदन जो निर्धारित प्राधिकारी की संस्तुति के बिना ही प्राप्त होंगे, उन पर विचार नहीं होगा और वे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिए जाएंगे।

9. विशेष प्रावधान :

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार अपने किसी चुनिंदा एजेंसियों के जरिए या सीधे ही इस विषय पर कोई भी परियोजना आरंभ कर सकता है और अधिकतम सीमा से अधिक परियोजना हेतु वित्तपोषण कर सकता है, परन्तु सचिव (संस्कृति) के अनुमोदन और अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय की सहमति से यह स्कीम हेतु विहित 30.00 लाख रु. से अधिक नहीं होगी। जहां कहीं भी संस्कृति मंत्रालय अपने चुनिंदा किसी संगठन को कोई विशेष परियोजना सौंपने का निर्णय लेता है, तो वहां संबंधित राज्य सरकार की अनुशंसा अनिवार्य नहीं होगी। स्कीम की विशेषज्ञ सलाहकार समिति को राज्य सरकार /स्थानीय प्रशासन की सिफारिशों या सिफारिश के बिना प्राप्त किसी प्रस्ताव की संस्तुति करने या रद्द करने तथा इस स्कीम की यथोपरि अधिकतम सीमा से अधिक राशि संस्तुति प्रदान करने की शक्ति भी प्राप्त है।

10. निरीक्षण और निगरानी

कम से कम 5 प्रतिशत मामलों में प्रति वर्ष मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। संबंधित राज्य सरकार, जिला कलेक्टर/उपायुक्त भी निगरानी करेंगे।

11. अनुदान के दुरूपयोग के मामलों में आर्थिक दंड :

संगठन के कार्यकारी निकाय के सदस्य अनुदान के दुरुपयोग के मामले में वसूली के लिए उत्तरदायी होंगे। संगठन को निधि के दुरूपयोग, फर्जी पंजीकरण प्रमाण–पत्र आदि के लिए काली सूची में भी दर्ज़ कर दिया जाएगा। सरकारी अनुदान की सहायता से सृजित सभी अचल परिसम्पत्तियां संस्कृति मंत्रालय द्वारा विहित स्थानीय प्रशासन द्वारा हाथ में ले ली जाएंगी।

1.5

बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के विकास के लिए वित्तीय सहायता स्कीम

क. उद्देश्य:

इस स्कीम का उद्देश्य बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और परम्परा के प्रचार–प्रसार एवं वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान में कार्यरत मठों सहित स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

2. अनुदान के लिए मानदंड:

i. स्वैच्छिक संस्था/संगठन और सोसायटी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) अथवा सदृश अधिनियमों के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

ii. केवल वही संगठन अनुदान के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, जो मुख्यतः बौद्ध/तिब्बती अध्ययन कार्यों में लगे हैं तथा कम से कम गत तीन वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।

iii. संगठन क्षेत्रीय अथवा अखिल भारतीय स्तर का होना चाहिए।

iv. अनुदान तदर्थ आधार पर दिया जाएगा तथा इसका स्वरूप अनावर्ती प्रकृति का होगा।

v. इस स्कीम के अंतर्गत केवल उन्हीं संगठनों को अनुदान दिया जाएगा, जिन्हें ऐसे ही प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से अनुदान प्राप्त नहीं होता है।

vi. हॉस्टल भवन, कक्षा, विद्यालय भवन और प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा सकती है।

vii. ऐसे संगठनों को वरीयता दी जाएगी, जिनका संबंधित क्षेत्र में किया जा रहा कार्य अच्छा है तथा जिनके पास समतुल्य निधियों की पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध हैं।

3. सहायता का प्रयोजन और मात्रा

3.1 किसी एक संगठन को प्रत्येक वर्ष अधिकतम 30.00 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता नीचे दी गई सभी मदों अथवा किसी एक मद के लिए दी जा सकती है। अखिल भारतीय स्वरूप के ऐसे संगठनों और मठ विषयक शिक्षा प्रदान करने वाले किसी स्कूल के संचालन के मामले में वित्तीय सहायता की राशि अधिकतम सीमा से ज्यादा हो सकती है और जो विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिश पर और वित्तीय सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय के परामर्श से संस्कृति मंत्री के अनुमोदन पर निर्भर करेगी।

क्र.सं.	मदें	अधिकतम राशि प्रतिवर्ष
i.	अनुरक्षण (कार्मिकों को वेतन, कार्यालय व्यय/विविध व्यय)	5,00,000/रु.
ii.	बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के संवर्धन संबंधी अनुसंधान परियोजना	2,00,000/रु.
iii.	बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकों की खरीद, प्रलेखन, सूचीकरण	5,00,000/रु.

iv.	मठवासी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना	5,00,000/रु.
v.	बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए विशेष पाठ्यक्रम चलाना	2,00,000/रु.
vi.	बौद्ध कला और संस्कृति के परिरक्षण और प्रसार के लिए पारंपरिक सामग्रियों की ऑडियो–वीडियो रिकार्डिंग/प्रलेखन/अभिलेख तैयार करना	5,00,000/रु.
vii.	मठीय स्कूलों के लिए आईटी उन्नयन और आईटी समर्थित शिक्षण/प्रशिक्षण सहायता प्रदान करना	5,00,000/रु.
viii.	दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित मठीय स्कूलों/मठों के लिए परिवहन सुविधा	5,00,000/रु.
ix.	मठ–विषयक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल का संचालन कर रहे संगठन के अध्यापकों का वेतन	5,00,000/रु.
x.	बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन मठों एवं विरासत भवनों की मरम्मत, जीर्णोद्धार, नवीकरण	30,00,000/रु.
xi	कक्षाओं के लिए शौचालय तथा पीने के पानी सहित विद्यालय भवन, छात्रवास और प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण जो बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति तथा मठीय विद्यालयों के लिए पारंपरिक शिल्प के कौशल विकास पर केन्द्रित हैं।	30,00,000/रु.

3.2 किसी संगठन को अनुमत अधिकतम अनुदान की राशि विनिश्चित अधिकतम सीमा के अध्यधीन किसी मद पर होने वाले कुल व्यय का 75 प्रतिशत होगी। शेष 25 प्रतिशत अथवा अधिक खर्च राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वहन किया जाना चाहिए। ऐसा न होने पर अनुदानग्राही संगठन अपने स्वयं के संसाधनों से उक्त राशि का योगदान कर सकता है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्य और सिक्किम के मामले में, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 90:10 के अनुपात में निधि की भागीदारी होगी, ऐसा न होने पर अनुदानग्राही संगठन अपने स्वयं के संसाधन से उक्त राशि का योगदान करेगा।

4 आवेदन की प्रक्रिया :

4.1 संबद्ध संगठन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से संगठन की पात्रता की जांच करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों/सूचना के साथ पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करेगा। तथापि, पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर के लेह और कारगिल जिले में स्थित संगठन को अपने आवेदन केवल संबंधित जिलाधीश/उपायुक्त की सिफारिश के बाद सीधे संस्कृति मंत्रालय को भेजने की छूट दी गई है।

क्र.सं.	दस्तावेज/सूचना
i.	वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जिसमें पंजीकरण की वैधता स्पष्ट रूप से दर्शायी गई हो। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की यह प्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित हो।
ii.	संगम ज्ञापन की प्रतिलिपि।
iii.	पिछले तीन वर्षों की लेखा परीक्षा लेखों की प्रतियां
iv.	पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां
v.	शुरू किए जाने वाले प्रत्येक कार्यकलाप संबंधी मदवार विवरण, साथ ही मांगी गई निधियों का विस्तृत ब्यौरा, वांछित लाभार्थियों की संख्या, परियोजना की समय सूची आदि।

vi.	खरीदी जाने वाली पुस्तकों की सूची और उनकी लागत, यदि लागू हो।
vii.	सिविल निर्माण के मामले में भूमि/भवन का मालिकाना साबित करने वाले पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं अन्य दस्तावेजों की प्रतियां, यदि लागू हो।
viii.	सिविल कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संबंधी सूचना जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ कुल भूमि उपलब्धता, अनुमानित लागत–मदवार, व्यय की स्थिति, पूर्णता अनुसूची, प्रत्येक मद के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग से अनुमोदित प्राक्कलन, वास्तुविद के ब्यौरे, अध्ययन कक्षों के ब्यौरे – क्या प्राथमिक अथवा माध्यमिक हैं, अध्ययन कक्षों की संख्या, प्रत्येक कक्षाओं में छात्रों की संख्या, कौन से और किस कक्षा तक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं आदि शामिल हैं, यदि लागू हों।
ix.	शिक्षकों का ब्यौरा – नाम, आयु, योग्यता एवं उनको भुगतान किया गया वेतन। शिक्षकों के वेतन से संबंधित प्रस्ताव निम्नलिखित के अध्यधीन होंगे :–
	(i) यदि सोसायटी अपने भवन में मठीय विद्यालय चला रही है अथवा यह इसके मठ में विद्यालय चला रही है। (ii) ऐसे विद्यालय में प्रशिक्षण लेने वाले मठवासी/मठ विद्यार्थियों की संख्या। (iii) शिक्षकों की संख्या, उनकी आयु और योग्यता तथा उनको भुगतान किया गया वेतन। (iv) क्या मठीय विद्यालय, राज्य में किसी स्थानीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है अथवा किसी अन्य शिक्षा बोर्ड से? (v) क्या छात्र दैनिक शिक्षार्थी हैं अथवा विद्यालय स्रोत आवास में रह रहे हैं?
x	विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने से संबंधित प्रस्ताव निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :– (i) छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए व्यक्तियों के चयन का मानदंड, (ii) क्या संगठन छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति जारी करने के बारे में वित्तीय अथवा शैक्षिक वर्ष के प्रारंभ में अधिसूचित करता है? यदि हाँ, तो ऐसी अधिसूचना का तरीका और प्रमाण देना होगा।

4.2 सिफारिश : राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र, जिलाधीश/उपायुक्त प्रस्ताव की सिफारिश करते समय निम्नलिखित की जांच करेंगे :–

i. संगठन की पंजीकरण स्थिति।

ii. क्या संगम ज्ञापन के अनुसार संगठन के उद्देश्य और कार्यकलाप बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के संवर्धन से संबंधित हैं।

iii. सूचना प्रौद्योगिकी उन्नयन, परिवहन सुविधाएं, सिविल निर्माण कार्य/शिक्षकों के वेतन के लिए मांगी गई निधियों के मामले में, क्या मठ, मठीय विद्यालय विद्यमान हैं/संगठन के स्वामित्व में हैं।

iv. क्या संगठन ऐसी परियोजनाएं शुरू करने में सक्षम है?

v. कार्यकलाप/कार्यकलापों और संबंधित राशि की सिफारिश की जाती है।

4.3 केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह, जम्मू और कश्मीर के लेह और कारगिल जिले में स्थित संगठनों के लिए ''सहायता केन्द्र'' के रूप में कार्य करेगा।

5. अनुदान जारी करने का तरीका तथा शर्तें :

क. आवेदन पत्रों के मूल्यांकन और विशेषज्ञ परामर्शी समिति द्वारा संस्तुत तथा उसके बाद संस्कृति मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारियों की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय सहमति के आधार पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। संयुक्त सचिव प्रभारी प्रत्येक मामले में विशेषज्ञ परामर्शी समिति तथा आईएफडी के साथ परामर्श के आधार पर 30.00 लाख रूपए की राशि जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे।

ख. अनुदान की अदायगी दो समान किस्तों में की जाएगी, पहली किस्त सामान्यतः परियोजना की स्वीकृति के समय जारी की जाती है। दूसरी किस्त संपूर्ण अनुदान राशि तथा अनुदानग्राही/संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के हिस्सों के इस्तेमाल को दर्शाने वाले विधिवत लेखा परीक्षा विवरण तथा सनदी लेखाकार की ओर से अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति पर जारी की जाएगी। शेष केंद्रीय अनुदान के जारी किए जाने का निर्णय परियोजना पर किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाएगा, बशर्ते कि यह अधिकतम सीमा से अधिक न हो।

ग. इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संगठन का संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

घ. परियोजना का लेखा अलग से और समुचित ढंग से रखा जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा अथवा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अपने विवेकानुसार उसकी जांच की जा सकती है।

ड. संगठन, लेखाओं के भाग के रूप में अलग संलग्नक में ''अनुरक्षण'' शीर्ष के अंतर्गत व्यय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेगा।

च. अनुदानग्राही ही निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा :–

i. सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के सहायक लेखे।

ii. विधिवत मुद्रित संख्याओं वाली जिल्दयुक्त पुस्तकों में हस्तलिखित रोकड़ बही रजिस्टर।

iii. सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदानों के लिए सहायता अनुदान।

iv. खर्च की प्रत्येक मद जैसे– छात्रावास भवन आदि के निर्माण के लिए अलग बही–लेखे।

छ. संगठन ऐसी सभी परिसम्पत्तियों का रिकॉर्ड रखेगा जो सम्पूर्णतः अथवा अधिकांशतः केन्द्रीय सरकार के अनुदान से अधिगृहित की गई हों। इन परिसम्पत्तियों को भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना उन उद्देश्यों के अलावा, जिनके लिए अनुदान दिया गया है, न तो इस्तेमाल किया जाएगा अथवा बेचा जाएगा अथवा गिरवी रखा जाएगा।

ज. यदि किसी समय भारत सरकार को इस बात का विश्वास हो जाता है कि मंजूर किए गए धन का इस्तेमाल अनुमोदित उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा है, तो अनुदान की अदायगी रोक दी जाएगी तथा पहले दिए गए अनुदानों की वसूली की जाएगी।

झ. संगठन को अनुमोदित परियोजना के संचालन में समुचित मितव्ययिता बरतनी चाहिए।

ञ. अनुदानग्राही संगठन, संस्कृति मंत्रालय को परियोजना की तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें प्रत्येक अनुमोदित मदों की वास्तविक उपलब्धियों और उस पर होने वाले व्यय को विस्तारपूर्वक अलग–अलग दर्शाया गया हो।

ट. सिविल कार्यों के लिए अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन, अगले 10 वर्षों के लिए समतुल्य उद्देश्य के लिए अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे।

ठ. अनुदानग्राही, पीडब्ल्यूडी से कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र तथा सिविल कार्य का फोटो साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

ड. अनुदानग्राही, अनुसंधान परियोजना की 5 प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

ढ. बौद्ध धर्म से संबंधित विरासत भवनों की मरम्मत, जीर्णोद्धार, नवीकरण के लिए अनुदान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से प्राप्त प्रमाण–पत्र के अध्यधीन होगा। इस कार्य के लिए एएसआई कार्यालय/संबंधित मंडल से यथोचित स्तर का एक अधिकारी संगठन से संबद्ध होगा।

ण. ऐसे आवेदनों, जिनके पिछले अनुदान/उपयोग प्रमाण–पत्र लंबित हैं, पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. भुगतान का तरीका :

सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से किए जाएंगे।

7. स्कीम का आउटकम :

निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार दूसरी और अंतिम किस्त के अनुरोध के समय, संस्कृति मंत्रालय को हाथ में लिए गए कार्यकलाप संबंधी 'निष्पादन–तथा–उपलब्धि रिपोर्ट' विधिवत जिल्दसाजी की हुई 3 प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी।

8. अपूर्ण आवेदन :

अपूर्ण आवेदन जिनके साथ अपेक्षित दस्तावेज संलग्न नहीं हैं तथा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा बिना सिफारिश के प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा पूर्णतः अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

9. विशेष प्रावधान

स्कीम से संबद्ध विशेषज्ञ परामर्शी समिति (ईएसी) के पास राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/स्थानीय प्रशासन से बिना सिफारिश अथवा सिफारिश से प्राप्त किसी भी प्रस्ताव को संस्तुत अथवा अस्वीकृत करने की शक्ति प्राप्त है और साथ ही वह अधिकतम सीमा से बाहर भी राशि की सिफारिश कर सकती है, परंतु यह राशि इस स्कीम से 1.00 करोड़ रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी ऐसे प्रस्ताव के संबंध में जो उत्कृष्ट स्वरूप का हो और जिसके संबंध में ईएसी अनुभव करे कि उक्त परियोजना को हाथ में लेने के लिए मंत्री (संस्कृति) के अनुमोदन से और संस्कृति मंत्रालय के अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार की सहमति से अधिकतम सीमा राशि पर्याप्त नहीं होगी तो उस पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। तथापि, ऐसे प्रत्येक मामले में 30.00 लाख रूपए की सीमा बढ़ाने के लिए ईएसी द्वारा विस्तृत औचित्य दिया जाएगा।

10. निरीक्षण और मॉनीटरिंग :

प्रत्येक वर्ष कम से कम 5 प्रतिशत मामलों में मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, नव नालंदा महाविहार, नालंदा, केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह, जेडसीसी जैसे स्वायत्तशासी संस्थानों की सेवाओं का भी उपयोग किया जाएगा, संबंधित राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जिलाधीश / उप आयुक्त भी मॉनीटर करेंगे।

11. अनुदानों के दुरुपयोग के मामले में दंड :

संगठन के कार्यकारी निकाय के सदस्यों से दुरूपयोग किए गए अनुदानों को वापस वसूल किया जाएगा। उक्त संगठन को निधियों के दुरूपयोग, गलत पंजीकरण प्रमाण–पत्र आदि के लिए काली–सूची में भी डाला जाएगा। सरकारी अनुदानों से बनाई गई सभी अचल सम्पत्तियां, मंत्रालय द्वारा निर्धारित स्थानीय प्रशासन द्वारा अपने अधिकार में ले ली जाएंगी।

2

कलाकार पेंशन एवं चिकित्सा सहायता स्कीम

1. प्रस्तावना

यह स्कीम 'कलाकार पेंशन एवं चिकित्सा सहायता स्कीम' के नाम से जानी जाएगी। यह स्कीम उन बुजुर्ग कलाकारों और विद्वानों की वित्तीय एवं सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए है, जिन्होंने अपने सक्रिय जीवन काल में कला, साहित्य आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है या जो अभी भी कला, साहित्य आदि जैसे क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं, किन्तु वृद्धावस्था के कारण दुखद जीवन व्यतीत कर रहे हैं या अभावपूर्ण परिस्थितियों में हैं। इस निधि का उद्देश्य चिकित्सा देख–रेख प्रदाताओं के निर्धारित नेटवर्क के माध्यम से सरकार द्वारा सुविधाजनक और किफायती स्वास्थ्य बीमा कवरेज उपलब्ध कराना है, जिसके द्वारा मौजूदा लाभार्थी कलाकारों और उनके पति/पत्नी को ऐसी बीमारियों के उपचार के लिए चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया शामिल है।

इस स्कीम में निम्नलिखित दो प्रावधान/घटक हैं :–

(क) राष्ट्रीय कलाकार पेंशन निधि; और

(ख) राष्ट्रीय कलाकार चिकित्सा सहायता निधि

2. राष्ट्रीय कलाकार पेंशन निधि :–

(1) इसके तहत निम्नलिखित दो प्रकार के मामले/अनुरोध शामिल किए जाएंगे :–

(i) समय–समय पर आशोधित 'अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे साहित्य, कला एवं जीवन के अन्य क्षेत्रों के प्रख्यात व्यक्तियों को वित्तीय सहायता स्कीम, 1961 के अंतर्गत मासिक कलाकार पेंशन प्राप्त करने वाले मौजूदा लाभार्थी; तथा

(ii) कलाकारों, लेखकों आदि के नए मामले जो स्कीम के मौजूदा दिशा–निर्देशों के अंतर्गत अनुदान/मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

(2) मासिक कलाकार पेंशन हेतु पात्रता मानदंड :–

(i) स्कीम के तहत सहायता प्राप्त करने हेतु पात्रता के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा कला और साहित्य आदि के क्षेत्र में किया गया योगदान महत्वपूर्ण होना चाहिए। वे पारम्परिक विद्वान जिन्होंने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, भी इसके पात्र होंगे बावजूद इसके कि उनके कार्य प्रकाशित हुए हैं या नहीं।

(ii) आवेदनकर्ता की निजी आय (पति/पत्नी की आय सहित) 4,000/– रु. (चार हजार रुपए मात्रा) प्रतिमाह या वार्षिक आय 48,000/– रुपए (अड़तालीस हजार रुपए मात्रा) से अधिक नहीं होनी चाहिए (इसमें लाभार्थी को सरकार (अर्थात संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा/अथवा संस्कृति मंत्रालय) से पहले से मिलने वाली कलाकार पेंशन सहायता की राशि शामिल नहीं है)।

(iii) आवेदनकर्ता की आयु 60 (साठ) वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए (यह पति/पत्नी के मामले में लागू नहीं है)।

(iv) आवेदनकर्ता कलाकार संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से कम से कम 500/– रुपए प्रति माह की पेंशन प्राप्त कर रहा हो।

(v) वे कलाकार जिनकी आयु 42 वर्ष से कम है और भविष्य में कलाकार पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं, वे अटल पेंशन स्कीम के अंतर्गत स्वयं को तुरन्त पंजीकृत कराएं। वर्ष 2035 से, अर्थात अब से 18 वर्ष बाद जब अटल पेंशन स्कीम से लाभ मिलना आरंभ होगा, तब संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत किसी भी नए आवेदनकर्ता पर विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि वे आवेदनकर्ता अटल पेंशन स्कीम के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। इस बीच की समयावधि के लिए वे कलाकार जो पुरस्कार विजेता हैं (राज्य पुरस्कार विजेता या राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता) अथवा आकाशवाणी/दूरदर्शन के श्रेणीबद्ध/मान्यता प्राप्त कलाकार हैं तथा जो अपने सक्रिय जीवनकाल के दौरान कला संबंधी कार्यकलापों से प्राप्त अपनी आय के स्रोत का वास्तव में प्रमाण उपलब्ध करा सकते हैं, वे आवेदन करने के पात्र होंगे। ऐसे आवेदनकर्ता कलाकारों के आवेदन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा संस्तुत होने चाहिए, जिसमें आवेदन फार्म में विनिर्दिष्ट स्थान पर उक्त आवेदनकर्ता कलाकार को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता/पेंशन की राशि भी दर्शायी गई हो। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र संस्कृति मंत्रालय में विनिर्दिष्ट स्थान पर प्राप्त होने के पश्चात, आवेदनकर्ता कलाकार के विवरण संस्कृति मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय के किसी संगठन में से किसी एक संगठन के अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा वास्तविक रूप से सत्यापित/निरीक्षित किए जाएंगे और तत्पश्चात आवेदनकर्ता कलाकार को स्कीम के दिशा–निर्देशों के अनुरूप सभी प्रकार से पात्र पाए जाने पर, उनका आवेदन पत्र पेंशन प्रदान किए जाने के लिए समुचित निर्णय प्रदान करने हेतु स्कीम के अंतर्गत गठित विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(vi) आवेदनकर्ता कलाकार मंत्रालय की अन्य स्कीमों यथा रेपर्टरी अनुदान आदि जैसी स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहा हो।

(3) आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :

पात्र कलाकार अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट) में प्रस्तुत करेंगे, जिसके साथ संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से उनकी सिफारिशों सहित, निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सिफारिशों के बिना आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज :

(नोट : सभी दस्तावेज अंग्रेजी अथवा हिन्दी में होने चाहिए। अंग्रेजी या हिन्दी भाषा से इतर दस्ताावेज के साथ प्राधिकृत अनुवादक द्वारा टंकित अंग्रेजी अनुवाद संलग्न किया जाए)।

(i) आवेदन प्रपत्र में विनिर्दिष्ट स्थान पर आवेदक की नवीनतम (छः माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए) साफ एवं रंगीन पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ चिपकाई जाए;

(ii) पते के प्रमाण के तौर पर निम्नलिखित सूचीबद्ध दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की स्व अभिप्रमाणित प्रति :–

(क) यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड; (ख) चुनाव फोटो पहचान पत्र; (ग) पासपोर्ट; (घ) ड्राइविंग लाइसेंस; (ड.) बिजली का बिल; (च) लैंडलाइन टेलीफोन अथवा ब्रॉडबैंड कनेक्शन का बिल; (छ) पानी का बिल; (ज) गैस कनेक्शन उपभोक्ता कार्ड या पुस्तिका अथवा पाइप्ड गैस बिल; (झ) बैंक खाता विवरण; (ञ) सरकार द्वारा जारी मूल–निवास प्रमाण पत्र; (ट) पति/पत्नी का पासपोर्ट; (ठ) डाक घर की पासबुक जिसमें आवेदक का पता दिया गया हो; (ड) संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज।

(आवेदन करने की तारीख से तीन माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए)

(iii) जन्मतिथि के प्रमाण के लिए निम्नलिखित सूचीबद्ध दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की स्व प्रमाणित प्रति :–

(क) यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड; (ख) पैन कार्ड; (ग) चुनाव फोटो पहचान पत्र; (घ) पासपोर्ट; (ड) ड्राइविंग लाइसेंस; (च) नगर प्राधिकरण या जन्म एवं मृत्यु के पंजीयक द्वारा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र; (छ) विवाह पंजीयक द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र; (ज) मान्यता प्राप्त बोर्ड का मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंक तालिका; (झ) सरकार द्वारा जारी मूल–निवास प्रमाण पत्र।

(नोट : आवेदक द्वारा जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर किसी डॉक्टर/अन्य प्राधिकारी द्वारा आवेदक के शारीरिक रूप से अनुमान के आधार पर आयु को प्रमाणित करने वाले जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और ऐसे आवेदक के आवेदन को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा)।

(iv) यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति।

(v) संबंधित राज्य /संघ राज्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्ररूप (अनुलग्नक–II (क)) में जारी आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

(नोट : विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में आय प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी अनुलग्न क–II (ख) में दिए गए हैं)।

(vi) कला, संस्कृति आदि के क्षेत्र में आवेदक के द्वारा दिए गए योगदान या केंद्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र या किसी विख्यात साहित्यिक या कला सोसाइटी से आवेदक द्वारा प्राप्त पुरस्कार, मान्यता या विशेष सम्मान को पुष्ट करने वाले उपयुक्त दस्तावेज की प्रतियां।

(vii) संबंधित बैंक के प्रबंधक द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित (मूल) यथावत भरा एवं हस्ताक्षरित निर्धारित बैंक प्राधिकार पत्र (अनुलग्नक–IV)।

(viii) निर्धारित प्ररूप में संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के संस्कृति विभाग से प्राप्तन अनुशंसा पत्र (आवेदन फार्म का भाग–II (परिशिष्ट))।

'एमओसी स्कीम आवेदन' शीर्षक के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट – www-indiaculture.gov.in पर संस्कृति स्कीम निगरानी प्रणाली (सीएसएमएस) http://csms-nic.in/login/inde.php के पंजीकरण/लॉगइन पृष्ठ का प्रयोग करते हुए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

जब तक संस्कृति मंत्रालय आवेदन ऑनलाइन प्राप्त करने की पूर्णतः आद्योपान्त प्रक्रिया की अनुमति नहीं देता/विकसित नहीं करता, आवेदन फार्म में यथाउल्लिखित आवश्यक संलग्नकों सहित कलाकार पेंशन पाने के लिए यथावत भरे गए आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति, निर्धारित प्ररूप में अनुशंसा सहित संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से ''निदेशक, दक्षिण मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, 56/1, सिविल लाइन्स, एमएलए हॉस्टल के सामने, नागपुर, महाराष्ट्र, पिन–440001'' को भेजें।

नोट : 1 आवेदन में सभी प्रविष्टियां स्पष्ट होनी चाहिए तथा साफ–साफ भरी जानी चाहिए। अपूर्ण आवेदन और संबंधित राज्य सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासन की अनुशंसा के बिना प्राप्त आवेदन तथा आवेदन में यथानिर्दिष्ट आवश्यक संलग्नकों के बिना प्राप्त आवेदनों पर किसी भी तरह से विचार नहीं किया जाएगा तथा सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन और संलग्नकों के प्रत्येक पृष्ठ पर क्रम संख्या तथा आवेदक के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेज की पृष्ठ संख्या चेक लिस्ट (अनुलग्नक–I) पर स्पष्ट रूप से दर्शायी जाए।

नोट : 2 संस्कृति मंत्रालय द्वारा समय–समय पर आवेदन प्रपत्र में यथावश्यक परिवर्तन किया जा सकता है।

(4) वित्तीय सहायता का स्वरूप : –

सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मासिक भत्ते के रूप में दी जा सकती है। कलाकारों को केन्द्र –राज्य कोटे के अंतर्गत

दिए गए ऐसे भत्ते केंद्र और संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के बीच बांट लिया जाएगा जिसमें राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को प्रति लाभार्थी कम से कम 500/– रुपए प्रतिमाह के मासिक भत्ते/ का भुगतान करना होगा। ऐसे मामलों में केंद्र सरकार द्वारा मासिक भत्ते का अंशदान प्रति लाभार्थी 3500/– रुपए प्रति माह से अधिक नहीं होगा। किसी भी हालत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का अंशदान मिलाकर कुल अंशदान प्रति लाभार्थी 4,000/– रुपए प्रति माह से अधिक नहीं होगा, जिसमें से राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का अंशदान कम से कम प्रति लाभार्थी 500/– रुपए प्रति माह होना चाहिए। 4000/– रु. में से केंद्र सरकार के भत्ते का मासिक अंशदान राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा आवेदक को प्रदान किए जा रहे भत्ते के अधिकतम मासिक अंशदान से कम होगा। (अर्थात यदि राज्य सरकार द्वारा किसी कलाकार को केंद्र सरकार से इस स्कीशम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुशंसा पर 1000/– रु. प्रति माह की पेंशन पहले से ही प्रदान की जा रही है तो ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार का अंशदान केवल 3000/– रुपए प्रतिमाह होगा)।

(5) कलाकार पेंशन प्राप्त करने हेतु आवेदकों का चयन : –

संस्कृति मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय के किसी संगठन के अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा आवेदकों का प्रत्यक्ष निरीक्षण/प्रमाणीकरण कर लेने के पश्चात इस स्कीम के अंतर्गत योग्य कलाकारों के हर तरह से संपूर्ण पाए गए आवेदन संस्कृति मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखे जाते हैं। विशेषज्ञ समिति में संस्कृति मंत्रालय के अधीन विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों के प्रमुख तथा कला एवं संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध कलाकार, जिन्होंने समय–समय पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा यथानिर्णित संबंधित क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता सिद्ध की है, भी सम्मिलित होते हैं।

विशेषज्ञ समिति स्कीम के वर्तमान दिशा–निर्देशों के अनुसार आवेदनों पर विचार करेगी तथा आवेदक कलाकार की वित्तीय स्थिति और प्रतिष्ठा आदि को ध्यान में रखते हुए केवल योग्यता के आधार पर कलाकार पेंशन देने हेतु पात्र अभ्यर्थियों के नामों की सिफारिश करेगी। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की जांच स्कीम के दिशा–निर्देशों एवं सरकार के नियमों तथा स्कीम के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के अनुसार प्रशासन प्रभाग द्वारा की जाती है ताकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित निर्णय लिया जा सके। सभी अनुशंसित अभ्यर्थियों के मामलों को सक्षम प्राधिकारी, जो विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष से एक स्तर ऊपर होगा, का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अंतिम रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। अनुमोदित अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से पूर्व आंतरिक वित्त प्रभाग की सहमति प्राप्त की जाएगी।

(6) कलाकार पेंशन का संवितरण :–

अनुमोदित वर्तमान लाभार्थियों (अर्थात पेंशनभोगी) और विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा तथा तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात लाभार्थी सूची में सम्मिलित नए कलाकारों को मासिक कलाकार पेंशन जन वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)/प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से या सेवा प्रदाता (कलाकार पेंशन वितरण के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा नियुक्त) के माध्ययम से प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में मंत्रालय के कलाकार पेंशन अनुभाग के ई–मेल अर्थात apsection-culture@nic.in पर निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्यतः प्राप्त होने तथा उनकी जांच/संवीक्षा हो जाने के पश्चापत सही पाए जाने पर उनके बैंक खाते में सीधे संवितरित की जाएगी :–

(i) दर्शायी गई आधार सं., मोबाइल सं. और मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर दर्शाए गए पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जैसी आवश्यक सूचना के प्रयोग से जीवन प्रमाण पोर्टल (http://jeevanpramaan.gov.in) के माध्यम से तैयार किया गया लाभार्थी का डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) (असम, मेघालय और जम्मू एवं कश्मीर में रहने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा आधार कार्ड अनिवार्य किए जाने तक, वे अपने जीवन प्रमाणपत्र की मूल प्रति की निर्धारित प्ररूप (अनुलग्नक–III) में स्कैन की गई रंगीन प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं); और

(ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित सक्षम प्राधिकारी [(अनुलग्नक–II) (ख)] द्वारा निर्धारित प्ररूप [(अनुलग्नक–II) (क)] में जारी आय के मूल प्रमाण–पत्र की स्कैन की गई रंगीन प्रति।

लाभार्थियों को मंत्रालय द्वारा समय–समय पर मांगी जाने वाली कोई भी अन्य अपेक्षित सूचना/दस्तातवेज उपलब्ध कराने होंगे। यदि मंत्रालय द्वारा लाभार्थी से मांगे गए अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, तो उन्हें पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त), लाभार्थी द्वारा दिए गए दस्तावेजों में कोई विसंगति पाए जाने पर उस समय तक पेंशन जारी नहीं की जाएगी अथवा तुरंत रोक दी जाएगी जब तक वह विसंगति दूर न हो जाए।

(7) वर्तमान लाभार्थियों को वित्तीय सहायता का नवीनीकरण :–

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, वर्तमान लाभार्थियों को इस स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत आवर्ती मासिक भत्ते केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित अवधि के लिए और/या उनके द्वारा उपरोक्त पैरा 2.(6) में यथावर्णित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) और आय प्रमाण–पत्र की प्राप्ति पर वर्ष दर वर्ष आधार पर जारी रहेंगे।

(8) भत्ते को बंद करना :–

यदि प्राप्तकर्ता की वित्तीदय आय 4000/– रु. (चार हजार रुपए मात्र) मासिक या 48,000/– रु. (अड़तालीस हजार रुपए मात्र) वार्षिक (इसमें सरकार (अर्थात संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और या संस्कृति मंत्रालय) से लाभार्थी को पहले से प्राप्त होने वाली कलाकार पेंशन सहायता राशि सम्मिलित नहीं है) से अधिक हो जाती है, तो इस स्कीम के तहत दिया जाने वाला भत्ता प्राप्तकर्ता को बिना किसी सूचना के तत्काल बंद कर दिया जाएगा। सरकार अपने विवेकानुसार भी प्राप्तकर्ता को तीन माह का नोटिस देकर भत्ताा बंद कर सकती है।

कोई भी प्राप्तकर्ता सरकार को लिखित नोटिस देकर भत्ता प्राप्त करने के अपने अधिकार को छोड़ सकता है। ऐसे मामलों में, यह भत्ता उनके द्वारा छोड़े जाने हेतु दिए गए पत्र की तारीख से बंद कर दिया जाएगा।

(9) लाभार्थी की मृत्यु होने पर पति/पत्नी को पेंशन : –

कलाकार पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर, वित्तीय सहायता, केंद्र सरकार के विवेकानुसार लाभार्थी के पति/पत्नी के नाम पर आजीवन हेतु हस्तांतरित की जा सकती है, यदि लाभार्थी कलाकार की मृत्यु की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज सहित पति/पत्नी से ऐसे अनुरोध से संबंधित आवेदन मंत्रालय में प्राप्त हो जाता है। लाभार्थी कलाकार की मृत्यु की तारीख से छः माह बीत जाने के बाद भी एक वर्ष की अवधि तक इस अनुरोध पर विचार किया जा सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि इस विलम्ब के पीछे वास्तविक कारण थे और आवेदक अपना आवेदन निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं कर सका/सकी। एक वर्ष की अवधि के पश्चात, पति/पत्नी के नाम पर पेंशन अंतरित करने हेतु दावा नहीं किया जा सकता और इस संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा :–

(i) स्वर्गीय लाभार्थी के मृत्युन प्रमाणपत्र की मूल या स्व–अभिप्रमाणित प्रति;

(ii) इस बात का दस्तावेजी प्रमाण कि स्वर्गीय लाभार्थी कलाकार पेंशन प्राप्त कर रहा था;

(iii) निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया विधिक उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र तथा प्रपत्र में एसडीएम या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया शपथ पत्र;

(iv) जीवन प्रमाण पोर्टल (https://jeevanpramaan.gov.in) के माध्यम से सृजित पति/पत्नी का डिजिटल आयु प्रमाणपत्र (डीएलसी) की स्व–अभिप्रमाणित प्रति;

(v) राज्यों/संघ राज्यी क्षेत्रों के संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी पति/पत्नी के नवीनतम आय प्रमाणपत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति (अनुलग्न क–II (ख));

(vi) यूआईडीएआई द्वारा जारी पति/पत्नी के आधार कार्ड की स्वर–अभिप्रमाणित प्रति;

(vii) उपरोक्त पैरा 2.(3) (ii) में यथा उल्लिखित पति/पत्नी के पते के प्रमाण के रूप में किसी भी दस्तावेज की स्व–अभिप्रमाणित प्रति;

(viii) एक वचनबंध जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि वे संस्कृति मंत्रालय या इसी प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग की अन्य स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं;

(ix) निर्धारित प्ररूप में बैंक प्राधिकार पत्र (अनुलग्नक–IV)।

संस्कृति मंत्रालय के संगठनों में से किसी एक अथवा संस्कृति मंत्रालय के अधिकारी द्वारा आवेदक के वास्तविक निरीक्षण/जांच–पड़ताल किए जाने के पश्चात, सब सही पाए जाने पर, मंत्रालय के आईएफडी के साथ परामर्श करके पति/पत्नी के अनुरोध की जांच करने पर तथा अंत में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लेने के पश्चात वित्तीय सहायता पति/पत्नी के नाम पर अंतरित की जा सकती है।

मंत्रालय में अपेक्षित दस्तावेजों सहित पति/पत्नी से आवेदन प्राप्त होने के पश्चात और उन्हें सभी पक्षों से पूर्ण पाए जाने पर ऐसे अनुरोधों को जल्दी आगे बढ़ाए जाने के लिए निम्नलिखित समय–सीमा निर्धारित की जा सकती है :

(i) वास्तविक निरीक्षण/जांच–पड़ताल : तीन सप्ताह;

(ii) वास्तविक रूप से जांच–पड़ताल करने पर सही रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात समेकित वित्त प्रभाग (आईएफडी) की सहमति प्राप्त करना : दो सप्ताह

(आईएफडी द्वारा कोई स्पष्टीकरण/दस्तावेज मांगे जाने पर, निर्धारित अवधि की गणना तभी से की जाएगी, जब वे पति/पत्नी या मंत्रालय के प्रशासनिक प्रभाग से प्राप्त हो जाएंगे);

(iii) आईएफडी की सहमति के पश्चात सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना : एक सप्ताह; तथा

(iv) पति/पत्नी को पेंशन मिलने की शुरुआत : सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद के माह से मिलेगी।

3. राष्ट्रीय कलाकार चिकित्सा सहायता निधि

(1) प्रस्तावना

संस्कृति मंत्रालय 1961 से 'साहित्य, कला और जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे विशिष्ट व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता' नामक स्कीम चला रहा है जिसे समय–समय पर संशोधित किया जाता है ताकि बुजुर्ग और गरीब कलाकारों को सहायता देने और उनके भरण–पोषण के लिए मासिक रूप से भत्ता (पेंशन) दिया जा सके। अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे कलाकारों के पास उनकी खराब वित्तीय परिस्थितियों के कारण चिकित्सा उपचार के खर्च को वहन करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी होती है और इस वजह से वे चिकित्सा उपचार का खर्च नहीं उठा पाते हैं। यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जब उनके पास सब्सिडी या सहायता नहीं होती है और उन्हें चिकित्सा देख–रेख हेतु अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। इस निधि के माध्यम से, मौजूदा लाभार्थी कलाकारों और उनके पति/पत्नी के लिए सरकार की ओर से एक सुविधाजनक और किफायती स्वास्थ्य बीमा कवरेज उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार यह स्कीम ऐसे कलाकारों की वित्तीय असमर्थताओं को कम करके, अच्छी चिकित्सा देख–रेख सुविधाओं तक पहुंच और अधिक चिकित्सा खर्च से बचने के लिए वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराते हुए सहायता प्रदान करती है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस निधि का उपयोग उक्त स्वास्थ्य बीमा स्कीम को कार्यान्वित करने वाले संबंधित मंत्रालय/विभाग के माध्यम से मौजूदा लाभार्थियों और उनके पति/पत्नी हेतु समुचित स्वास्थ्य बीमा कवरेज सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा।

(2) उद्देश्य

इस निधि का उद्देश्य स्वास्थ्य देख–रेख उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों के निर्धारित नेटवर्क के माध्यम से सरकार द्वारा सुविधाजनक और किफायती स्वास्थ्य बीमा कवरेज उपलब्ध कराना है, जिसके द्वारा मौजूदा लाभार्थी कलाकारों और उनके पति/पत्नी को ऐसी बीमारियों के उपचार के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देख–रेख प्रदान की जाएगी, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया शामिल है।

(3) स्वास्थ्य बीमा सुविधा के लिए पात्र लाभार्थी

मौजूदा लाभार्थी कलाकार, जो 'कलाकारों के लिए पेंशन एवं चिकित्सा सहायता स्कीम' के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं, वे और उनके पति/पत्नी इस सुविधा का लाभ उठाने के पात्र हैं।

(4) स्वास्थ्य बीमा कवरेज लेने पर होना वाला व्यय

मौजूदा लाभार्थियों एवं उनके पति/पत्नी द्वारा स्वास्थ्य बीमा कवरेज लेने पर होने वाले व्यय का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, और यह राशि उन्हें मासिक रूप से वितरित की जाने वाली पेंशन की राशि के अतिरिक्त होगी।

4. स्कीम का संचालन :

यह स्कीम मंत्रालय द्वारा सभी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की सहायता से कार्यान्वित की जाएगी जिसमें एससीजेडसीसी, नागपुर मुख्य समन्वयक का कार्य करेगा। मंत्रालय किसी भी समय पर स्कीम के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार रखता है। इस स्कीम को बेहतर परिप्रेक्ष्य में कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, स्कीम के दिशा–निर्देशों को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से व्यापक स्तर पर परिचालित किया जाएगा, जिसमें उनके साथ केंद्र सरकार के लाभार्थियों से संबंधित डेटा साझा किया जाना भी शामिल है।

संशोधित दिशा–निर्देश इस आदेश के जारी होने की तारीख, अर्थात 28.09.2017 से प्रभावी होंगे।

3

कला एवं संस्कृति के प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति स्कीम

स्कीम के घटक :

घटक–I : संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों को वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति प्रदान करना

घटक–II : विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करना

घटक–III : टैगोर राष्ट्रीय सांस्कृतिक शोध अध्येतावृत्ति

3.1

संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों को वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति प्रदान करना

क. उद्देश्य

सृजनात्मक कलाओं के क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा करने से पता चला है कि जबकि शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों के लिए संस्थागत ढांचे के भीतर तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू की गई छात्रवृत्तियों (फेलोशिप) के माध्यम से स्वतंत्र रूप से कार्य करने के पर्याप्त अवसर हैं, परन्तु सृजनात्मक कला के क्षेत्रों में अथवा हमारे कुछ पारम्परिक कलारूपों को पुनर्जीवित करने के लिए इस प्रकार की कोई योजना नहीं है जिसके माध्यम से इस प्रकार की सुविधा और अवसर प्रदान किए जाते हों। संभवतः वित्तीय सुरक्षा से युक्त स्वतंत्र वातावरण से इन क्षेत्रों में और अधिक कार्य करने के लिए अपेक्षित अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा सकता है। यह भी पाया गया है कि 10–14 वर्षों के आयु–वर्ग (सांस्कृतिक प्रतिभा शोध छात्रवृत्ति स्कीम) तथा 18–25 वर्षों के आयु–वर्ग, विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों की छात्रवृत्ति स्कीम के व्यक्तियों के लिए स्कीम हैं, लेकिन हमारे कुछ पारम्परिक कला–रूपों को पुनर्जीवित करने की बाबत अत्यधिक उन्नत प्रशिक्षण अथवा वैयक्तिक सृजनात्मक प्रयास के लिए बुनियादी वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली कोई स्कीम मौजूद नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए विभिन्न सृजनात्मक क्षेत्रों के उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) प्रदान करने की स्कीम चलाने का निर्णय लिया गया है। इस स्कीम में ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों के कलाकार भी शामिल होंगे।

ये अध्येतावृत्तियां अनुसंधान उन्मुख परियोजनां शुरू करने के लिए प्रदान की जाती हैं। आवेदक को परियोजना प्रारंभ करने के संबंध में अपनी योग्यताओं का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

ये अध्योतावृत्तियां, प्रशिक्षण प्रदान करने, कार्यशालाएं, सेमिनार आयोजित करने, अथवा संस्मरणों को लिखने अथवा आत्मकथा/कथा साहित्य आदि लिखने के लिए प्रदान नहीं की जाती हैं।

ख. फील्ड/क्षेत्र

क) मंच, साहित्यिक व प्लास्टिक कलाओं के क्षेत्र में वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृतियां

1 मंच कलाएं (संगीत/नृत्य/रंगमंच और कठपुतली–कला सहित स्वदेशी कलाएं)

2 साहित्यिक कलाएं (यात्रा–विवरण/ साहित्य का इतिहास और सिद्धांत)

3 प्लास्टिक कलाएं (ग्राफिक्स /मूर्तिकला/लोक चित्रकला और पारंपरिक चित्रकलाओं पर अनुसंधान कार्य सहित चित्रकला/सृजनात्मक फोटोग्राफी)

ख) संस्कृति से संबंधित नए क्षेत्रों में वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्तियां

निम्नलिखित क्षेत्रों में "संस्कृति से संबद्ध नए क्षेत्रों" में परियोजनाएं आमंत्रित हैं :

1. भारत विद्या
2. पुरालेखशास्त्र
3. संस्कृति का समाजशास्त्र
4. सांस्कृतिक अर्थशास्त्र

5. स्मारकों के संरचनात्मक और इंजीनियरी पहलू
6. मुद्रा शास्त्र
7. संरक्षण के वैज्ञानिक और तकनीकी पहलू
8. कला और विरासत के प्रबंधन पहलू
9. संस्कृति और सृजनात्मकता के क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से संबंधित अध्ययन

इनका उद्देश्य कला और संस्कृति से संबंधित क्षेत्रों में समकालीन मुद्दों में नई शोध तकनीकों, प्रौद्योगिकीय और प्रबंधन सिद्धांतों के विश्लेषणात्मक अनुप्रयोग को प्रोत्साहन देना है। सामान्य और सैद्धांतिक वृहत अध्ययनों पर विचार किया जाएगा। प्रस्ताव, नवीन और अनुप्रयोग उन्मुख और वरीयतः अन्तर–विधा किस्म का होना चाहिए।

ग. नाम

इस स्कीम को 'संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्तियां प्रदान करने की स्कीम' के नाम से जाना जायेगा।

घ. अध्येतावृत्तियों की संख्या

अध्येतावृत्तियों की संख्या प्रत्येक वर्ष 400 होगी। ये दो प्रकार की अध्येतावृत्तियां हैः वरिष्ठ और कनिष्ठ अध्येतावृत्तियां। वरिष्ठ अध्येतावृत्तियों की संख्या 40 वर्ष आयु समूह के कलाकारों के लिए प्रतिमाह 20,000/– रू. की दर से 200 होगी जबकि 25–40 वर्ष की आयु समूह के कलाकारों के लिए प्रतिमाह 10,000/– रू. की दर से कनिष्ठ अध्येतावृत्तियों की संख्या 200 होगी। आयु की गणना प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से की जाएगी।

ड. प्रकाशन अनुदान

इसके अलावा, चुनिंदा परियोजना दस्तावेजों के लिए अधिकतम 20,000/– रू. या प्रकाशन की लागत का 50 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, की एक बारगी दिया जाने वाला अनुदान होगा। इसे अनुदान प्राप्तकर्ताओं के 20 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा।

च. पात्रता

वरिष्ठ अध्येतावृत्ति के लिए आवेदक, अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय से पेंशन प्राप्तकर्ता नहीं होना चाहिए।

आवेदक, द्वारा इससे पहले सदृश अध्येतावृत्ति का लाभ नहीं लिया गया हो। तथापि, जिस आवेदक को कनिष्ठ अध्येतावृति प्रदान की गई हो, वह वरिष्ठ अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है बशर्ते कि पहली परियोजना पूरा होने के बाद 5 वर्ष का समय बीत चुका हो।

स्कीम के पैरा II (ख) में सूचीबद्ध क्षेत्र/दायरे में पात्रता के लिए न्यूनतम अर्हता स्नातक है।

छ. अध्येतावृत्ति किस्त के संवितरण के लिए शर्तें एवं प्रक्रिया

जो आवेदक केन्द्रीय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय आदि में नियमित कर्मचारी हैं, वे समुचित माध्यम से आवेदन करेंगे और उन्हें उस संगठन से प्राप्त अवकाश प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा।

वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अध्येतावृत्तियों के अंतर्गत, अध्येतावृत्ति प्राप्तकर्ता छमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। छमाही प्रगति रिपोर्ट में प्रासंगिक अवधि के दौरान किए गए कार्य का ब्यौरा शामिल होना चाहिए।

पहली और दूसरी छमाही प्रगति रिपोर्टों की प्राप्ति और अपेक्षित सरकारी प्रक्रियाओं के पश्चात पहली और दूसरी छमाही किस्तें अध्येताओं के बैंक खाते में सीधे ही जारी कर दी जाएंगी।

तीसरी किस्त, विशेषज्ञ समिति द्वारा मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान आपकी पहली और दूसरी छमाही प्रगति रिपोर्ट की प्रगति की समीक्षा के पश्चात जारी की जाएगी।

चौथी छमाही रिपोर्ट और रिपोर्ट की सजिल्द प्रति प्राप्त होने के पश्चात, विशेषज्ञ समिति द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाएगा। अंतिम किस्त, रिपोर्टों के सफलतापूर्वक मूल्यांकन के पश्चात जारी की जाएगी।

जिन मामलों में ऐसी रिपोर्टें समय पर नहीं प्राप्त होती, वहां मंत्रालय अध्येतावृत्ति की राशि को आगे जारी करने पर रोक लगा सकता है।

चुने गए उम्मीदवारों को उन परियोजनाओं के संबंध में शैक्षिक अथवा अनुप्रयोग उन्मुख अनुसंधान कार्य आयोजित करना होगा जिसके लिए उन्हें अध्येतावृत्तियां प्रदान की गई हैं। उन्हें अपनी परियोजना दो वर्ष के अंदर पूरी करनी होगी और उसे इस मंत्रालय को प्रस्तुत करना होगा। सरकार की ओर से अतिरिक्त वित्तीय जिम्मेदारी के बिना अधिकतम तीन माह तक समयवृद्धि की अनुमति होगी।

ज. निष्पादन की समीक्षा/मूल्यांकन

प्रत्येक मामले में एक वर्ष बाद निष्पादन की मध्यावधि समीक्षा/मूल्यांकन किया जाएगा और अध्येतावृत्ति का आगे जारी रहना इस समीक्षा/मूल्यांकन पर निर्भर करेगा।

झ. चयन की प्रकिया

1. अध्येतावृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन प्रत्येक वर्ष विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदकों को मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.indiaculture.nic.in अथवा सीसीआरटी की वेबसाइट www.ccrtindia.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

2. यदि आवेदक केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों/संस्थाओं/उपक्रमों/विश्वविद्यालयों इत्यादि में कार्यरत हैं, तो अध्येतावृत्ति के लिए चयन होने पर उन्हें दो वर्ष की अवधि का अवकाश लेना होगा। उन्हें अध्येतावृत्ति संबंधी अपने आवेदन को विभाग/संस्था/उपक्रम/विश्वविद्यालय इत्यादि के प्रमुख के माध्यम से इस लिखित आश्वासन के साथ प्रेषित करना होगा कि अध्येतावृत्ति के मंजूर होने पर उम्मीदवारों को अध्येतावृत्ति की अवधि के लिए अवकाश प्रदान कर किया जाएगा। यथा लागू अन्य शर्तों को पूर्ण करने के अतिरिक्त अवकाश मंजूर होने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर अध्येतावृत्ति की प्रथम किस्त जारी की जाएगी।

3. संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी जो प्रथम चरण में सभी आवेदनों की जांच करेगी और साक्षात्कार के लिए उनमें से विभिन्न क्षेत्रों में उम्मीदवारों के अपेक्षाकृत संख्या में संभावित चयन के लिए सर्वाधिक उत्कृष्ट उम्मीदवारों की लघु सूची बनाएगी।

4. विशेषज्ञ समिति द्वारा लघु सूची में रखे गए कनिष्ट अध्येतावृत्ति उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जो फिर उनमें से अध्येतावृत्ति के लिए सर्वाधिक उत्कृष्ट उम्मीदवारों को चुनेगी। वरिष्ठ अध्येतावृत्तियों के मामले में ऐसा साक्षात्कार आवश्यक नहीं होगा।

ञ. संवितरण प्राधिकारी

इस स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत पुरस्कार राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे ही संवितरित की जाएगी।

3.2

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करना

क. कार्यक्षेत्र

स्कीम का उद्देश्य असाधारण प्रतिभा वाले युवा कलाकारों को भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, दृश्य कला, लोक स्वांग, पारम्परिक और स्वदेशी कलाओं तथा सुगम शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में भारत में उच्च प्रशिक्षण के वास्ते वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

ख. संख्या छात्रवृत्तियों की कुल संख्या 400

ग विषय/क्षेत्र जिनमें छात्रवृत्तियां दी जा सकती हैं

(1) भारतीय शास्त्रीय संगीत

शास्त्रीय हिन्दुस्तानी संगीत (गायन और वाद्य) शास्त्रीय कर्नाटक संगीत (गायन और वाद्य इत्यादि)

(2) भारतीय शास्त्रीय नृत्य/संगीत नृत्य

भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी नृत्य/संगीत, मणिपुरी नृत्य/संगीत, थांगटा, गौडिया नृत्य, छऊ नृत्य/संगीत, सतरिया नृत्य।

(3) रंगमंच – रंगमंच कला का कोई विशिष्ट पहलू, जिसमें अभिनय, निर्देशन आदि शामिल हैं किन्तु नाट्य लेखन और अनुसंधान शामिल नहीं है।

(4) दृश्यकलाएं – रेखांकन, मूर्तिकला, चित्रकारी, सृजनात्मक फोटोग्राफी, मृत्तिका और सिरेमिक्स आदि।

(5) लोक, पारम्परिक और स्वदेशी कलाएं

कठपुतली, स्वांग, लोक रंगमंच, लोक नृत्य, लोक गीत, लोक संगीत, आदि (एक सोदाहरण सूची पैरा 10 'टिप्पणी' में देखी जा सकती है)।

(6) सुगम शास्त्रीय संगीत

1 ठुमरी, दादरा, टप्पा, कव्वाली, ग़ज़ल

2 कर्नाटक शैली पर आधारित सुगम शास्त्रीय संगीत आदि

3 रवीन्द्र संगीत, नज़रूल गीति, अतुलप्रसाद

घ. छात्रवृत्ति की अवधि एवं कार्यकाल

सामान्यतः छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्ष होगी।

प्रत्येक मामले में प्रशिक्षण का स्वरूप अध्येता के पिछले प्रशिक्षण तथा पृष्ठभूमि पर विचार करने के बाद निर्धारित किया जाएगा। सामान्यतः, यह किसी गुरू/प्रशिक्षक अथवा मान्यता प्राप्त संस्था की उच्च प्रशिक्षुता के स्वरूप की होगी।

अध्येता को कठोर प्रशिक्षण लेना होगा। इस प्रकार के प्रशिक्षण में संबंधित विषय/क्षेत्र में सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त करने में लगे समय के अतिरिक्त अभ्यास के लिए प्रतिदिन कम से कम तीन घंटे का समय और संबंधित विषयों को समझना भी शामिल है।

ङ. छात्रवृत्ति की राशि और जारी करने संबंधी शर्तें

- प्रत्येक अध्येता को यात्रा, पुस्तकों, कला सामग्री या अन्य उपस्कर और ट्यूशन या प्रशिक्षण प्रभार, यदि कोई हो, पर अपने रहन–सहन के व्यय को पूरा करने के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए प्रतिमाह 5000/– रु. का भुगतान किया जाएगा।
- विद्वान को उनके द्वारा लिए गए प्रशिक्षण से संबंधित चार छमाही प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करनी होंगी (चयन के पश्चात दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार), जिस पर प्रत्येक छह मासिक अवधि की समाप्ति के पश्चात गुरु/संस्थान द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों।
- तथापि, प्रथम छह मासिक किस्त अभ्यर्थियों के चयन तथा उन अभ्यर्थियों से अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात जारी की जाएगी। दूसरी, तीसरी और चौथी छात्रवृत्ति किस्तें प्रासंगिक अवधि की रिपोर्टें प्राप्त होने पर जारी की जाएंगी।

च. पात्रता की शर्तें

(क) अभ्यर्थियों को भारतीय नागरिक होना चाहिए।

(ख) अभ्यर्थियों में उनके प्रशिक्षण को प्रभावी ढंग से आगे चलाने के लिए पर्याप्त सामान्य ज्ञान होना चाहिए।

(ग) अभ्यर्थियों को इन कलाओं का व्यावसायिक जीवन में अनुसरण करने की अपनी इच्छा का प्रमाण देना होगा।

(घ) चूंकि, ये छात्रवृत्तियां उच्च प्रशिक्षण के लिए दी जाती हैं, न कि नए सीखने वालों के लिए, अतः अभ्यर्थियों के पास चुने हुए कार्यकलाप के क्षेत्र में प्रवीणता डिग्री होनी चाहिए।

(ङ.) अभ्यर्थी को अपने गरू/संस्थानों से न्यूनतम 5 वर्ष का प्रशिक्षण लिया होना चाहिए। आवेदन के साथ वर्तमान गुरू/संस्थान और पूर्व गुरू/संस्थान (यदि कोई हो) द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्रपत्र के भाग–II में इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(च) अभ्यर्थी को संबद्ध कलाओं/विद्याओं में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।

(छ) अभ्यर्थी की आयु उस वर्ष में 1 अप्रैल को 18 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए जिस वर्ष में आवेदन किया जा रहा है। आयु सीमा में छूट नहीं है।

छ. विज्ञापन

आवेदन पत्रों को आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी), 15–ए, सेक्ट र–7, द्वारका, नई दिल्ली–110075, दूरभाष 011–25074256 द्वारा जारी किए जाएंगे।

ज. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

साक्षात्कार के समय आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज (फोटो सहित) जमा कराने होंगे :

1. शैक्षिक योग्यताओं, अनुभवों इत्यादि की एक–एक स्व सत्यापित प्रति। किसी भी हालत में मूल दस्तावेज संलग्न न किए जाएं।
2. मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण–पत्र, यदि कोई हो, अथवा आयु का कोई अन्य संतोषजनक प्रमाण (जन्म पत्रियों के अलावा) की एक सत्यापित प्रति।
3. नवीनतम पासपोर्ट आकार का एक फोटो।
4. जो उम्मीदवार चित्रकला, मूर्तिकला और प्रयुक्त कला के क्षेत्र में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें

अपने आवेदन पत्रों के साथ उत्कृष्ट मूल कृतियों की, स्व सत्यापित फोटो भी भेजनी होगी। दृश्यकला के लिए ललित कलाओं में स्नातक अथवा समकक्ष न्यूनतम अर्हता है।

5. यदि आवेदक एक से अधिक क्षेत्र के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग–अलग ऑनलाइन आवेदन–पत्र भेजना चाहिए।

6. चूंकि ये छात्रवृत्तियां उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए दी जाती हैं, अतः अभ्यर्थी को अपने गुरू/संस्थानों से न्यूनतम 5 वर्ष का प्रशिक्षण लिया होना चाहिए। आवेदन के साथ वर्तमान गुरू/संस्थान और पूर्व गुरू/संस्थान (यदि कोई हो) द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

झ. सामान्य

1. अभ्यर्थियों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष साक्षात्कार/प्रदर्शन के लिए उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार / प्रदर्शन की तारीख, समय और स्थान की सूचना अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में दिये गये ईः मेल के माध्यम से दी जायेगी। चयन पूर्णतः योग्यता आधार पर किया जाएगा।

2. परिणाम मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम चयन होने के पश्चात्र चयन का परिणाम उम्मीदवारों को स्पीड पोस्ट द्वारा भेज दिया जाएगा।

3. पते में किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो उसे इस मंत्रालय को लिखित में सूचित किया जाना चाहिए और सूचित करते समय प्रशिक्षण के विषय क्षेत्र, का स्पष्ट रूप से उल्लेखि किया जाना चाहिए।

4. भविष्य में किसी भी पत्र व्यवहार के लिए उम्मीदवार निम्नलिखित ब्यौरे अवश्य दें :–

   (क) स्कीम का नाम

   (ख) सुस्पष्ट अक्षरों में उम्मीदवार का नाम

   (ग) प्रशिक्षण का विषय/क्षेत्र

   (घ) पंजीकरण संख्या।

ञ. लोक, पारंपरिक एवं स्वदेशी कला की सांकेतिक सूची

कठपुतली रंगमंच

छाया कठपुतली

1. उड़ीसा की रावणछाया
2. महाराष्ट्र का चमड्याचा बाहुल्या
3. केरल का तोल पावाकूतु
4. तमिलनाडु का तोलु बोम्मलाट्टम
5. आंध्र प्रदेश का तोलु बोम्मलाट्टम
6. कर्नाटक का तोलागु गोंबे अट्टा

छड़ या धागा कठपुतली

1. पश्चिम बंगाल का पुतुलनाच
2. राजस्थान की कठपुतली
3. कर्नाटक का गोंबेअट्टा

4. केरल का पावाकूतु
5. तमिलनाडु का बोम्मलट्टम
6. उड़ीसा का सखी–कुंडेई
7. महाराष्ट्र का कलासूत्री बहुले
8. बिहार का चदर बदर

दस्ताना कठपुतली

1. उत्तर प्रदेश की गुलाबो सिताबो
2. केरल का पावा कथकली

पारम्परिक रंगमंच

भक्ति संगीत

1. कथाकालक्षेपम की हरिकथा
2. तेवरम, तिरूपुगाज, कावडिचिंदु
3. महाराष्ट्र के भजन और अभंग
4. विभिन्न धार्मिक समुदायों के गीत
5. मणिपुर का संकीर्तन
6. बंगाल का बाउल
7. दिव्य प्रबंदम और अरैया सेवाई

लोक संगीत

1. सभी क्षेत्रों के महिला गीत
2. बच्चों के तथा बच्चों द्वारा गाए गीत
3. महाकाव्यों से संबंधित गीत
4. विभिन्न जातियों के गीत
5. सभी क्षेत्रों की देवी माता की भेंटें
6. उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक की विभिन्न प्रकार की लावणी
7. महाराष्ट्र के गोलण
8. दक्षिण के कुरवंजी गीत
9. नागेसी–हरदेसी (कर्नाटक) सहित विभिन्न क्षेत्रों के कलगी तुरा
10. गौरव गीत (कलगी तुरा के)
11. कर्नाटक और महाराष्ट्र के गोंधल
12. बिंगीपद (अंटिके पंटिके)

13. तत्वी गीत (एकतारी मेला)
14. किन्नरी जोगी गीत
15. काणे–पद
16. गीगीपद
17. गुंडिका पद
18. जोकुमार गीत
19. दोम्बुरई दास के गीत (गाथा)
20. नील गार के गीत
21. पंढरी भजन
22. रिवायत के गीत (सवाल–जवाब) और मर्सिया कहानी
23. लोक तथा जनजातीय संगीत वाद्य यंत्र
24. समष्टि वादन (पंचमुख–वाद्य करडी, मजलू, वेलगा, सिट्टी, मेला, छकड़ी, अंजुमन आदि)

अन्य विविध परम्परागत स्वरूप

1. मणिपुर का पेनाइसेई
2. लोक संगीत (जाति संगीत)
3. राजस्थान का मांड
4. गोवा का रणमाल्येम
5. असम का देवधानी
6. मध्य प्रदेश की चांदयानी
7. कश्मीपर का भांड जश्न
8. तेय्यमतुरा
9. तिब्बती कलावस्तु तथा अभिलेखागार के पुस्तकालय, धर्मशाला में तिब्बती चित्रकला और काष्ठ शिल्प का अध्ययन।

यह सूची उदाहरणस्वरूप है, सम्पूर्ण नहीं।

3.3

टैगोर राष्ट्रीय सांस्कृतिक शोध अध्येतावृत्ति

क. उद्देश्य

यह स्कीम, संस्कृति मंत्रालय (एमओसी) के अधीन विभिन्न संस्थाओं तथा देश में चिन्हित अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुप्राणित करने तथा पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई है, जो परस्पर हित की परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए इन संस्थाओं के साथ स्वयं को संबद्ध करने के लिए विद्वानों/ शिक्षाविदों को प्रोत्साहित करती है। संस्थाओं में नवीन ज्ञान भंडार अनुप्राप्ति करने की दृष्टि से, इस स्कीम में इन अध्येताओं/शिक्षाविदों के इन संस्थाओं के मुख्य उद्देश्य से संबंधित परियोजना और अनुसंधान कार्य आरंभ करने के लिए संस्थाओं में विशिष्ट संसाधन के चयन हेतु तथा उन्हें नवीन सृजनात्मक दृष्टिकोण तथा शैक्षिक उत्कर्ष से उन्हें समृद्ध करने की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम में भारतीय नागरिक तथा विदेशी नागरिक भाग ले सकते हैं। विदेशियों का अनुपात एक वर्ष में प्रदान की गई कुल अध्येतावृत्ति का सामान्यतया एक–तिहाई से अधिक नहीं होगा।

ख. शीर्षक

इस स्कीम को ''टैगोर राष्ट्रीय सांस्कृतिक शोध अध्येतावृत्ति'' के नाम से जाना जाएगा।

ग. भाग लेने वाले संस्थान

इस स्कीम में संस्कृति मंत्रालय (एमओसी) के अधीन निम्नलिखित सूचीबद्ध सभी संस्थाएं शामिल होंगी तथा भविष्य में ऐसी ही अन्य संस्थाएं शामिल हो सकती हैं। राष्ट्रीय चयन समिति (एनएससी) की राय है कि इस स्कीम में ऐसी गैर–संस्कृति मंत्रालयी सांस्कृतिक संस्थाएं भी शामिल हो सकती हैं, जिनके पास पांडुलिपियों, कलाकृतियों, पुरावस्तुओं, पुस्तकों, प्रकाशन, अभिलेख आदि जैसे सांस्कृतिक संसाधन उपलब्ध हैं और जो अपने संसाधनों पर कार्य करने लिए विशिष्ट विद्वानों को नियुक्त करने तथा ऐसे प्रकाशन, जो विषय के प्रति अथवा संस्था के प्रति हमारी समझ को समृद्ध करते हैं, निकालने हेतु इस स्कीम का लाभ उठाने के इच्छुक हैं। इच्छुक संस्थाओं से उन्हें स्कीम में शामिल करने के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के अलावा, एनएससी, अपनी स्वयं की क्षमता से, ऐसी संस्थाओं की पहचान करता है, जिन्हें स्कीम का लाभ देने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। उनसे सहमति प्राप्त होने पर इस स्कीम में संबंधित संस्थानों को शामिल किया जाएगा। इस स्कीम के लिए संस्कृति मंत्रालयी तथा गैर–संस्कृति मंत्रालयी संस्थाएं जो इस स्कीम द्वारा वर्तमान में शामिल की गई हैं, को दो श्रेणियों (I व II) तथा 4 विभिन्न समूहों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित हैं :

समूह– 'क' : पुरातत्व, पुरावस्तु, संग्रहालय एवं दीर्घाएं

1. संस्कृति मंत्रालय के संस्थान (9)

1) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली
2) राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली
3) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता
4) राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली
5) सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद
6) इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद

7) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता
8) ललित कला अकादेमी, नई दिल्ली
9) राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ

2. गैर–मंत्रालयी संस्थान (3)

1) छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, मुम्बई
2) गांधी संग्रहालय, पटना
3) राजकीय संग्रहालय एवं कला दीर्घा, चंडीगढ़

समूह– 'ख' : अभिलेखागार, पुस्तकालय एवं सामान्य छात्रवृत्ति

1. संस्कृति मंत्रालय के संस्थान (6)

1) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली
2) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता
3) रामपुर रज़ा पुस्तकालय, रामपुर (उ. प्र.)
4) खुदा बख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना
5) राजा राममोहन रॉय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता
6) गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली

2. गैर–मंत्रालयी संस्थान (4)

1) एशियाटिक सोसायटी, मुम्बई
2) आंध्र प्रदेश राज्य अभिलेखागार एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद
3) तंजावुर महाराजा सरफोजी का सरस्वती महल पुस्तकालय एवं अनुसंधान केन्द्र, तंजावुर
4) भंडारकर ओरियंटल अनुसंधान संस्थान, पुणे

समूह– 'ग' : मानव विज्ञान एवं समाजशास्त्र

1. संस्कृति मंत्रालय के संस्थान (10)

1) भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता
2) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल
3) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली
4) उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला
5) उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद
6) पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता
7) उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर
8) पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर
9) दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर
10) दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर

3. गैर–मंत्रालयी संस्थान (शून्य)

समूह– 'घ' : मंचकला एवं साहित्यिक कलाएं

1. संस्कृति मंत्रालय के संस्थान (4)

1) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
2) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
3) कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई
4) साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली

2. गैर–मंत्रालयी संस्थान (1)

1) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (कला एवं सौन्दर्य शास्त्र विद्यालय), नई दिल्ली

घ. स्कीम का कार्य क्षेत्र

स्कीम का कार्य क्षेत्र है– निर्धारित सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा असाधारण योग्यता वाले विद्वानों को ऐसी अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए नियोजित करने में समर्थ बनाना जिनसे उनके अप्रयुक्त संसाधनों का पता लगाया जा सके। संस्थान तथा विद्वान खोज किए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान करेंगे, लेकिन अनुसंधान का विषय एक संस्थान तक सीमित नहीं होना चाहिए। सुविधा, मॉनीटरिंग, लेखाकरण तथा उत्तरदायित्व के उद्देश्य के लिए पैरा 3 में सूचीबद्ध एक संस्थान, प्रत्येक परियोजना के लिए 'नोडल संस्थान' होगा तथा अध्येता को उस संस्थान से संबद्ध किया/जोड़ा जाएगा।

4.1 शोध क्षेत्र तथा पात्र परियोजनाएं

4.1.1 चयनित अध्येता सामान्यतः उस परियोजना पर कार्य करेगा जो नोडल संस्थान को उसके संसाधनों का पता लगाने के लिए लाभकारी है। शोध का विषय ऐसा होना चाहिए जिस पर अध्येतावृत्ति देने वाले नोडल संस्था से प्राप्त संसाधनों और सुविधाओं की सहायता से उपयुक्त रूप से जारी रखा जा सके, यद्यपि इसके साथ ही वह अन्य संस्थानों के संसाधन और सुविधाएं लेने के लिए भी स्वतंत्र होगा।

4.1.2 यदि अनुसंधान के विषय पर एक से अधिक संस्थान से सहायता लेने की आवश्यकता पड़ती है अथवा अध्येता अन्य रूप से अन्य संस्थान के संसाधनों और सुविधाओं को प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस करता है, तो अध्येतावृत्ति प्रदान करने वाला नोडल संस्थान, अन्य संस्थानों को अध्येता की सिफारिश करेगा। ऐसे विरल मामले में जहां अध्येता के लिए दो संस्थान लगभग समान महत्व के हों, दूसरे संस्थान को 'सह–संस्थान' समझा जाएगा और दोनों पक्षों द्वारा बौद्धिक संपदा, प्रकाशन, क्रेडिट शेयरिंग, सुविधाएं आदि के संबंध में त्रिपक्षीय समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएं। लेकिन लेखाकरण 'नोडल संस्थान' के पास ही रहेगा।

4.1.3 चूंकि यह स्कीम, नोडल संस्थान के सांस्कृतिक संसाधनों का पता लगाने पर केन्द्रित है, परियोजना उसी दिशा में चलनी चाहिए, अर्थात, नोडल संस्थान के संसाधनों का भरपूर प्रयोग करना। परियोजना के लिए आवश्यक निवेश, नोडल संस्था और (विरले मामले में) सह–संस्थान में उपलब्ध संसाधनों के साथ मजबूती से जुड़ा होना चाहिए।

4.1.4 अंततः परियोजना परिणाम से नोडल संस्थान, सह–संस्था, यदि कोई हो, तथा विचाराधीन व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए; तथा संस्थान/विषय के विद्यमान ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए।

4.2 टैगोर राष्ट्रीय अध्येता के रूप में नियुक्ति के लिए विद्वानों की पात्रता

4.2.1 ऐसे विद्वान जो गहन शैक्षणिक ज्ञान अथवा व्यावसायिक ख्याति वाले हों तथा जिन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान

के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, जो प्रख्यात और निर्दिष्टो जर्नलों में प्रकाशित हुआ हो तथा उनके द्वारा लिखित पुस्तकों में प्रतिपादित हुआ हो, अथवा कला या संस्कृति के किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य वाले व्यक्ति अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने हेतु विचार के लिए पात्र होंगे।

4.2.2 नियुक्त किए जाने वाले अध्येता के पास पिछले पैरा (4.2.1) में उल्लिखित विश्वसनीयता तथा नोडल संस्थान द्वारा शामिल क्षेत्र में विशिष्ट् प्रतिष्ठा होनी चाहिए। चूंकि मान और मानदेय दोनों ही काफी उच्च स्तर के हैं; अतः प्रायोजित संस्थान की संस्थान स्तरीय 'खोज–सह–जांच समिति' और 'राष्ट्रीय चयन समिति' (आगे पैरा 11 में परिभाषित) टैगोर राष्ट्रीय अध्येताओं की सिफारिश/चयन करते समय यह ध्यान में रखें।

4.2.3 अतः ऐसे व्यक्तियों में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए जिन्हें टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए चुना जाता है :

क) शोध व अनुभव काल के संबंध में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्ति;

ख) प्रकाशनों की अत्यधिक प्रभावशाली सूची, जिन्हें विद्वता के क्षेत्र में स्वीकार किया गया हो; और

ग) सीधे नोडल संस्थान और/या सम्बद्ध संस्थानों से जुड़ी परियोजनाओं के संचालन में पूर्व अनुभव।

4.2.4 संक्षेप में, टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए चुना गया व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसने अपने कार्यक्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर ली हो या वह अत्यधिक आदरणीय हो। यह उचित है कि जो उक्त विवरण के दायरे में नहीं आते वे अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन न करें या उन्हें इतना ऊंचा सम्मान व मानदेय देने पर विचार न किया जाए जो इस अध्येतावृत्ति के तहत भारत के किसी विद्वान को दिया जाता है।

ड. अनुबंध की शर्तें

चुने गए अध्येता को नोडल संस्था में भाग लेना होगा क्योंकि स्कीम का उद्देश्य ऐसे संस्थानों को शैक्षिक सुविज्ञता उपलब्ध करवाना तथा नोडल संस्था के कार्यकलापों में शैक्षिक अनुकूलन सृजित करना है। लम्बी अवधि तक अध्येताओं की वास्तविक उपस्थिति से नोडल संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों व सांस्कृतिक विशेषज्ञों का शैक्षिक अनुकूलन होगा तथा इससे अन्य संस्थानों से आने वाले अतिथि शिक्षाविदों के साथ मेलजोल करने का अवसर भी मिलेगा। यद्यपि अध्येताओं को परियोजना कार्य के प्रयोजनों से या अपनी अन्य व्यावसायिक व्यस्तताओं के कारण समय–समय पर बाहर जाना पड़ सकता है परन्तु अध्येतावृत्ति की मुख्य अवधि के दौरान आशा है कि वे प्राथमिक रूप से नोडल संस्थान व इसके संसाधन के साथ काम करेंगे। अतः ऐसे उम्मीदवार इस अध्येतावृत्ति का लाभ नहीं ले सकते जो अन्यत्र अधिक व्यस्त हैं या जो नियमित सेवा में है या जिनकी सेवा जारी है। इसी प्रकार, जो उम्मीदवार उस नगर में प्रवास नहीं कर सकते, जहां नोडल संस्थान स्थित है, सामान्यतया उनके मामले पर विचार नहीं किया जाएगा। परन्तु यदि विषय या संसाधन, शोध का ऐसा मुख्य आधार हैं कि उसके लिए उसकी उक्त नगर में लगातार उपस्थिति की जरूरत नहीं है तो एन एस सी ऐसे मामलों पर विचार कर सकती है। इस स्कीम में भाग लेने वाले संस्थान में नियोजित उम्मीदवारों पर भी सर्वाधिक अपवादस्वरूप परिस्थितियों (जिसके बारे में एनएससी द्वारा निर्णय लिया जाएगा) को छोड़कर अपने मूल संस्थान में अध्येता होने पर प्रतिबंध होगा।

च. टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों की संख्या व उनका वित्त पोषण

6.1 प्रारंभ में, संस्कृति मंत्रालय द्वारा अध्येतावृत्ति का आवेदन करने वाले संस्थानों को प्रति वर्ष 15 अध्येतावृत्तियों का भुगतान किया जाता है। इसकी कुल संख्या और अधिक हो सकती है क्योंकि संस्कृति मंत्रालय के लगभग सभी संस्थानों के पास अपने अध्येताओं पर खर्च करने के लिए पर्याप्त निधियां है। एक संस्थान एक वर्ष में अधिकतम दो अध्येतावृत्तियां प्रदान कर सकता है परन्तु पात्र प्रस्ताव प्राप्त होने पर राष्ट्रीय चयन समिति (एनएससी) को, विशेष रूप से एएसआई और आईजीएनसीए जैसे व्यापक आधार वाले संस्थानों के मामले में, उक्त शर्त में ढील देने का अधिकार होगा।

6.2 यदि वर्ष 2009–10 से प्रारंभ करते हुए किसी वर्ष के लिए, संस्कृति मंत्रालय की निधियों में से प्रदान की गई अध्येतावृत्तियां 15 से कम हैं, तो शेष अध्येतावृत्तियों को ठीक अगले वर्ष में प्रदान किया जा सकता है बशर्ते कि उस

वर्ष में इस प्रयोजनार्थ निधियां उपलब्ध हों। इसी प्रकार वित्त वर्ष विशेष में प्रस्तुत आवेदनों व परियोजनाओं को भी आगे ले जाया जा सकता है और उन पर अगले वर्ष विचार किया जा सकता/उनकी सिफारिश की जा सकती है बशर्ते कि उन्हें अन्यथा विचार के योग्य पाया जाए।

6.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि संस्कृति मंत्रालय के तहत सम्बद्ध व अधीनस्थ कार्यालय, उन्हें आबंटित समग्र योजनागत बजट में से टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति पर खर्च करेंगे जबकि स्वायत्त संगठन (संस्कृति मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित) वार्षिक योजना अनुदानों या आन्तरिक व्यवस्था से उपलब्ध निधियों के सामान्य पूल में से अध्येतावृत्तियों का खर्च वहन करेंगे। यदि उनमें से किसी भी संगठन को इस प्रकार सेवा में लिए गए अध्येताओं की सहायता हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता पड़ती है तो, संस्कृति मंत्रालय, स्वायत्त संगठनों के मामले में उनके सहायता अनुदान आबंटन के भाग के रूप में अपेक्षित अतिरिक्त निधियां आबंटित करेगा और यदि संबंधित संस्थान, मंत्रालय का सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय है तो अतिरिक्त बजट प्रावधान करेगा। इन संस्थानों को, इसमें आगे निर्धारित मुख्य मानदंडों के भीतर और एनएससी द्वारा दी गई सलाह के अनुसार इस स्कीम को संचालित करने के लिए (जिसके लिए मंत्रालय यथा उल्लिखित सहायता अनुदान/बजट आबंटन प्रदान करेगा) पूर्ण स्वतंत्रता व लचीलापन प्राप्त होगा।

6.4 स्कीम के तहत आने वाले संस्कृति मंत्रालय के संस्थानों से इतर संस्थानों को सीधे इस स्कीम के बजट शीर्ष से निधियां प्रदान की जाएंगी, जिनका उपयोग इन संस्थानों द्वारा उनके लिए काम किए जाने हेतु चुने गए टैगोर राष्ट्रीय अध्येता (अध्येताओं) पर खर्च करने के लिए किया जाएगा और इसका अलग से लेखा रखा जाएगा।

छ. टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति का मूल्य

7.1 टैगोर राष्ट्रीय अध्येता, जो एक विश्वविद्यालय, कॉलेज, शोध संस्थानों अथवा भारत के सरकारी व्यवस्था से हो, ग्रेड वेतन आदि सहित उसी वेतन का पात्र होगा जो वेतन उसने अपने मूल संगठन में रहते हुए प्राप्त किया हो। नोडल संस्थान द्वारा नियोक्ता को भविष्य निधि आदि में मूल या अनिवार्य अंशदान का भी भुगतान किया जाएगा जैसाकि नियोक्ता द्वारा अध्येता के अपने मूल संगठन में रहते हुए उसे किया जाता।

7.2 कोई अध्येता, जो विदेश अथवा विश्वविद्यालय, कॉलेज, शोध संस्थान अथवा सरकार से भिन्न संगठन से अथवा जो अपनी सेवा से अब सेवानिवृत्त हो गया हो अथवा अपनी पेंशन ले रहा हो, 80,000/– रु. प्रतिमाह नियत मानदेय का पात्र होगा।

7.3 ऐसी टॉप–अप राशि, जो एनएससी द्वारा निर्धारित की जाए, उस अध्येता को देय होगी जो चुनिंदा मामलों में अन्य स्रोतों से निधियां प्राप्त कर रहा हो जिससे उसके परिलब्धियों की कुल राशि मानदेय की सीमा तक या इससे अधिक हो जाएगी। परन्तु किसी भी स्थिति में टॉप–अप की राशि प्रतिमाह 80,000/– रु. से अधिक नहीं होगी।

7.4 ऐसे अध्येता को मानदेय का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा जो मानदेय के बराबर अन्य स्रोतों से पूंजी राशि प्राप्त कर रहा हो। तथापि, ऐसे अध्येता को आकस्मिक अनुदान और अन्य भत्ते आदि सुविधाएं, जो एन एस सी द्वारा तय की गई हों, प्राप्त होंगी।

ज. आकस्मिक अनुदान

विदेश में रहने वाले अथवा सेवा करने वाले विदेशी अनुसंधान अध्येता और भारतीय अनुसंधान अध्येता को अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान एक बार नोडल संस्थान द्वारा देश से अपने निवास अथवा अपने निवास से देश तक इकोनॉमी श्रेणी का वापसी हवाई किराया दिया जाएगा/प्रतिपूर्ति की जाएगी। स्कीम के तहत अध्येतावृत्ति लेने वाले सभी अध्येताओं के लिए अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान 2.50 लाख रु. प्रतिवर्ष की सीमा तक रखे जाने वाले अनुसंधान सहायकों को शैक्षिक यात्रा करने के लिए आकस्मिक व्यय 'वास्तविकता' के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी। आकस्मिक अनुदान की उचित निगरानी और नियंत्रण के लिए, नोडल संस्थान इस उद्देश्य के लिए एक कंट्रोल रजिस्टर रखेगा।

झ. अध्येतावृत्ति की अवधि

अध्येतावृत्ति की अवधि अधिकतम दो वर्ष की होगी। आपवादिक मामलों में संस्थान, एनएससी को, इसके द्वारा दिए गए कार्य की गुणवत्ता के मूल्यांकन द्वारा समर्थित होने पर एक और वर्ष तक विस्तार की अवधि के लिए या दो वर्ष से कुछ कम की अवधि की सिफारिश कर सकता है। अध्येतावृत्ति कार्यभार ग्रहण की तारीख से दी गई मानी जाएगी और 'महीनों' व 'वर्षों' की गिनती तदनुसार की जाएगी।

ञ. चयन मापदंड

10.1 आवेदन

संस्कृति मंत्रालय अथवा संबंधित संस्थान अध्येतावृत्ति का व्यापक रूप से राष्ट्रीय/क्षेत्रीय समाचार पत्र जिनके पाठकों की संख्या अधिक हो और जिनकी वेबसाइट हो, (जिसे पूरे विवरण देने चाहिए) तथा संबंधित क्षेत्र में व्यावसायिक संगठनों/फोरम के माध्यम से स्कीम का प्रचार भी करेगी ताकि स्कीम का अधिकाधिक प्रचार हो। ऐसे पात्र उम्मीदवार वर्ष के दौरान सीधे संबंधित संस्थान/नोडल संस्थान को आवेदन कर सकते हैं जो भागीदार किसी भी संस्थान के संसाधनों पर आधारित कोई परियोजना पूरी करने के लिए लगभग दो वर्ष का समय निकाल सकें। उम्मीदवार किसी सादे कागज पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं जिसके साथ जीवन–वृत्त, प्रकाशनों की सूची, उस कार्य का एक पृष्ठ का सार–संक्षेप, जिस पर वह कार्य करना चाहता है/चाहती है, सहित अन्य दस्तावेज तथा दो संस्तुतकर्ताओं के सम्पर्क सूत्रों सहित उनके नाम संलग्न किए जाएंगे। आवेदक को इस आशय का उल्लेख करते हुए एक घोषणा पत्र संलग्न करना चाहिए कि यदि अध्येतावृत्ति के लिए उसका चयन होता है तो वह अध्येतावृत्ति का कार्यकाल पूरा करेगा/करेगी।

10.2 चयन

उपर्युक्त पद्धति से प्राप्त आवेदनों की जांच इस प्रयोजनार्थ गठित संस्थान स्तरीय खोज–सह–चयन जांच समिति (आई एल एस एस सी) (जिसका विस्तृत उल्लेख पैरा 11 में किया गया है) द्वारा की जाएगी, और विचार किए जाने योग्य पाए गए आवेदनों की उक्त समिति द्वारा लघु सूची तैयार की जाएगी और राष्ट्रीय चयन समिति (एनएससी) को इसकी सिफारिश की जाएगी। ऐसे सर्वोत्कृष्ट वरिष्ठ विद्वानों को संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय चयन समिति में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा जिनकी इस स्कीम से संगतता के अनुसार विशेषज्ञता के क्षेत्रों में सुविख्यात प्रतिष्ठा हो।

10.3 खोज एवं निमंत्रण

तथापि, उम्मीदवारों का चयन ऐसे उम्मीदवारों तक सीमित किए जाने की आवश्यकता नहीं है जो विज्ञापन के जरिए आवेदन करते हैं। संबंधित संस्थान को स्वतः ऐसे प्रख्यात विद्वानों के नाम पर विचार करने की छूट होगी जो संस्थान और आई एल एस एस सी के सदस्यों के विचार से इस क्षेत्र से संबंधित विषय में सुविज्ञ हों तथा यह कि संस्थान को उन्हें एन एस सी को सिफारिश हेतु उक्त विद्वानों को प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के लिए आमंत्रित करने की स्वतंत्रता होगी। अंतिम निर्णय एन एस सी का होगा जो संबंधित संस्थान के परामर्श से किसी भी प्रख्यात विद्वान को अध्येता (लेकिन केवल संस्कृति मंत्रालय के अधीन किसी संस्थान के लिए) बनने के लिए आमंत्रित भी कर सकती है। संबंधित संस्थान के न्यासी बोर्ड/शासी निकाय तथा राष्ट्रीय चयन समिति (एनएससी) के बीच उत्पन्न मतांतर की स्थिति में मामले को संस्कृति मंत्री के स्तर पर निपटाया जाएगा।

ट. चयन की प्रक्रिया

11.1 प्रत्येक संस्थान द्वारा संस्थान स्तरीय खोज–सह–चयन जांच समिति (आईएलएसएससी) गठित की जाएगी। संबंधित संस्थान का निदेशक आईएलएसएससी का संयोजक होगा तथा इसमें कम से कम तीन शिक्षाविद या सांस्कृतिक

विशेषज्ञ और अधिकतम दो अधिकारी होंगे। एक ही स्टेशन पर संस्थान या सम्बद्ध संस्थान में अधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि आईएलएसएससी में मनोनीत दो में से कम से कम एक अधिकारी व्यावसायिक/विषय विशेषज्ञ हो। स्वायत्त संस्थान के मामले में आईएलएसएससी का गठन, संस्थान द्वारा उसके शासी निकाय/न्यासी बोर्ड के अनुमोदन से किया जाएगा। तथापि, यदि शासी निकाय/न्यासी बोर्ड की कोई बैठक नहीं होती है या उनका अनुमोदन लेना संभव न हो तो, अध्यक्ष के अनुमोदन से आईएलएसएससी का गठन किया जा सकता है और जब भी भविष्य में शासी निकाय/न्यासी बोर्ड की बैठक हो तब इसे उसकी अभिपुष्टि के लिए उसके समक्ष रखा जा सकता है। सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से यह आशा होगी कि वे जहां तक संभव हो आईएलएसएससी का गठन उनके सलाहकार बोर्डों/समितियों के सदस्यों में से करेंगे और इसके लिए संबंधित प्रशासनिक प्रभाग में संस्कृति मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

11.2 चयन, अध्ययन की प्रासंगिकता व नोडल संस्थान के लिए इसकी अपेक्षा तथा साथ ही संबंधित विद्वान की ख्याति व प्रतिष्ठा के आधार पर किया जाएगा। केवल ऐसे प्रस्तावों का चयन किया जाए जो (क) ऐसे विद्वानों को नियोजित करने की अपेक्षा रखते हों ऐसे विद्वानों की सेवाएं लेने, जिन्होंने राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की हो और राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में जिनके कार्य की प्रामाणिक रूप से सराहना की गई हो। (ख) ऐसे संसाधनों को प्रकाशित करने जिनका सार्वजनिक क्षेत्र में पूरी तरह उपयोग न किया गया हो; से संबंधित हो और जिनसे (ग) ऐसे प्रकाशन मिले जो संबंधित संस्थान के लिए लाभप्रद हों। यह प्रक्रिया दो चरणों में की जाएगी।

11.3 प्रथम चरण में, खोज–सह–जांच प्रक्रिया के भाग के रूप में व्यापक रूप से विनिर्दिष्ट मानदण्ड के अनुसार आईएलएसएससी द्वारा परियोजनाओं तथा उम्मीदवारों की लघु सूची तैयार किया जाना शामिल हो सकता है। प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के अलावा, आईएलएसएससी से आशा है कि वह सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाएगी तथा संगत परियोजनाओं की पहचान करेगी, इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित विद्वानों की खोज करेगी, ऐसे विद्वानों से सम्पर्क करेगी तथा उन्हें अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यदि विचार किए जाने के योग्य कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है तो आईएलएसएससी को मजबूरन ऐसे प्रस्तावों की सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं है जो वांछित स्तर के नहीं हैं या एन एस सी द्वारा विचार किए जाने के लिए अप्रासंगिक हैं। समुचित क्षेत्रों/शोध परियोजनाओं का पता लगाना तथा ऐसे उपयुक्त विद्वानों की खोज करना आईएलएसएससी के अधिदेश का भाग होगा जो उन शोध परियोजनाओं को करने के योग्य हों। आईएलएसएससी अपने सदस्यों की निजी जानकारी के आधार पर ऐसा कर सकती है और/या संबंधित संस्थान के शासी निकाय/न्यासी बोर्ड के सदस्यों तथा संस्कृति मंत्रालय द्वारा गठित विभिन्न विशेषज्ञ समितियों के सदस्यों सहित इस क्षेत्र में अन्य ज्ञानवान/प्रख्यात व्यक्तियों की सलाह ले सकती है। आईएलएसएससी की प्रक्रिया अपनाने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परियोजनाओं तथा अध्येताओं के चयन में उच्चतम मानकों का पालन किया गया है और यह कि स्कीम की ब्राण्ड इक्विटी से कोई समझौता नहीं किया गया है। जबकि आईएलएसएससी के शैक्षिक सदस्यों को स्वयं अयोग्य नहीं माना जाएगा, यदि वे स्कीम के तहत किसी परियोजना पर कार्य करने हेतु अपनी सेवाएं देने के लिए हैं, फिर भी आईएलएसएससी को यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे किसी प्रस्तावित परियोजना की सिफारिश न की जाए जिसे संबंधित संस्थान के शासी निकाय/न्यासी बोर्ड के किसी सदस्य द्वारा किए जाने का प्रस्ताव हो, जिससे हितों के टकराव की स्थिति पैदा होती हो। आईएलएसएससी के सदस्य से संबंधित प्रस्ताव, यदि कोई हो, पर बैठक में तभी विचार किया जाएगा जब उम्मीदवार सदस्य उपस्थित न हो। अतः उम्मीदवार सदस्य को आईएलएसएससी की उस बैठक में आमंत्रित नहीं किया जाएगा जिसमें उसका स्वयं के नाम पर विचार किया जाना हो; और यदि उसे अध्येतावृत्ति दी जाती है तो आईएलएसएससी से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा। तथापि, संस्कृति मंत्रालय को इस स्कीम के तहत उसकी परियोजना के समाप्त होने के बाद उसे आईएलएसएससी के सदस्य के रूप में पुनः शामिल करने की छूट होगी।

11.4 द्वितीय चरण में, एन एस सी द्वारा प्रत्येक संस्थान के संबंध में लघु सूचीबद्ध उम्मीदवारों के आवेदनों/नामों पर विचार किया जाएगा। सचिव (संस्कृति) एन एस सी के संयोजक तथा संस्थान का निदेशक या प्रमुख उसके पदेन सदस्य

होंगे। एन एस सी के अन्य सदस्य प्रतिष्ठित विद्वान या कलाकार, या ऐसे विशेषज्ञ होंगे जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाए। एन एस सी, अध्येताओं के चयन व अध्येतावृत्तियों के संचालन की निगरानी करने के लिए वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी। एन एस सी का पुनर्गठन किया जा सकता है और वह विभिन्न भागों में कार्य कर सकती है तथा एन एस सी का प्रत्येक भाग संस्थानों के समूह विशेष के प्रस्तावों को देखेगा। तथापि, यदि एक समूह में श्रेणीबद्ध किसी संस्थान का प्रस्ताव ज्यादातर उन परियोजनाओं के स्वरूप का है जिस पर एन एस सी के अन्य भागों द्वारा कार्रवाई की जा रही है तो ऐसी परियोजनाओं को एन एस सी के ऐसे अन्य भाग को सौंपा जा सकता है। आईएलएसएससी के मामले में एन एस सी के सदस्य ऐसे क्षेत्रों का सुझाव भी दे सकते हैं जिनका संस्थान विशेष में अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है और ऐसे विद्वानों के नामों का प्रस्ताव कर सकते हैं जो उन क्षेत्रों में परियोजना के साथ न्याय करने के योग्य हों। प्रख्यात विद्वानों का समूह छोटा होने से शायद स्कीम के तहत एन एस सी (या आईएलएसएससी) के सदस्यों को इसके दायरे से बाहर रखना संभव न हो। तथापि, एन एस सी से संबंधित किसी भी सदस्य के प्रस्तावों, यदि कोई हो, पर तभी विचार किया जाएगा, जब उम्मीदवार सदस्य उपस्थित न हो। वास्तव में ऐसे उम्मीदवार सदस्य को एन एस सी की उस बैठक में आमंत्रित नहीं किया जाएगा, जिसमें उसके अपने नाम पर विचार किया जाना हो और यदि उसे अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है तो एन एस सी से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा। तथापि, संस्कृति मंत्रालय को इस स्कीम के तहत उसकी परियोजना के समाप्त होने के बाद उसे एनएससी के सदस्य के रूप में पुनः शामिल करने की छूट होगी।

ठ. स्कीम का संचालन

प्रत्येक संस्थान द्वारा प्रबंधित अध्येपतावृत्ति की कुल संख्या, भाग लेने वाली संस्थाओं के परामर्श से समय–समय पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा तय की जाएगी। यह, अप्रयुक्त संपत्तियों के परिणाम संस्था में पहले ही विद्यमान भौतिक सुविधाओं, अध्येता की योग्यताओं को भरपूर लाभ उठाने के लिए उन्हें गाइड और प्रेरित करने की संस्थान की क्षमता, प्रकाशन तथा अनुसंधान में इसके पिछले रिकार्ड के विशेष क्षेत्र आदि में अनुसंधान/अध्ययन की आवश्यकता जैसे कतिपय मानदंडों पर आधारित होगी। कुल आबंटन के 2 प्रतिशत की राशि, स्कीम के संचालन से संबंधित खर्चों को वहन करने के लिए अलग से रखी जाए तथा इसमें आउटसोर्सिंग अथवा परामर्श के माध्यम से अध्येता द्वारा पूरे किए गए अनुसंधान कार्य की निगरानी, कार्यान्वयन, निरीक्षण, पुनरीक्षा आदि शामिल है।

ड. अध्येतावृत्ति राशि जारी करना

अध्येतावृत्ति की राशि नोडल संस्थान द्वारा प्रत्येक अध्येता को मासिक आधार पर जारी की जाए। सभी अध्येता, नोडल संस्थान के प्रमुख को अध्येतावृत्ति की अवधि के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे। अध्येता से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने संबंधित नोडल संस्थान को छमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करे जो बाद में इनका मूल्यांकन करेंगे और नोडल संस्थान द्वारा एनएससी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए इस पर इसकी टिप्पणियों के साथ स्कीम घटक की देखरेख करने वाले नोडल संस्थान को इसे भेजेंगे। पहली और द्वितीय छमाही किस्तें इन दो छमाही रिपोर्टों की प्राप्ति के पश्चात जारी की जाएगी। इसके बाद एनएससी द्वारा मध्या वधि समीक्षा में इन रिपोर्टों पर विचार करने के साथ–साथ इनका मूल्यांकन किया जाएगा। तीसरी छमाही किस्त एनएससी द्वारा सफल मध्यावधि समीक्षा के पश्चात जारी की जाएगी। चौथी और अंतिम किस्त एनएससी द्वारा अंतिम रिपोर्ट के सफल मूल्यांकन और अनुमोदन के पश्चाात जारी की जाएगी। यदि अध्येता द्वारा प्रस्तुत की गई छमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा में यह निष्कर्ष निकलता है कि किया गया कार्य असंतोषजनक है और यदि एन एस सी की यह राय हो कि आगे के अनुदान बन्द अथवा कम कर दिये जाएं, तो नोडल संस्थान को तदनुसार निर्देश दिया जाएगा। तथापि, यदि एनएससी की बैठक प्रशासनिक या अन्य कार्यों के चलते आयोजित नहीं की जा सकती है, तो छमाही रिपोर्ट देखी जाएगी और सुचारू रूप से निधि के प्रवाह हेतु परिचालन द्वारा एनएससी के संबंधित समूह सदस्यों द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाएगा। अन्यथा, अध्येता को निधि प्रवाह निर्बाध रूप से जारी रहना चाहिए।

ढ. अध्येताओं को सहायता

14.1 नोडल संस्थान द्वारा अध्येताओं को बुनियादी ढांचागत सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे अपना शोध कार्य कर सकें। इसमें पेरिफिरल व कनेक्टिविटी युक्त कम्प्यूटर तथा संस्थान की सुविधाओं में कार्य स्थल प्रदान करना शामिल होगा, ताकि शोध करने के लिए अनुकूल वातावरण मिल सके। बैठने की उपयुक्त व्यवस्था, पुस्तकालय सुविधाओं जैसी अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इन अध्येतावृत्तियों का एक महत्वपूर्ण लाभ अध्येताओं को अध्ययन व शोध सामग्री के लिए राष्ट्रीय संस्थानों में सुगम्यता होगी। इस स्कीम के तहत रखे गए विदेशी अध्येताओं के संबंध में संस्कृति मंत्रालय द्वारा संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अनिवार्य राजनीतिक/सुरक्षा निकासी, प्राप्त की जाएगी। संबंधित संस्थाओं के प्रमुख संस्थान में कार्यरत सभी अध्येताओं के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। संस्कृति मंत्रालय में इस स्कीम के प्रभारी निदेशक/उप सचिव, स्कीम के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

14.2 अध्येताओं को प्रोत्साहन तथा वित्तीय सहायता भी दी जा सकती है ताकि वे संबंधित संस्थान या अन्य सम्बद्ध संस्थानों और संगठनों द्वारा आयोजित सम्मेलनों में शोध–पत्र प्रस्तुत कर सकें, जिसकी ''वास्तविक आंकड़ों'' के आधार पर प्रतिवर्ष अधिकतम 1.00 लाख रु. तक की पूर्ति की जाएगी/उसका भुगतान किया जाएगा बशर्ते कि पर्याप्त शैक्षिक पारस्परिकता की व्यवस्था की गई हो।

ण. आवास

कोई अध्येता अपने वेतन, जिसमें ग्रेड वेतन अथवा दिया गया मानदेय शामिल है, 30 प्रतिशत तक किराए की रसीद प्रस्तुत करने पर आवास भत्ते का पात्र होगा।

त. अन्यत्र व्यवस्था भत्ता

बाहर के किसी अध्येता को एक लाख रूपये का एकमुश्त अनुदान अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान उसके रहने के पुराने स्टेशन से नये स्टेशन तक उसके व्यक्तिगत सामान की पैकिंग तथा परिवहन के लिए व्यवस्था भत्ते के रूप में दिए जाएंगे, यदि वह स्टेशन छोड़ता है अथवा अन्यथा, किताबों, शैक्षिक वस्तुओं को ले जाता है। स्टेशन छोड़ने के लिए भत्ते के बराबर की राशि अध्येतावृत्ति की समाप्ति पर दी जाएगी। अध्येतावृत्ति की समाप्ति पर और कार्यभार ग्रहण करने पर अपने स्थान/आवासीय देश से इकॉनॉमी हवाई यात्रा किराया प्रदान किया जाएगा/उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

थ. प्रकाशन

किसी अध्येता के लिए निम्नलिखित अपेक्षित होगा :–

(क) अध्येतावृत्ति के अन्तर्गत अपने अनुसंधान के विषय पर प्रतिवर्ष एक सार्वजनिक व्याख्यान देना।

(ख) अपनी कार्य अवधि की समाप्ति पर, अध्येता को अध्येतावृत्ति के अधीन पूरे किए गए कार्य पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिसमें प्राप्त की गई और प्रत्याशित आउटपुट निर्दिष्ट की जाएगी। वह एन एस सी को अपने अनुसंधान के निष्कर्ष पर एक प्रस्तुति भी देगा।

(ग) नोडल संस्थान से अपेक्षा की जाती है कि वह परियोजना के पूरी होने पर प्रत्येक अध्येता के अनुसंधान कार्य को प्रकाशित करेगा। अध्येतावृत्ति दिए जाने के फलस्वरूप अनुसंधान कार्य के अधिकारों का स्वामित्व नोडल संस्थान का होगा। बशर्ते कि एन एस सी लिखित में दिये जाने वाले न्यायोचित कारणों से कोई अन्य व्यवस्था की अनुमति न दे। कॉपीराइट के मामले पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्था के सहयोग से अध्येता के कार्य से हुई शैक्षिक आउटपुट को इंटरनेट/वेब प्रकाशन के माध्यम से सार्वजनिक भी बनाया जाएगा।

(घ) यदि नोडल संस्थान प्रकाशन नहीं करता है या सह–प्रकाशन हेतु प्रबंध नहीं करता है और अध्येतावृत्ति के

पूरा होने के बाद एक वर्ष के भीतर पुस्तक के वास्तविक मुद्रण के लिए सहायता प्रदान नहीं करता है तो अध्येता उस पुस्तक को संस्कृति मंत्रालय के सहयोग का विधिवत रूप से आभार प्रकट करते हुए तथा नोडल संस्थान के अधिकारों को स्वीकार करते हुए निजी प्रकाशन के माध्यम से प्रकाशित करवाने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ड.) परियोजना के सह–प्रकाशन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा तथा अध्येता ऐसे किसी निजी प्रकाशकों की व्यवस्था भी कर सकता है जो नोडल संस्थान के साथ कार्य को सह–प्रकाशित करने पर सहमत हो और इसे परियोजना के पूरा होने के एक वर्ष के भीतर उसे ऐसे प्रकाशन के लिए स्वीकार करे। प्रकाशन में प्रतिष्ठित नामों के साथ सहयोगों का स्वागत किया जाएगा।

(च) परियोजना की भाषा, परियोजना के स्वरूप तथा/या अध्येता के भाषा कौशल द्वारा निर्धारित किए जाने की अनुमति होगी। जहां कोई परियोजना अंग्रेजी भाषा को छोड़कर किसी अन्य भाषा में की जाती है तो नोडल संस्थान, अनुवाद तथा अनूदित कृति के प्रकाशन की व्यवस्था भी करेगा।

द. भाग लेने वाले संस्थान

18.1 यदि आईएलएसएससी या एन एस सी का यह मत हो कि :

(क) अध्येता इतनी प्रतिष्ठा का व्यक्ति नहीं है कि उसे टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रदान की जाए, परन्तु उसका स्तर उत्कृष्ट है और वह ऐसे कतिपय विषय पर काम करने के लिए पर्याप्त रूप से उपयुक्त है जिसे संबंधित संस्थान सर्वाधिक उपयोगी समझे, चाहे वह मूल शोध हो, संस्थान में उपलब्ध संसाधनों की पहचान और उनका सूची पंजीकरण या ऐसे नए संसाधनों के अभिलेख तैयार करने या उनके सृजन से संबंधित हो, जो संस्थान के पास होने चाहिए; या

(ख) परियोजना तीन महीने से दो वर्ष तक की कम अवधि की है, तो वे अध्येता को, परियोजना के लिए यथा पर्याप्त अवधि के लिए प्रति माह 50,000/– रु. (कुल) तक के कम मानदेय पर अध्येता की सेवा लेने का प्रस्ताव रख सकते हैं। तथापि, यदि ऐसा अध्येता भारत में किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज, शोध संस्थान या सरकारी तन्त्र से है तो वह ग्रेड वेतन आदि सहित उसी वेतन का हकदार होगा जो उसे अपने मूल संगठन में कार्य करते हुए मिलता। नियोक्ता के भविष्य निधि में मूल या अनिवार्य अंशदान आदि का भी नोडल संस्थान द्वारा उतना ही भुगतान किया जाएगा जो नियोक्ता द्वारा अध्येता के अपने मूल संगठन में कार्य करते हुए अदा किया जाता। ऐसे सभी अध्येताओं को वास्तविक आंकड़ों के आधार पर अधिकतम 10,000/– रु. प्रतिमाह तक आकस्मिक अनुदान तथा इस स्कीम में **अध्येताओं हेतु** प्रावधानशुदा अन्य भत्तों/लाभों का उस सीमा तक परियोजना के स्वरूप व अवधि के आधार पर भुगतान किया जाएगा जो प्रत्येक मामले में आईएलएसएससी/एन एस सी द्वारा विशेष रूप से निर्धारित किया जाए (टैगोर राष्ट्रीय अध्येताओं के मामले में लागू सीमाओं के भीतर)।

18.2 इन अध्येताओं तथा टैगोर राष्ट्रीय अध्येताओं में अन्तर रखने के लिए उन्हें टैगोर शोध अध्येता कहा जाएगा, परन्तु उनके यथा लागू वही सभी दायित्व होंगे जो स्कीम के तहत टैगोर राष्ट्रीय अध्येताओं को सौंपे गए हैं।

18.3 टैगोर राष्ट्रीय अध्येताओं की भांति, टैगोर शोधार्थियों के मामलों (तथा उनकी नियुक्ति की शर्तें) की सिफारिश अधिमानतः आईएलएसएससी (अभूतपूर्व मामलों में एन एस सी पैरा 10.3 के अनुसार चुन सकती है और संबंधित संस्थान की सहमति का सुझाव दे सकती है) द्वारा की जा सकती है और अन्ततः इसका निर्णय एन एस सी द्वारा किया जा सकता है जबकि छह माह से अधिक की अवधि की परियोजनाओं वाले टैगोर शोध अध्येताओं के मामले में छमाही/अंतिम रिपोर्टों की समीक्षा एन एस सी द्वारा की जाएगी, 6 माह या इससे कम अवधि की परियोजनाओं के मामले में ऐसी रिपोर्टों की समीक्षा अपने स्तर पर आईएलएसएससी द्वारा की जा सकती है।

18.4 ऐसे उम्मीदवारों के अलावा जो टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन करते हैं परन्तु उन्हें टैगोर शोध शिक्षावृत्ति की पेशकश की जाती है तो अन्य उम्मीदवारों को उसी पद्धति से सीधे टैगोर शोध शिक्षावृत्ति का आवेदन करने की छूट होगी, जैसाकि टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के पैरा 10.1 में निर्धारित किया गया है।

18.5 एक वर्ष के भीतर चुने जाने वाले वे शोध अध्येता जिन्हें स्कीम बजट में से संस्कृति मंत्रालय द्वारा भुगतान किया जाना है, की कुल संख्या किसी भी वर्ष में 25 से अधिक नहीं होगी।

ध. पुनः आवेदन करना

एक बार टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने पर उम्मीदवार, उसी या इस स्कीम के तहत शामिल अन्य किसी संस्थान में इस स्कीम के तहत अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकता परन्तु यह प्रतिबंध टैगोर शोधछात्रों पर लागू नहीं होगा।

4

सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम

इस स्कीम में निम्नलिखित दो घटक शामिल हैं :–

घटक–I	:	स्टूडियो थियेटर सहित भवन अनुदान हेतु वित्तीय सहायता।
घटक–II	:	टैगोर सांस्कृतिक परिसर हेतु वित्तीय सहायता।

4.1

स्टूडियो थिएटर सहित भवन अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

1 उद्देश्य

इस स्कीम का उद्देश्य स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों तथा सरकारी सहायता प्राप्त सांस्कृतिक संगठनों को कलाकारों के लिए समुचित रूप से सुसज्जित प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास व कला प्रस्तुति स्थलों के सृजन में उनके प्रयासों में सहायता करना है।

2 पात्र परियोजनाएं

2.1 यह अनुदान सांस्कृतिक स्थल सृजित करने के लिए दिया जाएगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

2.1.1 मंच कलाओं हेतु पारम्परिक सांस्कृतिक स्थल :

(क) प्रस्तुति स्थल जैसे ऑडिटोरियम, ओपन–एयर थिएटर, कन्सर्ट हॉल।

(ख) रंगमंच/संगीत/नृत्य हेतु रिहर्सल हॉल।

(ग) रंगमंच/संगीत/नृत्य हेतु प्रशिक्षण केन्द्र/स्कूल।

2.1.2 रूपान्तर स्थल अर्थात स्टूडियो थिएटर आदि : गैर अग्रमंचीय पूर्वाभ्यास–सह–प्रस्तुति स्थल जिन्हें स्टूडियो थिएटर या प्रायोगिक थिएटर कहा गया है, जिनमें निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं होती हैं :–

(क) लघु थिएटर जिसमें संगीत, नृत्य या रंगमंच या इन कलाओं की समग्र प्रस्तुति हेतु सभी अनिवार्य उपस्कर हों;

(ख) अनौपचारिक स्थल जिसे पारंपरिक दृष्टि से ऑडिटोरियम नहीं कहा जा सकता, अतः सामान्यतया यह मंच या कला प्रस्तुति क्षेत्र न तो मुख्य रंगपीठ के अन्दर होता है और न ही इसे बहुत ऊंचाई पर बनाया जाता है या यह दर्शकों से दूर किसी भाग का विभाजन करके बनाया जाता है।

(ग) दर्शकों के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार पूरी तरह से परिवर्तनीय होती है कि इसे कला प्रस्तुति विशेष के कलात्मक उद्देश्य के अनुसार स्थल में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, इसलिए सीटों/कुर्सियों को एक ही जगह स्था यी रूप से नहीं रखा जाना चाहिए।

(घ) स्थल की सामान्य क्षमता अधिकतम 100 से 200 सीट की होती है, अतः ऐसे स्थल को प्रायः ''लघु थिएटर'' या ''अंतरंग थिएटर'' कहा जा सकता है क्योंकि इसमें दर्शक, कला प्रस्तुति का नजदीक से पूरा आनंद उठा सकते हैं।

(ड.) कलाकारों के लिए प्रसाधन सुविधा सहित साथ लगे एक या दो नेपथ्यशाला/ ड्रेसिंग रूम, श्रृंगार कक्ष और भण्डार क्षेत्र; अतः समूची यूनिट छोटी होती है परन्तु यह पूरी तरह थिएटर का काम करती है।

2.2 ऑडिटोरियम, स्टूडियो थिएटर या अन्य सांस्कृतिक स्थल (स्थलों) सृजित करने संबंधी परियोजना प्रस्तावों में निम्नलिखित घटकों का कोई भी समुचित मिश्रण शामिल हो सकता है :–

(क) नव निर्माण या निर्मित स्थल की खरीद।

(ख) मौजूदा भवन/स्थल/सुविधा केन्द्र का नवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/विस्तार/परिवर्तन।

(ग) मौजूदा निर्मित स्थल/सांस्कृतिक केन्द्र के आंतरिक भागों को फिर से तैयार करना।

(घ) विद्युत, वातानुकूलन, ध्वनि तंत्र, प्रकाश व ध्वनि प्रणाली तथा उपस्करों की अन्य मदें जैसे संगीत वाद्य यंत्र, परिधान, ऑडियो/वीडियो उपस्कर, फर्नीचर तथा स्टूडियो थिएटर के लिए अपेक्षित मंचीय सामग्री, ऑडिटोरियम, पूर्वाभ्यास कक्ष, कक्षा कमरे आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था।

3. पात्र संगठन

3.1 इस स्कीम घटक में निम्नलिखित शामिल हैं :–

निम्नलिखित मानदण्ड पूरा करने वाले सभी गैर–लाभार्थी संगठन :–

(क) कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए मुख्य रूप से नृत्य, नाटक, रंगमंच, संगीत, ललित कला, भारत विद्याशास्त्र तथा साहित्य के क्षेत्र में कला व संस्कृति के संवर्धन में कार्यरत संगठन का स्वरूप मुख्यतः सांस्कृतिक कार्यकलाप का होना चाहिए।

(ख) संगठन कम से कम तीन वर्ष से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) अथवा सदृश अधिनियम के तहत सोसायटी अथवा न्यास अथवा गैर–लाभार्थ कम्पनी के रूप में पंजीकृत हो।

(ग) संगठन की अपनी प्रतिष्ठा हो तथा अपने कार्यकलाप के क्षेत्र में सार्थक कार्य करने की उसकी ख्याति हो और उसने स्थानीय, क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई हो।

(घ) अपने घोषणा पत्र में संगठन, भारतीय कला व संस्कृति के परिरक्षण, प्रसार व संवर्धन के प्रति समर्पित हो।

(ड.) मंच कलाओं के संवर्धन में कार्यरत सरकारी प्रायोजित निकाय।

(च) मंच कलाओं के प्रति समर्पित विश्वविद्यालय विभाग या केन्द्र।

(छ) मंच कलाओं के संवर्धन हेतु स्थापित कॉलेज।

3.2 मंत्रालय की ''कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता'' की स्कीम के अंतर्गत पिछले 3 वर्ष से रेपर्टरी अनुदान प्राप्त करते आ रहे संगठन को यह माना जाएगा कि उसने उपर्युक्त सभी शर्तें पूरी कर दी हैं।

3.3 मंच कलाओं हेतु समर्पित, सरकार द्वारा प्रायोजित निकाय, विश्वविद्यालय विभाग/केन्द्र या कॉलेज भी स्वतः पात्र हो सकता है बशर्ते कि गत तीन वर्षों का उसका रिकार्ड संतोषजनक हो।

3.4 धार्मिक संस्थाएं, सार्वजनिक पुस्तकालय, संग्रहालय, स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय विभाग/ केन्द्र जो मंच कलाओं तथा संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के प्रति विशिष्ट रूप से समर्पित नहीं है तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ संघ–राज्यक्षेत्र प्रशासन/ स्थानीय निकाय के विभाग या कार्यालय पात्र नहीं होंगे।

3.5 वह संगठन जिसने पूर्व की ''सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान स्कीम''/स्टूडियो थियेटर सहित भवन अनुदान की स्कीम या इस स्कीम घटक के अंतर्गत अपनी भवन परियोजना के लिए अनुदान प्राप्त किया हो, इस स्कीम घटक के तहत पूर्व में मंजूर परियोजना के पूरा होने से पहले दूसरे अनुदान के लिए पात्र नहीं होगा बशर्ते कि उक्त दूसरा अनुदान स्टूडियो थिएटर (प्रायोगिक थिएटर) के लिए मांगा गया हो और आवेदक संगठन ने चल रही स्वीकृत परियोजना के संबंध में चूक न की हो।

4. सहायता का स्वरूप और सीमा

4.1 इस स्कीम के तहत सभी अनुदान गैर–आवर्ती प्रकृति के होंगे। आवर्ती व्यय, यदि कोई हो, की जिम्मेदारी अनुदानग्राही संगठन की होगी।

4.2 इस स्कीम घटक के तहत अधिकतम सहायता इस प्रकार होगी :

शहर	परियोजना के प्रकार	सहायता की सीमा
बेंगलूरू, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुम्बई	नव निर्माण या निर्मित स्थल की खरीद संबंधी परियोजनाएं	50 लाख रु. (पचास लाख रुपए मात्र)
	अन्य सभी परियोजनाएं	
महानगरीय शहरों को छोड़कर अन्य सभी शहर, नगर या स्थान	सभी परियोजनाएं	25 लाख रु. (पच्चीस लाख रुपए मात्र)

4.3 पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के संगठन को छोड़कर केन्द्रीय वित्तीय सहायता की राशि अनुमोदित अनुमानित परियोजना लागत के अधिकतम 60 प्रतिशत तक सीमित होगी, जो उपरोक्त पैरा 4.2 में दी गई अधिकतम वित्तीय सीमाओं के अध्यधीन होगी। परियोजना की अनुमोदित प्राक्कलित लागत की शेष राशि, इसकी 'समतुल्य हिस्सेदारी' के रूप में आवेदक संगठन द्वारा स्वयं व्यवस्थित करके वहन की जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) की परियोजनाओं के संबंध में जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के राज्यअ शामिल हैं, केन्द्रीय वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि अनुमोदित अनुमानित परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक सीमित होगी, जो उपरोक्ता पैरा 4.2 में दी गई अधिकतम वित्तीय सीमा के अध्याधीन होगी। परियोजना की अनुमोदित प्राक्कलित लागत की शेष राशि, इसकी 'समतुल्य हिस्सेदारी' के रूप में आवेदक संगठन द्वारा स्वयं व्यवस्थित करके वहन की जाएगी।

उदाहरण :— महानगरीय शहरों में नव निर्माण/निर्मित स्थयल की खरीद संबंधी परियोजनाओं हेतु

मामला : 1 यदि परियोजना की अनुमोदित लागत 100 लाख रु. है, तो संस्वीकृति योग्य अनुदान की अधिकतम राशि 50 लाख रु. होगी और अनुदानग्राही संगठन की बराबर की हिस्सेदारी 50 लाख रु. होगी।

मामला : 2 यदि परियोजना की अनुमोदित लागत 70 लाख रु. है, तो संस्वीकृति योग्य अनुदान की अधिकतम राशि 42 लाख रु. होगी और अनुदानग्राही संगठन की समतुल्य हिस्सेदारी 28 लाख रु. होगी।

नव निर्माण/निर्मित स्थील की खरीद संबंधी परियोजनाओं तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर गैर—महानगरीय शहरों में उपर्युक्त पैरा 2.2 (ख, ग तथा घ) के तहत सभी परियोजनाओं हेतु

मामला : 3 यदि परियोजना की अनुमोदित लागत 60 लाख रु. है, तो संस्वीकृति योग्य अनुदान की अधिकतम राशि 25 लाख रु. होगी और अनुदानग्राही संगठन की समतुल्य हिस्सेदारी 35 लाख रु. होगी।

मामला : 4 यदि परियोजना की अनुमोदित लागत 40 लाख रु. है, तो संस्वीकृति योग्य अनुदान की अधिकतम राशि 24 लाख रु. होगी और अनुदानग्राही संगठन की समतुल्य हिस्सेदारी 16 लाख रु. होगी।

4.4 भूमि की लागत (प्राप्तकर्त्ता संगठन द्वारा अदा की गई वास्तविक धनराशि, न कि बाजार मूल्य) तथा संगठन द्वारा वहन किए गए विकास शुल्क को समतुल्य हिस्सेदारी के रूप में माना जाएगा।

4.5 संगठन द्वारा आवेदन की तारीख से एक वर्ष के भीतर निर्माण/भूमि भवन के विकास तथा जुड़कर व फिटिंग पर पहले से किए गए व्यय को भी समतुल्य हिस्सेदारी की राशि माना जाएगा। संगठन इस संबंध में किए गए व्यय का सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित लेखा—जोखा प्रस्तुत करेगा।

4.6 यदि बाद में परियोजना की लागत बढ़ जाती है तो भारत सरकार की देयता मूलतः स्वीकृत राशि तक सीमित होगी और अतिरिक्त व्यय, अनुदानग्राही संगठन द्वारा अपने संसाधनों से पूरा किया जाएगा।

4.7 परियोजना प्रस्ताव पर विचार किए जाने तथा कतिपय राशि के लिए उसे अनुमोदित किए जाने के बाद सामान्यतया परियोजना की समीक्षा और उसकी लागत बढ़ाने के लिए किसी भी अनुवर्ती अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4.8 वित्तीय सहायता की मंजूरी की वैधता, प्रथम किस्त जारी होने की तारीख से 3 वर्ष की होगी और सभी परियोजनाएं 3 वर्ष की अवधि के भीतर पूरी की जानी अनिवार्य हैं।

5. आवेदन की प्रक्रिया

5.1 संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय नाटय विद्यालय (एनएसडी), नई दिल्ली वार्षिक रूप से एनएसडी / मंत्रालय की वेबसाइटों : nsd.gov.in@indiaculture.nic.in पर 'स्कीम' को अधिसूचित करेगा।

5.2 स्कीम के घटक का प्रचार–प्रसार करने के लिए एक संक्षिप्त विज्ञापन संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार प्रकाशित किया जाएगा।

5.3 विहित प्रपत्र में आवेदनों को ''निदेशक, राष्ट्रीय नाटय विद्यालय, बहावलपुर हाउस, प्लॉट न.1, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001 को प्रस्तुत किया जाएगा (आवेदक संगठन द्वारा राष्ट्रीय नाटय विद्यालय को प्रस्तुत आवेदन पत्र में किसी कमी की जानकारी सीधे निदेशक, एनएसडी को प्रस्तुत की जाएगी)

5.4 आवेदन के साथ नीचे खण्ड (पैरा) 6 के तहत उल्लिखित सभी दस्तावेज संलग्न किए जाने अनिवार्य हैं। इन अनिवार्य दस्तावेजों के बिना प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे आवेदक संगठन को लौटा दिया जाएगा।

6 संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए :

6.1 परियोजना रिपोर्ट/प्रस्ताव जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) संगठन की रूपरेखा जिसमें संगठन, इसकी क्षमताओं, उपलब्धियों तथा गत तीन वर्षों के इसके कार्यकलापों के वर्ष–वार ब्यौरे का विवरण हो।

(ख) परियोजना/प्रस्ताव की तर्कसंगतता/औचित्य सहित इसका विवरण।

(ग) लागत अनुमान (भवन/उपस्कर/सुविधाओं) का सार।

(घ) वित्त/निधियों के स्रोत।

(ड.) परियोजना पूरी होने की समय अनुसूची, और

(च) समापन उपरान्त–संगठन किस प्रकार परियोजना के माध्यम से सृजित सुविधा के प्रचालन एवं अनुरक्षण का प्रबंध करेगा और आवर्ती अनुरक्षण/प्रचालन लागत को पूरा करेगा।

6.2 सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या अन्य संगत अधिनियमों के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।

6.3 संगठन के नियम व विनियम, यदि कोई हों, सहित इसके संगम ज्ञापन (या न्यास विलेख) की प्रति।

6.4 प्रबंधन बोर्ड के वर्तमान सदस्यों/पदाधिकारियों/न्यासियों की सूची जिसमें प्रत्येक सदस्य का नाम व पता हो।

6.5 संगठन के सभी कार्यकलापों को शामिल करते हुए प्राप्ति एवं भुगतान तथा आय एवं व्यय के स्रोत और पद्धति, तुलनपत्र आदि सहित विगत तीन वित्त वर्षों के वार्षिक लेखाओं (सनदी लेखाकार/सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित/संपरीक्षित) की प्रति।

6.6 विगत तीन वर्षों के आय कर आकलन आदेशों की प्रतियां।

6.7 स्वामित्व विलेख (पंजीकृत हस्तांतरण विलेख, उपहार विलेख, पट्टा विलेख आदि) जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख हो:

(क) परियोजना की भूमि/भवन पर आवेदक संगठन का स्वामित्व और इस आशय की पुष्टि कि उक्त सम्पत्ति

का इस्तेमाल वाणिज्यिक, संस्थागत या शैक्षिक प्रयोजन हेतु किया जा सकता है। निर्मित स्थल की खरीद के प्रस्ताव के मामले में आबंटन पत्र/विक्रय करार की प्रति प्रस्तुत की जाए।

(ख) भूमि/भवन की लागत। यदि स्वामित्व विलेख में भूमि/भवन की लागत का उल्लेख नहीं किया गया है तो लागत के समर्थन में संगत दस्तावेज संलग्न किए जाएं।

6.8 समुचित नागरिक निकाय/स्थानीय प्राधिकरण (नगर–पालिका, पंचायत, विकास प्राधिकरण, सुधार न्यास आदि) द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित भवन/विकास योजनाओं की प्रति। निर्मित स्थल की खरीद के प्रस्ताव के मामले में सक्षम नागरिक निकाय/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित/जारी नक्शा योजना तथा निर्माण पूर्णता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6.9 पंजीकृत वास्तुविद द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित लागत प्राक्कलन (भवन/उपस्कर) जो यह भी प्रमाणित करेगा किः

(क) मात्राएं, परियोजना की ढांचागत अपेक्षाओं/आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

(ख) दरें, प्रचलित बाजार मूल्यों के अनुरूप हैं, और

(ग) लागत अनुमान तर्क संगत हैं।

6.10 दावे के समर्थन में इस आशय का दस्तावेजी साक्ष्य कि संगठन ने अपनी समतुल्य हिस्सेदारी प्राप्त कर ली है या इसे प्राप्त करने के प्रबंध कर लिए हैं अर्थात बैंक विवरण, परियोजना पर पहले से किए जा चुके खर्च का प्रमाण पत्र (ब्यौरे के साथ, जो सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित हो) ऋण मंजूरी पत्र, परियोजना के लिए निधियों की मंजूरी दर्शाने वाला राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन/स्थानीय निकाय आदि का पत्र।

6.11 संगठन के प्रबंधन बोर्ड/कार्यकारी बोर्ड/शासी निकाय का संकल्प (निर्धारित प्रपत्र में) जिसमें संगठन की ओर से अनुदान हेतु आवेदन, बंध–पत्र आदि पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत किए जाने का उल्लेख हो।

6.12 निर्धारित मूल्य राशि के स्टाम्प पेपर पर मांगी गई सहायता का बंध–पत्र (निर्धारित प्रपत्र में)।

6.13 एनजीओ–दर्पण पोर्टल से प्राप्त संगठन की विशिष्ट आईडी संख्या की एक प्रति।

6.14 आयकर विभाग द्वारा संगठन को जारी किए गए स्थायी खाता संख्या (पैन) की प्रति।

6.15 संगठन के बैंक खाते का ईसीएस ब्यौरा दर्शाने वाला बैंक प्राधिकार पत्र (निर्धारित प्रपत्र में)।

नोट :

(क) आवेदक संगठन, अपने प्रस्ताव के समर्थन में ऐसा कोई भी अन्य दस्तावेज संलग्न कर सकता है जो वह प्रस्तुत करना चाहे (अर्थात राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय सरकारी निकाय या अकादमी से प्रमाण–पत्र या संस्तुति पत्र, वार्षिक रिपोर्ट, प्रेस कतरनें/समीक्षाएं, कार्य आबंटन पत्र, संबद्धता पत्र आदि)।

(ख) जहां कहीं दस्तावेज क्षेत्रीय भाषा में हैं, उनका अंग्रेजी व हिन्दी रूपान्तरण भी उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। जहां कहीं कतिपय दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की जा रही हों, उन्हें किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित कराया जाना चाहिए।

(ग) मंच कलाओं के प्रति समर्पित सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालय विभागों या केन्द्रों और कॉलेजों के मामले में, उपर्युक्त बिंदु संख्या 6.2 से 6.15 पर विनिर्दिष्ट दस्तावेजों में से केवल ऐसे दस्तावेजों को उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है जो आवेदक संगठन से संबंधित हों।

7. मूल्यांकन पद्धति

7.1 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी), नई दिल्ली में प्राप्त सभी आवेदनों की, स्कीम घटक की अपेक्षाओं के अनुसार पूर्णता

की दृष्टि से जांच की जाएगी। अधूरे आवेदनों (उपरोक्त खंड/पैरा सं. 6 के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के बिना) पर विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन हेतु आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

7.2 मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन से पहले, जहां कहीं समिति ऐसा चाहे, आवेदनों की, संस्कृति मंत्रालय के अधीन किसी संगठन या इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किसी विशेषज्ञ समूह या किसी एजेंसी की सहायता से सत्यापन पूर्व जांच भी की जा सकती है। वैकल्पिक तौर पर इससे पहले प्रस्ताव के मामले विशेष में या स्थायी व्यवस्था के बतौर किसी समकक्ष समूह (पीयर ग्रुप) द्वारा मूल्यांकन कराया जा सकता है। ऐसे पूर्व सत्यापन या पूर्व मूल्यांकन का प्रयोजन आवेदन करने वाले संगठन की प्रतिष्ठा व क्षमताओं तथा परियोजना की सुयोग्यता का आन्तरिक मूल्यांकन करना होगा।

7.3 सभी तरह से पूर्ण आवेदन पर विशेषज्ञ समिति द्वारा बैच–वार विचार किया जाएगा, जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा गठित किया जाएगा और यह समिति, अनुदान हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर वर्ष के दौरान समय–समय पर बैठक करेगी।

7.4 विशेषज्ञ समिति निम्नलिखित के विशेष सन्दर्भ में प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव के गुणावगुण के आधार पर उसका मूल्यांकन करेगी :

क. क्या आवेदक संगठन संबंधित क्षेत्र में सुप्रतिष्ठित है और उसकी एक अपनी पहचान है;

ख. क्या प्रस्ताव की संकल्पना सु–विचारित है;

ग. क्या लागत अनुमान तर्कसंगत है; और

घ. क्या परियोजना पूरी करने के लिए संगठन की अपनी समतुल्यी हिस्सेदारी जुटाने की क्षमता है या इसने इसकी व्यवस्था की है (जहां आवेदक संगठन ने समतुल्यी हिस्सेदारी की सम्पूर्ण राशि पहले ही खर्च कर दी है, उस मामले में इस अपेक्षा को पूरा किया मान लिया जाएगा)।

7.5 विशेषज्ञ समिति में मंच कलाओं व संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों के कलाकार शामिल होंगे और इसमें एक वास्तुविद, एक सिविल इंजीनियर तथा एक प्रकाश/ध्वनि/मंच शिल्प में तकनीकी विशेषज्ञ तथा साथ ही संस्कृति मंत्रालय के संबंधित अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं।

8. अनुदान की संस्वीकृति व उसे जारी करना

8.1 परियोजना प्रस्ताव का अनुमोदन होने पर, मंत्रालय इस निर्णय की सूचना, संबंधित संगठन को देगा जिसमें परियोजना की कुल अनुमोदित लागत, मंजूर की गई सहायता की राशि, संगठन की समतुल्य हिस्सेदारी की राशि तथा सहायता की संस्वीकृत राशि जारी करने संबंधी अन्य नियम एवं शर्तों का उल्लेख होगा।

8.2 संस्वीकृति पत्र में उस भवन/उपस्करों को भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिनके लिए सहायता मंजूर की गई है।

8.3 सहायता की संस्वीकृत राशि निम्नलिखित तरीके से किस्तों में जारी की जाएगी :–

8.3.1 प्रथम किस्त : संस्वीकृत सहायता की 40 प्रतिशत राशि की प्रथम किस्त, बिना किसी आगे के पत्राचार के मंत्रालय द्वारा परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन/संस्वीकृति पर जारी की जाएगी।

8.3.2 दूसरी किस्त : संस्वीकृत अनुदान की 30 प्रतिशत राशि की दूसरी किस्त निम्नलिखित प्रस्तुत किए जाने पर जारी की जाएगी :

क. किसी पंजीकृत वास्तुविद से परियोजना के संबंध में वास्तविक व वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट जिसमें परियोजना स्थल के फोटो सहित पहले से किए गए कार्य/पूरे किए गए कार्य का ब्यौरा हो।

ख. पंजीकृत वास्तुविद से इस आशय का प्रमाण पत्र कि: परियोजना कार्य, अनुमोदित योजना के

अनुसार पूरा किया गया है/चल रहा है; स्थानीय कानूनों या निर्माण/विकास की अनुमोदित योजना का उल्लंघन नहीं किया गया है; किया गया कार्य संतोषजनक स्तर का है; और जिसमें किए गए कार्य की लागत का मूल्यांकन और परियोजना कार्य पूरा करने के लिए आगे और राशि की अपेक्षा भी दशाई गई हो।

ग. सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित परियोजना का संपरीक्षित लेखा विवरण।

घ. जीएफआर–12ए के निर्धारित प्रपत्र में सनदी लेखाकार द्वारा उपयोग प्रमाण–पत्र, जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि सहायता राशि की पहली किस्त पूरी तरह परियोजना पर खर्च की गई है।

ङ. सनदी लेखाकार का एक प्रमाण–पत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि संगठन ने अपनी समतुल्य हिस्सेदारी का 40 प्रतिशत खर्च कर दिया है।

8.3.3 तीसरी/अंतिम किस्त : संस्वीकृत अनुदान के 30 प्रतिशत राशि के बराबर तीसरी और अंतिम किस्त अनुदानग्राही संगठन द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के बाद जारी की जाएगी :

क. किसी पंजीकृत वास्तुविद से परियोजना के संबंध में वास्तविक व वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट जिसमें स्थल के फोटो सहित पहले से किए गए/पूरे किए गए कार्य का ब्यौरा हो।

ख. पंजीकृत वास्तुविद से निम्नलिखित आशय का प्रमाण पत्र :

- परियोजना कार्य, अनुमोदित योजना के अनुसार पूरा किया गया है/चल रहा है;
- स्थानीय कानूनों या निर्माण/विकास की अनुमोदित योजना का उल्लंघन नहीं किया गया है;
- किया गया कार्य संतोषजनक स्तर का है; और यह दर्शाता है कि
- किए गए कार्य की लागत का मूल्यांकन और परियोजना कार्य पूरा करने के लिए आगे और राशि अपेक्षित है।

ग. सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित परियोजना के लेखाओं का संपरीक्षित विवरण।

घ. जीएफआर–12ए के निर्धारित प्रपत्र में सनदी लेखाकार द्वारा उपयोग प्रमाण–पत्र, जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि सहायता राशि की दूसरी किस्त पूरी तरह परियोजना पर खर्च की गई है।

ङ. सनदी लेखाकार का प्रमाण–पत्र, जिसमें प्रमाणित किया गया है कि संगठन ने अपनी बराबर की हिस्सेदारी का 70 प्रतिशत खर्च कर दिया है।

च संस्कृति मंत्रालय ने अपने प्रतिनिधि(यों) के माध्यम से परियोजना का वास्तविक रूप से निरीक्षण करा लिया है। परियोजना की प्रकृति और आकार के आधार पर, मंत्रालय ऐसी फील्ड जांच के लिए, मंत्रालय से अथवा इसके संगठनों से और/अथवा विभिन्न कार्यालयों/शाखाओं से लिए गए अधिकारियों और/या विशेषज्ञों के एक दल को प्रतिनियुक्त कर सकता है, अथवा यह निरीक्षण करने के लिए अन्य पक्ष की सेवाएं ले सकता है।

टिप्पणी : यदि आकलित निधियों की अंतिम मांग, अनुमोदित परियोजना लागत से कम है अथवा संगठन द्वारा बराबर की हिस्सेदारी की खर्च की गई राशि अनुमोदित परियोजना लागत के 40

प्रतिशत से कम है, तो अनुदान की तीसरी और अंतिम किस्त की राशि उसी के अनुरूप कम कर दी जाएगी।

8.4 25.00 लाख रू. तक की राशि के प्रस्तावों को विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर संबंधित संयुक्त सचिव द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और 25.00 लाख रू. से अधिक एवं 50.00 लाख रू. तक की राशि के प्रस्ताव सचिव (संस्कृति) के स्तर पर अनुमोदित किए जाएंगे।

9. अनुदान की शर्तें

9.1 भारत सरकार द्वारा जारी अनुदानों के लिए अलग खाता रखा जाएगा।

9.2 परियोजना के खाते और स्थल, संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा किसी भी समय जांच के लिए तैयार होंगे।

9.3 यदि परियोजना, पहली किस्त के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूरी नहीं की जाती है तो, संगठन को आगे कोई अनुदान जारी नहीं किया जाएगा तथा उक्त दावा काल–बाधित हो जाएगा।

9.4 संगठन के खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अथवा उनके विवेकानुसार उनके नामिती द्वारा किसी भी समय लेखा–परीक्षा के लिए तैयार होने चाहिए।

9.5 अनुदान अथवा उसके बाद किसी किस्त के जारी होने के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः महीने के भीतर अनुदानग्राही, अगले वर्ष में भारत सरकार को अनुमोदित परियोजना पर किए गए व्यय को दर्शाने वाला सनदी लेखाकार द्वारा संपरीक्षित लेखा तथा प्रमाणित विवरण और भारत सरकार के अनुदान की उपयोगिता को दर्शाने वाला उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि उक्त अवधि के भीतर उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अनुदानग्राही को भारत सरकार की मौजूदा ब्याज दर पर ब्याज सहित प्राप्त कुल अनुदान राशि को तुरंत वापिस करना होगा, बशर्ते कि भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट न दी गई हो।

9.6 मामला बंद करने के लिए, आवेदक को वित्तीय वर्ष, जिसमें अंतिम किस्त जारी की गई है, की समाप्ति के 6 महीने के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगेः यदि परियोजना में नया निर्माण शामिल है, यथोचित नागरिक प्राधिकारी को भेजी गई भवन निर्माण पूरा होने की सूचना की प्रति अथवा इसके द्वारा जारी सम्पूर्णता प्रमाण पत्र; और पूर्व–निर्मित स्थल की खरीद वाली परियोजनाओं के मामले में, भवन–निर्माता/विक्रेता को किए गए सभी भुगतानों की रसीदों, स्वामित्व पत्र और पंजीकरण/मालिकाना शपथ–पत्र की प्रतियां।

(क) वास्तुकार से परियोजना पूरी करने संबंधी रिपोर्ट।

(ख) सनदी लेखाकार से प्रमाण पत्र कि संगठन ने अपनी बराबर की हिस्सेदारी की पूर्ण राशि खर्च कर दी है।

9.7 भारत सरकार के अनुदान में से पूर्णरूपेण अथवा मुख्य रूप से अधिगृहीत स्थायी और अर्ध–स्थायी परिसंपत्तियों का एक रजिस्टर निर्धारित फार्म में तैयार किया जाना चाहिए। अनुदानग्राही को इस रजिस्टर की एक प्रति प्रतिवर्ष संस्कृति मंत्रालय को प्रस्तुत करनी चाहिए।

9.8 अनुदानग्राही दो जमानतदारों के साथ निर्धारित प्रपत्र में भारत के राष्ट्रपति के नाम इस आशय का बंध पत्र निष्पादित करेगा कि वह अनुदान की शर्तों का पालन करेगा। उसके द्वारा अनुदान की शर्तों का पालन न किए जाने या बंध–पत्र का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में अनुदान प्राप्तकर्ता और जमानती अलग–अलग या मिलकर भारत के राष्ट्रपति को भारत सरकार की वर्तमान उधार दर पर ब्याज सहित अनुदान की समूची राशि लौटाएगा।

9.9 केन्द्रीय सहायता से अधिगृहीत भवनों व अन्य परिसम्पत्तियों पर प्रथम पुनर्ग्रहणाधिकार भारत के राष्ट्रपति का होगा और भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना भवन या उपस्कर को किसी अन्य पक्ष को पट्टे पर नहीं दिया जाएगा या उसे गिरवी नहीं रखा जाएगा। तथापि, इस प्रकार अधिगृहीत स्टूडियो थिएटर या अन्य सुविधाओं को अस्थायी इस्तेमाल हेतु किसी अन्य पक्ष को पट्टे पर देने का प्रावधान इस शर्त से मुक्त होगा।

9.10 यदि किसी स्तर पर सरकार दिए गए अनुदान या उससे सृजित सुविधाओं के समुचित उपयोग से संतुष्ट नहीं है तो सरकार, भारत सरकार की वर्तमान ऋण दर पर ब्याज सहित अनुदान की समूची राशि लौटाने की मांग कर सकती है।

9.11 अनुदानग्राही संगठन, इस स्कीम के तहत विकसित स्टूडियो/थिएटर/सांस्कृतिक स्थल में समुचित रूप से मंत्रालय का नाम दर्शाते हुए भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय की वित्तीय सहायता का आभार प्रकट करेगा।

9.12 केवल अनुदानग्राही, भवनों के निर्माण या भूमि और भवनों के उपयोग संबंधी स्थानीय क्षेत्र में यथा लागू कानूनों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार होगा।

9.13 ऐसी अन्य शर्तें जो भारत सरकार समय–समय पर लागू करे।

9.14 संगठनों द्वारा उनके इलाके के किसी भी स्कूल में कम से कम 2 कार्यकलाप (कार्यक्रम, व्याख्यान, सेमिनार, कार्यशाला, प्रदर्शनी आदि), अनिवार्य रूप से आयोजित किए जाएं। स्कूल के प्रधानाचार्य से इस आशय का प्रमाण पत्र, दूसरी किस्त जारी करने हेतु अनिवार्य रूप से अपेक्षित होगा।

10 विविध

सामान्यतया पूर्व की स्टूडियो थियेटर सहित भवन सांस्कृतिक संगठनों के भवनों की अनुदान स्कीम के तहत स्वीकृत किए गए मामलों को फिर से नहीं खोला जाएगा और न ही सामान्यतया इस स्कीम घटक के प्रावधानों के तहत संस्वीकृत राशि को बढ़ाया जाएगा, परन्तु भवन अनुदान के ऐसे मामले में वितरण हेतु लंबित किस्तों को अनुदानग्राही संगठन के अनुरोध पर, विभिन्न किस्तें जारी करने के लिए पद्धति व इस स्कीम के तहत परिकल्पित दस्तावेजी अपेक्षाओं का पालन करके जारी किया जाएगा। तथापि, ऐसे मामलों में जब कोई किस्त जारी नहीं की गई हो, तो अनुदानग्राही संगठन पूर्व स्वीकृति को रद्द करने व इस स्कीम घटक के तहत उसकी परियोजना पर नए सिरे से विचार करने का अनुरोध कर सकता है। विगत के मामलों में, जब पूरा संस्वीकृत अनुदान जारी नहीं किया गया हो और परियोजना अधूरी पड़ी हो तथा अनुदानग्राही संगठन अपने मामलों की समीक्षा तथा इस स्कीम घटक के तहत संस्वीकृत अनुदान को बढ़ाने की मांग करे, तो मामला–दर–मामला आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

4.2

टैगोर सांस्कृतिक परिसरों के लिए वित्तीय सहायता

1. पृष्ठभूमि

1.1 आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) में राज्य सरकारों/राज्य प्रायोजित निकायों को बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों (एम पी सी सी) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता अनुदान स्कीम शुरू की गयी थी जिसका उद्देश्य सृजनात्मक कार्यो के सर्वोत्तम स्वरूप को दर्शाने और समाज में कलात्मक और नैतिक रूप से जो अच्छा है, उसके लिए उन्हें संवेनदशील बनाते हुए अपने युवाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। संगीत, नृत्य, नाटक, साहित्य, ललित कला आदि जैसे विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में समन्वय और प्रोत्साहन देने के लिए स्कीम के तहत राज्यों में सांस्कृतिक परिसरों की स्थापना की गयी थी। स्कीम में जैसा प्रावधान किया गया था, राज्य अथवा उस स्थान में मौजूद सुविधाओं, सम्बंधित सांस्कृतिक विभागों की वित्तीय स्थिति, अनुदान के समान निधि उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता और बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक परिसरों के आवर्ती व्यय को ध्यान में रखते हुए एक सलाहकार समिति द्वारा राज्य सरकारों के अनुरोध पर विचार किया गया। इस स्कीम के तहत राज्य सरकार को अधिकतम 1.00 करोड़ रूपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया, बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा समान अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाने वाली परियोजना लागत का 50 प्रतिशत हो।

1.2 विगत निष्पादनों और स्कीम में वर्ष 2004 में निर्धारित किए गए मानदंडों को ध्यान में रखते हुए स्कीम की समीक्षा की गयी थी। संशोधित स्कीम में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों की दो श्रेणियों (I और II) का प्रावधान किया गया। श्रेणी I के लिए परियोजना की लागत 5.00 करोड़ रूपये तथा श्रेणी II के लिए 2.00 करोड़ रुपए थी।

1.3 10वीं योजना के अंत में, योजना आयोग द्वारा स्कीम को बंद करने से पूर्व विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कुल 49 बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों को सहायता दी गयी थी। परिणामस्वरूप, 11वीं योजना के मध्य अवधि मूल्यांकन के दौरान योजना आयोग स्कीम को समुचित सुधारों के साथ पुनः संचालित करने पर सहमत हुआ।

1.4 गुरूदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयन्ती समारोह मनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय समिति और वित्त मंत्री की अध्क्षता वाली राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति ने सम्बंधित विकास के मामले में अनुभव किया है कि 1961 में गुरू रबीन्द्रनाथ टैगोर के शताब्दी समारोह के अवसर पर शुरू किये गये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में केन्द्रीय सहायता से पूरे देश में सृजित बड़ी संख्या में रबीन्द्र 'भवनों,' 'सदनों,' 'रंगशालाओं,' 'मंचों,' और अन्य सांस्कृतिक केन्द्रों के नवीकरण, उन्नयन और विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। ये केन्द्र 30 वर्षों से अधिक समय से संचालन में रहे हैं और समाज की अच्छी तरह सेवा की है।

1.5 टैगोर की 150वीं जयंती समारोह के भाग के रूप में यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान रबीन्द्र भवनों का पुनर्निर्माण/नवीनीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/विस्तार किया जाए और संशोधित एम पी सी सी स्कीम की रूपरेखा के अनुसार जिन राज्य की राजधानियों और अन्य शहरों में ऐसे परिसर नहीं हैं वहां भी नये सांस्कृतिक परिसरों का निर्माण किया जाए। इसलिए पहले की एम पी सी सी स्कीम को दिनांक 07.05.2011 से टैगोर सांस्कृतिक परिसर (टीसीसी) के नाम से नवीकृत और पुनरारंभ करने का निर्णय लिया गया ताकि अलग–अलग पैमाने पर नये सांस्कृतिक परिसरों की स्थापना और वर्तमान रबीन्द्र सभागारों के उन्नयन, आधुनिकरण किया जा सके और इन्हें आधुनिकतम सांस्कृतिक परिसरों के रूप में बदला जा सके। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद स्कीम की समीक्षा के तदुपरान्त इसे ''सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजनार्थ वित्तीय सहायता स्कीम'' के अंतर्गत ''टैगोर सांस्कृतिक परिसर (टीसीसी) के लिए वित्तीय सहायता'' की स्कीम घटक के रूप में जारी रखा गया है।

1.6 संस्कृति मंत्रालय यह भी महसूस करता है कि देश में कला संबंधी अवसंरचना में गंभीर अभाव की स्थिति है। इस अभाव को इस स्कीम घटक के माध्यम से निधियां उपलब्ध करवाकर कम किया जाना चाहिए क्योंकि यह स्कीम विशिष्ट रूप से मंच कलाओं और सामान्य रूप से कला एवं संस्कृति के प्रचार और संवर्धन से सीधे जुड़ी हुई है। इस प्रयोजन हेतु, भारत सरकार, उक्त टैगोर सांस्कृतिक परिसर (टीसीसी) के लिए वित्तीय सहायता'' के स्कीम घटक को जारी रखने पर विचार कर रही है जो साधारणतया कला के संवर्धन हेतु लगभग सभी प्रयोजनों के लिए एक बड़े पैमाने पर मंच प्रदान करवाने से संबंधित है। इस स्कीम घटक का उद्देश्य विद्यमान स्थानों के स्तरोन्नयन के साथ–साथ हर प्रकार के नए स्थानों का सृजन करना है। इससे पूरे देश में कलाओं के संवर्धन को प्रोत्साहन मिलेगा। चूंकि इसमें से बहुत सा कार्य लोक क्षेत्र से बाहर किया जा रहा है, अतः गैर–लाभार्थी संगठनों और ऐसे ही निकायों को स्कीम के तहत पात्र आवेदकों में शामिल किया गया है। यह भी महसूस किया गया है कि पूर्व एमपीसीसी स्कीम के अधीन देश में कई परियोजनाओं को भी विद्यमान एमपीसीसी, रबीन्द्र 'भवनों' 'सदनों' 'रंगशालाओं' के स्तरोन्नयन के साथ–साथ विद्यमान भौतिक सुविधाओं के पुनरुद्धार, नवीकरण, विस्तार, परिवर्तन, स्तरोन्नयन, आधुनिकीकरण आदि के लिए अवसंरचना हेतु कुछ निधियों की आवश्यकता है।

1.7 इन आवश्यकताओं को टैगोर सांस्कातिक परिसर (टीसीसी) हेतु वित्तीय सहायता संबंधी वृहद, व्यापक आधार वाली स्कीम घटक में तदनुसार शामिल कर लिया गया था। अनुदान प्राप्तकर्ता राज्य सरकारों/संघ प्रदेश प्रशासनों/गैर लाभार्थी संगठनों के लिए आवश्यक हिस्सेदारी/समतुल्य। हिस्सेदारी का भी प्रावधान किया गया है ताकि उनकी संपूर्ण सहभागिता और समर्पण तथा परियोजना का बौद्धिक स्वामित्व सुनिश्चित किया जा सके।

2. उद्देश्य

2.1 ''टैगोर सांस्कृतिक परिसर के लिए वित्तीय सहायता संबंधी स्कीम घटक'' संगीत, नाटक, नृत्य, साहित्य, ललित कला आदि जैसे विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में कार्यकलापों को प्रोत्साहन और समन्वय प्रदान करना जारी रखेगा और उनके माध्यम से देश की सांस्कृतिक एकता को संवर्धित करेगा तथा युवा पीढ़ी को सृजनात्मक अभिव्यक्ति और ज्ञान के अवसर प्रदान करेगा।

2.2 ये सांस्कृतिक परिसर मंच अभिनय (नृत्य, नाटक और संगीत), प्रदर्शनियों, सेमिनारों, साहित्यिक कार्यकलापों, फिल्म प्रदर्शन आदि के लिए कला और संस्कृति के सभी स्वरूपों की बेहतरी के लिए उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे। इसलिए ये मूल टैगोर सभागार स्कीम से परे कार्य करने के लिए अभिप्रेत हैं और सृजनात्मकता तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में बहुआयामी रूचियों को प्रोत्साहन देंगे।

3. पात्र संगठन

स्कीम घटक के तहत निम्नलिखित को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी :

3.1 राज्य सरकार/ संघ राज्य प्रशासन ;

3.2 राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा स्थापित अथवा प्रायोजित निकाय;

3.3 केन्द्र सरकार के अधीन संगठनों द्वारा स्थापित अथवा प्रायोजित निकाय, विश्वविद्यालयों, नगर निगमों और अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त एजेंसियां; और

3.4 परियोजना की स्थापना और संचालन करने में सक्षम ऐसे गैर लाभकारी प्रतिष्ठित संगठन जो उपलब्ध कराई गयी परियोजना की लागत का 40 प्रतिशत या 10 प्रतिशत अपने समभाग (नीचे के पैरा 5 का संदर्भ लें) के रूप में जैसा भी मामला हो, जुटा सकें, और आवर्ती लागत को पूरा कर सकें। ये संगठन केन्द्र सरकार अथवा सम्बंधित राज्य सरकार/संघ शासित सरकार की उपयुक्त एजेंसी द्वारा निरीक्षित तथा अनुशंसित रहे हों और निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करते हों :

3.5 ऐसा संगठन जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का xxi) अथवा समान अधिनियमों के तहत या न्यास अथवा गैर–लाभार्थी कम्पनी के रूप में कम से कम तीन वर्षों की अवधि से एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है।

3.6 जिसका घोषणापत्र मूलरूप से भारतीय कला और संस्कृति के परिरक्षण, प्रसार और संवर्धन के लिए समर्पित है।

3.7 संगठन की प्रमुख रूप से सांस्कृतिक रूपरेखा हो तथा कम से कम तीन वर्षों से नृत्य, नाटक, रंगमंच, संगीत, ललित कला, भारतविद्या और साहित्य जैसे क्षेत्रों में कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए मूल रूप से कार्य कर रहा हो। संगठन पूर्णतया स्थापित हो और अपने कार्यकलापों के क्षेत्र में अर्थपूर्ण कार्य करने के लिए जाना जाता हो तथा स्थानीय, क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और प्रतिष्ठा/स्थायित्व रखता हो।

4. पात्र परियोजनाएं

इस स्कीम घटक के अंतर्गत वित्तीय सहायता निम्नलिखित प्रकृति की परियोजनाओं हेतु दी जायेगी :

4.1 नये टैगोर सांस्कृतिक परिसर (टीसीसी) : प्रत्येक परियोजना में जिला/नगर परिसरों जिनमें लघु प्रेक्षागृह अथवा ओपन एयर एम्फीथियेटर अथवा इंप्रोवाइज्ड मंच के अलावा सभागार शामिल हों। टीसीसी एक बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर होगा, किंतु किसी विशेष परियोजना में सुविधाएं उपलब्ध कराना स्थानीय आवश्यकताओं तथा सांस्कृतिक लोकाचार पर निर्भर करेगा। आदर्शतः, इस स्कीम घटक के उद्देश्योंक के लिए टी सी सी का लक्ष्य निम्नलिखित आधुनिक सुविधाएं और आधारभूत संरचना प्राप्त करना है :

4.2 लाइव संगीत, नृत्य अथवा रंगमच या इन कलाओं के सम्मिश्रण के प्रदर्शन के लिए एक सभागार (अथवा विभिन्न क्षमताओं के सभागारों का एक समूह) जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार बैठने की उपयुक्त क्षमता हो, जिसका प्रयोग व्याख्यानों, फिल्म प्रदर्शनों आदि के लिए केन्द्र के रूप में भी किया जा सके।

4.3 सेमिनारों, सम्मेलनों कार्यशालाओं आदि के लिए विभिन्न क्षमताओं वाले कक्ष।

4.4 कलाकारों के लिए नेपथ्यशाला(एं) श्रृंगार कक्ष/रूप सज्जा कक्ष और एक भण्डारण क्षेत्र।

4.5 रंगमंच/संगीत/नृत्य के लिए पूर्वाभ्यास हाल।

4.6 रंगमंच/संगीत/नृत्य के लिए प्रशिक्षण केन्द्र/विद्यालय।

4.7 आगन्तुक कलाकारों के लिए शयनागार।

4.8 कला और छायाचित्रण के लिए प्रदर्शनी क्षेत्र।

4.9 पुस्तकालय/अध्ययन कक्ष।

4.10 कार्यालय, कैफेटेरिया/भोजन–प्रबंध, शौचालय, स्वागत कक्ष/प्रतीक्षालय, पार्किंग आदि के लिए सामान्य सुविधाएं।

4.11 मौजूदा सभागारों/सांस्कृतिक परिसरों का उन्नयन। स्कीम घटक में निम्नलिखित मौजूद के उन्नयन की परियोजनाएं शामिल हैं :

4.12 रवीन्द्र 'भवन' 'सदन' 'रंगशालाएं',

4.13 बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक परिसर तथा

4.14 अन्य प्रेक्षागृहों/सांस्कृतिक परिसरों के उन्नयन की परियोजना इस स्कीम में शामिल होगी और निम्नलिखित संघटकों के कोई अन्य अथवा उपयुक्त संयोजन शामिल हो सकते हैं:

(क) मौजूदा वास्तविक सुविधाओं का पुनरुद्धार, नवीकरण, विस्तार, परिवर्तन, उन्नयन और आधुनिकीकरण;

(ख) अन्तरस्थलीय पुनर्निर्माण/पुनर्प्रारूपण; और/अथवा

(ग) विद्युतीय, वातानुकूलन, ध्वनि, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणाली और अन्य मदों के उपकरण जैसे दृश्य/ श्रव्य उपकरण, फर्नीचर (उपस्कार) तथा मंच सामग्री जैसी सुविधाओं का प्रावधान/उन्नयन।

4.15 **स्वीकृत/जारी एमपीसीसी परियोजनाओं का समापन** : पहले की एम पी सी सी स्कीम के तहत स्वीकृत परियोजनाएं पुनः नहीं खोली जायेंगी, न ही इस स्कीम घटक के प्रावधानों के तहत स्वीकृत राशि को बढ़ाया जायेगा। तथापि, विशेषज्ञ समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के मामले में, स्कीम स्थगित होने से पूर्व अथवा जारी परियोजनाएं जिनमें भुगतान के लिए कुछ किस्तें शेष हैं, उनको उपर्युक्त एमपीसीसी स्कीम घटक के प्रावधानों और सीमा के अनुसार इस स्कीम घटक के तहत केन्द्रीय सहायता का भुगतान जारी रहेगा।

5. वित्तीय सहायता की प्रकृति और मात्रा

5.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) को छोड़कर राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र या संबंधित संगठन को केन्द्रीय वित्तीय सहायता की राशि अनुमोदित परियोजना लागत के अधिकतम 60 प्रतिशत तक सीमित होगी, जो नीचे के पैरा 5.4 में दी गई अधिकतम वित्तीय सीमाओं के अध्यधीन होगी। परियोजना की अनुमोदित परियोजना लागत की शेष राशि अर्थात 40 प्रतिशत की राशि 'समतुल्य हिस्सेदारी' के रूप में आवेदक संगठन द्वारा स्वयं व्यवस्थित करके वहन की जाएगी।

5.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) की परियोजनाओं के संबंध में जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के राज्यय शामिल हैं, केन्द्रीय वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि अनुमोदित अनुमानित परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक सीमित होगी, जो नीचे के पैरा 5.4 में दी गई अधिकतम वित्तीबय सीमा के अध्यधीन होगी। परियोजना की अनुमोदित परियोजना लागत की शेष राशि अर्थात 10 प्रतिशत की राशि 'समतुल्य हिस्सेदारी' के रूप में आवेदक संगठन द्वारा स्वयं व्यवस्थित करके वहन की जाएगी।

5.3 समतुल्य हिस्सेदारी में भूमि की लागत शामिल नहीं होगी। सम्पर्क मार्ग के साथ विकसित भूमि सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराई जायेगी अन्यथा संगठन के पास अपने स्वामित्व की भूमि हो।

5.4 किसी भी परियोजना के लिए स्कीम घटक के तहत वित्तीय सहायता सामान्य रूप से अधिकतम 15 करोड़ रूपये तक होगी। विशेष योग्यता और प्रासंगिकता के अति विशिष्ट मामले में, वित्तीय सहायता 50 करोड़ रू. तक बढ़ाई जा सकती है किन्तु तब 15 करोड़ रू. से अधिक वित्तीय सहायता का ऐसा प्रत्येक व्यक्तिगत मामला नई योजना स्कीमों के लिए निर्धारित सामान्य मूल्यांकन/अनुमोदन तंत्र के अधीन होगा।

5.5 सभी आवर्ती व्यय राज्य सरकार अथवा संबंधित संगठन द्वारा वहन किये जायेंगे।

5.6 परियोजना लागत का 0.5 प्रतिशत संबंधित क्षेत्रीय उप समिति और राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति (एनएसी) के अनुमोदन के पश्चात ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी के लिए जारी किया जा सकता है।

6 आवेदन की प्रक्रिया

6.1 विहित आवेदन प्रपत्र/अन्य संबंधित पत्र/प्रपत्र संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.indiaculture.nic.in पर उपलब्ध है।

6.2 'स्कीम घटक' के पैरा 8 में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेज सहित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 'अवर सचिव, पी आर्ट्स अनुभाग–II कमरा संख्या 207, द्वितीय तल, पुरातत्व भवन, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली–110023 को प्रस्तुत किया जा सकता है (किसी भी मामले में अपूर्ण आवेदन पत्र/प्रस्तावों तथा बिना अपेक्षित अनुलग्नकों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे तुरन्त अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा संबंधित संगठन को मूल रूप में लौटा दिया जाएगा)।

6.3 नीचे पैरा 8 में उल्लिखित सभी दस्तावेज एवं अन्य प्रासंगिक दस्तावेज, आवेदन के साथ अवश्य संलग्न होने चाहिए।

6.4 इन संगत दस्तावेजों में से किसी एक के भी न होने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और इसे तुरन्त अस्वीकार

कर दिया जाएगा तथा संबंधित संगठन को मूल रूप में लौटा दिया जाएगा।

7. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगे होने चाहिए :

7.1 प्रस्तावित परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट के साथ परियोजना प्रस्ताव जिसमें निम्नलिखित शामिल है :

7.2 भवन/विकास योजनाएं (वर्तमान/प्रस्तावित); (ख) लागत अनुमानों का सार (भवन, उपकरण, सुविधाएं आदि) ;

7.3 समतुल्य हिस्सेदारी हेतु वित्त/निधि के स्रोत;

7.4 परियोजना की पूर्णता के लिए समयावधि;

7.5 परियोजना के माध्यम से सृजित सुविधा के संचालन और रख–रखाव का प्रबंधन संगठन कैसे करेगा यह प्रदर्शित करने के लिए पूर्णता पश्चात योजना ; और

7.6 अपने प्रस्ताव के एक समन्वित भाग के रूप में कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और अतिरिक्त पाठयक्रम संगठन द्वारा शामिल किया जाना चाहिए।

8. सहायक दस्तावेज

क. सरकारी विभागों/निकायों/एजेंसियों द्वारा आवेदन के लिए :

8.1 विद्यमान प्रेक्षागृह अथवा बहुउद्देशीय सांस्कृतिक केन्द्र के उन्नयन के लिए यदि प्रस्ताव है तो पहले से उपलब्ध सुविधाओं तथा आधारभूत संरचना के ब्यौरे और नई परियोजना के मामले में भूमि आवंटन के समर्थन में साक्ष्य और अभिन्यास योजना; तथा

8.2 समतुल्य हिस्सेदारी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता पत्र।

8.3 आवेदन करते समय राज्य सरकार/विभागों/निकायों द्वारा ''कार्यान्वयन एजेंसी'' (यह एजेंसी राज्य सरकार के अंतर्गत राज्य सरकार विभाग/कार्यालय/संगठन हो सकती है, जिसमें पीएफएमएस के तहत पंजीकरण के लिए सभी अपेक्षित ब्यौरे शामिल होंगे) को यह सूचित किया जाएगा कि उनकी पूरी परियोजना का कार्य किसके द्वारा पूरा किया जाएगा।

8.4 ''एजेंसी'' के बैंक खाते का ईसीएस विवरण दर्शाने वाला बैंक प्राधिकार पत्र (विहित प्रपत्र में) जिसमें अनुदान का अंतरण किया जाएगा।

ख. प्रतिष्ठित गैर–लाभकारी संगठनों द्वारा आवेदन के लिए :

8.5 सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, **पंजीकृत न्यास विलेख** अथवा अन्य संबद्ध अधिनियमों के तहत पंजीकरण के प्रमाण–पत्र की प्रति।

8.6 नियम–विनियम, यदि कोई हो, सहित संगठन के संगम ज्ञापन (या न्यास विलेख) की प्रति।

8.7 प्रत्येक सदस्य के नाम और पते के साथ प्रबंधन बोर्ड के वर्तमान सदस्यों/ पदधारियों/न्यासियों की सूची।

8.8 पिछले तीन वित्तीय वर्षों के (सनदी लेखाकार/सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित/संपरीक्षित) वार्षिक लेखाओं की प्रति ;

8.9 संगठन की रूपरेखा जिसमें कार्यालय का विवरण, इसके सामर्थ्य, उपलब्धियों और पिछले तीन वर्षों से अधिक के कार्य–कलापों का वर्ष–वार ब्यौरा;

8.10 आयकर अधिनियम की धारा XII ए, 80जी के तहत पैन कार्ड और पंजीकरण, यदि कोई हो ;

8.11 आवेदक संगठन के नाम भूमि/भवन का स्वामित्व दर्शाने वाला स्वामित्व विलेख (रजिस्ट्रीकृत अभिहस्तांतरण विलेख, उपहार विलेख, पट्टा विलेख आदि) की प्रति जिसमें यह पुष्टि की गयी हो कि सम्पत्ति का उपयोग वाणिज्यिक/सांस्थानक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। यदि प्रस्ताव किसी मौजूदा सभागार या बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक केन्द्र के उन्नयन के लिए है, सुविधाओं की रूपरेखा योजना एवं विवरण तथा अवसंरचना यथापूर्व उपलब्ध प्रदान की जाए।

8.12 इस दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य जो संगठन ने अपना समतुल्य भाग जुटा लिया/प्रबंध कर लिया है अर्थात बैंक विवरण, परियोजना पर पहले हुए व्यय का प्रमाण पत्र (सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित वर्ष–वार विवरण सहित), ऋण स्वीकृति पत्र, अथवा परियोजना के लिए स्वीकृत की जाने वाली निधि सम्बंधी राज्य सरकार/संघ शासित सरकार, स्थानीय निकाय आदि का पत्र ;

8.13 संगठन की ओर से अनुदान के लिए आवेदन, बंध–पत्र आदि पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने वाले संगठन के प्रबंधन बोर्ड/ कार्यकारी बोर्ड/प्रशासकीय निकाय का संकल्प पत्र (निर्धारित प्रारूप में) ;

8.14 मांगी गयी सहायता की राशि के लिए बंध पत्र (निर्धारित मूल्ये के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में); और

8.15 संगठन के बैंक खाते का ईसीएस ब्यौरा दर्शाने वाला बैंक का प्राधिकरण पत्र (निर्धारित प्रारूप में)।

9. मूल्यांकन प्रक्रिया

9.1 संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों की दस्तावेजी आवश्यकतानुसार इसकी पूर्णता के लिए छानबीन की जायेगी। अपूर्ण आवेदन की कमियों (जैसे–उपर्युक्त पैरा 8 के तहत बताये गये अपेक्षित दस्तावेज के बिना) को जब तक आवेदक संगठनों के परामर्श से दूर नहीं किया जाता, तब तक आगे की कार्रवाई नहीं की जायेगी।

9.2 दस्तावेजों की छानबीन के पश्चाजत सभी पूर्ण आवेदन पत्रों को परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के मूल्यांकन/अनुशंसा के लिए संबंधित क्षेत्रीय उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यदि उप समिति द्वारा सकारात्मक सिफारिशों के साथ डीपीआर को अनुमोदित किया जाता है, तो उसके बाद आवेदन/प्रस्ताव को अंतिम सिफारिशों के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति (एनएसी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

9.3 सभी तरह से पूर्ण आवेदनों/परियोजना प्रस्तावों का संस्कृति मंत्रालय (निम्न पैरा 9.5 के तहत) द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा निम्नलिखित के लिए जांच की जायेगी :

क) योग्यता निर्धारण ;

ख) प्रस्ताव की योग्यता का मूल्यांकन; और

ग) परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि की सिफारिश करना।

9.4 राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति समय–समय पर बैठक करेगी और निम्नलिखित विशिष्ट संदर्भो सहित अपनी कसौटी पर परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगी :

क) क्या आवेदक संगठन क्षेत्र में पूर्णतया स्थापित है और इसकी अपनी एक निजी पहचान है ;

ख) क्या प्रस्ताव पूर्णतया सुविचारित है ;

ग) क्या लागत अनुमान समुचित है ; और

घ) क्या संगठन के पास परियोजना को पूरा करने और पूर्णता के पश्चात, आवर्ती संचालन लागत को वहन करने के लिए अपने सम भाग की क्षमता है या प्रबंध कर चुका है। स्कीम घटक के तहत नई परियोजना की स्वीकृति देते समय राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति भी विद्यमान परिसरों के सदुपयोग और उत्पादन का मूल्यांकन, नये परिसर के लिए वास्तविक जरूरतें तथा राज्य की जनसंख्या और आकार पर विचार करेगी।

9.5 संस्कृति मंत्रालय सचिव (संस्कृति) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति (एनएसी) गठित करेगा और इनमें संस्कृति मंत्रालय के अधिकारी, शहरी विकास (के.लो.नि. वि./हडको/रा.भ.नि.नि, स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर) के प्रतिनिधि, कला और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि कलाकार तथा बिजली/ध्वनि/मंच शिल्प के कम से कम एक तकनीकी विशेषज्ञ, जैसा उचित हो, को शामिल किया जायेगा।

9.6 केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने वाले परियोजना प्रस्तावों की जांच एनएसी द्वारा की जाएगी तथा आंतरिक वित्त से परामर्श करके निधियां जारी की जाएंगी। परियोजना प्रस्तावों की जांच में, एनएसी का सहयोग उसकी उप–समिति द्वारा किया जाएगा। केन्द्रीय सहायता पाने वाले परियोजना प्रस्तावों की जांच राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्रथमतया सैद्धांतिक अनुमोदन और डीपीआर जमा करने पर तथा उसके आखिरी अनुमोदन हेतु डीपीआर प्रस्तुत करते समय किया जाएगा। समिति द्वारा अनुशंसित राशि आन्तरिक वित्त के परामर्श से मंत्रालय द्वारा जारी कर दी जायेगी।

9.7 15 करोड़ रूपये से अधिक की केन्द्रीय सहायता पाने वाली परियोजना का संस्कृति मंत्रालय की पूर्व अनुमति से, इसके सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा जांच की जायेगी। डीपीआर जमा कराने पर इसका मूल्यांकन व्यावहारिक एस एफ सी/ ई एफ सी तंत्र के जरिये किया जायेगा और सक्षम प्राधिकारी अर्थात संस्कृति मंत्री के अनुमोदन पर आंतरिक वित्त के परामर्श से निधि जारी कर दी जायेगी। (ऐसी परियोजना के लिए विशेष अतिरिक्त निधि मंत्रालय को उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी)।

9.8 राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा परियोजना प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन के पश्चात योजना आयोग के प्रारूप/दिशानिर्देशों के अनुसार जहां भी तैयार करना अपेक्षित होगा, राष्ट्रीय नाट्रय विद्यालय आवेदक संगठन को निर्णय की सूचना देगा। इस उद्देश्य के लिए अस्थाई तौर से अनुमोदित परियोजना लागत का 0.5% तक राशि संगठन के अनुरोध पर जारी की जा सकती है। डीपीआर जमा करने के अलावा आवेदक संगठन से प्रस्तुतीकरण भी मांगा जा सकता है।

9.9 तदनुसार सैद्धांतिक अनुमोदन अथवा अंतिम अनुमोदन से पूर्व राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति संस्कृति मंत्रालय या उसके संगठनो के अधिकारियों सहित विशेषज्ञों की उप–समिति तदर्थ समिति और अधिकारियों द्वारा अथवा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त एक बाह्य स्रोत एजेंसी द्वारा मूल्यांकन/कार्यस्थल निरीक्षण/सत्यापन आदि कराने के लिए स्वतंत्र होगी।

10. वित्तीय सहायता की स्वीकृति

10.1 डीपीआर के अनुमोदन पर **संस्कृति मंत्रालय,** परियोजना की अनुमोदित कुल लागत, स्वीकृत केन्द्रीय सहायता की राशि, संगठन की समतुल्य हिस्सेदारी की राशि और सहायता की स्वीकृति राशि को जारी करने के लिए अन्य नियम व शर्तें दर्शाते हुए संगठन को निर्णय की सूचना देगा।

11. वित्तीय सहायता जारी करना

11.1 वित्तीय सहायता, केन्द्रीय सहायता की स्वीकृत राशि के 50% की दो बराबर किस्तों में जारी की जायेगी।

11.2 स्वीकृत राशि की पहली किस्त डीपीआर तैयार करने के लिए जारी राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के पश्चात संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव और डीपीआर के अनुमोदन के बाद जारी की जायेगी। किस्त जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भवन योजना संबंधित नागरिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है।

11.3 स्वीकृत राशि की दूसरी किस्त निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा कराने के पश्चात जारी की जायेगीः

11.4 स्थान के फोटोग्राफ आदि के साथ पहले किये गये/पूर्ण किये गये कार्य का ब्यौरा देते हुए परियोजना की वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट।

11.5 सनदी लेखाकार से जारी उपयोग प्रमाण–पत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि सहायता की पहली किस्त परियोजना के लिए पूर्णतया इस्तेमाल कर ली गई है।

11.6 आवेदक संगठन के इस वचनबंध के साथ कि यह परियोजना प्रथम किस्त जारी होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के भीतर पूरी हो जाएगी।

11.7 सनदी लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित परियोजना के लेखे का संपरीक्षा विवरण जिसमें यह दर्शाया गया हो कि पहली किस्त और आनुपातिक सम भाग भी परियोजना के लिए इस्तेमाल किया गया है।

11.8 राज्य लो.नि.वि./के.लो.नि.वि. अथवा पंजीकृत वास्तुकार द्वारा जारी प्रमाण–पत्र जिसमें दर्शाया गया हो कि :

(क) परियोजना अनुमोदित योजना के अनुसार प्रगति पर है;

(ख) स्थानीय कानूनों और निर्माण/विकास की अनुमोदित योजना का उल्लंघन नहीं किया गया है;

(ग) किया गया कार्य सन्तोषजनक गुणवत्ता का है; और

(घ) किये गये कार्य की लागत का मूल्यांकन और परियोजना को पूरा करने के लिए अपेक्षित अगली राशि।

नोट : यदि निधि की अंतिम अपेक्षित राशि मिलने के पश्चात अनुमोदित परियोजना लागत से कम पड़ती है अथवा संगठन द्वारा खर्च किया गया सम भाग अनुमोदित परियोजना लागत के 40 % से कम है तो अनुदान की दूसरी किस्त की राशि तदनुसार कम कर दी जायेगी।

11.9 दूसरी किस्त जारी करने से पूर्व मंत्रालय अपने प्रतिनिधि(ओं) अथवा विशेषज्ञ दल से परियोजना का निरीक्षण करायेगा।

12. समापन

मामले की समाप्ति के लिए अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन को अंतिम किस्त जारी होने के 12 माह के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराने होंगे:

12.1 राज्य लो.नि.वि./के.लो.नि.वि. अथवा पंजीकृत वास्तुकार द्वारा जारी परियोजना पूर्णता रिपोर्ट।

12.2 सनदी लेखाकार/सरकारी लेखा–परीक्षक द्वारा प्रमाणित अन्तिम लेखा विवरण।

12.3 दूसरी किस्त की राशि का सनदी लेखाकार द्वारा जारी उपयोग प्रमाण–पत्र।

12.4 संगठन ने अपने समभाग की सदृश राशि खर्च कर दी है इस आशय का सनदी लेखाकार द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

12.5 उपयुक्त नागरिक प्राधिकरण द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण–पत्र अथवा संगठन द्वारा जारी परियोजना की पूर्णता की नागरिक प्राधिकरण को सूचना देने वाले पत्र की प्रति (नये निर्माण के मामले में)।

13. अनुदान की शर्तें

13.1 सांस्कृतिक परिसरों का संचालन और रख–रखाव सम्बंधित राज्य सरकार विभाग, निकाय, एजेंसी, स्वायत्तशासी संगठन अथवा गैर–लाभकारी संगठन द्वारा किया जायेगा। परियोजना के लिए उपलब्ध कराई गयी भूमि पंजीकृत सोसाइटी अथवा राज्य सरकार के संबंधित विभाग के नाम हस्तांरित होगी। केन्द्र सरकार सोसाइटी/संगठन के विभिन्न निकायों (सामान्य परिषद, वित्तीय समिति, कार्यकारी बोर्ड आदि) से परिसर संचालन के लिए अपने प्रतिनिधि नामांकित कर सकती है।

13.2 केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदान के सम्बंध में सोसाइटी/ संगठन द्वारा पृथक खाते रखने होंगे।

13.3 संस्थान के खातों को भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अथवा उसके विवेक पर उसके नामित व्यक्ति द्वारा किसी भी समय लेखा–परीक्षा हेतु खुला रखना होगा।

13.4 राज्य सरकार अथवा संगठन को अनुमोदित परियोजना पर आये व्यय का समायोजन करते हुए और केन्द्र तथा राज्य

सरकार द्वारा जारी अनुदानों के उपयोग दर्शाते हुए सनदी लेखाकार/सरकारी लेखा–परीक्षक द्वारा अपने संपरीक्षित लेखा विवरण भारत सरकार को सौंपने होंगे।

13.5 परियोजना की कार्य पद्धति को संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निश्चित किये गये किसी भी तरीके से जैसे और जब भी आवश्यक समझा जायेगा, समीक्षा हेतु खुला रखना होगा।

13.6 संस्थान/संगठन/राज्य सरकार अपने कार्यों में समुचित मितव्ययिता बरतेगी।

13.7 केन्द्रीय सहायता से अधिगृहीत भवन और परिसंपत्तियों पर पहला ग्रहणाधिकार भारत के राष्ट्रपति का होगा और भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना न भवन, न ही उपस्कर दूसरी पार्टियों को पट्टे या बंधक पर दिया जाएगा। तथापि, अन्य पार्टियों को अस्थायी इस्तेमाल के लिए सभागार के पट्टे और अन्य परियोजना सुविधाओं पर यह नियम लागू नहीं होगा।

13.8 आवेदक संगठन प्रथम किश्त जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना पूरी करने के लिए बाध्य होगा, जिसके न होने पर परियोजना समय बाधित हो जाएगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त अनुदान जारी नहीं किया जाएगा तथा संबंधित परियोजना प्राधिकरण/संस्था /संगठन/राज्य सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा दी गई सम्पूर्ण राशि भारत सरकार की प्रचलित उधार दर से उस पर शास्तिक ब्याज दर सहित वापस भी करेगी। परन्तु, दूर दराज के क्षेत्रों/पहाड़ी क्षेत्रों (ऐसे क्षेत्र/स्थान जहां खराब भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कार्य की गति धीमी हो सकती है) दुर्भाग्यपूर्ण कारकों की वजह से विलंब या प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत क्षेत्रों से संबंधित परियोजना के मामले में विलंबकारी स्थिति एवं कारकों के आधार पर इस अवधि को तब 1 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। परन्तु किसी भी तरह से 3+1 वर्ष की अवधि से अधिक अतिरिक्त समय विस्तार नहीं किया जा सकता है।

13.9 अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परिसरों का इस्तेमाल पूरे वर्ष इष्टतम रूप से किया जाता रहे।

13.10 अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन आरंभ में ही यह शपथ पत्र/विस्तृत औचित्य प्रदान करेंगे कि परियोजना/परिसर का कार्य पूरा होने पर अर्थात् परिसर में कार्य प्रचालन शुरू होने के समय से वे परिसर के दैनिक कार्यकलापों/ परिसर चलाने के लिए आवश्यक निधियां प्रदान करेंगे और कार्य पूरा होने के बाद परियोजना परिसर के बिजली/पानी घर के रख–रखाव संबंधी बिल, किसी टूट–फूट, मरम्मत आदि जैसे आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए किस प्रकार आत्मनिर्भर होगी तथा यदि ऐसे खर्चों की पूर्ति के लिए उस अवसंरचना के माध्यम से आय सृजित करने वाले कारकों के कोई अन्य स्रोत हैं, तो इसका शपथपत्र/औचित्य में वर्णन किया जाना चाहिए।

13.11 केन्द्र सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी अनुमोदित परियोजना लागत के भाग की सीमा तक आधारभूत संरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने तक सीमित होगी और परिसर के संचालन या लागत वृद्धि होने के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने आदि के लिए नहीं होगी।

13.12 अनुदान प्राप्तकर्ता को भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में अनुदान की शर्तों का पालन करने के लिए एक बंध–पत्र (बॉंड) निर्धारित प्रारूप में भरना होगा। अनुदान शर्तों का पालन न करने की स्थिति में बन्ध–पत्र का उल्लंघन करने पर भारत सरकार की प्रचलित उधार दर और इस पर ब्याज सहित अनुदान की वसूली का भारत सरकार निर्णय ले सकती है तथा विलम्ब के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज की दण्डात्मक दर से वसूली कर सकती है।

13.13 स्कीम के तहत सभी लाभार्थी संगठनों को अनुदान की स्वीकृति के छः माह के भीतर अपनी प्रगति रिपोर्ट भेजना अपेक्षित है तथा उसके पश्चात योजना के पूरा होने तक हर तीन महीने पर अर्थात त्रैमासिक आधार पर रिपोर्ट भेजनी होगी।

13.14 अनुदानग्राही संगठन परिसर में महत्वपूर्ण स्थान पर मंत्रालय के नाम को उपयुक्त ढंग से दर्शाते हुए संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की वित्तीय सहायता को ज्ञापित करेगा।

13.15 अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन इस आशय का प्रारंभ में ही वचनबंध देंगे कि वे परिसर/सुविधा में अग्नि सुरक्षा को यथोचित महत्व देंगे और जहां कहीं अपेक्षित/आवश्यक हो, वहां परिसर के अंदर/ परिसर में अपेक्षित सुरक्षा उपकरण संस्थापित किए जाएंगे।

13.16 सहायतानुदान/केन्द्रीय वित्तीय सहायता केवल उन्हीं परियोजनओं को उपलब्ध कराई जाएगी, जिन्हें ''रवीन्द्र नाथ टैगोर'' अर्थात् ''नए टैगोर सांस्कृतिक परिसर का निर्माण कार्य'' के नाम से मान्यता प्राप्त हो। किसी अन्य परियोजना/किसी अन्य' नाम वाली परियोजना पर इस स्कीम घटक के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा और तुरन्त ही बिना मूल्यांकन के अस्वीकृत करते हुए मूल रूप में आवेदक संगठन को इसे वापिस कर दिया जाएगा।

13.17 अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन द्वारा इस आशय का शुरू में ही वचनबंध प्रस्तुत किया जाएगा कि वे परिसर के निर्माण कार्य में स्थानीय सामग्री, श्रम, विशेषज्ञता को वरीयता/प्राथमिकता देंगे।

13.18 अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन द्वारा इस आशय का शुरू में ही वचनबंध प्रस्तुत किया जाएगा कि वे परिसर के अपने कार्यालयों/कार्यालय के भीतर/पूरे परिसर के साथ–साथ उन स्थलों पर जहां संगोष्ठियां/अनुसंधान/कार्यशालाएं/सभागार/मुक्ताकाश/रंगमंच/महोत्सव एवं प्रदर्शनी आदि आयोजित की जाएंगी, वहां पर साफ–सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखेंगे/सुनिश्चित करेंगे और लोगों में स्वच्छ भारत के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देंगे तथा इसका प्रसार करेंगे।

13.19 अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन द्वारा इस आशय का शुरू में ही वचनबंध प्रस्तुत किया जाएगा कि वे परिसर में नवीनीकरण ऊर्जा, ऊर्जा बचत करने वाले यंत्रों/उपकरणों जैसे कि एलईडी लाइट, ऊर्जा बचाने वाली मशीनरी आदि का इस्तेमाल करेंगे।

13.20 जारी अनुदान का उपयोग प्रशासकीय भवन, आवासीय क्वार्टर, निदेशक के बंगले अथवा किसी बाह्य विकास जैसे सम्पर्क मार्ग आदि के लिए नहीं किया जायेगा।

13.21 भारत सरकार द्वारा समय–समय पर ऐसी अन्य शर्तें लगायी जा सकती हैं।

5

संग्रहालय अनुदान स्कीम

पृष्ठभूमि

संग्रहालय राष्ट्र की संस्कृति के संग्रह होते हैं क्योंकि ये वर्तमान और भविष्य को बीते समय से जोड़ते करते हैं। संग्रहालय कलात्मक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक महत्व की कलाकृतियों और अन्य वस्तुओं के संग्रहों का परिरक्षण करते हैं तथा इन्हें स्थायी या अस्थायी प्रदर्शनियों के माध्यम से जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराते हैं। संग्रहालय मानव जाति, मानव गतिविधियों और प्राकृतिक जगत के भौतिक साक्ष्यों का परिरक्षण और व्याख्या करते हैं। संग्रहालय वर्तमान पीढ़ी के लिए बीते समय को समझने और भविष्य की तैयारी करने हेतु ज्ञान स्त्रोत केन्द्र के रूप में योगदान देते हैं। इस तरह देशभर में संग्रहालय अभियान को सुदृढ़ करना संस्कृति मंत्रालय के कार्यक्षेत्राधीन एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप है।

उद्देश्यः—

स्कीम का उद्देश्य, राज्य सरकारों और सोसाइटी अधिनियम धारा 8 के तहत कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटियों, स्वायत्त निकायों और न्यासों द्वारा नए संग्रहालय स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तार पर मौजूद संग्रहालयों को सुदृढ़ करना और आधुनिक बनाना, देशभर में कला वस्तुओं के चित्रों/सूचियों को वेबसाइट पर उपलब्ध करना और संग्रहालय व्यावसायिकों के क्षमता निर्माण हेतु कला वस्तुओं का डिजीटलीकरण करना है।

कार्य क्षेत्रः—

वित्तीय सहायता नए संग्रहालयों की स्थापना, मौजूदा संग्रहालयों का विकास, कला वस्तुओं का डिजीटलीकरण करने और राज्यों सरकारों, सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं और न्यासों द्वारा प्रबंधित संग्रहालयों में संग्रहालय व्यावसायिकों के प्रशिक्षण हेतु प्रदान की जाएगी। व्याापक श्रेणी में (क) पुरावस्तुओं, मुद्राशास्त्र, चित्रों, नृजातीय संग्रहों, लोककला और कला एवं शिल्प, वस्त्र, मुहरों आदि सहित अन्य वस्तुएं (ख) उपरोक्त क्षेत्रों में से एक या सभी क्षेत्रों में वस्तुओं को प्रदर्शित करने वाले ऑनलाईन आभासी संग्रहालय और (ग) विषय वस्तु आधारित संग्रहालय सम्मिलित हैं।

अनुवीक्षणः

इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त संग्रहालयों को परियोजना के पूर्ण होने के बाद 05 वर्षों तक संग्रहालयों में आए आगंतुकों की वार्षिक संख्या भेजना अपेक्षित होगा। स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान प्रस्तावों की कार्य प्रगति की निगरानी परियोजना अनुवीक्षण समिति करेगी।

स्कीम के निम्नानुसार 3 घटक होंगेः—

क. क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संग्रहालयों का विकास और स्थापना

ख. संग्रहालय के संग्रहों का डिजीटलीकरण

ग. क्षमता निर्माण और संग्रहालय व्यवसायिकों का प्रशिक्षण

प्रत्येक घटक की पात्रता के मानदण्ड, अनुमेय अनुदान की राशि और अन्य ब्यौरों का वर्णन नीचे किया गया हैः—

5.1

क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संग्रहालयों का विकास और स्थापना

1. पात्रता के मानदण्ड

इस घटक के अन्तर्गत सहायता हेतु संग्रहालयों को तीन श्रेणियों में बांटा गया हैः–

(i) श्रेणीः– I राज्यों की राजधानियों में केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले संग्रहालय

(ii) श्रेणीः– II राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले संग्रहालय (राज्य की राजधानी के अलावा अन्य स्थानों पर)

(iii) श्रेणीः– III अन्य सभी संग्रहालय

श्रेणी– I

राज्यों की राजधानियों में स्थित केन्द्र या राज्य सरकारों के मौजूदा नामी संग्रहालय जो निम्न शर्तों के अधीन होंगेः

(i) संग्रहालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी में स्थित हो।

(ii) वह अत्यधिक ख्याति प्राप्त हो जिसमें वस्तुओं/कलाकृतियों का महत्वपूर्ण संग्रह हो।

(iii) इसमें पूर्ववर्ती 2 वर्षों में प्रतिवर्ष 1 लाख आगंतुकों ने वार्षिक रूप से उसका दौरा किया हो।

श्रेणी– II

राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले संग्रहालय (राज्य की राजधानी के अलावा अन्य स्थानों पर)

श्रेणी– III

भारतीय सोसाइटी अधिनियम, 1860 (XXI) या राज्य (सरकारों के समतुल्य विधान के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटियों, स्वायत्त निकायों, शैक्षेणिक संस्थाओं और न्यासों या उस समय पर लागू किसी कानून के अंतर्गत सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकृत होना चाहिए जो निम्न शर्तों के अधीन होगाः–

(i) आवेदक संस्थान् को आवेदन करने से पहले यह कम से कम तीन वर्ष पूर्व से अस्तित्व में होना चाहिए। तथापि, विशेषज्ञ समिति अपने विवेक के आधार पर असाधारण मामलों में इसमें छूट दे सकती है, जिसके कारणों को लिखित में दर्ज किया जाना चाहिए;

(ii) इसके कार्यकरण के लिए इसका एक स्पष्ट संविधान और निर्धारित नियमावली / उप नियम होने चाहिए;

(iii) इसके पास संग्रहालय में प्रदर्शन हेतु ऐतिहासिक और/अथवा सांस्कृतिक महत्व की वस्तुओं के एक महत्वपूर्ण संग्रह का स्वामित्व और आधिपत्य/ होना चाहिए और वस्तुओं की संख्या को परियोजना रिपोर्ट में स्प्ष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए;

(iv) इसे संग्रहालय के रख–रखाव करने और आवर्ती लागतों को वहन करने में सक्षम होना चाहिए;

(v) इसके पास उस कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं, संसाधन और कार्मिक होने चाहिए जिसके लिए अनुदान की आवश्यकता है;

(vi) इसे राज्य सरकार की ओर से (संस्कृति विभाग अथवा समकक्ष) इसके संतोषजनक कार्य–निष्पादन के संबंध में दिया गया प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(vii) इसे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं चलाया जाना चाहिए।

(viii) इसे उस भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां यह संग्रहालय अवस्थित है अथवा निर्मित किया जाना प्रस्तावित है और इस तक आगन्तुकों की पहुंच सुगम होनी चाहिए।

2. स्वीकार्य घटक

स्कीम के अंतर्गत प्रदान किये गए अनुदान से निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किये जा सकते हैः–

(i) संग्रहालय के लिए नये भवन/दीर्घाओं का निर्माण।

(ii) दीर्घाओं का नवीनीकरण/मरम्मत, विस्तार और आधुनिकीकरण, वस्तुओं के लिए भण्डारण स्थापन का आधुनिकीकरण।

(iii) प्रकाशन

क. सूचीपत्र
ख. संग्रहालय संदर्शिका
ग. गैलरी – शीट्स
घ. फोटो – इंडेक्स काड्र्स
ड. चित्र पोस्ट कार्ड
च. संग्रहालय वस्तुओं के चित्र सहित पत्रक
छ. मोनोग्राफ्स
ज. संक्षिप्त सूची आदि

(iv) संरक्षण प्रयोगशालाएं/संरक्षण परियोजनाएं

इस स्कीम के अंतर्गत सहायता संरक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, विस्तार तथा स्तरोन्नयन और वस्तुओं के संरक्षण के लिए प्रदान की जाएगी। अनुदान मौजूदा संग्रहालय पुस्तकालयों के स्तरोन्नयन और संग्रह बढ़ाने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

(v) उपकरणों की खरीद

निम्नलिखित उपकरणों को खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगीः

I. उपकरण (सामान्य)

क) पोडियम और पैनल जैसे प्रदर्शक सामान
ख) संग्रहालय वस्तुओं के प्रदर्शन हेतु विशेष लाइटिंग
ग) प्रलेखीकरण के लिए कंप्यूटर
घ) कैमरे, स्लाइड प्रोजेक्टर और स्क्रीन
ड) सी.सी.टी.वी.

II. सुरक्षा प्रणाली के लिए उपकरण

डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, हस्त चालित मेटल डिटेक्टनर, वाहन निरीक्षण शीशे, रेडियो सेट, हैंड बैगेज एक्सरे मशीन, सीसीटीवी और रिकॉर्डिंग प्रणालियां, दरवाजों के लिए चुम्बकीय चिटकनी, ग्लोस ब्रेक डिटेक्टेर्स, चुम्बकीय स्विच, वाइब्रेशन डिटेक्टरर्स, अलार्म सिस्टम, विडियो मोशन डिटेक्टर्स, पैसिव इंफ्रारेड उपकरण, इंफ्रारेड बीम बैरियर आरएफआईडी टैग्स आदि।

III. कोई अन्य उपकरण जिसे विशेषज्ञ समिति द्वारा आवश्यक माना जाए।

vi) वस्तुओं का प्रलेखीकरण

vii) छत के ऊपर सौर प्रणाली लगाना

3. वित्तीय अनुदान की राशि

(i) संग्रहालयों को वित्तीय सहायता निम्नानुसार प्रदान की जायेगीः—

	वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि (करोड़ रू. में)
श्रेणी— I	15
श्रेणी— II	
नए संग्रहालयों की स्थापना करना	10
मौजूदा संग्रहालयों का विकास	8
श्रेणी— III	
नए संग्रहालयों की स्थापना करना	5
मौजूदा संग्रहालयों का विकास	4

(ii) श्रेणी—I संग्रहालय के लिए, वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि प्रति संग्रहालय 15 करोड रू. तक सीमित होगी।

(iii) श्रेणी— II एवं III संग्रहालयों के लिए, इस घटक के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि उपरोक्त पैरा 3 (I) में दी गई अधिकतम वित्तीय सीमा के अनुसार कुल परियोजना लागत का 80% होगी। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में संग्रहालयों के मामलों में, वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि उपरोक्त पैरा 3 (I) में दी गई अधिकतम वित्तीय सीमा के अनुसार कुल परियोजना लागत का 90% होगी। परियोजना लागत की बाकी राशि की व्यवस्था स्वयं आवेदक द्वारा की जायेगी ओर आवेदक को इसके लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. वित्तीय अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

i) सभी प्रयोजनों के लिए, केन्द्र सरकार का अंशदान 2 : 1 : 1 के अनुपात में 3 किस्तों में जारी किया जाएगा। पहली किस्त, जो केन्द्र सरकार के अंशदान का 50 प्रतिशत है, विशेषज्ञ समिति द्वारा परियोजना के अनुमोदन पर तुरंत संस्वीकृत और जारी कर दी जाएगी।

ii) दूसरी किस्त, जो केन्द्र सरकार के अंशदान का 25 प्रतिशत है, तब जारी की जाएगी जब अनुदान प्राप्तकर्ता केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई प्रथम किस्त की 80 प्रतिशत राशि तथा अनुदान प्राप्तकर्ता की धनराशि से आनुपातिक सदृश अंश का उपयोग कर चुका हो।

iii) तीसरी एवं अंतिम किस्त, जो केन्द्र सरकार के अंशदान का शेष 25 प्रतिशत है, केवल तब जारी की जाएगी जब अनुदान प्राप्तकर्ता केन्द्र सरकार द्वारा जारी पहली और दूसरी किस्तों तथा सदृश अंशदान का पूर्ण उपयोग कर चुका हो।

iv) उपयोगिता प्रमाण पत्र (जी.एफ.आर. 2017 के अनुसार) तथा पिछली किस्त के संबंध में भारत के नियंत्रक

एवं महालेखापरीक्षक (यदि किस्त 1 करोड रू. से अधिक हो)/सनदी लेखाकारों की फर्म (यदि किस्त एक करोड से कम हो) द्वारा लेखापरीक्षित लेखाओं के संपरीक्षित विवरण की प्रति के पश्चात् दूसरी और तीसरी किस्तें जारी की जाएंगी। इस विवरण में यह भी प्रमाणित किया जाना चाहिए कि पिछली किस्तों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिस उद्देश्य के अनुदान लिए राशि स्वीकृित की गई थी। दूसरी और तीसरी किस्तें निर्माण स्थल के फोटो सहित प्रगति रिपोर्ट जैसे अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात् ही जारी की जाएंगी।

5. परियोजना अवधिः—

परियोजना को प्रथम किस्त जारी हो जाने के समय से तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। परियोजना के सम्पन्न होने में यदि कोई विलंब होता है, तो विलंब के लिए पूर्ण औचित्य का वर्णन करते हुए मंत्रालय से समय विस्तार की अनुमति मांगी जा सकती है और इसमें चूक होने पर बाद वाली किश्त जारी नहीं की जाएगी। यदि परियोजना पूरी होने में विलंब हुआ है और विलंब के लिए संग्रहालय द्वारा मंत्रालय से अनुमति नहीं ली गई है, तो संबंधित संग्रहालय को संस्कृति मंत्रालय द्वारा दी गई सम्पूर्ण अनुदान राशि दंडस्वरूप ब्याज (10%) सहित वापस करनी होगी।

6. आवेदन करने और इस घटक के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने की प्रक्रिया :—

(i) यह स्कीम वर्ष भर खुली रहेगी। परियोजना प्रस्ताव प्राप्त करने की कोई निर्धारित अंतिम तिथि नहीं होगी। इस घटक के तहत वित्तीय सहायता के लिए निर्धारित फॉर्म I में आवेदन किया जा सकता है। आवेदनों को पहले आओ पहले पाओ आधार पर आगे बढ़ाया व आंका जाएगा।

(ii) निर्धारित आवेदन प्रपत्र—1 एवं उनमें वर्णित अनुबंधों के अलावा, आवेदकों द्वारा उक्त प्रस्ताव प्रत्येक मद के विस्तृत अनुमानों सहित एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। डीपीआर का एक नमूना संस्कृति मंत्रालय की साईट **http://indiaculture.nic.in** पर दिया गया है। आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, योजना एवं अनुमानों को लोक निर्माण विभाग (या समतुल्य संगठन) द्वारा सत्यापित तथा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(iii) परियोजना प्रस्ताव में संबंधित संग्रहालय की विद्यमान विजिटर प्रोफाइल एवं परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात् ऐसे प्रोफाइलों में दर्शाये गए परिवर्तन भी सम्मिलित होने चाहिए। इन आवेदनों को संस्कृति मंत्रालय द्वारा संयुक्त सचिव की अध्यक्षता के अधीन स्थापित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा संवीक्षित किया जाएगा तथा इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही अनुदान संस्वीकृत किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी (माननीय संस्कृति मंत्री) द्वारा एक बार विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें स्वीकार कर लिए जाने पर, संबंधित संयुक्त सचिव मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग के परामर्श से समय—समय पर, किस्तों में निधियां जारी करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। अंतिम किस्त, संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों की समिति द्वारा वास्तविक निरीक्षण किए जाने के पश्चात ही जारी की जाएगी।

7. परियोजना प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूचीः—

i प्रत्येक मद के संबंध में विस्तृत अनुमानों और रेखाचित्रों सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)। इस डीपीआर और अनुमानों को इस क्षेत्र की विख्यात एजेन्सी द्वारा तैयार किया जाना चाहिए और अनुमानों को सरकारी/सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी अभियन्ता द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत किया जाना चाहिए। परियोजना प्रस्ताव में संग्रहालय के वर्तमान आगंतुक प्रोफाइल तथा परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात् ऐसे प्रोफाइलों में दर्शाए गए परिवर्तन भी सम्मिलित होने चाहिए। संग्रहालय की कलाकृतियों के चित्र और संग्रह डीपीआर/अनुमानों के साथ संलग्न किये जाने चाहिए।

ii निदानात्मक अध्ययन समेत संग्रहालय की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट;

iii संग्रहालय का आधुनिकीकरण और विकास किस प्रकार किया जाएगा इसका उल्लेख करते हुए एक कार्यनीति पत्र जिसमें संग्रहालय के दीर्घकालिक प्रबंधन को सुनिश्चित करने की पद्धति को प्रदर्शित करने की योजना भी शामिल होगी;

iv संग्रहालयों के आधुनिकीकरण के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित प्रत्येक कदम की विस्तृत लागत, क्रम और समय–सीमा को शामिल करते हुए एक कार्य योजना;

v परियोजना प्रस्ताव में वीथियों का नवीकरण/ मरम्मत, विस्तार एवं आधुनिकीकरण, संचित संग्रह का आधुनिकीकरण, प्रकाशन, संरक्षण, प्रयोगशाला /संरक्षण परियोजनाएं, संग्रहालय पुस्तकालय, उपकरण और प्रलेखीकरण, छत पर सौर प्रणाली संस्थापित करने की संभावना आदि के विभिन्न पक्षों का उल्लेख होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, परियोजना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए कि समतुल्यक संसाधन किस प्रकार जुटाए जाएंगे और इसमें निर्धारित समय–सीमा को भी दर्शाया जाना चाहिए।

vi गत तीन वर्षों के लिए लेखापरीक्षित लेखा विवरणियों की प्रतियां।

vii नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट/गत तीन वर्षों के लिए अनुमोदित कार्यकलाप रिपोर्ट।

viii परियोजना को वित्तपोषित करने वाले (समतुल्य अंश) के अन्य स्त्रोतों का ब्यौरा और संग्रहालय के लिए भावी निरंतरता योजना।

ix संगठन के नाम पर भूमि के स्वामित्व और आधिपत्य संबंधी दस्तावेज (अभिप्रमाणित अंग्रेजी/हिन्दी पाठ)।

x भूमि के अधिग्रहण के समय इसका मूल्य दर्शाता ब्यौरा।

xi भारत सरकार के अंतर्गत किसी अन्य संस्थान से इसी उद्देश्य के लिए अनुदान प्राप्त न करने संबंधी निर्धारित प्रारूप में नियम 230 (1) जीएफआर 2017 के अनुसार प्रमाण पत्र।

xii नए जीएफआर 2017 के अनुसार अनुलग्नक सहित पिछले अनुदान, यदि कोई हो, का उपयोगिता प्रमाण पत्र।

xiii बैंक में सीधे अनुदान भेजने हेतु प्राधिकार पत्र।

xiv संगठन के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेदों/सोसाइटी/न्यास जैसा भी मामला हो, के नियमों ओर उपनियमों की प्रति।

xv पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।

xvi निर्धारित प्रपत्र में राज्य सरकार की सिफारिश।

xvii संस्कृति मंत्रालय की केन्द्रीय योजना अनुवीक्षण स्कीम के अंतर्गत एजेन्सी का पंजीकरण (निर्धारित प्रपत्र में)।

xviii नीति आयोग के पोर्टल http://ngo.india.gov.in पर **एनजीओ–भागीदारी प्रणाली (एनजीओ–पीएस) पोर्टल (एनजीओ–दर्पण)** की पंजीकरण संख्या की प्रति।

8. टिप्पणी

(i) अनुदान केवल एक बार दिया जाएगा। किसी अतिरिक्त आवश्यकता को आवेदक संस्थान द्वारा पूरा किया जाएगा।

(ii) इस घटक के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने वाला संग्रहालय पिछले अनुदान की अंतिम किस्त के भुगतान से

10 वर्ष बाद परवर्ती अनुदान के लिए पात्र होगा।

(iii) कोई संगठन जिसे इस घटक के अंतर्गत संग्रहालय की स्थापना करने या नवीनीकरण हेतु अनुदान प्रदान किया गया हो वह दूसरे संग्रहालय के लिए अनुदान प्राप्त करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह कार्य पूरा होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर दे और जिस संग्रहालय के लिए अनुदान प्राप्त किया है, उसके संबंध में वास्तविक जाँच पूरी न कर ली गई हो।

(iv) भारत सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धता अवसरंचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए वित्तपोषण तक सीमित होगी, न कि संग्रहालय चलाने के लिए।

(v) अनुदान राशि का प्रयोग, किराया, वेतन, बिजली के बिल आदि जैसे आवर्ती खर्चों के भुगतान के लिए नहीं किया जाएगा।

(vi) स्वीकृत अनुदान राशि के अधिकतम 60% राशि का प्रयोग सिविल कार्यों के लिए किया जा सकता है।

(vii) अनुदान राशि का प्रयोग संग्रहालय के लिए भूखंड और कलाकृतियां खरीदने के लिए नहीं किया जाएगा।

(viii) जहां अन्य सरकारी एजेंसियों को छोडकर, एजेंसियों को कार्य सौंपा गया हो, वहाँ कार्यान्वयन एजेन्सी का चयन खुली निविदा/ बोलियां आमंत्रित करते हुए पारदर्शी प्रतिस्पर्धी प्रणाली के माध्यम से किया जाना चाहिए।

(ix) भवन निर्माण में स्थानीय सामग्री, श्रम, विशेषज्ञता को प्राथमिकता दी जाए। जहां तक सम्भव हो, सामुदायिक भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाए। संग्रहालय भवन के भीतर, संकुल परिसरों और इसके इर्दगिर्द साफ–सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जानी चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा बचाने वाले डिवाइसेस को उच्च वरीयता दी जाए।

(x) आवेदक संस्थान को इस मंत्रालय से प्राप्त अनुदान की मदद से जिस भवन में निर्माण या नवीनीकरण कार्य किया जा रहा हो, उसमें यथासंभव पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश सुनिश्चित करना चाहिए और एलईडी बल्बों और अन्य ऊर्जा बचत प्रावधानों का प्रयोग करना चाहिए।

(xi) भवन में अग्नि सुरक्षा उपायों को यथोचित महत्व दिया जाए तथा भवन के अंदर और संकुल परिसरों में सभी अपेक्षित अग्नि सुरक्षा उपकरण आवश्यक रूप से लगाए जाने चाहिए।

(xii) अंतिम किस्त जारी होने से पूर्व प्रकाशित दस्तावेज की 10 प्रतियां केन्द्र सरकार के पास भेजी जानी चाहिए। इस प्रकार प्रकाशित दस्ताावेज के कवर पृष्ठ पर निम्नलिखित पंक्ति जोड़ी जाए "संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता से प्रकाशित"।

(xiii) निधियों के दुरूपयोग या उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत न किये जाने को गंभीरता से लिया जाएगा। दोषी संस्थान को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और भविष्य में भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा तथा उसके विरूद्ध कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(xiv) कार्य पूरा होने के तीन माह के भीतर सरकारी संग्रहालयों के लिए पीडब्ल्यूडी से तथा अन्य) संग्रहालयों के लिए पीडब्ल्यूडी/पंजीकृत वास्तुकार से संपूर्णता–सह–मूल्यांकन प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए।

5.2

संग्रहालय संग्रहण का अंकीकरण

1. पात्रता मानदंड :

स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के प्रयोजन हेतु संग्रहालयों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

(i) श्रेणी– I : सरकार के स्वामित्व वाले राज्य स्तरीय संग्रहालय

(ii) श्रेणी–II : सभी अन्य संग्रहालय

श्रेणी I

सरकार के स्वामित्व वाले राज्य स्तरीय संग्रहालय

श्रेणी II

भारतीय सोसाइटी अधिनियम, 1860 (XXI) या राज्य सरकारों के सदृश विधान के अंतर्गत सोसाइटी या उस समय प्रभावी किसी कानून के अंतर्गत सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकृत सोसाइटियां, स्वायत्त निकाय, स्थानीय निकाय, अकादमिक संस्थाएं या न्यास निम्नलिखित के अध्यधीन अनुदान के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होंगे :

(i) आवेदनकर्ता संस्था पंजीकरण के पश्चात्, आवेदन करने से कम से कम 3 वर्ष पहले से मौजूद होनी चाहिए। तथापि, विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर सचिव संस्कृति द्वारा विशेष और पात्र मामलों में छूट दी जा सकती है, जिसके कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाएं।

(ii) उस संस्था के पास कार्यकरण हेतु एक पूर्णतः स्पष्ट संविधान और निर्धारित नियम / उप–नियम होने चाहिए।

(iii) ऐसी आवेदनकर्ता संस्थाएं जो ऐतिहासिक और/अथवा सांस्कृतिक महत्व की वस्तुओं के एक बड़े संग्रहण का स्वामित्व और अधिकार रखती हों, जिन्हें संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया हो। इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करते समय संग्रहालय द्वारा अधिकार में ली गई प्रदर्शित वस्तुओं की प्रकृति और संख्या उस प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से दर्शाई जानी चाहिए।

(iv) वे अपने संतोषजनक कार्य निष्पादन के सत्यापन के संबंध में राज्य सरकार (संस्कृति विभाग या समतुल्य) का एक प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध करवाएं।

(v) उक्त संस्था किसी लाभ के लिए न चलाई जा रही हो।

(vi) आवेदनकर्ता संस्थाएं अपने संग्रहणों को जन–सूचना हेतु वेबसाइट पर देखने हेतु साझा करने पर सहमत होनी चाहिए।

2. स्वीकार्य घटक

(i) संस्कृति मंत्रालय और सी–डैक द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर 'जतन' का प्रापण और उपयोग करते हुए संग्रहालय के संग्रहों का अंकीकरण और जिसका देश भर में प्रतिष्ठित संग्रहालयों द्वारा उपयोग किया जा रहा हो।

(ii) डिजीटलीकरण के उद्देश्य के लिए संग्रहालय के कला कृतियों की फोटोग्राफी।

(iii) संग्रहालय वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक प्रसार के लिए संग्रहालय में उपलब्ध कार्यों के डिजीटल कैटलॉग का सृजन करना।

(iv) संग्रहालय के डिजीटलीकरण कार्यों के लिए सर्वर्स, क्लाइंटस, लैन, स्कैनर्स, कैमरे आदि जैसे हार्डवेयर का प्रापण।

(v) ऑनलाइन संग्रहालय पुस्तकालय का विकास।

(vi) संग्रहालय के लिए संवादमूलक सूचना पटलों का विकास।

(vii) संग्रहालय के लिए क्यूआर कोड का विकास।

3. वित्तीय अनुदान की राशि

(i) निम्नलिखित तरीके से संग्रहालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी :

	वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि (रु. लाख में)
श्रेणी I	50
श्रेणी II	25

(ii) इस घटक के अंतर्गत दी जा सकने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि कुल परियोजना लागत की 80 प्रतिशत होगी, जो उपर्युक्त पैरा 3(i) में दी गई अधिकतम वित्तीय सीमा के अध्यधीन होगी। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में संग्रहालयों के मामले में वित्तीय सहायता कुल परियोजना लागत की 90 प्रतिशत होगी, जो उपर्युक्त पैरा 3(i) में दी गई अधिकतम वित्तीय सीमा के अध्यधीन होगी। परियोजना लागत की शेष धनराशि की व्यवस्था आवेदक को स्वयं करनी होगी और आवेदक को इसके लिए एक वचनबंध प्रस्तुत करना होगा।

4. वित्तीय अनुदान जारी करने की प्रक्रिया :

(i) स्कीम के अन्तर्गत यह वित्तीय अनुदान मंत्रालय द्वारा दो बराबर की किस्तों में जारी किया जाएगा। केन्द्र सरकार की 50 प्रतिशत की पहली किस्त इस उद्देश्य के लिए गठित संस्कृति मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति द्वारा परियोजना प्रस्ताव की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही मंजूर और जारी की जाएगी।

(ii) वित्तीय अनुदान के शेष 50 प्रतिशत की दूसरी किस्त अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान द्वारा अपनी समतुल्य) हिस्सेदारी के साथ संस्कृति मंत्रालय द्वारा पहली किस्त के अन्तर्गत दिए गए अनुदान के 100 प्रतिशत उपयोग करने के बाद जारी की जाएगी। दूसरी और अंतिम किस्त का जारी होना केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदान की पूर्व किस्त तथा संग्रहालय के समतुल्य हिस्सेदारी के संबंध में सनदी लेखाकार की फर्म द्वारा संपरीक्षित उपयोग प्रमाण–पत्र तथा लेखा विवरण प्राप्त होने पर निर्भर करेगी।

5. स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने तथा स्कीम के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों हेतु प्रक्रिया

(i) यह स्कीम वर्ष भर खुली रहेगी और प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की कोई निर्धारित अंतिम तिथि नहीं होगी। इस घटक के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र II में किया जा सकता है। आवेदकों को पहले आओ पहले पाओ आधार पर आगे बढ़ाया व मूल्यांकित किया जाएगा।

(ii) इन आवेदनों को संस्कृति मंत्रालय द्वारा अपर सचिव की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा संवीक्षित किया जाएगा तथा इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही अनुदान संस्वीकृत किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी, (सचिव (संस्कृति) द्वारा विशेषज्ञ समिति की सिफारिश स्वीकार कर लिए जाने पर, संबंधित अपर सचिव, मंत्रालय के समेकित वित्त प्रभाग से परामर्श करके, किस्तों में निधियां जारी करने हेतु सक्षम हो जाएंगे। अंतिम किस्त संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों वाली समिति द्वारा वास्तविक निरीक्षण के पश्चात ही जारी की जाएगी।

6. परियोजना प्रस्ताव के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

i. विहित प्रपत्र में अनुलग्नकों सहित आवेदन पत्र।

ii. पिछले तीन वर्षों की संपरीक्षित लेखा विवरण की प्रतियां।

iii. पिछले तीन वर्षों की अनुमोदित नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट/कार्यकलाप रिपोर्ट

iv. परियोजना के वित्तपोषण के अन्य स्रोतों (समतुल्य हिस्सेदारी) तथा संग्रहालय के लिए भावी धारणीय योजना का ब्यौरा।

v. भारत सरकार के अधीन किसी अन्य संस्थान से किसी प्रयोजन के लिए अनुदान की अप्राप्ति संबंधी विहित प्रपत्र में जीएफआर 2017 के नियम 230 (1) के अनुसार प्रमाणपत्र।

vi. पूर्ववर्ती अनुदान/अनुदानों के संबंध में नए जीएफआर 2017 के अनुसार अनुलग्नकों सहित उपयोग प्रमाणपत्र, यदि कोई हो।

vii. बैंक में सीधे अनुदान भेजने के लिए प्राधिकार पत्र।

viii. संगठन के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद/सोसाइटी/न्यास के नियम/उप नियमों की प्रति, जैसा भी मामला हो।

ix. पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति।

x. विहित प्रपत्र में राज्य सरकार की अनुशंसा।

xi. संस्कृति मंत्रालय की केन्द्रीय योजना मॉनीटरिंग स्कीम के अंतर्गत एजेंसी का पंजीकरण (विहित प्रपत्र में)।

xii. नीति आयोग के पोर्टल http://ngo.india.gov.in पर **एनजीओ–भागीदारी पद्धति (एनजीओ–पीएस) पोर्टल (एनजीओ–दर्पण)** पंजीकरण संख्या की प्रति।

7. परियोजना अवधि :

आवेदक संस्थान द्वारा शुरू की गई अंकीकरण परियोजना संस्कृति मंत्रालय द्वारा अनुदान की पहली किस्त के जारी होने की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। यदि परियोजना को पूरा करने में कोई विलंब हो रहा है तो विलंब के कारणों का पूरा औचित्य संबंधी ब्यौरा देते हुए मंत्रालय से समय बढ़ाने की अनुमति मांगी जा सकती है और ऐसा नहीं करने पर बाद वाली किस्ते जारी नहीं की जाएगी। यदि परियोजना के पूरा होने में विलम्ब होता है और इस विलंब के संबंध में संग्रहालय द्वारा मंत्रालय से कोई अनुमति नहीं ली गई है, तो संबंधित संग्रहालय को दण्ड स्वरूप ब्याज (10 प्रतिशत) के साथ मंत्रालय द्वारा इसे प्रदान किए गए अनुदान की समस्त राशि वापस लौटानी होगी।

8. टिप्पणी :

(i) इस स्कीम के अंतर्गत संग्रहालय संग्रहण के अंकीकरण और वेबसाइट के विकास के प्रयोजनार्थ वित्तीय अनुदान 10 वर्ष में केवल एक बार ही दिया जाएगा। बाद के वर्षों में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आदि के उन्नयन हेतु उन्नयन संबंधी किसी भावी आवश्यकता को आवेदक संग्रहालय द्वारा अपने स्वयं की निधियों में से पूरा करना होगा।

(i) यह अनुदान पूंजीगत प्रकृति के कार्यों जैसे कम्प्यूटर हॉर्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर और स्कैनर, कैमरों आदि जैसे अन्य उपकरणों के प्रापण तथा वेबसाइट के विकास हेतु दिया जाएगा और इसे व्यय की आवर्ती मदों जैसे कि वेबसाइट प्रदर्शन तथा प्रबंधन शुल्क, इस प्रयोजन के लिए नियुक्त आईटी स्टाफ के वेतन आदि हेतु इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

(iii) वस्तुओं को इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की एक वैज्ञानिक सोसाइटी, आधुनिक संगणक विकास केन्द्र, जिसका मुख्यालय पुणे विश्वविद्यालय परिसर, गणेशखंड, पुणे 411007, सी–डैक पुणे में स्थित है, द्वारा संचालित जतन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए अंकीकृत किया जाएगा। अंकीकरण के पश्चात कलावस्तुओं को वेबसाइट : museumsofindia.gov.in पर अपलोड किया जाएगा।

5.3

संग्रहालय व्यावसायिकों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

संस्कृति मंत्रालय संग्रहालय कार्मिकों के व्यावसायिक विकास को उचित महत्व देता है। भारतीय संग्रहालयों में मानव संसाधनों को स्तरोन्नत करने की आवश्यकता है ताकि उनके उद्देश्यों को वृहत्तर बनाया जा सके, उनके कौशल और नेतृत्व प्रबंधन योग्यताओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों तक स्तरोन्नत किया जा सके। संग्रहालय व्यवसायिकों को उपलब्ध कराए गए सेवाकालीन कौशल विकास और प्रशिक्षण अवसर बेहद सीमित हैं। अतः, सेवाकालीन कार्यक्रमों में क्षमता निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई है जिससे हमारे संग्रहालयों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएंगे और उन्हें आगंतुकों के लिए अधिक रोचक, शिक्षाप्रद और लोकप्रिय बनाया जा सकेगा; हमारे समाज के सभी वर्गों के लिए सुगम्य बनाया जा सकेगा और अद्यतन प्रणालियों एवं श्रेष्ठतम प्रचलनों सहित हमारे बहुमूल्य कला संग्रहों को प्रबंधित और परिरक्षित किया जा सकेगा। स्कीम के इस घटक का उद्देश्य संग्रहण प्रबंधन, अभिकल्प, शिक्षा, विपणन जैसे संग्रहालय कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता और विशिष्टता का सृजन करना है जिसकी कमी लगभग सभी भारतीय संग्रहालयों में पाई जाती है।

1. कार्य क्षेत्र

इस स्कीम का कार्य क्षेत्र निम्नलिखित की सहायता करना होगा :

I. उन संस्थानों की निधियों से संबंधित आवश्यकता जो निम्नलिखित क्षेत्रों में राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध संस्थानों और संग्रहालयों के सहयोग से अपनी निपुणता/कौशल को उन्नत बनाने के लिए गहन क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अपने पेशेवरों को लगाना चाहते हैं :

i. संग्रहालय प्रबंधन : प्रलेखीकरण, निवारक देखभाल और भण्डारण

ii. संग्रहालय /प्रदर्शनी डिजाइनः प्रदर्शन, लाइटिंग, व्याख्या और पहुंच

iii. संग्रहालय प्रबंधन, विपणन और नेतृत्व प्रशिक्षण

iv. संग्रहालय शिक्षा एवं आउटरीच

v. संग्रहालय संग्रहों के बेहतर संरक्षण के लिए संग्रहालय संग्रह/वैज्ञानिक अध्ययन का परिरक्षण और संरक्षण

II. संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित विदेशी संस्थानों/संग्रहालयों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए संग्रहालय व्यावसायिकों के प्रशिक्षण हेतु निधियों की आवश्यकता को पूरा करना।

2. कार्य क्षेत्र के उप घटक (i) के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु पात्रता मानदंड

I. श्रेणी I

केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अंतर्गत सभी संग्रहालय।

II. श्रेणी II

केन्द्र और राज्य सरकारों के तहत संग्रहालय, भारतीय सोसाइटी अधिनियम, 1860 या सदृश कानून के तहत सोसाइटियों, स्वैच्छिक संस्थानों अथवा न्यास के रूप में पंजीकृत संग्रहालय या ऐसे ही संस्थान इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि :

i) आवेदक संस्थान आवेदन करने से पहले पंजीकरण के पश्चात कम से कम 3 (तीन) वर्ष पूर्व से अस्तित्व में

होना चाहिए। तथापि, असाधारण और पात्र मामलों में सचिव (संस्कृति) के निर्णय से इस शर्त में छूट दी जा सकती है, और जिसके कारणों को लिखित में रिकॉर्ड किया जाए।

ii) इसके पास इसके कार्यकरण के लिए एक स्पष्ट संविधान और नियमावली / उपनियम होने चाहिए।

iii) इसके पास संग्रहालय में प्रदर्शन हेतु ऐतिहासिक / सांस्कृतिक / वैज्ञानिक महत्व की वस्तुओं के वास्तविक संग्रह का स्वामित्व और अधिकार होना चाहिए जो हर समय जनप्रदर्शन के लिए उपलब्ध हो। संग्रहालय द्वारा कब्जे वाली और प्रदर्शित वस्तुओं की प्रकृति और संख्या को इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करते वक्त प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया होना चाहिए।

iv) संग्रहालय जन सेवा के लिए और गैर–लाभार्थी होना चाहिए।

3. स्वीकार्य घटक

I. सेवाकालीन संग्रहालय पेशेवरों को प्रख्यात अन्तरराष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से अच्छे से संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों/इंटर्नशिप/अध्येतावृत्तिओं/कार्यशालाओं में उनकी भागीदारी के लिए सहायता (कार्य क्षेत्र का उप घटक (i))। अनुदान में निम्नलिखित व्यय शामिल होंगे :

i. मेज़बान संस्थान का प्रशिक्षण शुल्क

ii. प्रशिक्षण के उद्देश्य से विदेश और घरेलू यात्रा

iii. प्रशिक्षण के दौरान निर्वाह लागत (भोजन एवं आवास) के लिए

iv. ऐसे प्रशिक्षण के लिए आवश्यक पुस्तकें अथवा अन्य बौद्धिक सामग्री की खरीद

v. स्टेशनरी और शिक्षण सामग्री की खरीद के लिए लागत

vi. विदेश यात्रा के लिए यात्रा बीमा (जहां विदेश द्वारा आवश्यक हो)

vii. वीजा शुल्क और ऐसी ही अनुमति के लिए लागत

II. सेवारत संग्रहालय व्यावसायिकों/संग्रहालय अनुदान स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान प्राप्त संग्रहालयों के संग्रहालय व्यावसायिकों को संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संग्रहालयों (कार्य क्षेत्र का उप घटक (ii) के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों/इनटर्नशिप में उनकी सहभागिता के लिए सहायता देना।

4. वित्तीय अनुदान की राशि

(i) संग्रहालयों को वित्तीय सहायता निम्नानुसार उपलब्ध कराई जाएगी :

	वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि (रु. लाख में)
श्रेणी I	30
श्रेणी II	25

(ii) श्रेणी प संग्रहालयों के मामले में, इस घटक के अंतर्गत दी जा सकने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि कुल परियोजना लागत की 80 प्रतिशत होगी, जो उपर्युक्त पैरा 4(i) में दी गई अधिकतम वित्तीय सीमा के अध्यधीन होगी। श्रेणी II संग्रहालयों के मामले में वित्तीय सहायता कुल परियोजना लागत की 70 प्रतिशत होगी, जो उपर्युक्त पैरा 4(i) में दी गई अधिकतम वित्तीय सीमा के अध्यधीन होगी। परियोजना लागत की शेष धनराशि की व्यवस्था संबंधित संग्रहालय को स्वयं करनी होगी और आवेदक को इसके लिए एक वचनबंध प्रस्तुत करना होगा।

(iii) संग्रहालय अनुदान स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त संग्रहालयों के सेवारत व्यावसायिकों/ संग्रहालय व्यावसायिकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संग्रहालयों/संस्थानों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के मामले में वित्तीय सहायता अंतरराष्ट्रीय संग्रहालयों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की शर्तों और निबंधनों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

5. वित्तीय अनुदान को जारी करने की प्रक्रिया :

I. कार्य क्षेत्र के उप घटक (i) के लिए, यह वित्तीय अनुदान मंत्रालय द्वारा दो किस्तों में निम्नानुसार जारी किया जाएगा।

(i) पहली किस्त मंत्रालय के हिस्से का 75 प्रतिशत होगी। यह राशि सक्षम प्राधिकारी का अनुदान प्राप्त करने के बाद ही मंजूर और जारी की जाएगी।

(ii) मंत्रालय के हिस्से के शेष 25 प्रतिशत की दूसरी किस्त तब जारी की जाएगी, जब अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान द्वारा अपनी समतुल्य हिस्सेदारी के साथ संस्कृति मंत्रालय द्वारा पहली किस्त के अन्तर्गत दिए गए अनुदान का 100 प्रतिशत उपयोग कर लिया गया हो (केन्द्रीय/राज्य सरकार पुस्तकालयों के मामले में 20 प्रतिशत और अन्य संग्रहालयों के मामले में 30 प्रतिशत)। दूसरी और अंतिम किस्त का जारी होना केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदान की पूर्व किस्त तथा संग्रहालय के समतुल्य हिस्सेदारी के संबंध में सनदी लेखाकार की फर्म द्वारा संपरीक्षित उपयोग प्रमाण–पत्र तथा लेखा विवरण प्राप्ती होने; तथा अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रशिक्षण संबंधी पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर निर्भर करेगी।

II. कार्य क्षेत्र के उप घटक (ii) के लिए जारी निधि का निर्धारण अंतरराष्ट्रीय संग्रहालयों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार किया जाएगा।

6. स्कीम के तहत आवेदन करने तथा इस घटक के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए प्रक्रिया (कार्य क्षेत्र के उप घटक (i) के अंतर्गत सहायता के मामले में लागू)

स्कीम पूरे वर्ष खुली रहेगी और प्रस्ताव जमा करने की कोई निर्धारित अंतिम तारीख नहीं होगी। संस्कृति मंत्रालय में स्कीम के तहत आवेदनों का पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आगे बढ़ाया और मूल्यांकन किया जाएगा। आवेदनकर्ता संस्थान निर्धारित प्रपत्र iii में उल्लिखित अनुलग्नक में उनके अभ्यर्थी/अभ्यार्थियों के क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नामांकन सहित एक कवरिंग लैटर भिजवाएंगे जिसमें प्रशिक्षण हेतु उनकी उपयुक्तता का विवरण दिया गया हो, बशर्ते कि :

i) प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय संस्थान / संग्रहालय जिनके साथ प्रशिक्षण में भागीदारी प्रस्तावित है, संग्रहालय उम्मीदवार की मेजबानी के लिए लिखित में सहमत होना चाहिए अथवा इस अनुदान के लिए आवेदन करने से पहले भागीदारों की मेजबानी की इच्छा को व्यक्त करने वाला आमंत्रण पत्र उपलब्ध कराना चाहिए।

ii) अनुदान की स्वीकृति और जारी करना विदेशी संस्थान / संग्रहालय से प्राप्ति मूल पुष्टि प्रवेश पत्र और प्रशिक्षण के लिए यदि आवश्यक हो, विदेश यात्रा करने के लिए (जो आवेदन करने से छः माह की अवधि के भीतर समाप्त न हो रहा हो) वैध पासपोर्ट जमा करने के अध्यधीन होगा।

III. इस घटक के तहत वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाएगी जिसमें अध्यक्ष के रूप में संयुक्त सचिव (संग्रहालय) तथा सदस्यों के रूप में निदेशक/उप सचिव (संग्रहालय) और निदेशक/उप सचिव (वित्त) शामिल होंगे तथा इस समिति की सिफारिशों के आधार पर अनुदान संस्वीकृत किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी, (सचिव (संस्कृति) द्वारा विशेषज्ञ समिति की सिफारिश स्वीकार कर लिए जाने पर, संबंधित संयुक्त सचिव, मंत्रालय के समेकित वित्त प्रभाग से परामर्श करके किस्तों में समय–समय पर निधियां जारी करने हेतु सक्षम हो जाएंगे।

IV. राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के प्रतिनिधि सहित संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों वाली दो सदस्यीय समिति संस्थाओं को मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले सहायता अनुदान की निगरानी करेगी।

7. परियोजना प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाने वाली दस्तावेजों की सूची (कार्य क्षेत्र के उप घटक (i) के अंतर्गत सहायता के मामले में लागू)।

i. संग्रहालय / संस्थान का पंजीकरण प्रमाण पत्र

ii. संस्थान के संगम ज्ञापन की प्रति

iii. सोसाइटी/ न्यास की नियमावली/ उप–विधियों की प्रति

iv. गत तीन वर्षों के सम्प्रीक्षित लेखा–विवरण की प्रतियां

v. गत तीन वर्षों के वार्षिक रिपोर्ट/ कार्यकलाप रिपोर्ट

vi. संपूर्ण बजट अनुमान के साथ प्रस्तावित क्षमता निर्माण/ प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण

vii. नामित अभ्यर्थी का संपूर्ण जीवन–वृत्त और अभ्यर्थी द्वारा विधिवत सत्यापित उसके पासपोर्ट की प्रति।

viii. प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अभ्यर्थी के प्रशिक्षण से संग्रहालय किस प्रकार लाभान्वित होगा, इस आशय का संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित विवरण।

ix. परियोजना को वित्त पोषित करने संबंधी अन्य स्रोतों के विवरण

x. प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थी की मेजबानी करने के लिए इच्छुक अंतरराष्ट्रीय संस्थान से आशय/ आमंत्रण पत्र या स्वीकृति पत्र।

xi. बैंक में सीधे अनुदान भेजने के लिए प्राधिकार पत्र (संलग्न प्रपत्र में)।

xxii. सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2005 के नियम 209 (1) के अनुसार प्रमाण–पत्र (संलग्न प्रपत्र में)

xiii. नीति आयोग के पोर्टल http://ngo-india.gov.in पर एनजीओ–भागीदारी पद्धति (एनजीओ–पीएस) पोर्टल (एनजीओ–दर्पण) पंजीकरण संख्या की प्रति।

7. प्रशिक्षण की अवधि

i. कार्य क्षेत्र के उप घटक (i) के लिए, किसी भी क्षमता निर्माण या प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम दो सप्ताह से लेकर अधिकतम 2 वर्ष के बीच हो सकती है।

ii. कार्य क्षेत्र के उप घटक (ii) के लिए, किसी भी क्षमता निर्माण या प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि अंतरराष्ट्रीय संग्रहालयों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तों और निबंधन के अधीन होगी।

8. टिप्पण

I. आवेदक संस्थानों द्वारा नामित अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए :–

i) अभ्यर्थी भारतीय नागरिक होना चाहिए।

ii) अभ्यर्थी किसी भी विषय में कम से कम स्नातक होना चाहिए।

iii) संस्थान द्वारा प्रशिक्षण पर भेजने के लिए प्रस्तावित अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों को संग्रहालय में / के लिए कार्य

करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और इसके साक्ष्य स्वरुप संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, तब भी यदि उसने आवेदक संस्थान के साथ 3 वर्ष तक कार्य न किया हो।

iv) वे व्यक्ति जो संग्रहालय/संस्थान के साथ कार्य नहीं करते हैं और केवल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, उन्हें इस अनुदान के माध्यम से कोई सहायता नहीं दी जाएगी।

v) उपरोक्त (i) में पात्रता मानदंड के अनुसार न्यासों /सोसाइटियों के रूप में पंजीकृत गैर–सरकारी संग्रहालयों के अभ्यर्थियों के मामलों में, संग्रहालय को निम्नलिखित तरीके से इस स्कीम के तहत मंत्रालय से प्राप्त सहायता को स्वीकार करना चाहिए :–

क. संग्रहालय के प्रवेश द्वार के महत्वपूर्ण स्थान पर संस्कृति मंत्रालय का लोगो और नाम प्रदर्शित होना चाहिए और इसे मंत्रालय के आभार स्वरूप अनुदान जारी होने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि तक उसी स्थान पर प्रदर्शित रखा जाए।

ख. संग्रहालय/अभ्यर्थी द्वारा तैयार किए गए प्रशिक्षण की अंतिम रिपोर्ट में मंत्रालय की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया जाना चाहिए।

ग. अंतरराष्ट्रीय संस्थान/संग्रहालय जिन्हें सहयोग दिया जा रहा है उन्हें अभ्यर्थी की मदद करने के लिए संस्कृति मंत्रालय के योगदान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक पत्र उपलब्ध कराना चाहिए।

II. इस स्कीम के तहत अन्तराष्ट्रीय सम्मेलनों या सेमिनारों में भागीदारी के लिए सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

III. संग्रहालय पेशेवरों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के उद्देश्य से वित्तीय अनुदान संग्रहालय को 3 वर्ष में एक बार दिया जाएगा।

6

विज्ञान की संस्कृति के संवर्धन की स्कीम (एसपीओसीईएस)

1. प्रारंभ

देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसएण्डसटी) के क्षेत्र में कैरियर बनाने के उद्देश्य से युवा विद्यार्थियों की रूचि के स्तर में लगातार गिरावट को देखते हुए, प्रायोगिक और आकर्षक गतिविधियों के लिए अतिरिक्त ढांचा तैयार करने हेतु स्टेम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी एवं गणित) शिक्षा को, विशेषकर शिक्षा के अनौपचारिक पद्धति को सबल बनाने की अत्यधिक आवश्यकता है। समाज में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति समुचित जागरूकता लाने की भी आवश्यकता है।

भारत सरकार की सतत वैज्ञानिक नीतियों में जनता, विशेषकर युवा वर्ग के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की लोकप्रियता एवं जागरूकता तथा गतिविधि आधारित अध्ययन के लिए अवसंरचना के सृजन पर बल दिया गया है। समाज के दीर्घकालिक विकास और सुविचारित निर्णय निर्माण हेतु विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं सामयिक वैश्विक विषयों के संबंध में लोगों के ज्ञान की सीमा को विस्तारित करने की भी आवश्यकता है। चूंकि, भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था युग में प्रगति करनी है, तो राष्ट्र को भागीदारी, सृजनात्मकता और नवीनीकरण हेतु सुविधाओं के सृजन के माध्यम से एक अभिनव समाज विकसित करना होगा।

इसके अतिरिक्त, भारत में वर्ष 2020 तक युवाओं की जनसंख्या लगभग 60–65% तक हो जाएगी और भविष्य इनकी अपनी सृजन संभाव्यता को उपयोग में लाने की योग्यता पर टिका है। खाद्य, जल, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, शिक्षा एवं वहन करने योग्य आवास संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों को खोजने के लिए युवाओं को समर्थ बनाने के उद्देश्य से उनके बीच नवप्रवर्तन और समस्या हल करने के कौशल की संस्कृति विकसित करने की बढ़ती आवश्यकता है। समाज के बड़े वर्ग को लाभान्वित करने वाले ये महत्वपूर्ण उपाय ही देश में बढ़ती असमानता को समाप्त करने के लिए कारगर होंगे। एक नवाचार समाज के सृजन के लिए सुदृढ़ नूतन पारिस्थितिकी तंत्र अति महत्वपूर्ण है जिससे नूतन विचार उत्पन्न होते हैं तथा यह इन विचारों के सफल उपयोग हेतु मंच भी प्रदान करता है।

देश के विभिन्न भागों में विज्ञान शहरों /विज्ञान केन्द्रों और नवप्रवर्तन केन्द्रों का विकास संस्कृति मंत्रालय की गतिविधियों का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम) संस्कृति मंत्रालय के एक स्वायत्त संगठन के रूप में विज्ञान शहरों /विज्ञान केन्द्रों और नवप्रवर्तन केन्द्रों को स्थापित करने वाली कार्यान्वयन एजेन्सी है।

2. प्रस्तावना

विज्ञान शहर

विज्ञान शहर किसी स्थान का लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण होता है। यह जांच पड़ताल की भावना को मस्तिष्क में बैठाने, सृजनात्मक कौशल प्रोत्साहित करने और पूरे समाज में वैज्ञानिक मनोवृत्ति सृजित करने के लिए प्रयोग आधारित आकर्षक अध्ययन परिवेश प्रदान करता है। इसकी विशेषता संचार की द्विस्तरीय प्रणाली – प्रदर्शनियां एवं गतिविधियां हैं। जबकि आंतरिक और बाह्य, दोनों प्रदर्शनियां अधिकतर संवादमूलक होती है, प्रस्तुतीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सहभागिता प्रधान हैं तथा बच्चों एवं वयस्कों को आमोद–प्रमोद एवं आनंद के साथ विज्ञान के मूल तत्व सीखने में मदद करते हैं।

यह प्रमुखतः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा मनोरंजनयुक्त शिक्षा के अग्रणी क्षेत्रों में केन्द्रित होगा और वित्तीय रूप से स्वयं वहनीय होगा। इसकी अवधारणा इस तरह से होगी कि यह विद्यार्थियों, परिवारों, पर्यटक और आम जनता के लिए आकर्षक और लाभप्रद हो। इसके प्रस्तुतीकरण में अत्याधुनिक कला संचार साधनों और प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा।

विज्ञान केन्द्र :

विज्ञान केन्द्र प्रायोगिक पद्धति अपनाकर आकर्षक व्यावहारिक विज्ञान की संभाव्यता प्रदान करता है जिसके लिए यह आगन्तुकों को कई प्रायोगिक विकल्प देता है जिसके माध्यम से वे स्वयं वैज्ञानिक अवधारणा का पता लगा सकते हैं। शिक्षा की ऐसी पद्धति हमारे देश में अभी तक औपचारिक विज्ञान शिक्षा की पूर्ति करने में बहुत प्रभावी साबित हुई है।

नवाचार केन्द्र :

नवाचार केन्द्र वर्तमान विज्ञान शहरों / विज्ञान केन्द्र, विज्ञान संग्रहालयों और अनौपचारिक शैक्षिक संस्थानों जो सृजनात्मकता को बढ़ावा देते हैं तथा नवाचार को प्रेरणा देते हैं, में सह–स्थापित किये जाएंगे। ऐसी सह–स्थापना से न केवल इन केन्द्र के अधिक प्रभावी उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह समस्या निदान के प्रोत्साहन और परियोजना आधारित शिक्षा तथा व्यावहारिक /प्रायोगिक शिक्षा एवं विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की प्रक्रिया में व्यावसायिक उपयोग और भूमिका को पुनः परिभाषित करेगी। ये केन्द्र नए विचारों और नवाचार के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करेंगे और इस तरह समाज एवं अर्थव्यवस्था को भावी चुनौतियों का सामना करने और बढ़ती जनसंख्या की उभरती आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करते हैं।

3. उद्देश्य

विज्ञान शहर/विज्ञान केन्द्र के मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :–

- लोगों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रकृति का विकास करने और उनमें सामान्य जागरूकता का सृजन करने, बढ़ाने और कायम रखने की दृष्टि से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास तथा उद्योग और मानव कल्याण में उनके अनुप्रयोग को दर्शाना।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया में जनजागरूकता सृजित करना एवं जनता की समझ, सराहना में वृद्धि करना तथा लोगों को शामिल करना।
- प्रदर्शनियों, सेमिनार, लोकप्रिय व्याख्यान, विज्ञान कैंप और अन्य विविध कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा क्षेत्र की आम जनता और छात्रों के लाभ के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना।
- स्कूल और कॉलेजों में दी जा रही विज्ञान शिक्षा में वृद्धि करना और छात्रों के बीच वैज्ञानिक अन्वेषण की मनोवृत्ति और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल के बाहर विविध शैक्षिक क्रियाकलापों का आयोजन करना।
- विज्ञान शिक्षा और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु विज्ञान संग्रहालय प्रदर्शों, प्रदर्शन उपकरणों और वैज्ञानिक अध्यापन सामग्री को डिजाइन करना, विकसित और विरचित करना।
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग के विशेष विषयों पर विज्ञान शिक्षकों/छात्रों, युवा उद्यमियों/तकनीशियनों/दिव्यांगों/गृहिणियों और अन्य के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

नवाचार केन्द्र के प्रमुखतः निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :

- युवा बच्चों द्वारा नवाचारों के प्रेरणा प्रदान करने के लिए मौजूदा विज्ञान शहरों / केंद्रों / संस्थाओं की गतिविधियों को समर्थ एवं मजबूत करना ;
- देश के विभिन्न भागों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक नवाचार केन्द्र के सृजन को उत्प्रेरित करना;
- युवा बच्चों के सृजनात्मक एवं नवाचार विचारों को पोषित करने के लिए यथापुयुक्त वातावरण प्रदान करना।

4. श्रेणियां :

संस्कृति मंत्रालय निम्न प्रकार के विज्ञान शहरों / विज्ञान केन्द्र / नवाचार केन्द्रों को स्थापित करने के लिए स्कीम के संशोधित मानदंड निर्धारित करता है। स्कीम में संतोषजनक कार्य–निष्पादन वाले मौजूदा विज्ञान शहरों / विज्ञान केन्द्रों के आधुनिकीकरण / उन्नयन के लिए प्रावधान भी शामिल हैं :

I. विज्ञान शहर

II. विज्ञान केन्द्र

- **विज्ञान केन्द्र (श्रेणी– I)**
- **विज्ञान केन्द्र (श्रेणी– II)**
- **विज्ञान केन्द्र (श्रेणी– III)**

III. नवाचार केन्द्र

IV. वर्तमान विज्ञान शहरों / विज्ञान केन्द्रों / नवाचार केन्द्रों का आधुनिकीकरण / उन्नयन

(कृपया ब्यौरे के लिए अनुलग्नक क, ख, ग और ङ देखे)

5. मूल मानदंड

i. जनसंख्या :

क्र.सं.	**श्रेणी**	**स्थान**
1	विज्ञान शहर	मुख्यतः उन स्थानों पर स्थित होने चाहिए जहां कोई प्रमुख विज्ञान केन्द्र स्थित न हो। तथापि, ऐसे स्थान जहां विज्ञान केन्द्र में आगंतुकों की संख्या पर्याप्त है, उस विज्ञान केन्द्र का एक विज्ञान शहर के रूप में उन्नयन किया जा सकता है या एक अलग विज्ञान शहर राज्य की राजधानी या राज्य के सबसे बड़े शहर में स्थापित किया जा सकता है बशर्ते कि विज्ञान शहर व्यवहार्य और वित्तीय रूप से स्व–निर्भर हो।
2	विज्ञान केन्द्र (श्रेणी–I)	15 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले शहर / नगर में स्थापित किये जाएं।
3	विज्ञान केन्द्र (श्रेणी–II)	5 और 15 लाख की जनसंख्या वाले शहर / नगर में स्थापित किये जाएं।
4	विज्ञान केन्द्र (श्रेणी–III)	**5 लाख से कम** जनसंख्या वाले शहर / नगर / स्थान में स्थापित किये जाएं।
5	नवाचार केन्द्र	मुख्यतः उन वर्तमान विज्ञान शहरों / विज्ञान केन्द्रों, विज्ञान संग्रहालयों, अनौपचारिक शिक्षा संस्थानों जो सृजनात्मकता को बढावा देते हैं और नवाचार को प्रेरणा देते हैं, में सह–स्थापित किये जाएं।

ii. भूमि :

क्र.सं.	श्रेणी	अपेक्षित क्षेत्र	टिप्पणियां
1	विज्ञान शहर	कम से कम 25 एकड़; तथापि, प्रदर्शनियां, सुविधाएं विशेषकर जिनमें खुली जगह तथा भावी विस्तार की आवश्यकता है, उनके लिए 30 एकड़ बेहतर होगा।	मुख्यतः बीच में स्थित हो, सुगम पहुंच हो, पूर्णतः विकसित हो, जिसमें जल भराव क्षेत्र न हो तथा यथोचित सही आकार का हो, बिना किसी बाधा के सुरक्षित (चार दिवारी सहित) हो।
2.	विज्ञान केन्द्र (श्रेणी– I)	न्यूनतम 7 एकड़	– यथोपरि –
3.	विज्ञान केन्द्र (श्रेणी– II)	न्यूनतम 5.0 एकड़ पूर्वोत्तर, पर्वतीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र के लिए 2.5 से 3.0 एकड़ स्वीकार्य होगा बशर्ते कि भूमि काफी निकट और पहुंच सुगम हो।	– यथोपरि –
4.	विज्ञान केन्द्र (श्रेणी–III)	न्यूनतम – 2.0 एकड़	– यथोपरि –
5.	नवाचार केन्द्र	न्यूनतम 1.0 एकड़	मुख्यतः उन वर्तमान विज्ञान शहरों /विज्ञान केन्द्रों, विज्ञान संग्रहालयों, अनौपचारिक शिक्षा संस्थानों जो सृजनात्मकता को बढ़ावा देते हैं और नवाचार को प्रेरणा देते हैं, में सह–स्थापित किये जाएं।

III. परियोजना लागत :

क) विज्ञान शहर

(करोड़ रूपये में)

स्थान	पूंजीगत लागत	समूह निधि	कुल परियोजना लागत
सभी स्थान (पूर्वोत्तर क्षेत्र जिसमें सिक्किम, पर्वतीय क्षेत्र और द्विपीय क्षेत्र सम्मिलित हैं, को छोड़कर)	147.00	44.00	191.00
सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र	177.00	53.00	230.00
सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्थान को छोड़कर पर्वतीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र	177.00	53.00	230.00

ख) विज्ञान केन्द्र (श्रेणी–I)

(करोड़ रूपये में)

स्थान	पूंजीगत लागत	समूह निधि	कुल परियोजना लागत
सभी स्थान (पूर्वोत्तर क्षेत्र जिसमें सिक्किम, पर्वतीय क्षेत्र और द्विपीय क्षेत्र सम्मिलित हैं, को छोड़कर)	23.00	7.00	30.00
सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र	27.60	8.40	36.00
सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्थान को छोड़कर पर्वतीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र	27.60	8.40	36.00

ग) विज्ञान केन्द्र (श्रेणी– II)

(करोड़ रूपये में)

स्थान	पूंजीगत लागत	समूह निधि	कुल परियोजना लागत
सभी स्थान (पूर्वोत्तर क्षेत्र जिसमें सिक्किम, पर्वतीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र सम्मिलित हैं, को छोड़कर)	11.70	3.50	15.20
सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र	14.00	4.20	18.20
सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्थान को छोड़कर पर्वतीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र	14.00	4.20	18.20

(घ) विज्ञान केन्द्र (श्रेणी–III)

(करोड़ रूपये में)

स्थान	पूंजीगत लागत	समूह निधि	कुल परियोजना लागत
सभी स्थान (पूर्वोत्तर क्षेत्र जिसमें सिक्किम, पर्वतीय क्षेत्र और द्विपीय क्षेत्र सम्मिलित हैं, को छोड़कर)	2.70	0.80	3.50
सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र	3.25	1.00	4.25
सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्थान को छोड़कर पर्वतीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र	3.25	1.00	4.25

ड.) नवाचार केन्द्र

(करोड़ रूपये में)

स्थान	पूंजीगत लागत	3 वर्ष के लिए आवर्ती लागत (0.20 की दर से)	कुल परियोजना लागत
सभी स्थान	1.80*	0.60	2.40

* केवल नए नवाचार केन्द्रों के लिए। संस्कृति मंत्रालय द्वारा पहले से अनुमोदित नवाचार केन्द्र वर्तमान वित्त पोषण पद्धति के साथ जारी रहेंगे।

iv. वित्तपोषण पद्धति

विज्ञान शहरों, विज्ञान केन्द्रों और नवाचार केन्द्रों की वित्त पोषण पद्धति परिवर्ती रहेगी। निधियां नीचे चर्चा की गई तीनों श्रेणियों के अनुसार प्रदान की जाएंगीः–

टाइप 'क' : संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्णतः वित्तपोषण

विज्ञान शहर टाइप 'क' के अंतर्गत स्थापित न किये जाएं। विज्ञान केन्द्र ऐसे स्थानों / क्षेत्रों में स्थापित किये जाएं जहां विज्ञान केन्द्र की गतिविधियां अभी आरंभ नहीं हुई हों या प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एनसीएसएम के माध्यम से इन केन्द्रों को **पूर्ण वित्तपोषण** करने पर विचार कर सकती है। किसी भी मामले में, स्कीम के अंतर्गत भविष्य में किसी राज्य /संघशासित क्षेत्र में एक से अधिक विज्ञान केन्द्र स्थापित नहीं किया जाएगा। जिन राज्यों /संघशासित क्षेत्रों में जहां एनसीएसएम केन्द्र पहले से मौजूद हों, वहां यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

टाइप 'ख' : भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के बीच वित्तपोषण का सहभाजन।

विज्ञान शहर के लिए पूंजीगत लागत 60:40 के आधार पर तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भाग जिसके लिए विज्ञान शहर और विज्ञान केन्द्र (श्रेणी– I,II, III) के लिए 90:10 के आधार पर बांटा जाएगा, को छोड़कर विज्ञान केन्द्र (श्रेणी I, II, III) के लिए 50:50 आधार पर बांटा जाएगा। यदि समूह निधि को भारत सरकार द्वारा बांटा जाता है, तो किसी भी मामले में कुल समूह निधि 20% से अधिक नहीं होगी तथा शेष 80% राज्य सरकारों /संघशासित क्षेत्रों द्वारा वहन किया जाएगा।

भारत सरकार और राज्य सरकारों /संघशासित क्षेत्रों के बीच निधियों का सहभाजन (टाइप 'ख' के अंतर्गत वित्त पोषण)

क्र.सं.	ब्यौरे	स्थान	पूंजीगत लागत का अंश (भारत सरकार : राज्य सरकार / संघ शासित क्षेत्र)	समूह निधि का अंश (भारत सरकारः राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र)
1.	विज्ञान शहर	सभी स्थान (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर को छोड़कर)	60:40	20:80
		सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र	90:10	
2.	विज्ञान केन्द्र (श्रेणी–I)	सभी स्थान (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर को छोड़कर)	50:50	20:80
		सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र	90:10	
3.	विज्ञान केन्द्र (श्रेणी–II)	सभी स्थान (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर को छोड़कर)	50:50	20:80
		सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र	90:10	
4.	विज्ञान केन्द्र (श्रेणी–III)	सभी स्थान (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर को छोड़कर)	50:50	20:80
		सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र	90:10	

5.	नवाचार केन्द्र	सभी स्थान	50:50*	कोई समूह निधि नहीं, लेकिन, पहले 3 वर्षों के लिए आवर्ती अनुदान

* नवाचार केन्द्रों की आवर्ती लागत सहित

टाइप 'ग' : राज्य सरकार / संघशासित क्षेत्रों से पूर्ण वित्तपोषण

राज्य सरकारें / संघशासित क्षेत्र इस टाइप के अंतर्गत विज्ञान शहर / विज्ञान केन्द्र परियोजना का पूर्णतः वित्तपोषण करेंगे तथा परामर्शी शुल्कों के भुगतान के बदले एनसीएसएम की तकनीकी सहायता से विज्ञान शहर /विज्ञान केन्द्र स्थापित करेंगे।

6. आवर्ती व्ययः

विज्ञान शहर / विज्ञान केन्द्र :

विज्ञान शहरों एवं विज्ञान केन्द्रों का आवर्ती व्यय, ऐसे मामले जहां, भारत सरकार परियोजना का पूर्ण वित्तपोषण करने का निर्णय लेती है और इसका प्रबंधन अपनी एनसीएसएम जैसी व्यावसायिक एजेंसी के माध्यम से करती है, को छोड़कर राज्य / संघ शासित क्षेत्र की सरकार द्वारा पूर्णतः वहन किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष केन्द्र के रख–रखाव और वर्ष भर गतिविधियों के आयोजन के लिए वार्षिक आवर्ती व्यय हेतु प्रावधान राज्य / संघशासित क्षेत्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

विज्ञान शहर एवं विज्ञान केन्द्रों के परिचालन संबंधी घाटे के वित्तपोषण को पूरा करने के लिए समूह निधि का सृजन किया जाएगा। किसी भी मामले में समूह निधि की मूलराशि किसी अन्य गतिविधि के लिए उपयोग में नहीं लाई जाएगी। उद्घाटन के पश्चात परिचालन घाटे को पूरा करने के लिए ब्याज के अधिकतम 85% का उपयोग किया जा सकता है और कम से कम 15% वर्ष दर वर्ष आधार पर मुद्रास्फीति की पूर्ति करने के उद्देश्य से समूह निधि में वापस जमा किया जाएगा। समूह निधि की आवश्यकता परियोजना लागत के रूप में अनुमानित की जाएगी तथा मानदंडों के अनुसार भारत सरकार और राज्य / संघशासित क्षेत्र की सरकार के बीच हिस्सेदारी की जाएगी।

भारत सरकार की समूह निधि में साझेदारी, ऐसे मामले जहां भारत सरकार परियोजना का पूर्णतः वित्तपोषण करने और इसका प्रबंधन करने का निर्णय लेती है, को छोड़कर किसी भी मामले में कुल समूह निधि के 20% से अधिक नहीं होगी। भारत सरकार और राज्य सरकार / संघशासित क्षेत्र की समूह निधि में हिस्सेदारी की राशि परियोजना के अनुमोदन के पश्चात और कार्य आरंभ होने से पूर्व अग्रिम रूप में जारी की जाएगी।

समूह निधि विज्ञान केन्द्र के उद्घाटन के पश्चात सौंपे जाने पर राज्य सरकार संघशासित क्षेत्र सरकार द्वारा बनाई गई सोसाइटी को अंतरित की जाएगी और यह सोसाइटी के पास ही रहेगी। तथापि, निधि का प्रबंधन सोसाइटी के दो सदस्यों द्वारा किया जाएगा जिनमें से एक सदस्य संस्कृति मंत्रालय / राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा।

विज्ञान शहरों / विज्ञान केन्द्रों के लिए अनुमानित आवर्ती लागत अनुलग्न 'क' और 'ख' में क्रमशः संलग्न है।

नवाचार केन्द्र :

नवाचार केन्द्रों के उद्घाटन के पश्चात पहले तीन वर्षों के लिए आवर्ती लागत 20 लाख रुपये प्रति वर्ष प्रति केन्द्र की दर से संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। राज्य सरकारों/ संघशासित क्षेत्रों, संस्थानों को इसके बाद कमी के वित्तपोषण और आवर्ती लागत को वहन करना होगा।

7. परिचालन और प्रबंधन :

विज्ञान शहर :

नये विज्ञान शहरों को स्वतंत्र स्वायत्तशासी निकाय बनाया जाएगा और इनका संचालन और प्रबंधन ऐसी सोसायटियों द्वारा किया जाएगा जिनमें सदस्यों के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संचार पेशेवरों का समुचित प्रतिनिधित्व होगा और इसमें भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय से प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन सोसायटियों का गठन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एनसीएसएम के साथ विचार–विमर्श करके किया जाएगा। यदि परियोजना सोसायटी द्वारा प्रारंभ की जाती है तो परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान प्रदर्श विकास तथा कार्मिक प्रशिक्षण के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और परामर्श हेतु एनसीएसएम को सामान्य परामर्श शुल्क का भुगतान किया जाएगा। उस स्थिति में, एनसीएसएम से परियोजना की रूप–रेखा और आयोजना से संबंधित जानकारी के लिए परामर्श किया जाएगा। इन सोसायटियों को परियोजना के कार्यान्वयन की शुरूआत से पहले गठित किया जाएगा ताकि ये केन्द्र और राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और निजी/कारपोरेट/उद्योग स्रोतों, दोनों, से वित्तीय अनुदान प्राप्त कर सकें तथा वित्तीय संस्थानों से ऋण ले सकें। प्रबंधन और प्रचालन के लिए कमी का वित्तपोषण, यदि कोई हो, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रदान किया जाएगा।

सभी विज्ञान शहरों को उनके द्वारा स्वयं पर्याप्त धनराशि का सृजन करके तथा पर्याप्त प्रशिक्षित एवं व्यावसायिक स्टाफ को भर्ती करके सबसे बेहतर संभावित तरीके से चलाया जाएगा ताकि वे प्रचालन को बरकरार रख सकें। फिर भी, भविष्य के विकास के लिए पूंजीगत अनुदान को विभिन्न स्रोतों से एकत्र किया जा सकता है। कारपोरेट निवेश का विचार दो रूपों में किया जा सकता है– या तो पूंजीगत सीएसआर अनुदान से या सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से और यदि यह नहीं हो पाता है, तो सुविधाओं और मूलभूत ढांचे के सदुपयोग से लगातार कई वर्षों तक प्राप्त, राजस्व सहायता के माध्यम से किया जा सकता है।

विज्ञान केन्द्र :

वित्तपोषण प्रणाली पर आधारित विज्ञान केन्द्रों (श्रेणी–I, II, III) का परिचालन निम्नलिखित परिचालन पद्धति में से किसी एक पद्धति में किया जा सकता है :–

टाइप 'क' :– प्राथमिकता वाले क्षेत्रों या राज्यों /संघशासित क्षेत्रों जहां विज्ञान केन्द्र की गतिविधि अभी तक आरंभ नहीं की गई है और जिन्हें भारत सरकार से पूर्ण वित्तपोषण के साथ स्थापित किया गया है, का परिचालन एवं रख–रखाव एनसीएसएम के माध्यम से संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

टाइप 'ख' :– एक से अधिक विज्ञान केन्द्र बनाने के इच्छुक या विज्ञान केन्द्रों की त्वरित विकास चाहने वाले राज्य' सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन को प्राथमिकता दी जाएगी बशर्ते कि वे केन्द्र के विकसित किये जाने और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सौंपे जाने के पश्चात् केन्द्र की सम्पूर्ण परिचालन लागत वहन करने के लिए सहमत हों। इन केन्द्रों का परिचालन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार / संघशासित क्षेत्रों के द्वारा किया जाएगा।

टाइप 'ग' :– इस स्कीम के तहत, उन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी जो विज्ञान केन्द्र परियोजना में पूर्ण रूप से निधियां और भूमि तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के साथ–साथ इसे संचालित तथा प्रबंधित करने के लिए सहमत हों।

राज्य सरकारें/संघशासित क्षेत्र जो एनसीएसएम से प्रदर्शनियों और तकनीकी सहायता के लिए इच्छुक हैं, को इन घटकों के लिए अलग से लागत वहन करनी होगी जिसे एनसीएसएम द्वारा अलग से वसूल किया जाएगा।

उपरोक्त, टाइप 'ख' और 'ग' दोनों स्कीमों के अंतर्गत, विज्ञान केन्द्रों का संचालन एवं प्रबंधन एक सोसायटी द्वारा किया जाएगा, जिसमें एस एंड टी तथा विज्ञान संचार व्यावसायिकों का समुचित प्रतिनिधित्व रहेगा। परियोजना के अनुमोदन

और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा परियोजना की पूंजी लागत और समूह निधि के अपने हिस्से को जारी करने के पश्चात तुरन्त ही सोसाइटी का गठन किया जाना चाहिए। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद का एक प्रतिनिधि सोसाइटी या शासी परिषद का पदेन सदस्य होगा ताकि संस्कृति मंत्रालय और एनसीएसएम से संगठित सम्बन्ध कायम रखा जा सके। यह सोसाइटी यह सुनिश्चित करेगी कि विज्ञान केन्द्र बिना किसी विचलन के अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य कर रहा है।

8. कार्यान्वयन रूपरेखा

क. निर्माण कार्य

विज्ञान शहर :–

एनसीएसएम द्वारा परियोजना का दायित्व साधारणतः इस आधार पर लिया जाएगा कि परियोजना को पूर्णतः तैयार किया जाए। परियोजना के लिए निधियां एनसीएसएम द्वारा केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों / संघ शासित क्षेत्र, दोनों से प्राप्त की जाएंगी। एनसीएसएम विज्ञान शहर स्थापित करेगी और राज्य सरकार/ सोसाइटी को परिचालन एवं प्रबंधन के लिए सौंप देगी। विज्ञान शहर परियोजना के कार्यान्वयन हेतु एनसीएसएम और राज्य सरकार / संघ शासित क्षेत्र के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाएंगे।

एक नई विज्ञान शहर परियोजना को राज्य /संघशासित क्षेत्र द्वारा स्वयं कार्यान्वित किये जाने के मामले में भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य सरकार /संघशसित क्षेत्र सरकारों द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए एक सोसाइटी बनाई जानी चाहिए। परियोजना को संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु एनसीएसएम द्वारा जांचा जाएगा एवं प्रक्रियाबद्ध किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, भारत सरकार द्वारा निधियां संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संस्कृति मंत्रालय, एनसीएसएम, क्षेत्र के विशेषज्ञों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों वाली गठित परियोजना कार्यान्वयन समिति की सिफारिश पर सोसाइटी को दी जाएगी।

विज्ञान केन्द्र

- टाइप 'क' और टाइप 'ख' के अंतर्गत स्थापित किये जा रहे विज्ञान केन्द्र :

  एनसीएसएम द्वारा विज्ञान केन्द्र का कार्य आद्योपांत आधार पर (विज्ञान केन्द का निर्माण और इसे शुरू करने सहित) पूरा किया जाएगा और इसके पूर्ण होने पर वह इसको राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को सौंप देगी। राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र सरकार से उनका शेयर या वित्तपोषण प्राप्त होने के बाद ही एनसीएसएम निर्माण का कार्य प्रारंभ करेगी।

- टाइप 'ग' के अंतर्गत स्थापित किये जा रहे विज्ञान केन्द्र :

  राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा एनसीएसएम से प्राप्त सूचना के अनुसार विज्ञान केन्द्र के भवन निर्माण का कार्य और एनसीएसएम की सलाह के अनुसार विज्ञान पार्क आदि के विकास का कार्य किया जाएगा। एनसीएसएम द्वारा परियोजना के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को लागत एवं परामर्शी शुल्क। पर तकनीकी, व्यावसायिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

नवाचार केन्द्र :

राज्य सरकार / संघशासित क्षेत्र एनसीएसएम से प्राप्त जानकारी के अनुसार नवाचार केन्द्र के लिए भवन / जगह बनाने का निर्माण कार्य करेंगे। एनसीएसएम परियोजना के लिए राज्य / संघशासित क्षेत्र की सरकार से लागत और परामर्शी शुल्क पर तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करेगा।

(ख) स्टाफ की भर्ती

राज्य सरकार / संघशासित क्षेत्र की सरकार द्वारा इस तरह बनाई गई पंजीकृत सोसाइटी निधियों के जारी होने के

6 माह के भीतर अपेक्षित मूलभूत स्टाफ की भर्ती पूरी करेगी। एनसीएसएम स्टाफ की भर्ती एवं प्रशिक्षण के लिए ईसी को व्यावसायिक सहायता प्रदान करेगी। प्रशिक्षण की लागत सोसाइटी द्वारा वहन की जाएगी।

एनसीएसएम द्वारा संचालित किये जाने वाले विज्ञान केन्द्रों के लिए स्टाफ की भर्ती एनसीएसएम द्वारा की जाएगी। विज्ञान केन्द्र के लिए अपेक्षित मूलभूत स्टाफ की संख्या मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की जाएगी और एनसीएसएम को निधियां वार्षिक रूप से आबंटित की जाएगी।

नवाचार केन्द्रों के लिए, विज्ञान शहर/ विज्ञान केन्द्र / संस्थान वर्तमान स्टाफ से नवाचार केन्द्र के संचालन हेतु पर्याप्त मानव शक्ति की तैनाती करेंगे तथा विद्यार्थियों के मार्गदर्शन करने हेतु अनुभवी परामर्शदाता नियुक्त करेंगे।

9. समय–सारणी :

क्र.सं.	टाइप	निर्माण कार्य हेतु आशय पत्र जारी होने की तारीख से कार्य पूरा होने का समय
1.	विज्ञान शहर	54 माह
2.	विज्ञान केन्द्र (श्रेणी– I)	33 माह
3.	विज्ञान केन्द्र (श्रेणी– II)	27 माह
4.	विज्ञान केन्द्र (श्रेणी– III)	24 माह
5.	नवाचार केन्द्र	18 माह

10. निधियों (पूंजी एवं समूह निधि) का वर्षवार आवंटन / उपयोग :

विज्ञान शहरों / विज्ञान केन्द्रों / नवाचार केन्द्रों के लिए निधियों के वर्षवार आवंटन / उपयोग का ब्यौरा क्रमशः **अनुलग्नक – क, ख** और **ग** में दिया गया है।

11. विषयवस्तु:

विज्ञान शहरों / विज्ञान केन्द्रों / नवाचार केन्द्रों की विषयवस्तु क्रमशः **अनुलग्नक क,ख और ग** के अनुसार होगी।

12. स्टाफ अवसंरचना :

विज्ञान शहर / विज्ञान केन्द्रों की स्टाफ अवसंरचना **अनुलग्नक क एवं ख** के अनुसार होगी।

13. निगरानी

विज्ञान शहर :

स्टाफ की भर्ती, बजटीकरण, विज्ञान शहर के कार्यकलापों की वार्षिक योजना तैयार करने और निष्पादन के लिए निजी स्वायत्त सोसाइटियों के रूप में स्थापित विज्ञान शहरों की निगरानी संबंधित राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा गठित कार्यकारी परिषद (उच्च स्तरीय समिति) द्वारा की जाएगी और इस समिति में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, एनसीएसएम, संबंधित राज्य सरकार, उनके निजी/कॉरपोरेट भागीदार (यदि कोई हो) से समुचित प्रतिनिधित्व होगा और इसमें शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उद्योग, विज्ञान संचार तथा संग्रहालय विज्ञान के क्षेत्रों से कम से कम पांच प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे।

विज्ञान केन्द्र

स्टाफ की भर्ती, बजटीकरण, विज्ञान केन्द्र/शहर के कार्यकलापों की वार्षिक योजना तैयार करने और निष्पादन के लिए टाइप–'ख' और 'ग' के अन्तर्गत निजी स्वायत्त सोसायटियों के रूप में स्थापित विज्ञान केन्द्र की निगरानी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा गठित कार्यकारी परिषद द्वारा की जाएगी, जिसमें संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, एनसीएसएम, संबंधित राज्य सरकार, उनके निजी/कार्पोरेट भागीदार (यदि कोई हो) से समुचित प्रतिनिधित्व होगा और इसमें शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उद्योग, विज्ञान संचार तथा संग्रहालय विज्ञान के क्षेत्रों से कम से कम पांच प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे।

नवाचार केन्द्र :

नवाचार केन्द्रों की निगरानी औद्योगिक संघों, शैक्षणिक समुदाय, सिविल सोसाइटी, अनुसंधान संगठनों एवं अन्य के प्रतिनिधियों (कम से कम 5 सदस्य) और एनसीएसएम के प्रतिनिधि को सम्मिलित करके गठित स्थानीय बोर्ड के द्वारा की जाएगी।

14. परिणाम मूल्यांकन सूचक :

स्कीम के अंतर्गत स्थापित विज्ञान शहरों / विज्ञान केन्दों / नवाचार केन्द्रों की निगरानी निम्नलिखित परिणाम मूल्यांकन सूचकों के आधार पर की जाएगी :

विज्ञान केन्द्र/ शहर :

विज्ञान केन्द्रों / शहरों के शुरू होने के पश्चात 5 वर्षों की अवधि में निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने चाहिए :–

क. अपने परिचालन की लागत का कम से कम 50 प्रतिशत सृजन करना ;

ख. विज्ञान केन्द्रों में पर्यटकों के आने का वार्षिक लक्ष्य निम्नानुसार प्राप्त करना :–

- I. श्रेणी–I लगभग 2,50,000 (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए – 2,00,000) ;
- II. श्रेणी–II लगभग 1,50,000 (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए – 75,000) ;
- III. श्रेणी–III (विज्ञान एवं नवाचार गतिविधि केन्द्र) लगभग, 30,000 ;
- IV. विज्ञान शहर लगभग 10.00 लाख (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 5.00 लाख)

ग. जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, प्रकृति संरक्षण, स्थानिक मामले, कौशल विकास आदि से संबंधित गतिविधियों सहित कम से कम 25 आंतरिक एवं बाहरी विज्ञान संचार गतिविधियां वर्ष भर में आयोजित करना।

नवाचार केन्द्र :

आरंभ के पश्चात नवाचार केन्द्रों को निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए :

क. प्रति वर्ष कम से कम 300 सक्रिय नवाचार सदस्यों को सम्मिलित करना ;

ख. विद्यालय / महाविद्यालय के विद्यार्थियों और अध्यापकों द्वारा नवाचार केन्द्रों में वार्षिक दर्शन भ्रमणों की संख्या में वृद्धि करना (लगभग 10,000 प्रतिवर्ष)

ग. सफल नवाचार प्रतिकृतियों के पेटेंट / कापीराइट फाइल करना ;

घ. नजदीक के विद्यालयों में कम से कम 10 नवाचार क्लब स्थापित करना

इसके अतिरिक्त, नवाचार केन्द्रों को निम्न के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए :–

- समय–समय पर डिजाइन एवं स्थानीय समस्याओं के संबंध में वैचारिक चुनौतियों पर प्रतियोगिताओं सहित वैचारिक मुकाबले। इससे नवाचार गतिविधियों में निचले स्तर पर युवाओं को शामिल करने और व्यस्त रखने, इससे सृजनात्मकता प्रोत्साहित करने और अभिर्निधारण तथा स्थानीय समस्याओं का विश्लेषण करने में सहायता मिलेगी।
- आईआईटी/ एनआईटी/ विश्वविद्यालयों / अनुसंधान संस्थानों और उद्योग जगत के साथ मजबूत संबंध बनाना ;
- देशभर के विद्यालय / संस्थानों में सफलता की कहानियों और परामर्शदाताओं के प्रशिक्षण के सहभाजन से नवाचार केन्द्र सुविधाओं के लिए विद्यार्थी भागीदारों के प्रदर्शन भ्रमणों के माध्यम से अटल टिंकरिंग लैबस (एटीएल) के सहयोग से एटीएल के साथ सहक्रियता विकसित करना।

15. सरकार से निकासी/राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा पूरी की गई अपेक्षाएं :

(i) स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किसी नए प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा समय – समय पर जारी किये गए चुनौती प्रणाली दिशानिर्देशों और स्कीम में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मानदण्डों / मापदंडों के अनुसार विचार किया जाएगा।

(ii) स्कीम के अंतर्गत विज्ञान शहरों / विज्ञान केन्द्रों / नवाचार केन्द्रों को स्थापित करने हेतु भारत सरकार से अनुमोदन अपेक्षित होता है।

(iii) केन्द्र / राज्य / संघशासित क्षेत्र की सरकार / अन्य निकायों आदि के स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित सभी अन्य वैधानिक निकासी और अनुमोदन राज्य सरकारों / संघशासित क्षेत्रों द्वारा प्राप्त किये जाएंगे।

(iv) राज्य / संघशासित क्षेत्र की सरकार नियमानुसार मुफ्त भूमि और निधियां प्रदान करने और प्रचलन और विज्ञान शहरों / विज्ञान केन्द्रों / नवाचार केन्द्रों का प्रबंधन के लिए पर्याप्त व्यावसायिक स्टाफ प्रदान करने का वचन देंगे।

(v) यदि, विज्ञान शहरों / विज्ञान केन्द्रों / नवाचार केन्द्रों की परियोजनाओं का दायित्व और कार्यान्वयन एनसीएसएम द्वारा पूरा किया जाता है, तो इनके कार्यान्वयन हेतु एनसीएसएम और राज्य / संघ शासित क्षेत्र की सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाएंगे।

(vi) कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के लिए विज्ञान शहर / विज्ञान केन्द्र / नवाचार केन्द्र स्थापित करने हेतु डीपीआर में सोलर रूफ टॉप के लिए उपबंध करना बाध्यकारी होगा।

(vii) विज्ञान शहर/ विज्ञान केन्द्र के लिए भूखण्ड का चुनाव एनसीएसएम के परामर्श एवं अनुमोदन से किया जाएगा।

(viii) विज्ञान केन्द्र के लिए निश्चित किए गए भूखण्ड पर किसी भी तरह की बाधा और अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। यह पूर्णतः विकसित और संरक्षित (चारदिवारी सहित) होना चाहिए जिसमें बिजली, पानी, सीवरेज कनेक्शन और संचार सुविधाएं नजदीक उपलब्ध होनी चाहिए। भूखण्ड सुगम पहुंच और परिवहन के लिए सड़क से भली–भांति जुड़ा होना चाहिए।

(ix) महत्वपूर्ण स्टाफ (अनुलग्नक 'क', 'ख' और 'ग' के अनुसार) के अलावा अन्य आवश्यक सेवाएं सोसाइटी / शासी परिषद द्वारा आउटसोर्स की जाएं।

(x) विज्ञान शहर/ विज्ञान केन्द्र भवन प्रमापीय रूप से विकसित किया जाएगा जिसमें भविष्य में स्थानीय आबादी

और केन्द्र में आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के आधार पर यथावश्यक विस्तार किया जा सके।

(xi) भवन निर्माण में स्थानीय सामग्री, श्रमिक, विशेषज्ञता को प्राथमिकता / वरीयता दी जाए। साथ ही, जो भी सामुदायिक भागीदारी बने, इसे प्रोत्साहित किया जाए। विज्ञान शहर / विज्ञान केन्द्र / नवाचार केन्द्र भवन, संकुल एवं इसके आस पास साफ–सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जाए। नवीकरण ऊर्जा, ऊर्जा बचत उपकरणों के उपयोग को उच्च वरीयता दी जाए।

(xii) स्कीम के अंतर्गत निर्मित सभी भवनों को स्थानीय रूप से लागू अग्नि सुरक्षा नियमों और राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाना चाहिए।

16. संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदन हेतु पूर्व अपेक्षाएं

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर): विज्ञान शहर / विज्ञान केन्द्र की इच्छुक राज्य सरकार / संघशासित क्षेत्रों को डीपीआर प्रस्तुत करनी होगी। इस डीपीआर में संभाव्यता रिपोर्ट, उस स्थान पर विज्ञान शहर/ विज्ञान केन्द्र की आवश्यकता हेतु मांग सर्वेक्षण, मुफ्त भूखंड और आवर्ती लागत, आगंतुकों की अनुमानित संख्या, अनुमानित राजस्व सृजन की वचनबद्धता सम्मिलित है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या प्रस्तावित विज्ञान शहर / विज्ञान केन्द्र अर्थक्षम और वित्तीय रूप से आत्मिनिर्भर है।

नवाचार केन्द्र के लिए इच्छुक विज्ञान केन्द्रों /संस्थानों को **अनुलग्नक 'घ'** के संलग्न प्ररूप में डीपीआर प्रस्तुत करनी होगी।

17. मानदण्डों में छूट :

विशेष मामलों / परिस्थितियों में, संस्कृति मंत्री, भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित पात्रता मानदण्डों में छूट दी जा सकती है और / या इनमें संशोधन किया जा सकता है :

(i) जनसंख्या

(ii) भूखण्ड

(iii) वित्त पोषण पद्धति

(iv) ज्ञान अर्जन के लिए सुविधाओं के अमूर्त परिणाम को ध्यान में रखते हुए परियोजना की संभाव्यता और वित्तीय लाभप्रदता।

18. वित्तीय सहायता के लिए कौन पात्र है?

विज्ञान शहर / विज्ञान केन्द्र / नवाचार केन्द्रों के उद्देश्यार्थ राज्य सरकारें / संघशासित क्षेत्र और राज्य/संघशासित क्षेत्र की सरकारों द्वारा स्थापित सोसाइटियां/प्राधिकरण मानदण्डों के अनुसार भारत सरकार से वित्तीय सहायता हेतु पात्र होंगे।

19. प्रस्ताव कैसे प्रस्तुत किए जाएं?

डीपीआर सहित प्रस्तावों को विचारार्थ निम्नलिखित पते पर भेजें :

एम–II प्रभाग, संस्कृति मंत्रालय
भारत सरकार,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली–110001

6.1

विज्ञान शहर

1. अंतर्वस्तु

विज्ञान शहर के प्रदर्शों और कार्यकलापों के प्रस्तुतिकरण में वैज्ञानिक मूल्यों और नवीनता का उचित मिश्रण होगा ताकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से आम लोगों को आकर्षित करने में सक्षम हो सके। विज्ञान शहर के प्रदर्शों और कार्यकलापों की संरचना में शिक्षा और मनोरंजन पर मुख्य जोर होगा। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यकलापों में आंगतुकों की भागीदारी के लिए व्यापक अवसर प्रदान करेगा। निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर विचार किया जा सकता है :

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ रूबरू

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों तथा रूचिकर और आनंददायी वस्तुगत प्रस्तुतिकरण, वृहत् आरूप वाली फिल्मों, 3डी प्रस्तुतिकरण, वास्ताविक अनुभवों, अनुरूपकों और अनेक हाइ–टेक प्रणालियों जैसे अनुभव आधारित और आकर्षक प्रदर्शों के माध्यम से समाज पर उनके प्रभाव से परिचित कराने हेतु एक विज्ञान प्रदर्शनी हॉल; वस्तुगत प्रस्तुतिकरण भारतीय प्रयास की विशिष्टा दशांएगे।
- प्रदर्श विषयवस्तु में बहुविषयक होंगे तथा अपनी प्रकृति में यथासंभव दक्ष और बौद्धिक होंगे जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नए क्षेत्रों के आविर्भाव के साथ ये विषय समयांतराल में बदल जाते हैं। तथापि, मौजूदा संदर्भ में, नैनो–प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैव–प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स और ऑप्टिकल फाइबर, कंप्यूटर्स, पृथ्वी विज्ञान, मानव शरीर, सूचना प्रौद्योगिकी, बायो इन्फोर्मेटिक्स, भारी उद्योग, कृषि, पर्यावरण और वैज्ञानिक अवधारणाओं की नवीनतम मान्यता आदि जैसे विषयों पर विचार किया जा सकता है।
- कारपोरेट निकायों, अनुसंधान और विकास संस्थानों, वैज्ञानिक विभागों आदि को उनके कार्यकलाप के संबंधित क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मौजूदा स्थिति और अनुसंधान एवं विकास पहलों को दर्शाने के लिए समर्पित अवसंरचना प्रदान की जाएगी।
- 600–1000 सीटों वाला एक बहुप्रयोज्य ऑडिटोरियम जिसमें विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम और विज्ञान फिल्म प्रदर्शन किए जा सकें, शैक्षिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक/कारपोरेट कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें, (ऑडिटोरियम की क्षमता इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है कि 10 लाख दर्शक विज्ञान शहर देखने आएंगे)।

अन्य संस्थानों को अपने सम्मेलन, व्याख्यान, बैठक, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किराया प्रभारों का भुगतान कर विज्ञान शहर में करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि बिजली प्रभारों, निगम करों आदि सहित ओडिटोरियम के नियमित रखरखाव और प्रचालन के लिए सभी व्यय पूरे किए जा सकें। यद्यपि, रियायती दरों पर बिजली प्रदान करने तथा गैर–वाणिज्यिक दर पर निगम कर सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाएगा, जबकि इन कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए सभी करों और रॉयल्टी का वहन आयोजकों द्वारा किया जाएगा।

(ख) प्रयोग कार्य और पाठ्यक्रम अनुपूरण

- विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा को पूरा करने वाले संवादमूलक प्रदर्श यहां विकसित और स्थापित किए जाएंगे

जिनका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मूल सिद्धांतों की रोचक तथा मनोरंजक तरीके से व्याख्या करना होगा।

- आगंतुकों और विद्यार्थियों के लिए प्रायोगिक कार्यकलाप आधारित प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी जिनका उद्देश्य जन–जागरूकता फैलाना तथा जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, फोटोनिक्स आदि जैसे अत्याधुनिक विज्ञान और अभियांत्रिकी का समावेश और समझ पैदा करना होगा। ऐसी प्रयोगशालाओं का उद्देश्य विज्ञान केन्द्रों और शैक्षिक संस्थानों को सक्रिय अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोग तथा अनुसंधान से जुड़े अनुसंधान संस्थानों के साथ जोड़ना होगा।

(ग) चारदीवारी से बाहर विज्ञान की शिक्षा

साइंस पार्क का उद्देश्य **''मनोरंजनयुक्त शिक्षा''** अर्थात् मनोरंजन के माध्यम से शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है। इसकी रूपरेखा इस प्रकार तैयार की जाएगी कि विज्ञान अनौपचारिक ''प्रायोगिक और बौद्धिक'' दृष्टिकोण से दैनिक जीवन में प्रासंगिक हो सके। संचार का द्विआयामी माध्यम प्रदर्शन और कार्यकलाप इसकी विशेषता होगी। प्रदर्श अधिकांशतः परस्पर संवादमूलक होंगे तथा प्राकृतिक और बिना दबाव वाली परिस्थितियों में खेल–खेल में और आनंदपूर्वक विज्ञान की बुनियादी बातें सीखने में बच्चों और बड़ों की एक साथ सहायता करेंगे। यहां सामाजिक स्तर, शिक्षा या आयु वर्ग पर ध्यान दिए बिना सभी की रुचि के अनुसार कुछ न कुछ होगा जिससे सीखने की संस्कृति कायम होगी। साइंस पार्क व्यवसाय, उद्योग तथा समुदाय को एकजुट करने के लिए एक सेतु का काम करेगा।

(घ) दर्शकों के मनोरंजन की सुविधाएं/सुख सुविधाएंः

इस क्षेत्र में जल निकाय, प्राकृतिक पगडंडी, सड़क रेलगाड़ियां, फव्वारे, आहार केंद्र, उपहार और स्मृति चिह्नों की दुकानें, भोजनालय, विश्राम गृह और ऐसी अन्य सुविधाएं शामिल होंगी जिससे न केवल दर्शकों की आवश्यकता की पूर्ति होगी बल्कि उनको अधिक समय तक वहां रोके रखने में सहायक होगी।

(ङ.) मूलभूत सुविधाएं

विज्ञान शहर में जनता के लिए निम्नलिखित मुख्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगीः–

- 5 से 7 बड़ी संवादमूलक विज्ञान प्रदर्शनियों सहित विज्ञान अन्वेषण हॉल
- डिजिटल डोम थियेटर, 3–डी शो, अनुरूपक तथा अंतरिक्ष विज्ञान प्रदर्शनियों सहित अंतरिक्ष की सैर
- क्रियाकलापों एवं प्रयोगों द्वारा विज्ञान को समझाने के लिए प्रदर्शन क्षेत्र
- बाह्य साइंस पार्क
- विकास पार्क
- ऑडिटोरियम
- कार्यशाला
- कैफेटेरिया, उपहार की दुकान, आगंतुक व्याख्या क्षेत्र सहित जन उपयोगिताएं।
- कार पार्किंग
- टिकट सुविधा, सुरक्षा एवं आगंतुक स्वागत तथा व्याख्या क्षेत्र सहित गेट प्लाज़ा

(च.) नवाचार केन्द्र :

इसका उपयोग छात्रों के लिए नवाचारी प्रयोगों (तोड़–फोड़–जोड़), विषयगत परियोजनाओं और विज्ञान कार्यकलाप शिविरों के लिए किया जाएगा।

2. प्रदर्शनी का क्षेत्रफलः

(क) भवन के अंदर प्रदर्शनियों के लिए भूमि क्षेत्रफल (न्यूनतम)

(क) विज्ञान प्रदर्शन हॉल–	10000 वर्ग मीटर
(ख) खुली प्रयोगशाला और पारस्परिक प्रदर्श हॉल–	2500 वर्ग मीटर
(ग) प्रवेश प्लाज़ा और दर्शकों की सुविधाएं–	1500 वर्ग मीटर
कुल योगः	14,000 वर्गमीटर

(ख) बाह्य प्रदर्शनः

(क) विज्ञान पार्क	20,000 वर्ग मीटर

स्थायी मूलभूत ढांचा विकसित करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि निर्मित और खुले क्षेत्रफलों का अनुपात 25:75 रहे जिससे कि दर्शकों को किसी एक विशेष स्थान पर ही सीमित होकर न रहना पड़े और वर्ष के विशेष दिनों की भीड़ के समायोजन के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके।

भविष्य में किसी विस्तार के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। भूमि के एक भाग को आगतुंक सेवा क्षेत्र की तरह विकसित किया जा सकता है जिसको विज्ञान शहर की परिचालन लागत को पूरा करने के लिए धन एकत्र करने के उद्देश्य से दूसरी एजेंसियों को किराए पर दिया जा सकता है ताकि उसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

3. बजट अनुमान

नई विज्ञान शहर परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए कुल अनुमानित परियोजना लागत 191 करोड़ रुपए है (पूंजीगत लागत 147 करोड़ रूपए तथा समूह निधि 44 करोड़ रूपए है)। पूर्वोत्तर क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्रों के लिए विज्ञान शहर की परियोजना लागत 230.00 करोड़ रुपए है (पूंजीगत लागत 177.00 करोड़ रूपए तथा समूह निधि 53.00 करोड़ रूपए है)। तथापि, पृथक परियोजना घटक के लिए विस्तृत आकलन तैयार किए जाने की आवश्यकता है जो स्थल की स्थिति, भवन डिजाइन, विदेशी मुद्रा मूल्य तथा निर्माण कार्य की स्थानीय लागत पर निर्भर करता है।

व्यय (डीपीएआर 2015 पर आधारित औसत) की विभिन्न मदों का सांकेतिक ब्यौरा इस प्रकार है :

विज्ञान शहर भवन के निर्माण हेतु आकलित लागत

क्र.सं.	मद विवरण	क्षेत्र	इकाई	दर	योग (करोड़ रू. में)
I.	**भवन और अन्य कार्यों पर व्यय**				
(क)	भूमि की कीमत *राज्य सरकार इसे परियोजना के लिए अपने हिस्से के रूप में बिना मूल्य प्रदान के करेगी				00.00
(ख)	23,500/–रू. प्रति वर्ग मीटर की दर से आंतरिक प्रदर्शनी हाल सहित 14,000 वर्ग मीटर (न्यूनतम) का विज्ञान शहर भवन। i) आरसीसी फ्रेम संरचना	14000.0	वर्गमीटर	23500.00	32.90

	ii) 500 कि.ग्रा. / वर्ग मीटर से 1000 कि.ग्रा./ वर्ग मीटर से अधिक भारी वजन को संभालने के लिए मजबूत संरचनात्माक ढांचा	14000.0	वर्गमीटर	1500.00	2.10
	iii) 35 वर्ग मीटर से अधिक बड़े मोड्यूल	14000.0	वर्गमीटर	1500.00	2.10
	iv) भूकंप रोधी संरचना	8000.0	वर्गमीटर	1140.00	0.91
	v) 3.35 मीटर की सामान्य तल ऊंचाई के ऊपर प्रत्येक तल की 0.3 मीटर अतिरिक्त ऊंचाई				
	क) **भवन के लिए 270.00/– प्रति 0.3 मी अर्थात** (270.00x3)= 810.00/– की दर से (4.2मी – 3.35 मी) = 0.85 मी /0.3 मी = 3 (अतिरिक्त (ऊंचाई)	14000.0	वर्गमीटर	810.00	1.13
	vi) 0.6 मी. की सामान्य प्लिंथ ऊंचाई के ऊपर प्रत्येक 0.3 मी. की उच्चतर प्लिंथ	8000.0	वर्गमीटर	270.00	0.22
	vii) 25 मी. की गहराई तक स्तंभ आधारित बुनियाद (केवल भूतल क्षेत्र में)	8000.0	वर्गमीटर	23500.00	18.80
	(viii) भूमि विकास लागत (सीपीडब्ल्यूडी के मौजूदा मानदंडों के अनुसार 285.00 रु. प्रति वर्ग मीटर की दर से वर्षा जल निकासी के लिए समतलीकरण, बागवानी विकास)	100000	वर्गमीटर	285.00	2.85
				उप–योग=	**61.01**
ग	आंतरिक विद्युतीकरण कार्य 17.5%				10.17
घ.	4% की दर से आंतरिक जल आपूर्ति एवं सैनिटरी संस्थापन				2.44
				योग =	**73.62**
ड.	**लागत सूची 10%**				6.78
				अर्थात् =	**80.40**
च.	कार और बस पार्किंग क्षेत्र/अंदर की सड़कें/भूदृश्यन				3.50
छ.	वातानुकूलन/तापरोधन/ध्वनिकता				4.50
ज	ट्रान्सफार्मर (2 मेगावाट) यूपीएस/डी.जी.सेट				3.00
झ.	कुर्सियां/कार्पेट				1.00

ञ–	6% की दर से आयोजना, पर्यवेक्षण और निर्माण कार्य				5.54
				कुल=	**97.94**
II.	**प्रदर्शों, उपकरणों और भंडारगृहों पर व्यय :**				
	क. सहायक उपकरणों सहित बृहद प्रारूप चलचित्र प्रक्षेपण इकाई				16.00
	ख. अनुरूपक/3डी चलचित्र थिएटर				04.00
	ग. प्रदर्श और कला वस्तुएं				
	(i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी, के साथ अनुभव आधारित विषयगत प्रदर्श।				08.00
	(ii) प्रयोग कार्य और पाठ्यक्रम पूरक के लिए संवादमूलक प्रदर्श				02.00
	घ. प्रक्षेपण–उपकरण, श्रव्य–दृश्य, विद्युतीय संस्थान आदि				
	(i) ऑडिटोरियम के लिए				01.00
	(ii) डिजिटल पैनोरमा के लिए				12.00
	ङ. विविध उपस्कर				
	(i) कार्यशाला उपकरण और मशीनें				01.00
	च. प्रदर्शों की लागत सहित विज्ञान पार्क प्रदर्शों के विकास की लागत				01.50
	छ. परियोजना स्टाफ का वेतन				02.50
	ज. परियोजना स्टाफ के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता				0.40
	झ. अन्य प्रशासनिक खर्च				0.40
	त्र. विज्ञापन एवं प्रचार				0.20
	उप–योग :				**49.00**
	कुल :				**146.94**
					(अर्थात् 147.00)
	उद्घाटन के पश्चात विज्ञान शहर के वित्तपोषण की प्रचालनात्मक कमी को पूरा करने के लिए समूह निधि हेतु प्रावधान (परियोजना लागत के 30.0% की दर से)				44.00
	कुल योग				**191.00***
	पूर्वोत्तर क्षेत्र, पर्वतीय स्थानों और द्वीपीय क्षेत्र के लिए (20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ परियोजना लागत)				
	कुल योग				**230.00****
iii	**उपर्युक्त मद (ii) में शामिल विदेशी विनिमय घटक**				
	क. सहायक उपकरणों सहित वृहद प्ररूप चलचित्र प्रक्षेपण इकाई				16.00

	ख. अंतरिक्ष कैपसूल (अनुरूपक) एवं 3–डी थियेटर	04.00
	ग. डिजिटल पैनोरमा के लिए प्रोजेक्शन उपस्कर	12.00
	घ. अन्य उपकरणों के लिए विविध	01.00
	उप–योग	**33.00**
iv.	**विदेशी विशेषज्ञों को लाने या विदेशी विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए कोई विदेशी मुद्रा का विनिमय शामिल नहीं है।**	

* परियोजना की लागत 2015 के औसत डीपीएआर दरों पर आधारित है और यह समय–समय पर आरबीआई लागत सूची के अनुसार संशोधन के अध्यधीन होगी।

(उपर्युक्त अनुमान केवल बजट प्रयोजन के लिए है। विशेष परियोजनाओं के लिए विस्तृत लागत अनुमान परियोजना के लिए तैयार की गई मास्टर योजना के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे)।

01/10/2012 के अनुसार विभिन्न क्षेत्रफल दरों पर 01/04/2014 को दिल्ली का लागत सूचकांक, आधार 100	104%
01/10/2012 के अनुसार विभिन्न क्षेत्रफल दरों पर 01/10/2014 को दिल्ली का लागत सूचकांक, आधार 100	107%
अनुपातिक आधार पर 1/4/2015 को दिल्ली का लागत सूचकांक	110%
अनुपातिक आधार पर 1/4/2017 को दिल्ली का लागत सूचकांक	115%

4. पूंजीगत परिव्यय का वर्ष–वार उपयोग

(क) सभी स्थानों के लिए (सिक्किम/पर्वतीय स्थानों और द्वीपीय क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर)

(करोड़ रूपए में)

स्रोत	परियोजना लागत (भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 60:40 आधार पर हिस्सेदारी की जानी है।)						समूह निधि	कुल योग
	प्रथम वर्ष (15%)	द्वितीय वर्ष (25%)	तृतीय वर्ष (25%)	चतुर्थ वर्ष (25%)	पांचवें वर्ष (10%)	कुल		
भारत सरकार	13.25	22.05	22.05	22.05	8.80	88.20 (अधिकतम)	8.80#	97.00
	22.05**	36.75**	36.75**	36.75**	14.70**	147.00**	44.00**	191.00**
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार	35.20 करोड़ रूपये की समूह निधि की न्यूनतम हिस्सेदारी सहित परियोजना की शुरूआत से पहले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा 94.00. करोड़ रूपये जारी करने होंगे।							

**** भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित परियोजना के मामले में।**

भारत सरकार और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से परियोजना शुरू करने से पहले तत्काल संचित निधि उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) सिक्किम राज्य सहित उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए

(करोड़ रूपए में)

स्रोत	परियोजना लागत (भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 90:10 आधार पर हिस्सेदारी की जानी है।)						समूह निधि	कुल योग
	प्रथम वर्ष (15%)	द्वितीय वर्ष (25%)	तृतीय वर्ष (25%)	चतुर्थ वर्ष (25%)	पांचवें वर्ष (10%)	कुल		
भारत सरकार	23.90	39.80	39.80	39.80	16.00	159.30 (अधिकतम)	10.60#	169.90
	26.55**	44.25**	44.25**	44.25**	17.70**	177.00**	53.00**	230.00**
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार	42.40 करोड़ रूपये की समूह निधि की न्यूनतम हिस्सेदारी सहित परियोजना की शुरूआत से पहले राज्य /संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा 60.10 करोड़ रूपये जारी किए जाने होंगे।							

** भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित परियोजना के मामले में।

भारत सरकार और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से परियोजना शुरू करने से तत्कीाल पहले समूह निधि उपलब्ध कराई जाएगी।

(ग) उपर्युक्त (ख) को छोड़कर पर्वतीय स्थानों तथा द्वीपीय क्षेत्रों के लिए

(करोड़ रूपए में)

स्रोत	परियोजना लागत (भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 60:40 आधार पर हिस्सेदारी की जानी है।)						समूह निधि	कुल योग
	प्रथम वर्ष (15%)	द्वितीय वर्ष (25%)	तृतीय वर्ष (25%)	चतुर्थ वर्ष (25%)	पांचवें वर्ष (10%)	कुल		
भारत सरकार	15.93	26.55	26.55	26.55	10.62	106.20	10.60# (अधिकतम)	116.80
	26.55**	44.25**	44.25**	44.25**	17.70**	177.00**	53.00**	230.00**
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार	42.40 करोड़ रूपये की समूह निधि की न्यूनतम हिस्सेदारी सहित परियोजना की शुरूआत से पहले राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा 113.20 करोड़ रूपये जारी किए जाने होंगे।							

** भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तः पोषित परियोजना के मामले में।

भारत सरकार और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से परियोजना शुरू करने से तत्काल पहले समूह निधि उपलब्ध कराई जाएगी।

5. परियोजना समयावधिः

	कार्यक्रम सूची	भवन के निर्माण के लिए आदेश देने की तारीख से
(क)	अंतरिक्ष थिएटर, विज्ञान अन्वेषण कक्ष, पैनोरमा आदि सहित भवन का निर्माण	48 माह
(ख)	प्रवेश प्लाजा विकास	12 माह
(ग)	विज्ञान पार्क का विकास	36 माह
(घ)	प्रदर्शों का निर्माण	30 माह
(ड.)	प्रदर्शों का संस्थापन	09 माह (अन्य सुविधाओं के पूर्ण होने के पश्चात)
(च)	केन्द्र का प्रारंभ	54 माह (लगभग)

6. भर्ती की समयावधि :

क्र.सं.	राज्य सरकार द्वारा जिन पदों के लिए निधि जारी करने की तारीख से 6 माह के अन्दर भर्ती करके तैनाती करनी होगी		राज्य सरकार द्वारा जिन पदों के लिए निधि जारी करने की तारीख से दो वर्ष के अन्दर भर्ती करके तैनाती करनी होगी	
01	निदेशक	01	संग्रहाध्यक्ष	03
	एसपीए	01	तकनीकी सहायक	02
	संग्रहाध्यक्ष	02	शिक्षा सहायक	02
	कार्यकारी अभियन्ता	01	तकनीशियन	04
	तकनीकी सहायक (सिविल)	02	सहायक (सामान्य)	05
02	शिक्षा सहायक	02	प्रवर श्रेणी लिपिक	01
	प्रशासनिक अधिकारी	01	अवर श्रेणी लिपिक	04
03	वित्त एवं लेखाधिकारी	01	ड्राइवर	01
	सहायक (सामान्य)	03		
	अवर श्रेणी लिपिक	04		
04	तकनीशियन	04		
	योगः	22	कुल	22
			कुल योग–	**44**

7. विज्ञान शहर के उदघाटन के पश्चात अनुमानित वार्षिक व्यय

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	व्यय का मद	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1.	नियमित स्टाफ का वेतन	1.56	1.72	1.90
2.	सुरक्षा/संरक्षण करार	0.30	0.35	0.40
3.	बिजली (रियायती दर पर)	1.20	1.40	1.80
4.	प्रदर्श का रखरखाव	0.25	0.40	0.50
5.	उपकरण का रखरखाव	0.15	0.15	0.20
6.	भवन का रखरखाव	0.10	0.10	0.15
7.	प्रदत्त प्रचार	0.10	0.15	0.20
8. 9.	स्पेस ओडिसी फिल्म लीज आदि विविध कार्यालय व्यय	0.50 0.10	0.50 0.12	0.50 0.15
10.	आकस्मिक व्यय	0.10	0.12	0.15
11.	नए विकास और कार्यकलाप	0.15	0.30	0.90
12.	यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता	0.20	0.25	0.30
13.	चिकित्सा	0.05	0.06	0.10
14.	पुस्तकें, फिल्म आदि	0.005	0.0075	0.01
	कुल :	**4.77**	**5.63**	**7.26**

8. विज्ञान शहर के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता

क्र. सं.	पदनाम एवं वेतनमान (पूर्व संशोधित)	ग्रेड वेतन एवं वेतन बैंड	पदों की संख्या	कुल वार्षिक पारिश्रमिक (रु. लाख में)
1	निदेशक (37,400–67,000 रु.)	8700, पीबी–4	1	12.00
2	संग्रहाध्यक्ष (15600–39100 रू.)	5400, पीबी–3	5	27.75
3	कार्यपालक अभियंता (15600–39100 रू.)	6600, पीबी–3	1	7.00
4	शिक्षा सहायक (5200–20200 रू.)	2800, पीबी–1	4	12.00
5	तकनीकी सहायक (5200–20200 रू.)	2800, पीबी–1	4	12.00
6	तकनीशियन (5200–20200 रू.)	1900, पीबी–1	8	15.00
7	प्रशासनिक अधिकारी (15600–39100 रू.)	6600, पीबी–3	1	7.00

8	वित्त एवं लेखा अधिकारी (15600–39100 रू.)	5400, पीबी–3	1	7.00
9	सहायक (सामान्य) (9300–34800 रू.)	4200, पीबी–2	8	30.00
10	एसपीए (9300–34800 रू.)	4600, पीबी–2	1	3.50
11	उच्च श्रेणी लिपिक (5200–20200 रू.)	2400, पीबी–1	1	3.00
12	अवर श्रेणी लिपिक (रू.5200–20200 रू.)	1900, पीबी–1	8	16.00
13	ड्राइवर (5200–20200 रू.)	1900, पीबी–1	1	3.00
		योग	**44***	**155.75–156.00**

* सुरक्षा, साफ–सफाई, बागवानी का काम आउटसोर्स किया जाएगा; इसलिए इस श्रेणी के लिए कर्मचारियों की भर्ती का अनुमान नहीं किया गया है।

6.2

विज्ञान केन्द्र

विज्ञान केन्द्रों की 3 श्रेणियां होंगी जो मुख्यतः सेवा प्राप्त करने वाली जनसंख्या पर निर्भर होंगी :

I. विज्ञान केन्द्र (श्रेणी–I)

1. अन्तर्वस्तु :

भवन का आच्छादित क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर (लगभग) होगा, जिसमें से 1800 वर्गमीटर क्षेत्र प्रदर्शों के प्रदर्शन हाल के रूप में, 1200 वर्गमीटर क्षेत्र दर्शकों के कार्यकलाप क्षेत्र के रूप में और शेष 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र का उपयोग प्रदर्श विकास प्रयोगशाला, कार्यालय आदि के रूप में किया जाएगा। भूतल–क्षेत्र के भविष्य में विस्तार के लिए भी प्रावधान किया जाएगा।

विज्ञान केन्द्र में सामान्यतः निम्नलिखित वीथियों और सुविधाओं की स्थापना की जाएगी :

स्थायी वीथियांः

विषयपरक वीथियांः केन्द्र में दो विषयपरक वीथियां होंगी। केन्द्र की वीथियां बहु–विषयक प्रकृति की होंगी, जो वैज्ञानिक महत्व और सामाजिक उपयुक्तता पर आधारित होंगी। प्रदर्श, अधिकांश रूप से संवादमूलक होंगे। इनके पूरक के रूप में दृश्यों, चित्रण और कला–वस्तुओं को शामिल किया जाएगा। इन वीथियों में चयनित विषयों के सभी पहलुओं का इस प्रकार से दर्शाया जाएगा कि वह विषय विद्यार्थियों और आम जनता को सरलता से समझ आ जाए।

मनोरंजक विज्ञान : भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल, भू–विज्ञान, इलैक्ट्रॉनिक्स, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, कम्प्यूटर विज्ञान और सूचना–प्रौद्योगिकी के परस्पर संवादमूलक समूह इस वीथि का निर्माण करेगा। प्रदर्शों से विद्यार्थियों को पाठ्यचर्या में सहायता प्राप्त होगी और साथ ही आगंतुकों को मनोरंजक ढंग से विज्ञान सीखने को मिलेगा।

अस्थायी प्रदर्शनी हॉलः

इस हॉल में विभिन्न अवसरों पर महत्वपूर्ण विषयों पर आवधिक रूप से अस्थायी प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी।

नवाचार केन्द्र :

इसका उपयोग छात्रों के लिए अभिनव प्रयोग (तोड़–फोड़–जोड़), विषयपरक परियोजनाओं और विज्ञान कार्यकलाप शिविर हेतु किया जाएगा।

बाह्य विज्ञान पार्कः

विज्ञान को चार–दीवारी की सीमाओं से बाहर लाया गया है। पार्क के हरे–भरे माहौल में परस्पार संवादी प्रदर्शों को सुरुचिपूर्ण ढंग से रखा गया है। बच्चे विज्ञान के मूल सिद्धांतों को खेल–खेल में सीखते हैं। दर्शकों के लिए जलाशय, पक्षीघर, जड़ी–बूटी और औषधीय पौधों का स्थान आगंतुकों के लिए पिकनिक क्षेत्र आदि अतिरिक्त आकर्षण के केन्द्र हैं।

तारामण्डलः

इनफ्लैटेबल गुम्बद तारामंडल के द्वारा खगोलविद्या को परस्पर रूप से सीखने में एक अनोखा जरिया प्रदान कर सकता है। केन्द्र में यह कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा।

प्रदर्श विकास प्रयोगशालाः

भविष्य में, इसे प्रदर्शों के नियमित अनुरक्षण और प्रदर्शों एवं किटों के विकास के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। यह प्रयोगशाला फिटिंग कार्यों, बढ़ईगिरी, शीट में मेटल, वेल्डिंग, वैद्युत कार्यों, इलैक्ट्रॉनिक्स और रंगाई कार्यों हेतु औजारों और मशीनरी से लैस होगी।

चल विज्ञान प्रदर्शनी (वैकल्पिक):

केन्द्र की चल विज्ञान प्रदर्शनी (एमएसई) बस दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के दौरे करेगी और प्रासंगिक विज्ञान और पर्यावरणीय विषयों पर वर्ष पर्यन्त प्रदर्शनियों का आयोजन करेगी। विज्ञान केन्द्र में यह सुविधा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा पृथक बजट आवंटन किए जाने पर शामिल की जाएगी।

अन्य सुविधाएंः

कम्प्यूटर प्रशिक्षण–कक्ष, विज्ञान पुस्तकालय, सम्मेलन–कक्ष, कार्यालय, स्टोर आदि।

शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमः

केन्द्र द्वारा विद्यार्थियों, अध्यापकों और सामान्य जन के लिए विज्ञान प्रदर्शन व्याख्यान, लोकप्रिय व्याख्यान, सृजनात्मक योग्यता कार्यक्रम, दूरबीन के माध्यम से आकाश अवलोकन, कम्प्यूटर जागरूकता कार्यक्रम, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, विज्ञान सेमिनार और विज्ञान मेले, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, समुदाय जागरूकता कार्यक्रम, अंध–विश्वास रोधी कार्यक्रम, विज्ञान फिल्म शो आदि जैसे शैक्षिक कार्यक्रमों का नियमित आयोजन किया जाएगा। इन प्रयोजनों के लिए एक प्रशिक्षण हॉल और 150 कुर्सियों वाले एक सभागार का उपयोग किया जाएगा।

एक विज्ञान परिचर्या आधारित कार्यकलाप कॉर्नर/नवाचार कॉर्नर होगा जहां विद्यार्थी विज्ञान में प्रयोग और विज्ञान मॉडलों के निर्माण के माध्यम से विज्ञान के मूल सिद्धांतों को सीखेंगे, जिसे शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इससे स्कूलों में दी जाने वाली औपचारिक विज्ञान शिक्षा में वृद्धि होगी। इस नवाचार कॉर्नर से युवाओं के मन में नवीनता, सृजनशीलता विकसित करने में सहायता मिलेगी। इसमें एक बाल–कार्यकलाप कार्नर भी होगा।

2. बजट अनुमान

नई विज्ञान केन्द्र (श्रेणी–I) परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए संपूर्ण लागत का अनुमानित व्यय 30.00 करोड़ रुपए है (पूंजीगत लागत 23.00 करोड़ रुपए तथा कॉर्पस निधि 7.00 करोड़ रुपए है)। तथापि पूर्वोत्तर क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्रों के लिए विज्ञान केन्द्र की पूंजीगत लागत 36.00 करोड़ रुपए है (पूंजीगत लागत 27.60 करोड़ रुपए तथा कॉर्पस निधि 8.40 करोड़ रुपए है)। विज्ञान केन्द्रों के लिए आवश्यक भूमि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा निशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी। तथापि, पृथक परियोजना घटक के लिए विस्तृत आकलन को तैयार किए जाने की आवश्यकता है जो स्थल की स्थिति, भवन डिजाइन, विदेशी मुद्रा मूल्य तथा निर्माण कार्य की स्थानीय लागत पर निर्भर करती है।

व्यय के विभिन्न मदों को दर्शाने वाला विवरण (डीपीएआर 2015 पर आधारित औसत) **निम्नानुसार है :**

विज्ञान केन्द्र (श्रेणी–I) के लिए अनुमानित लागत

क्र.सं.	मद विवरण	क्षेत्र	यूनिट	दर	कुल (करोड़ रु. में)
I.	भूमि की लागत				00.00
क.	विज्ञान केन्द्र : कुल– 4000 वर्ग मीटर (न्यूनतम)				
	i) आर.सी.सी. फ्रेम संरचना: 1) भूतल : 2000 वर्ग मीटर 2) प्रथम तल : 2000 वर्ग मीटर	4000	वर्ग मीटर	23500.00	9.40
	ii) 500 किलोग्राम/वर्ग मीटर से लेकर 1000 किलोग्राम/वर्ग मीटर तक के अधिक भार उठाने के लिए मजबूत संरचनात्मक ढांचा	4000	वर्ग मीटर	1500.00	0.60
	iii) 35 वर्ग मीटर से अधिक के बड़े मॉड्यूल्स	4000	वर्ग मीटर	1500.00	0.60
	iv) भूकम्प रोधी संरचना	4000	वर्ग मीटर	1140.00	0.46
	v) सामान्य ऊंचाई से ऊपर तल की प्रत्येक 0.3 मीटर की अतिरिक्त ऊंचाई।				
	क) **भवन के लिए** (4.0मी. – 3.35मी.) = 0.65मी./0.3मी.= संख्या 3 (अतिरिक्त ऊंचाई) **270.00/– प्रति 0.3 मी. अर्थात (270.00x3) =810.00/– (भूतल)**	4000	वर्ग मीटर	810.00	0.32
	vi) सामान्य स्तंभ की 0.9 मी. की ऊंचाई से प्रति 0.3 मी. अधिक ऊंचाई ।	2000	वर्ग मीटर	540	0.11
				उप योग =	11.49
ख.	आंतरिक एवं बाह्य विद्युतीय कार्य 17.5 प्रतिशत				2.01
ग.	आंतरिक जलापूर्ति, सफाई व्यवस्था और बाह्य सर्विस कनेक्शन 9 प्रतिशत				1.03
घ.	कार और बस पार्किंग क्षेत्र/आंतरिक सड़कें/ भूदृश्यन/ जल निकाय/ सीवर/स्टॉर्म ड्रेनेज **(5.0 एकड़ भूमि हेतु)**	4000	वर्ग मीटर	475	0.19
ड.	स्तंभ की नींव के संबंध में, यदि अपेक्षित हो, तो मिट्टी की जांच रिपोर्ट के पश्चात विचार किया जाएगा।				
				उप योग =	**14.72**

च.	अब तक लागत सूचकांक 10 प्रतिशत				1.47
	कुल=				**16.19**
छ.	वास्तुकार शुल्क / 4 प्रतिशत				0.65
	कुल योग=				**16.84**
II.	क. लगभग 600 वर्ग मी. की तीन विषयपरक वीथियां प्रत्येक में 50 प्रदर्शों सहित।				2.50
	ख. पथ एवं अपेक्षित प्रदर्शों सहित लगभग 4 एकड़ क्षेत्र का विज्ञान पार्क (संख्या 50)				0.90
	ग. इन्फलैटेबल गुम्बद वाली तारामंडल प्रणाली (तारामंडल)				0.08
	घ. पूर्ण क्रियाशील प्रदर्श विकास प्रयोगशाला				0.15
	ड. सभी अपेक्षित अवसंरचना सहित, कम्प्यूटर प्रशिक्षण क्षेत्र, पुस्तकालय, सम्मेलन कक्ष, भण्डार और कार्यालय आदि जैसी अन्य सुविधाएं				0.50
	च. तैनात कार्मिकों का प्रशिक्षण और अन्य विविध व्यय				0.10
	च. उपकरण, फर्नीचर सहित 3डी थिएटर सुविधा				0.60
	छ. विविध (भवन/ऑडिटोरियम सज्जा, साइनेज, भित्ति चित्र आदि				0.20
	ज. परियोजना कार्मिकों का वेतन एवं यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता				0.80
	कुल				**22.6723.00**
	उद्घाटन के पश्चात विज्ञान केन्द्र (श्रेणी–I) के परिचालन घाटे के वित्त पोषण संबंधी कॉर्पस निधि हेतु (परियोजना लागत के 30 प्रतिशत की दर से)				7.00
	कुल योग				30.00*
	पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों और द्वीप प्रदेशों हेतु (परियोजना लागत की 20 प्रतिशत वृद्धि सहित)				27.60**
	पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों और द्वीप प्रदेशों हेतु (कॉर्पस निधि के 20 प्रतिशत वृद्धि सहित)8.40				
	कुल योग				**36.00****
*	परियोजना की लागत वर्तमान डीपीएआर दर पर आधारित है और समय–समय पर आरबीआई लागत सूचकांक के अनुसार संशोधन के अधीन होगी।				

3. पूंजीगत व्यय की वर्षवार स्थिति

क. सभी स्थानों के लिए (सिक्किम/पहाड़ी प्रदेशों एवं द्वीप प्रदेशों सहित उत्तर पूर्व प्रदेशों के अलावा)

(रु. करोड़ में)

स्रोत	**परियोजना लागत (50:50 के आधार पर भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच भागीदारी)**				**कॉर्पस निधि**	**कुल योग**
	प्रथम वर्ष (40%)	**द्वितीय वर्ष (40%)**	**तृतीय वर्ष (20%)**	**कुल**		
भारत सरकार	4.60	4.60	2.30	11.50 (अधिकतम)	1.40#	12.90
	9.2**	9.2**	4.6**	23.00**	7.00**	30.00**
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार	**5.60 करोड़ रुपए की न्यूनतम कॉर्पस निधि सहित परियोजना के प्रारम्भ होने से पूर्व अग्रिम रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा 17.10 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी।**					

** भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित परियोजना के मामले में।

परियोजना शुरू करने से पहले भारत सरकार और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा तत्काल समूह निधि उपलब्ध कराई जाएगी।

ख. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु

(रु. करोड़ में)

स्रोत	**परियोजना लागत (90:10 के आधार पर भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच भागीदारी)**				**कॉर्पस निधि**	**कुल योग**
	प्रथम वर्ष (40%)	**द्वितीय वर्ष (40%)**	**तृतीय वर्ष (20%)**	**कुल**		
भारत सरकार	9.90	9.90	5.00	24.80 (अधिकतम)	1.70#	26.50
	11.00**	11.00**	5.60**	27.60**	8.40**	36.00**
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार	**6.70 करोड़ रुपए की न्यूनतम कॉर्पस निधि सहित परियोजना के प्रारम्भ होने से पूर्व अग्रिम रूप से राज्य सरकार द्वारा 9.50 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी।**					

** भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित परियोजना के मामले में।

परियोजना शुरू करने से तत्काल पहले भारत सरकार और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा समूह निधि उपलब्ध कराई जाएगी।

ग. उपर्युक्त 'ख' में दिए गए स्थानों के अलावा पहाड़ी क्षेत्र और द्वीप प्रदेशों के लिए

(रु. करोड़ में)

स्रोत	परियोजना लागत (50:50 के आधार पर भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच भागीदारी)				कॉर्पस निधि	कुल योग
	प्रथम वर्ष (40%)	द्वितीय वर्ष (40%)	तृतीय वर्ष (20%)	कुल		
भारत सरकार	5.52	5.52	2.76	13.80 (अधिकतम)	1.70#	15.50
	11.04**	11.04**	5.52**	27.60**	8.40**	36.00**
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार	**6.70 करोड़ रुपए की न्यूनतम कॉर्पस निधि सहित परियोजना के प्रारम्भ होने से पूर्व अग्रिम रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा 20.50 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी।**					
** भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित परियोजना के मामले में। # परियोजना शुरू करने से तत्काल पहले भारत सरकार और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा समूह निधि उपलब्ध कराई जाएगी।						

4. परियोजना समयावधिः

	कार्यक्रम अनुसूची	भवन निर्माण के लिए आदेश देने की तारीख से
(क)	भवन निर्माण	24 माह
(ख)	विज्ञान पार्क का विकास	12 माह
(ग)	प्रदर्शों का निर्माण	30 माह
(घ)	प्रदर्शों का संस्थापन	03 माह (अन्य सुविधाओं के पूर्ण होने के पश्चात)
(ड.)	केन्द्र का प्रारंभ	34 माह (लगभग)

5. भर्ती की समयावधि :

क्र. सं.	राज्य सरकार द्वारा निधि जारी करने की तारीख से 6 माह के अन्दर जिन पदों के लिए भर्ती करके तैनाती करनी होगी		राज्य सरकार द्वारा निधि जारी करने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर जिन पदों के लिए भर्ती करके तैनाती करनी होगी	
01	संग्रहाध्यक्ष	02	सहायक (सामान्यत)	01
02	शिक्षा सहायक	02	प्रवर श्रेणी लिपिक	01
03	तकनीकी सहायक	01	कनिष्ठ आशुलिपिक	01
04	तकनीशयन	08	अवर श्रेणी लिपिक	02
	योगः	13	कुल	05
			कुल योग– 18	

6. विज्ञान केन्द्र (श्रेणी–I) के उदघाटन के पश्चात अनुमानित वार्षिक व्यय

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	व्यय का मद	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1.	नियमित स्टाफ का वेतन	0.62	0.67	0.72
2.	सुरक्षा/संरक्षण करार	0.084	0.09	0.095
3.	बिजली (रियायती दर पर)	0.015	0.02	0.025
4.	प्रदर्श का रखरखाव	0.034	0.037	0.04
5.	उपकरण का रखरखाव	0.034	0.037	0.04
6.	भवन का रखरखाव	0	0.01	0.015
7.	आकस्मिक व्यय	0.04	0.045	0.05
	कुल :	**0.83**	**0.91**	**0.99**

7. विज्ञान केन्द्र (श्रेणी–I) के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता

क्र. सं.	पदनाम एवं वेतनमान (पूर्व संशोधित)	पदों की संख्या	कुल वार्षिक पारिश्रमिक (रु. लाख में)
14	संग्रहाध्यक्ष (15600–39100 रू.) 5400 रु.	2	11.10
15	शिक्षा सहायक (5200–20200 रू.) 2400 रु.	2	5.96
16	तकनीकी सहायक (5200–20200 रू.) 2400 रु.	1	2.98
17	तकनीशियन (5200–20200 रू.) 1900 रु.	8	15.44
18	सहायक (सामान्य) (9300–34800 रू.) 4200 रु.	1	3.57
19	प्रवर श्रेणी लिपिक (रू.5200–20200रू.) 2400 रु.	1	2.64
20	कनिष्ठ आशुलिपिक (रू.5200–20200रू.) 2400 रु.	1	2.64
21	अवर श्रेणी लिपिक (रू.5200–20200रू.) 1900 रु.	2	3.86
	योग	**18***	**50.12**

* सुरक्षा, साफ–सफाई, बागवानी का काम आउटसोर्स किया जाएगा; इसलिए इस श्रेणी के लिए कर्मचारियों की भर्ती का अनुमान नहीं दिया गया है।

विज्ञान केन्द्र (श्रेणी –II)

1. अन्तर्वस्तु :

भवन का आच्छादित क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर (लगभग) होगा, जिसका 1000 वर्गमीटर क्षेत्र प्रदर्शों के प्रदर्शन हाल के रूप में, 300 वर्गमीटर क्षेत्र अस्थायी प्रदर्शन क्षेत्र के रूप में, 700 वर्गमीटर का उपयोग दर्शकों के कार्यकलाप/गतिविधि क्षेत्र, प्रदर्श विकास प्रयोगशाला, कार्यालय, सभागार, तारामंडल (इनफलैटेबल गुंबद तारामंडल), बच्चों के लिए कार्यकलाप क्षेत्र, भंडार, सम्मेलन कक्ष/पुस्तकालय और वयस्कों के लिए कार्यकलाप क्षेत्र, आगंतुक सुविधाएं आदि के रूप में किया जाएगा।

विज्ञान केन्द्र में सामान्य रूप में निम्नलिखित वीथियों और सुविधाओं की स्थापना की जाएगी :

स्थायी वीथियां:

- **विषयपरक वीथियां:** केन्द्र की मुख्य वीथी वैज्ञानिक महत्व और वातावरण, वन, पर्वत, प्राकृतिक स्रोत, स्थानीय स्रोतों और उनके उचित उपयोग को दर्शाने वाली स्वदेशी प्रौद्योगिकी जैसी सामाजिक उपयुक्तता पर आधारित होंगी। प्रदर्श, अधिकांश रूप से संवादमूलक होंगे। दृश्य, उदाहरण और कला–वस्तुओं को इनके पूरक के रूप में शामिल किया जाएगा।
- **मनोरंजक विज्ञान:** भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल, भू–विज्ञान, इलैक्ट्रॉनिक्स, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, कम्प्यूटर विज्ञान और सूचना–प्रौद्योगिकी का परस्पर संवादमूलक प्रदर्श समूह इस वीथि का निर्माण करेगा। प्रदर्शों से विद्यार्थियों की पाठ्यचर्या में सहायता प्राप्त होगी और दर्शकों को विज्ञान की शिक्षा मनोरंजक लगेगी।

बाह्य विज्ञान पार्कः

विज्ञान को चार–दीवारी की सीमाओं से बाहर लाया गया है। परस्पर संवादी प्रदर्शों को सुरुचिपूर्ण ढंग से पार्क के हरे–भरे माहौल में रखा गया है। बच्चे विज्ञान के मूल सिद्धांतों को खेल–खेल में सीखते हैं। दर्शकों के लिए जलाशय, पक्षीघर, जड़ी–बूटी और औषधीय कार्नर, पिकनिक क्षेत्र आदि अतिरिक्त आकर्षण के केन्द्र हैं।

तारामण्डलः

इनफ्लैटेबल गुम्बद तारामंडल, खगोलविद्या को परस्पर रूप से सीखने में एक अनोखा मार्ग प्रदान कर सकता है। केन्द्र में यह कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा।

प्रदर्श विकास प्रयोगशालाः

भविष्य में, इसे प्रदर्शों के नियमित अनुरक्षण और प्रदर्शों एवं किटों के विकास के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।

अन्य सुविधाएंः

अस्थायी प्रदर्शन हॉल, विज्ञान पुस्तकालय, सम्मेलन–कक्ष, कार्यालय, स्टोर आदि।

शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमः

केन्द्र द्वारा विद्यार्थियों, अध्यापकों और सामान्य जन के लिए विज्ञान प्रदर्शन व्याख्यान, लोकप्रिय व्याख्यान, सृजनात्मक योग्यता कार्यक्रम, दूरबीन के माध्यम से आकाश अवलोकन, कम्प्यूटर जागरूकता कार्यक्रम, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, विज्ञान सेमिनार और विज्ञान मेले, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, समुदाय जागरूकता कार्यक्रम, अंध–विश्वास रोधी कार्यक्रम, विज्ञान फिल्म शो आदि जैसे शैक्षिक कार्यक्रमों का नियमित आयोजन किया जाएगा। इन प्रयोजनों के लिए एक प्रशिक्षण हॉल और एक 150 कुर्सियों वाले सभागार का उपयोग किया जाएगा।

एक विज्ञान परिचर्या आधारित कार्यकलाप कॉर्नर/नवाचार कॉर्नर होगा जहां विद्यार्थी विज्ञान में प्रयोग और विज्ञान मॉडलों के निर्माण के माध्यम से विज्ञान के मूल सिद्धांतों को सीखेंगे, जिसे शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इससे स्कूलों में दी जाने वाली औपचारिक विज्ञान शिक्षा में वृद्धि होगी। इस नवाचार कॉर्नर से युवाओं के मन में नवीनता, सृजनशीलता विकसित करने में सहायता मिलेगी। इसमें एक बाल–कार्यकलाप कार्नर भी होगा।

नवाचार केन्द्र :

इसका उपयोग छात्रों के लिए अभिनव प्रयोग (तोड़–फोड़–जोड़), विषयपरक परियोजनाएं और विज्ञान कार्यकलाप शिविर हेतु किया जाएगा।

2. बजट अनुमान

नए विज्ञान केन्द्र (श्रेणी–II) परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए संपूर्ण लागत का अनुमानित व्यय 15.20 करोड़ रुपए है (पूंजीगत लागत 11.70 करोड़ रुपए तथा कॉर्पस निधि 3.50 करोड़ रुपए है)। तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्रों के लिए विज्ञान शहर की पूंजीगत लागत 18.20 करोड़ रुपए है (परियोजना लागत 14.00 करोड़ रुपए तथा कॉर्पस निधि 4.20 करोड़ रुपए है)। विज्ञान केन्द्रों के लिए आवश्यक भूमि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा निशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी। तथापि, पृथक परियोजना घटक के लिए विस्तृत आकलन को तैयार किए जाने की आवश्यकता है जो स्थल की स्थिति, भवन डिजाइन, विदेशी मुद्रा मूल्य तथा निर्माण कार्य की स्थानीय लागत पर निर्भर करती है।

व्यय के विविध मदों को दर्शाने वाला विवरण (डीपीएआर 2015 पर आधारित औसत) निम्नानुसार हैं :

विज्ञान केन्द्र (श्रेणी–II) के लिए अनुमानित लागत					
क्र.सं.	मद विवरण	क्षेत्र	यूनिट	दर	कुल (करोड़ रु. में)
I.	भूमि की लागत				00.00
क.	विज्ञान केन्द्र : कुल– 2000 वर्ग मीटर (न्यूनतम)				
	i) आर.सी.सी. फ्रेम संरचनाः 1) भूतल : 1000 वर्ग मीटर 2) प्रथम तल : 1000 वर्ग मीटर	2000	वर्ग मीटर	23500.00	4.70
	ii) 500 किलोग्राम/वर्ग मीटर से लेकर 1000 किलोग्राम/वर्ग मीटर तक के अधिक भार उठाने के लिए मजबूत संरचनात्मक ढांचा	2000	वर्ग मीटर	1500.00	0.30
	iii) 35 वर्ग मीटर से अधिक के बड़े मॉड्यूल्स	2000	वर्ग मीटर	1500.00	0.30
	iv) भूकम्प रोधी संरचना	2000	वर्ग मीटर	1140.00	0.23
	v) सामान्य ऊंचाई से ऊपर तल की प्रत्येक 0.3 मीटर की अतिरिक्त ऊंचाई।				
	क) **भवन के लिए** (4.0मी.–3.35मी.) = 0.65मी./ 0.3मी. = संख्या 3 (अतिरिक्त ऊंचाई) **@270.00/– प्रति 0.3 मी. अर्थात (270.00x3) =810.00/–(भूतल)**	2000	वर्ग मीटर	810.00	0.12
	vi) सामान्य स्तंभ की 0.9 मी. की ऊंचाई से प्रति 0.3 मी. की अधिक की ऊंचाई।	1000	वर्ग मीटर	540	0.05
	उप योग =				**5.70**
ख.	आंतरिक एवं बाह्य विद्युतीय कार्य 17.5 प्रतिशत				1.00
ग.	आंतरिक जलापूर्ति, सफाई व्यवस्था और बाह्य सर्विस कनेक्शन 9 प्रतिशत				0.51
घ.	कार और बस पार्किंग क्षेत्र/आंतरिक सड़कें/भूदृश्यन/ जल निकाय/सीवर/स्टॉर्म ड्रेनेज **(5.0 एकड़ भूमि हेतु)**	2000	वर्ग मीटर	475	0.10
ङ.	स्तंभ की नींव के संबंध में, यदि अपेक्षित हो, तो मिट्टी की जांच रिपोर्ट के पश्चात विचार किया जाएगा।				
	उप योग =				**7.31**
च.	**अब तक लागत सूचकांक 10 प्रतिशत**				0.73
	कुल=				**8.04**

छ.	वास्तुकार शुल्क @ 4 प्रतिशत		0.32
	कुल योग =		**8.36**
II.	क. 250 वर्ग मी. की दो विषयपरक वीथियां (25 प्रदर्श)		1.50
	ख. पथ एवं अपेक्षित प्रदर्शों सहित लगभग 3 एकड़ क्षेत्र का विज्ञान पार्क	0.80	
	ग. इन्फलैटेबल गुम्बद वाला तारामंडल		0.08
	घ. पूर्ण क्रियाशील प्रदर्श विकास प्रयोगशाला		0.15
	ड. सभी अपेक्षित अवसंरचना सहित, कम्प्यूटर प्रशिक्षण क्षेत्र, पुस्तकालय, सम्मेलन कक्ष, भण्डार और कार्यालय आदि जैसी अन्य सुविधाएं		0.20
	च. परियोजना कार्मिकों का वेतन एवं यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता	0.60	
	कुल **अर्थात**		**11.69** **11.70**
	उद्घाटन के पश्चात विज्ञान केन्द्र (श्रेणी–II) के परिचालन घाटे के वित्त पोषण संबंधी समूह निधि हेतु (परियोजना लागत के 30 प्रतिशत की दर से)		**3.51**
	(अर्थात) **कुल योग**		**3.50** **15.20**
	पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों और द्वीप प्रदेशों हेतु (परियोजना लागत की 20 प्रतिशत वृद्धि सहित)		**14.04**
	(अर्थात)		**14.00**
	पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों और द्वीप प्रदेशों हेतु (समूह निधि के 20 प्रतिशत वृद्धि सहित)		**4.21**
	(अर्थात) **कुल योग**		**4.20** **18.20**

3. पूँजीगत व्यय की वर्षवार स्थिति

क. सभी स्थानों के लिए (सिक्किम/पहाड़ी प्रदेशों एवं द्वीप प्रदेशों सहित अन्य उत्तर पूर्व प्रदेशों के अलावा)

(रु. करोड़ में)

स्रोत	**परियोजना लागत (50:50 के आधार पर भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच भागीदारी)**				**कॉर्पस निधि**	**कुल योग**
	प्रथम वर्ष (40%)	**द्वितीय वर्ष (40%)**	**तृतीय वर्ष (20%)**	**कुल**		
भारत सरकार	2.34	2.34	1.17	5.85	0.70 (अधिकतम)	6.55
	4.68**	4.68**	2.34**	11.70**	3.50**	15.20**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार	**2.80 करोड़ रुपए की न्यूनतम समूह निधि सहित परियोजना के प्रारम्भ होने से पूर्व अग्रिम रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा 8.65 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी।**

** भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित परियोजना के मामले में।

परियोजना शुरू करने से तत्काल पहले भारत सरकार और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा समूह निधि उपलब्ध कराई जाएगी।

ख. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु

(रु. करोड़ में)

स्रोत	परियोजना लागत (90:10 के आधार पर भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच भागीदारी)				कॉर्पस निधि	कुल योग
	प्रथम वर्ष (40%)	द्वितीय वर्ष (40%)	तृतीय वर्ष (20%)	कुल		
भारत सरकार	5.04	5.04	2.52	12.60	0.84 (अधिकतम)	13.44
	5.60**	5.60**	2.80**	14.00**	4.20**	18.20**
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार	**3.36 करोड़ रुपए की न्यूनतम समूह निधि सहित परियोजना के प्रारम्भ होने से पूर्व अग्रिम रूप से राज्य सरकार द्वारा 4.76 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी।**					

** भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित परियोजना के मामले में।

परियोजना शुरू करने से तत्काल पहले भारत सरकार और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा समूह निधि उपलब्ध कराई जाएगी।

ग. उपर्युक्त 'ख' में दिए गए स्थानों के अलावा पहाड़ी क्षेत्र और द्वीप प्रदेशों के लिए

(रु. करोड़ में)

स्रोत	परियोजना लागत (50:50 के आधार पर भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच भागीदारी)				कॉर्पस निधि	कुल योग
	प्रथम वर्ष (40%)	द्वितीय वर्ष (40%)	तृतीय वर्ष (20%)	कुल		
भारत सरकार	2.80	2.80	1.40	7.00	0.84 (अधिकतम)	7.84
	5.60**	5.60**	2.80**	14.00**	4.20**	18.20**
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार	**3.36 करोड़ रुपए की न्यूनतम समूह निधि सहित परियोजना के प्रारम्भ होने से पूर्व अग्रिम रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा 10.36 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी।**					

** भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित परियोजना के मामले में।

परियोजना शुरू करने से तत्काल पहले भारत सरकार और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा समूह निधि उपलब्ध कराई जाएगी।

4. परियोजना समयावधिः

	कार्यक्रम अनुसूची	भवन निर्माण के लिए आदेश देने की तारीख से
(क)	भवन निर्माण	18 माह
(ख)	विज्ञान पार्क का विकास	12 माह
(ग)	प्रदर्शों का निर्माण	24 माह
(घ)	प्रदर्शों का संस्थानपन	03 माह (अन्य सुविधाओं के पूर्ण होने के पश्चात)
(ङ.)	केन्द्र का प्रारंभ	27 माह (लगभग)

5. भर्ती का कार्यक्रम :

क्र. सं.	राज्य सरकार द्वारा निधि जारी करने की तारीख से 6 माह के अन्दर जिन पदों के लिए भर्ती करके तैनाती करनी होगी		राज्य सरकार द्वारा निधि जारी करने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर जिन पदों के लिए भर्ती करके तैनाती करनी होगी	
01	संग्रहाध्यक्ष	01	अवर श्रेणी लिपिक	02
02	शिक्षा सहायक	01		
03	तकनीशयन	04	–	–
	योगः	06		02
			कुल योग– 08	

6. विज्ञान शहर के उदघाटन के पश्चात अनुमानित वार्षिक व्यय (श्रेणी–II)

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	व्यय की मद	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1.	नियमित कर्मचारी का वेतन	0.50	0.55	0.60
2.	सुरक्षा/संरक्षण करार	0.062	0.63	0.066
3.	बिजली (रियायती दर पर)	0.01	0.12	0.015
4.	प्रदर्शन का रखरखाव	0.025	0.0275	0.03
5.	उपकरण का रखरखाव	0.025	0.0275	0.03
6.	भवन का रखरखाव	0	0.005	0.01
7.	आकस्मिक व्यय	0.25	0.03	0.35
	कुल :	**0.65**	**0.72**	**0.79**

7. **विज्ञान शहर के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता (श्रेणी–II)**

क्र. सं.	पदनाम एवं वेतनमान	पदों की संख्या	कुल वार्षिक पारिश्रमिक (रु. लाख में)
1	संग्रहाध्यक्ष (8000–13500 रु.) 5400 रु.	1	5.55
2	शिक्षा सहायक (5000–8000 रू.), 2400 रु.	1	2.98
3	तकनीशियन (5200–20200 रू.) 1900 रु..	4	7.72
4	अवर श्रेणी लिपिक (रू.5200–20200 रू.) 1900 रु.	2	3.86
	योग	**8***	**20.11**

* सुरक्षा, साफ–सफाई, बागवानी का काम आउटसोर्स किया जाएगा; इसलिए इस श्रेणी के लिए कर्मचारियों की भर्ती का अनुमान नहीं किया गया है।

III. विज्ञान केन्द्र (श्रेणी–III)

1. अन्तर्वस्तु :

भवन का कवर किया गया क्षेत्रफल 450 वर्गमीटर (लगभग) होगा, जिसका 100 वर्गमीटर प्रदर्शों के प्रदर्शन हाल के रूप में, 100 वर्गमीटर कार्यकलाप क्षेत्र सहित अस्थायी प्रदर्शनी सह बहुउद्देशीय हॉल कार्यालय के रूप में और 250 वर्ग मीटर का उपयोग नवाचार कार्यकलाप हॉल के रूप में किया जाएगा।

विज्ञान केन्द्र में सामान्य रूप में निम्नलिखित वीथियों और सुविधाओं की स्थापना की जाएगी (श्रेणी–III) :

वीथी :

मनोरंजक विज्ञानः भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल, भू–विज्ञान, इलैक्ट्रॉनिक्स, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, कम्प्यूटर विज्ञान और सूचना–प्रौद्योगिकी का एक परस्पर संवादी समूह इस वीथि का निर्माण करेगा। प्रदर्शों से विद्यार्थियों की पाठ्यचर्या में सहायता प्राप्त होगी और दर्शकों को विज्ञान की शिक्षा मनोरंजक लगेगी।

अस्थायी प्रदर्शनी सह बहुउद्देशीय हॉल :

इस हॉल का उपयोग छात्रों और शिक्षक प्रशिक्षण आदि के लिए आवधिक विज्ञान प्रदर्शनियां, विज्ञान प्रदर्शन, प्रतियोगिताएं, संवाद, प्रश्नोत्तरी, संगोष्ठी हेतु किया जाएगा।

नवाचार केन्द्र :

यह छात्रों के लिए अभिनव प्रयोग (तोड़–फोड़–जोड़) विषयपरक परियोजनाएं और विज्ञान कार्यकलाप शिविर हेतु उपयोग किया जाएगा।

अन्य सुविधाएं :

कार्यालय, भंडार, सार्वजनिक सुविधाएं आदि।

शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमः

केन्द्र विद्यार्थियों, शिक्षक प्रशिक्षण आदि के लिए विज्ञान प्रदर्शनियां, विज्ञान प्रदर्शन, संवाद, प्रश्नोत्तरी, संगोष्ठी् आयोजित करेगा।

एक विज्ञान परिचर्या आधारित कार्यकलाप कॉर्नर/नवाचार कॉर्नर होगा जहां विद्यार्थी विभिन्न आशयों पर अभिनव प्रयोग/विज्ञान परियोजनाएं आयोजित करेंगे। इस नवाचार कॉर्नर से युवाओं के मन में नवीनता, सृजनशीलता विकसित करने में सहायता मिलेगी।

2. बजट अनुमान

नया विज्ञान केन्द्र (श्रेणी–III) परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए संपूर्ण लागत का अनुमानित व्यय 3.50 करोड़ रुपए है (पूंजीगत लागत 2.7 करोड़ रुपए तथा कॉर्पस निधि 10.80 करोड़ रुपए है)। तथापि पूर्वोत्तर क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्रों के लिए विज्ञान शहर की पूंजीगत लागत 4.25 करोड़ रुपए है (पूंजीगत लागत 3.25 करोड़ रुपए तथा कॉर्पस निधि 1.0 करोड़ रुपए है)। विज्ञान केन्द्रों के लिए आवश्यक भूमि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। तथापि, पृथक परियोजना घटक के लिए विस्तृत आकलन को तैयार किए जाने की आवश्यकता है जो स्थल की स्थिति, भवन डिजाइन, विदेशी मुद्रा मूल्य तथा निर्माण कार्य की स्थानीय लागत पर निर्भर करती है।

व्यय के विभिन्न मदों का विवरण (डीपीएआर 2015 पर आधारित औसत) निम्नानुसार है :

विज्ञान केन्द्र (श्रेणी–III) के लिए अनुमानित लागत					
क्र.सं.	मद विवरण	क्षेत्र	यूनिट	दर	कुल (करोड़ रु. में)
I.	भूमि लागत				00.00
क.	विज्ञान केन्द्र :कुल– 450 वर्ग मीटर (न्यूनतम)				
	i) आर.सी.सी. फ्रेम संरचना:	450	वर्ग मीटर	23500.00	1.06
	ii) 500 किलोग्राम/वर्ग मीटर से लेकर 1000 किलोग्राम/वर्ग मीटर तक के अधिक भार उठाने के लिए मजबूत ढांचागत संरचना	450	वर्ग मीटर	1500.00	0.07
	iii) 35 वर्ग मीटर से अधिक के बड़े मॉड्यूल्स	450	वर्ग मीटर	1500.00	0.07
	iv) भूकम्प रोधी संरचना	450	वर्ग मीटर	1140.00	0.05
	v) सामान्य ऊंचाई से ऊपर प्रत्येक तल की । 0.3 मीटर की अतिरिक्त ऊंचाई	450			
	क) भवन के लिए (4.0मी.–3.35मी.) = 0.65मी./	450	वर्ग मीटर	810.00	0.04
	0.3मी.= संख्या 3 (अतिरिक्त ऊंचाई) @ 270.00/–				
	प्रति 0.3 मी. अर्थात (270.00x3)=810.00/–(भूतल)				
	उप योग =				**1.28**

ख.	आंतरिक एवं बाह्य विद्युतीय कार्य 17.5 प्रतिशत				0.22
ग.	आंतरिक जलापूर्ति, सफाई व्यवस्था और बाह्य सर्विस कनेक्श्न 9 प्रतिशत				0.12
घ.	कार/बस पार्किंग क्षेत्र/आंतरिक रोड/भूदृश्य निर्माण/ जल निकाय/ सीवर/स्टॉर्म ड्रेनेज	450	वर्ग मीटर	475	0.02
ङ.	भवन की नींव के संबंध में, यदि अपेक्षित हो, तो मिट्टी की जांच रिपोर्ट के पश्चात इस पर विचार किया जाएगा।				
	उप योग =				**0.36**
च.	**अब तक लागत सूची 10 प्रतिशत**				0.16
	कुल =				**1.80**
छ.	वास्तुकार शुल्क / 4 प्रतिशत				0.07
	सकल योग =				**1.87**
II.	क. 100 वर्ग मी. का एक मनोरंजक विज्ञान वीथियां (20 प्रदर्शनियां)				0.30
	ख. अस्थायी प्रदर्शनी सह बहुउद्देशीय हॉल (100 वर्ग मी.) का निर्माण				0.20
	ग. नवाचार केन्द्र				0.35
	घ. परियोजना कार्मिकों का वेतन एवं यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता				0.08
	कुल				**0.93**
	अर्थात				**2.70**
	उद्घाटन के पश्चात विज्ञान केन्द्र (श्रेणी–III) के परिचालन घाटे के वित्त पोषण संबंधी समूह निधि हेतु (परियोजना लागत की 30 प्रतिशत की दर से)				**0.80**
	कुल योग				**3.50***
	पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों और द्वीप प्रदेशों हेतु (परियोजना लागत की 20 प्रतिशत वृद्धि सहित)				**3.25 (3.24 पूर्णांक किया गया)**
	पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों और द्वीप प्रदेशों हेतु (समूह निधि के 20 प्रतिशत वृद्धि सहित)				**1.00 (0.98 पूर्णांक किया गया)**
	कुल योग				**4.25**

3. पूँजीगत व्यय का वर्षवार उपयोग

क. सभी स्थानों के लिए (सिक्किम/पहाड़ी प्रदेशों एवं द्वीप प्रदेशों सहित अन्य उत्तर पूर्व प्रदेश के अलावा)

(रु. करोड़ में)

स्रोत	परियोजना लागत (50:50 के आधार पर भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच भागीदारी)			कॉर्पस निधि	कुल योग
	प्रथम वर्ष (60%)	द्वितीय वर्ष (40%)	कुल		
भारत सरकार	0.81	0.54	1.35	0.16# (अधिकतम)	1.51
	1.62**	1.08**	2.70**	0.80**	3.50**
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार	**0.64 करोड़ रुपए की न्यूनतम समूह निधि सहित परियोजना के प्रारम्भ होने से पूर्व अग्रिम रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा 1.99 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी।**				
** भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित परियोजना के मामले में। # परियोजना शुरू करने से तत्काल पहले भारत सरकार और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा समूह निधि उपलब्ध कराई जाएगी।					

ख. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु

(रु. करोड़ में)

स्रोत	परियोजना लागत (90:10 के आधार पर भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच भागीदारी)			कॉर्पस निधि	कुल योग
	प्रथम वर्ष (60%)	द्वितीय वर्ष (40%)	कुल		
भारत सरकार	1.76	1.17	2.93	.20# (अधिकतम)	3.13
	1.95**	1.30**	3.25**	1.00**	3.50**
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार	**0.80 करोड़ रुपए की न्यूनतम समूह निधि सहित परियोजना के प्रारम्भ होने से पूर्व अग्रिम रूप से राज्य सरकार द्वारा 1.12 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी।**				
** भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित परियोजना के मामले में। # परियोजना शुरू करने से तत्काल पहले भारत सरकार और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा समूह निधि उपलब्ध कराई जाएगी।					

ग. उपर्युक्त 'ख' में दिए गए स्थानों के अलावा पहाड़ी क्षेत्र और द्वीप प्रदेशों के लिए

(रु. करोड़ में)

स्रोत	परियोजना लागत (50:50 के आधार पर भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच भागीदारी)			कॉर्पस निधि	कुल योग
	प्रथम वर्ष (60%)	द्वितीय वर्ष (40%)	कुल		
भारत सरकार	0.98	0.65	1.63	0.20% (अधिकतम)	1.83
	1.95**	1.30**	3.25**	1.00**	4.25**
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार	**0.80 करोड़ रुपए की न्यूनतम समूह निधि सहित परियोजना के प्रारम्भ होने से तत्काल पहले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा 2.42 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी।**				
** भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित परियोजना के मामले में। # परियोजना शुरू करने से तत्काल पहले भारत सरकार और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा समूह निधि उपलब्ध कराई जाएगी।					

4. परियोजना समयावधिः

क्र.सं.	कार्यक्रम अनुसूची	भवन निर्माण के लिए आदेश देने की तारीख से
(क)	भवन निर्माण	15 माह
(ख)	प्रदर्शों का निर्माण	18 माह
(ग)	प्रदर्शों का संस्थान/नवाचार और सृजन कार्नर सुविधा	08 माह (अन्य सुविधाओं के पूर्ण होने के पश्चात)
(घ)	केन्द्र का प्रारंभ	24 माह (लगभग)

5. भर्ती की अनुसूचीः

क्र. सं.	राज्य सरकार द्वारा निधि जारी करने की तारीख से 6 माह के अन्दर जिन पदों के लिए भर्ती करके तैनाती करनी होगी		राज्य सरकार द्वारा निधि जारी करने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर जिन पदों के लिए भर्ती करके तैनाती करनी होगी	
01	संग्रहाध्यक्ष	01	कार्यालय सहायक	01
02	शिक्षा सहायक	01		
03	तकनीशयन	01		
	योगः	03		01
			कुल योग–	**04**

6. विज्ञान केन्द्र के उदघाटन के पश्चात अपेक्षित वार्षिक व्यय (श्रेणी–III)

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	व्यय का मद	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1.	कर्मचारी का वेतन	0.13	0.15	0.17
2.	सुरक्षा/संरक्षण करार	0.03	0.04	0.05
3.	बिजली (रियायती दर पर)	0.005	0.007	0.009
4.	प्रदर्शन/ उपकरण का रखरखाव	0.005	0.001	0.015
5.	भवन का रखरखाव	0	0.005	0.01
6.	नवाचार केन्द्र के लिए उपभोग्य वस्तुओं आदि की खरीद	0.01	0.015	0.02
7.	आकस्मिक व्यय	0.02	0.03	0.040
	कुल :	**0.20**	**0.257**	**0.314**

7. विज्ञान शहर के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता (श्रेणी–III)

क्र. सं.	पदनाम एवं वेतनमान	पदों की संख्या	कुल वार्षिक पारिश्रमिक (रु. लाख में)
1	संग्रहाध्यक्ष (8000–13500 रु.) 5400 रु.	1	5.55
2	शिक्षा सहायक (5000–8000 रु.) 2400 रु.	1	2.98
3	तकनीशियन (5200–20200 रु.) 1900 रु.	1	1.93
4	कार्यालय सहायक (एलडीसी) 5200–20200 रु.), 1900 रु.	4	1.93
	योग	**4***	**12.39**

* सुरक्षा, साफ–सफाई, बागवानी का काम आउटसोर्स किया जाएगा; इसलिए इस श्रेणी के लिए कर्मचारियों की भर्ती का अनुमान नहीं दिया गया है।

6.3

नवाचार केन्द्र

1. विषय सूची एवं सुविधाएं

- नवाचार केन्द्र में छात्रों/मेन्टॉर हेतु निम्नलिखित सुविधाएं होंगी :
- हॉल ऑफ फेम
- नवाचार संसाधन केन्द्र
- आइडिया लैब
- अभिकल्प स्टूडियो
- तोड़ फोड़ जोड़/ब्रेक एंड मेक कॉर्नर
- कबाड़ से जुगाड़ (कबाड़ से उपयोगी वस्तुएं बनाना) कॉर्नर
- आइडिया बॉक्स

2. भौतिक आवश्यकताएं

नवाचार केन्द्रों को विज्ञान केन्द्र /संस्थानों में लगभग 1 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जा सकता है। उक्त भूमि मेजबान संस्थान/राज्य सरकार द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी।

विभिन्न सुविधाएं स्थापित करने के लिए लगभग 300 वर्ग मी. निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता होगी जिसका विवरण निम्नानुसार है :

नवाचार केन्द्रों में सुविधाएं	अपेक्षित स्थल (अनुमानित)	उद्देश्य/विषय–वस्तु /कार्यकलाप
डिस्कवरी हॉल	100 वर्गमीटर	इस क्षेत्र में 10 से 15 परस्पर संवादमूलक विज्ञान प्रदर्श/प्रयोग होंगे ताकि अंतर्निहित सिद्धांतों के अन्वेषण और खोज के माध्यम से विज्ञान के प्रति उत्साह जागृत हो। यह तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा।
नवाचार संसाधन केन्द्र और हॉल ऑफ फेम – आविष्कारों एवं नवाचार को समर्पित	50 वर्गमीटर	इस स्थान का उपयोग उन नवाचार विचारों/वस्तुओं/सामग्रियों को उनके संबंधित आविष्कारकों एवं प्रवर्तकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए किया जाएगा जिन्होंने इस विश्व को पूरी तरह बदल दिया और हमारे जीने के ढंग पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है। ऐसे नवाचारों/आविष्कारों के पीछे की कहानियां या प्रेरणा स्रोत भी समुचित माध्यमों से उल्लिखित किए जाएंगे। इनके अतिरिक्त, समुचित प्रौद्योगिकी एवं पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, कला एवं शिल्प तथा संबंधित क्षेत्रों में जन जीवन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सामग्रियां/नमूने भी प्रदर्शित किए जाएंगे।
आइडिया लैब (नवाचार प्रयोगशाला) जिसमें निम्नलिखित	100 वर्गमीटर	इस लैब में सृजनात्मक तथा नवाचारी रुचियों/कार्यकलापों को पूरा करने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं होंगी जिनमें मॉडल तैयार करना, बुनियादी विज्ञान प्रयोग, व्यवहारिक उपयोग

घटक शामिल होंगे : –> तोड़ फोड़ जोड़ (तोड़ना और दोबारा बनाना) कार्नर –> कबाड़ से जुगाड़ (कबाड़ से निर्माण) –> आइडिया बॉक्स)		की उपयोगी वस्तुओं का अभिकल्प एवं निर्माण, बेहतर कक्षा व्यवहार हेतु शिक्षण/अध्ययन किट या सहायक सामग्री, मृदा, जल, खाद्य सामग्रियों आदि के नमूनों की जांच आदि सम्मिलित है। छात्र स्वयं अपने हाथों से प्रयोग करके उपकरणों/वस्तुओं को विघटित करना, फिर से जोड़ना और दोबारा बनाना सीखते हैं। छात्र रोजमर्रा के कबाड़ का उपयोग करते हुए व्यवहारिक रूप से कार्य करके ज्यादा सीखते हैं। छात्र स्वयं अपने नवाचारी विचार सृजित करते हैं और एक आइडिया बैंक तैयार करते हैं।
अभिकल्प स्टूडियो सार्वजनिक सुविधाएं	50 वर्गमीटर	शौचालय/पेयजल आउटलेट/मेन्टॉर का कक्ष आदि
मेन्टॉर/ गाइड	संविदा आधार पर कम से कम एक समर्पित मेन्टॉर एनसीएसएम केन्द्रों द्वारा अतिरिक्त परामर्शदात्री सहायता प्रदान की जा सकती है।	जहां तक संभव हो, प्रत्येक संस्थान अपने केन्द्रों में नवाचारी कार्यकलापों के लिए परामर्शी एवं मार्गदर्शी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। परन्तु यह हमेशा संभव नहीं होगा। अतः विभिन्न क्षेत्रों से बाहरी विशेषज्ञों को मानदेय आधार पर नियोजित किया जाएगा। तथापि, कम से कम एक प्रमुख परामर्शदाता को संविदा आधार पर नियोजित करना उचित होगा, जो नवाचार केन्द्र के कार्यकलापों के समन्वय कार्य एवं संचालन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होगा।

यद्यपि उक्त स्कीम के तहत 300 वर्ग मीटर स्थान का निर्माण करने हेतु सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है, तब भी उन संस्थानों/विज्ञान केन्द्रों /संग्रहालयों को प्राथमिकता दी जाएगी जो नवाचार केन्द्र के लिए तैयार निर्मित स्थान उपलब्ध करा सकते हैं।

3. पूंजीगत व्यय

नवाचार केन्द्र (नए) स्थापित करने के लिए पूंजीगत लागत 1.80 करोड़ रु. होगी। **यदि निर्मित स्थान (लगभग 300 वर्ग मीटर) उपलब्ध है, तो पूंजीगत लागत 1.00 करोड़ रु. होगी।**

4. आवर्ती व्यय

नवाचार केन्द्र के उदघाटन के पश्चात अनुमानित व्यय* 20.00 लाख रु. प्रति वर्ष होगा।

* स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार के आवर्ती व्यय का अंश प्रोत्साहन के रूप में कार्य प्रचालन के प्रारंभिक तीन वर्षों तक उपलब्ध रहेगा। कार्य प्रचालन के प्रारंभिक तीन वर्षों के पश्चात, इन कार्यकलापों को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र संस्थानों द्वारा जारी रखा जाएगा।

5. निधियां साझा करना

नए नवाचार केन्द्रों की पूंजीगत तथा आवर्ती लागत भारत सरकार एवं राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/संस्थानों के बीच 50 : 50 के अनुपात मे बांटी जाएगी।

6. कार्य प्रचालन एवं प्रबंधन

नवाचार केन्द्रों के प्रचालन एवं रख–रखाव, स्टाफ की तैनाती के लिए संबंधित विज्ञान शहर/विज्ञान केन्द्र /संस्थान/राज्य सरकार उत्तरदायी होंगे। वेतन घटक सहित आवर्ती व्यय पूरी तरह संबंधित संगठनों द्वारा वहन किया जाएगा। एनसीएसएम द्वारा नवाचार केन्द्रों के प्रचालन एवं रख–रखाव संबंधी स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाएगा।

नवाचार केन्द्र द्वारा पर्याप्त ज्ञान साझेदारी के लिए समर्थक संस्थानों का एक नेटवर्क तैयार किया जाना चाहिए। ऐसा करने से सामुदायिक भागीदारी एवं स्वामित्व सुनिश्चित होगा, जो इन नवाचार केन्द्रों के विकास और पोषण हेतु आवश्यक है।

7. समय अवधि

जहां जगह तैयार किए जाने की आवश्यकता हो वहां नवाचार केन्द्र परियोजना कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित समय निर्माण कार्य आरंभ होने के समय से 18 माह होगा और जहां जगह तैयार नहीं की जानी वहां 12 माह होगा।

8. सुझाए गए कार्यकलाप

नवाचार केन्द्रों के माध्यम से अध्ययन में नवाचार, सृजनात्मकता और मनोरंजन जैसे घटकों का संचार होगा। ये नए विचारों और नवाचार को नई दिशा प्रदान करेंगे जिससे समाज और अर्थव्यवस्था को भावी चुनौतियों का सामना करने तथा बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

सामान्यतः नवाचार केन्द्रों स्कूल/कॉलेज जाने वाले छात्रों को निम्नानुसार लक्षित करेंगे :

- स्कूल/कॉलेज छात्रों के लिए 2–3 घंटों की समूह वार्ता / सत्र इस प्रकार प्रति वर्ष लगभग 10000 छात्रों को लक्षित किया जाएगा।
- छात्रों का 'नवाचार केन्द्र सदस्य' के रूप में नामांकन तथा उन्हें स्कूल के बाद, सप्ताहांत या अवकाश के दिन कार्यकलापों में भागीदारी अथवा नवाचार संबंधी परियोजनाओं पर कार्य करने की अनुमति देना। वार्षिक रूप से लगभग 300 सदस्यों का नामांकन किया जाना चाहिए। सरकारी स्कूलों / कॉलेजों के छात्रों को रियायती सदस्यता प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- उत्पादों के अभिकल्प तैयार करने के कार्य में लगाना तथा वार्षिक अभिकल्प प्रतियोगिता में भागीदारी।
- आवधिक, क्षेत्रीय तथा तत्पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकलाप / मेले और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी ताकि छात्रों में सृजनात्मकता, नवाचार एवं अभिकल्प की भावना को जीवित और ज्वलंत रखा जा सके।
- नवाचारकों/आविष्कारकों एवं अनुसंधानकर्ताओं के साथ प्रतिभागियों की आवधिक बातचीत।
- समस्या सुलझाने, नए विचारों का संचार करने एवं हल सुझाने हेतु आवधिक कार्यशालाएं।
- आविष्कारों एवं नवप्रवर्तकों पर आवधिक फ़िल्म–शो।
- नवाचार संबंधी विचारों पर एकजुट होकर कार्य करने के लिए नवाचार मेलों का आयोजन और उनमें उनकी परियोजनाओं सहित भाग लेना।
- उन स्कूलों और कॉलेजों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना जो अपने प्रांगण में नवाचार केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक हों और उनके माध्यम से अन्य स्कूलों और कॉलेजों में नवाचार की संस्कृति को बढ़ाना।

- नए अभिकल्पों की संकल्पना करने तथा नई वस्तुएं, उत्पाद, शिल्प वस्तुएं इत्यादि तैयार करने के लिए युवाओं को प्रेरित और नियोजित करना।
- विभिन्न स्कूलों और भौगोलिक क्षेत्रों के छात्रों के बीच चर्चा और नवाचार को बढ़ावा देना। इससे छात्रों के समुदायों के बीच औपचारिक एवं अनौपचारिक ज्ञान का आदान–प्रदान सुनिश्चित होगा, जिसमें नवाचार केन्द्र मुख्य केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे।

9. स्थलों / संस्थानों का चयन

एक राष्ट्रीय स्तर की समिति, संबंधित राज्य सरकार / मूल संगठन की आवश्यक प्रतिबद्धताओं सहित, प्राप्त आवेदनों / डीपीआर की संवीक्षा करेगी और संभावित रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं की सिफारिश करेगी। केवल सहायता अनुदान के लिए आवेदन करना ही आवंटन प्रदान करने की गारंटी नहीं माना जाएगा। नवाचार संबंधी दृष्टिकोण, संपोषण योजना, कार्यकलापों के माध्यम से प्रत्येक प्रस्ताव के गुणावगुणों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

नवाचार केन्द्रों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु प्रारूप

प्रस्तावना

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। डीपीआर पूरी होनी चाहिए तथा सभी खण्डों में अपेक्षित सूचना भरी होनी चाहिए चाहे उसका एक भाग या उसे पूर्ण रूप में किसी पूर्व पत्राचार या शुरूआती आवेदन के साथ ही क्यों न प्रस्तुत किया गया हो। अन्य शब्दों में, डीपीआर आवेदन का मूल्यांकन करने के लिए एकल दस्तावेज होगा। अपूर्ण डीपीआर के कारण आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।

डीपीआर सामान्यतः ए4 आकार तथा पोर्ट्रेट अलाइनमेंट में तैयार किया गया सजिल्द खंड होगा। शामिल किए जाने वाले आरेख ए3 आकार के हो सकते हैं तथापि, उन्हें खण्ड के भीतर फोल्ड आउट के रूप में शामिल किया जाए।

सीडी/डीवीडी के अलावा आरेख, विवरण, व्यू, स्कैच तथा सहायक फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

सभी आवेदकों द्वारा डीपीआर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रत्येक खण्ड / उप–खण्ड से संबंधित सूचना तथा / या निर्देश इटैलिक्स में दिए जाएंगे।

डीपीआर की विषय वस्तु

1. कवर शीट
2. एबस्ट्रैक्ट
3. प्रोफाइल शीट (इस शीट में निम्नलिखित शामिल होंगे)
   i. संगठन का नाम :
   ii. पंजीकृत पता :
   iii. ई– मेल आई डी तथा दूरभाष संख्या :
   iv. संगठन की स्थापना का वर्ष :

v. संगठन का प्रकार : (सरकार / राज्य सरकार / निजी / सोसाइटी / न्यास आदि)

vi. पंजीकरण का विवरण (यदि लागू हो) : (प्रति अनुलग्नक के रूप में उपलब्ध कराएं)

vii. पैन कार्ड संख्या (यदि लागू हो) :

viii. सेवा कर संख्या (यदि लागू हो) :

ix. प्राधिकृत संपर्क व्यक्ति एवं पदनाम :

x. वार्षिक बजट :

xi. वित्त पोषण का स्रोत (स्वयं / सरकार / अन्य) :

xii. प्राधिकृत संपर्क व्यक्ति एवं पदनाम : (दूरभाष, मोबाइल नं. और ई मेल आईडी सहित) :

4. अनिवार्य दस्तावेज

i. पंजीकरण की प्रति

ii. संगम ज्ञापन या न्यास विलेख

iii. राज्य सरकार से समर्थन पत्र

iv. जिला प्राधिकारी से सिफारिश पत्र

v. प्राधिकरण प्रमाणपत्र

vi. अंतिम रूप दिए गए प्रारूप में बॉन्ड

vii. पिछले तीन वर्षों के लेखाओं का संपरीक्षित विवरण

viii. सुविधा के लिए स्थान, प्रचालन एवं रख–रखाव हेतु प्रतिबद्धताएं

5. पृष्ठभूमि सूचना : संगठन (यदि मौजूदा संगठन एक वृहत्तर संगठन का भाग है)

i. संगठन का इतिहास

ii. संगठन के लक्ष्य एवं उद्देश्य

iii. संगठनात्मक संरचना एवं प्रबंधन

iv. सहायता आधार, संरक्षक

v. वित्तीय संसाधन एवं सार तुलन पत्र

vi. अतिरिक्त / विशेष / विशिष्ट सूचना

6. प्रस्ताव

(इस खण्ड में उस प्रस्ताव का संपूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराया जाएगा जिसके लिए वित्तीय सहायता मांगी जा रही है। गुणात्मक और मात्रात्मक प्रामाणिकताएं क्रमशः औचित्य और माप के साथ दी जाएं। इस ब्यौरे में भवनों और अवसंरचना के लागत अनुमान स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएं और यह अन्य आवश्यकताओं हेतु लागत अनुमानों से भिन्न होंगे। इस प्रस्ताव में स्कीम के लिए निर्धारित वित्तीय सहायता की सीमाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। किसी भी प्रस्ताव

का उद्देश्य शेष बचे कार्य को बिना किसी योजना के पूरा करने के लक्ष्यों की आंशिक प्राप्ति हेतु उपयोग के लिए निधियों की मांग करना नहीं होना चाहिए।

7. रख–रखाव तथा विकास

i. संस्थानात्मक वित्त पोषण की मौजूदा स्थिति

ii. नवाचार केन्द्र के लिए वित्तीय धारणीय योजना

8. निष्कर्ष :

निष्कर्ष में उक्त प्रस्ताव का अनुमानित प्रभाव स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए चाहे वह गुणात्माक हो या मात्रात्मक। परियोजना में किए जाने वाले स्थानीय नवाचार को भी दर्शाया जाए।

अनुलग्नक (यदि कोई अतिरिक्त हों।)

संदर्भ

आभार

6.4

विज्ञान शहर स्कीम के अंतर्गत मौजूदा विज्ञान शहरों/विज्ञान केन्द्रों/नवाचार केन्द्रों का आधुनिकीकरण/स्तरोन्नयन

1. प्रस्तावना

भारत में विभिन्न राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों में 50 से 60 विज्ञान संग्रहालय /विज्ञान केन्द्र/विज्ञान शहर कार्य कर रहे हैं। इनमें से 49 को एनसीएसएम द्वारा 1959 के बाद से विकसित किया गया है। एनसीएसएम द्वारा 25 केन्द्रों का प्रबंधन किया जाता है और शेष 24 केन्द्रों को प्रचालन और प्रबंधन हेतु संबंधित राज्य /संघ राज्य क्षेत्रों /सोसायटियों को हस्तांतरित कर दिया गया है। कुछ विज्ञान केन्द्रों को राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विकसित किया गया है और इन्हें उनके द्वारा गठित सोसायटियों द्वारा संचालित और प्रबंधित किया जाता है।

विगत में विकसित इन मौजूदा विज्ञान संग्रहालयों और केन्द्रों में अलग–अलग वास्तुकला, सुविधाएं, विषयवस्तु, अवसंरचना मौजूद हैं और इनमें से कुछ विश्व की मौजूदा प्रवृत्तियों के साथ सुसंगत नहीं हैं। इन विज्ञान केन्द्रों /शहरों में आधुनिक प्रवृत्तियों और जरूरतों का विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार तकनीकों, डिजीटल प्रौद्योगिकियों में हुई तीव्र प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए आधुनिकीकरण / स्तरोन्नयन की आवश्यकता है।

2. उद्देश्य

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की निधि से विकसित या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पूर्ण वित्तपोषण के द्वारा विकसित मौजूदा विज्ञान शहरों / विज्ञान केन्द्रों / नवाचार केन्द्रों में विविध प्रदर्शनियों /गैलरियों / आगंतुक सुविधाओं के लिए आधुनिकीकरण/ स्तरोन्नयन और अनुकूल व्यवस्थाओं के सृजन हेतु अनुदान/निधियां प्रदान करना है।

3. पात्रता मानदंड

ऐसे विज्ञान शहर/विज्ञान केन्द्र/नवाचार केन्द्र जिन्होंने अपने प्रचालन और संतोषप्रद निष्पादन में कम से कम 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं, इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

4. संस्कृति मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के लिए पूर्व अपेक्षाएं :

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) : संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक विज्ञान केन्द्र/विज्ञान शहर/नवाचार केन्द्र संस्कृति मंत्रालय को अनुमोदित फॉर्मेट में डीपीआर प्रस्तुत करेंगे। इस डीपीआर का मूल्यांकन और जांच एनसीएसएम अथवा एनसीएसएम के प्रतिनिधियों के साथ संस्कृति मंत्रालय द्वारा गठित समिति द्वारा की जाएगी।

5. आधुनिकीकरण / स्तरोन्नयन में शामिल की जाने वाली सुविधाएं :

स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित धनराशि से ही स्थान और अतिरिक्त भू–खण्ड की उपलब्धता के अध्यधीन, मौजूदा विज्ञान शहरों /विज्ञान केन्द्रों की निम्नलिखित सुविधाओं का आधुनिकीकरण / स्तरोन्नयन किया जा सकता है :–

क. गैलरियों/ प्रदर्शनियों तथा हॉल / विज्ञान पॉर्कों / आगंतुक सुविधाओं का आधुनिकीकरण।

ख. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों तथा मौजूदा विज्ञान से जुड़े विषयों पर दीर्घाओं का विस्तार।

ग. महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विषयों तथा विज्ञान और संस्कृति के बीच अंतर–संबंधों पर आधारित डिजिटल पैनोरेमिक थिमेटिक प्रस्तुतियां।

घ. लोगों को वास्तविक वैज्ञानिक अन्वेषण का अवसर प्रदान करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों पर मुक्त प्रयोगशालाओं का विस्तार।

ड़. समुचित संदर्भीकरण के पश्चाात वैज्ञानिक समाधानों सहित सामाजिक मुद्दों पर प्रस्तुतिकरण।

च. वर्चुअल और इमर्सिव अनुभवों का विस्तार।

छ. ऊष्ण कटिबंधीय वनों, आउटडोर एम्फी–थिएटर, सौर ऊर्जाचालित पार्क, होलोग्राफिक थिएटर, अविष्कार और अविष्कारकर्ताओं के कार्यों का स्मरणोत्सव मनाने हेतु हॉलऑफ फेम, डिजिटल रूप से पुनर्सृजित पुरातात्विक स्थल, स्पार्क थिएटर, डार्क राइड, सिम्यूलेटर्स, रोबोटिक्स कार्नर, थ्री डी सुविधा, व्याख्या केन्द्र आदि जैसी नई सुविधाओं का सृजन।

कृपया देखें : किसी भी स्थिति में आधुनिकीकरण / स्तरोन्नयन स्कीम के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि का उपयोग विज्ञान केन्द्र / शहर के लिए भूमि / वाहनों आदि को खरीदने के लिए नहीं किया जाएगा।

6. बजट

वास्तविक बजट स्तरोन्नयन / आधुनिकीरकण के लिए चिह्नित सुविधाओं पर निर्भर करेगा। विज्ञान शहरों/केन्द्रों /नवाचार केन्द्रों के आधुनिकीकरण/स्तरोन्नयन के लिए कार्यान्वयन हेतु कुल आकलित लागत निम्नानुसार होगी :

श्रेणी	कुल वित्तपोषण (अधिकतम) (रूपये करोड़ में)	भारत सरकार और राज्य सरकार /संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/सोसायटी के बीच हिस्सेदारी	परियोजना / स्कीम पूरा होने की समयावधि (अधिकतम)
विज्ञान शहर (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के अलावा सभी स्थान)	25.00	60:40	36 माह
सिक्किम राज्य सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में विज्ञान शहर	30.00	90:10	36 माह
विज्ञान केन्द्र–श्रेणी–I (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के अलावा सभी स्थान)	5.00	50:50	24 माह
विज्ञान केन्द्र–श्रेणी–I (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में)	6.00	90:10	24 माह
विज्ञान केन्द्र–श्रेणी–II (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के अलावा सभी स्थान)	2.50	50:50	24 माह

विज्ञान केन्द्र–श्रेणी–II (सिक्किम राज्य सहित पूर्वोत्तर में)	3.00	90:10	24 माह
विज्ञान केन्द्र श्रेणी–III (सिक्किम राज्य सहित पूर्वोत्तर के अलावा सभी स्थान)	1.50	50:50	18 माह
विज्ञान केन्द्र श्रेणी–III सिक्किम राज्य सहित पूर्वोत्तर में	2.00	90:10	18 माह
नवाचार केन्द्र	1.00	50:50	12 माह

7. परियोजना कार्यान्वयन

सामान्यतः इस परियोजना को आद्यांत आधार पर एनसीएसएम द्वारा पूरा किया जाएगा। इन परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र / सोसायटियों दोनों से धनराशि को एनसीएसएम द्वारा प्राप्त किया जाएगा। एनसीएसएम स्वयं अथवा एनसीएसएम की पूर्ण स्वामित्व वाली धारा 25 कंपनी सीएमडी के माध्यम से विज्ञान केन्द्रों /शहरों/नवाचार केन्द्रों का आधुनिकीकरण / स्तरोन्नयन का कार्य करेगा। परियोजना को पूरा करने के लिए एनसीएसएम को सामान्य परामर्श शुल्क का भुगतान किया जाएगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एनसीएसएम और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/सोसायटी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा गठित संबंधित सोसायटियों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली आधुनिकीकरण/स्तरोन्नयन परियोजना के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता की मांग करने वाली राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहित सोसायटियों/प्राधिकरणों अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के मामले में, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु एनसीएसएम द्वारा परियोजना की जांच और प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इस प्रयोजन हेतु एनसीएसएम को सामान्य परामर्शी शुल्क का भुगतान किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से की धनराशि के अनुमोदन और धनराशि जारी होने तथा भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र/सोसायटियों से जारी धनराशियों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/सोसायटियों द्वारा उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रोत्साहित सोसायटियों/प्राधिकरणों को संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चरणवार धनराशि जारी की जाएगी।

7

अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों के संवर्धन की स्कीम

अवलोकन

संस्कृति किसी देश के साझा दृष्टिकोण, मूल्यों, उद्देश्यों और प्रथाओं के समूह का प्रतिनिधित्व करती है। संस्कृति और सृजनात्मकता लगभग सभी कार्यकलापों में खुद को प्रकट करती है। भारत जैसा प्राचीन और विविधता वाला देश अपने सांस्कृतिक ताने बाने की बहुलता और समृद्धि से पहचाना जाता हैं।

भारत में मौजूद, गीत, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक परम्पराओं, मंच कलाओं, रीति–रिवाजों, पेंटिंग्स और लेखों का संग्रह विश्व के सबसे बड़े संग्रहों में से एक है जो 'मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आईसीएच)' के नाम से जाना जाता है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से दुनिया को अवगत कराने के लिए संस्कृति मंत्रालय ''अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों के संवर्धन की स्कीम'' शीर्षक से एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसका उद्देश्य है 'भारत महोत्सव' बैनर के तहत विदेश में कला प्रस्तुति के लिए भारतीय कला रूपों को प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को अवसर प्रदान करना। यह स्कीम विदेशी नागरिकों के बीच भारत हेतु दिलचस्पी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय संस्कृति को दर्शाते हुए सांस्कृतिक कार्यकलाप आयोजित करने के लिए विदेश में भारतीय संस्कृति का सक्रिय रूप से प्रचार करने वाले सांस्कृतिक सोसाइटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

''अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों के संवर्धन की स्कीम'' के निम्नलिखित घटक हैं :

(क) भारत महोत्सव

(ख) भारत विदेश मैत्री सांस्कृतिक सोसाइटी स्कीम के लिए वित्तीय सहायता।

7.1

भारत महोत्सव

1. पृष्ठभूमि और उद्देश्य

विदेशों में भारत महोत्सव भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को संयुक्त तरीके से संवर्धित करने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं। भारत महोत्सव (एफओआई) मेजबान देश की जनता पर अमिट छाप छोड़ने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं। इस प्रकार ये सांस्कृतिक/व्यवहार कुशलता के साधन हैं जो भारत की मृदु शक्ति को दर्शाते हैं। इस सौम्य दृष्टिकोण से पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार आदि के क्षेत्र में भारतीयों को लाभ होने की उम्मीद है और भारत के बढ़ते प्रभाव को महत्ता प्रदान करता है। विदेश में भारत महोत्सव के आयोजन की स्कीम को वर्ष 2013 में पुनः आरम्भ किया गया। भारत महोत्सव में सामान्यतः संगीत, नृत्य, रंगमंच, फिल्म उत्सव, खान–पान उत्सव, साहित्य उत्सव, मेहंदी कला जैसी लोक कलाएं, विविध विषयों की प्रदर्शनियां, व्याख्यान प्रदर्शन और कार्यशालाएं आदि कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं। भारत महोत्सव का मुख्य उद्देश्य जनता के मन को भारत की अनुभूति से जोड़ना और उसे संवर्धित करना है जिससे अंततः व्यापार और वाणिज्य, पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, आयुष इत्यादि के संदर्भ में ठोस परिणाम प्राप्त होंगे। मोटे तौर पर, विदेश में भारत महोत्सव निम्नलिखित उद्देश्य से मनाए जाते हैं :

- ➢ विदेश में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना;
- ➢ भारत के साथ विदेशी देशों के संबंध को मजबूत करना;
- ➢ द्विपक्षीय सांस्कृतिक करार को बढ़ावा देना;
- ➢ विदेश में भारत की सांस्कृतिक छवि को प्रस्तुत करना; और
- ➢ अंतर्गामी पर्यटन को बढ़ावा देना।

II. संस्थागत गठन

क. महोत्सवों पर स्थायी समिति

कार्य आबंटन नियमों के तहत संस्कृति मंत्रालय विदेश में भारत महोत्सव आयोजित करता है और सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकारों, नर्तकों, संगीतकारों का आदान–प्रदान करता है। विदेश में भारत महोत्सव आयोजित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने अंतर–मंत्रालयी समन्वय के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया है। भारत महोत्सव आयोजित करने के लिए सभी प्रस्तावों को सचिव (संस्कृति) की अध्यक्षता में स्थायी समिति, जिसमें आईसीसीआर, पर्यटन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, योजना आयोग, संस्कृति मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार, महानिदेशक, एएसआई और अन्य विभाग/एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं, के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। स्थायी समिति देश, समारोह, समय अवधि के चयन संबंधी निर्णय लेती है। संस्कृति मंत्रालय, विदेश में भारत महोत्सव को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए विदेश मंत्रालय, आईसीसीआर, विदेश स्थित भारतीय दूतावासों, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, आयुष विभाग के साथ संबद्ध हैं। वर्ष 2013 से मार्च 2017 तक 33 देशों में भारत महोत्सव सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं।

ख. भारत महोत्सव प्रकोष्ठ

भारत महोत्सव प्रकोष्ठ का गठन कलाकारों के चयन से लेकर बजटीय आवश्यकता तक महोत्सव के सभी संभावित पहलुओं के संबंध में विस्तृत जानकारी सहित एक समेकित प्रस्ताव तैयार करने के लिए भाग लेने वाली सभी एजेंसियों के साथ समन्वय हेतु किया गया है। समेकित प्रस्ताव में प्रस्तुतियां, प्रतिनिधिमंडल का आकार और ब्यौरे, यात्रा की तारीख, स्थानीय स्थल, शो का समय, स्थानीय सहायक सामग्री और आवास व्यवस्था, कार्गो संचालन शुल्क, संबंधित एजेंसियों के संपर्क ब्यौरे, लोगो, पोस्टर जैसे मदों के सभी ब्यौरे शामिल हैं।

भारत महोत्सव प्रकोष्ठ के प्रबंधन के लिए संविदात्मक आधार पर तीन परामर्शदाता और दो डेटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत हैं।

ग. अनुवीक्षण समिति

मंच कला, साहित्य, प्रदर्शनियों आदि के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले सरकारी संगठनों के अलावा एजेंसियों/व्यक्तियों की भागीदारी की सुविधा के लिए मंत्रालय में एक अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया है। विदेश में भारत महोत्सव में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को समिति द्वारा वर्गीकृत और सूचीबद्ध किया जाता है। सूचीबद्ध किए गए व्यक्तियों की सूची संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट में अपलोड की गई है। भारत महोत्सव आयोजित करने के लिए इच्छुक भारतीय मिशन को कलाकारों की पैनल सूची से कला रूपों का चयन करने के लिए कहा गया है।

III. भारत महोत्सव के लिए समारोह

भारत महोत्सव में निम्नलिखित समारोहों को शामिल किया जा सकता है :

(i) नृत्य (शास्त्रीय, लोक, समकालीन, फ्यूशन आदि)

(ii) संगीत (स्वर, वाद्य, सूफी, शास्त्रीय, अर्ध–शास्त्रीय, कर्नाटक, समकालीन आदि)

(iii) प्रदर्शनियां

(iv) रंगमंच

(v) मेहंदी कलाकरों, कठपुतली आदि सहित लोक कलाएं

(vi) साहित्य उत्सव (साहित्य अकादेमी)

(vii) खान–पान उत्सव

(viii) फिल्म उत्सव

(ix) योग

(x) फैशन शो/वस्त्र प्रदर्शनी

IV. वित्त पोषण

संस्कृति मंत्रालय उपरोक्त क्रम सं. (i) से (vii) में उल्लिखित कार्यकलापों में सहायता करने सहित चयनित प्रतिनिधिमंडल हेतु अंतररष्ट्रीय मार्ग, निष्पादन शुल्क, वीजा शुल्क, यात्रा बीमा, अतिरिक्त सामान की लागत, 3 या 4 स्टार होटल में आवास आदि जैसे व्यय को पूरा करता है। इसके अलावा मंत्रालय स्थल किराया प्रभारों और प्रचार व्ययों पर भी सहायता करता है।

मिशनों से अपेक्षित है कि वे भारत महोत्सव के लिए बजट में ऐसे व्यय शामिल करने से पहले स्थान, ध्वनि प्रणाली, प्रकाश व्यवस्था, स्थानीय आतिथ्य, स्थानीय परिवहन आदि जैसी अन्य अवसंरचनाओं के लिए स्थानीय सरकार और/या सार्वजनिक निजी वित्त पोषण के माध्यम से प्रायोजन का पता लगाएं। इससे भारत महोत्सव के लिए सीमित

बजट का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा।

भारतीय संस्कृति की व्यापक प्रस्तुति के लिए भारत महोत्सव के भाग के रूप में खान–पान उत्सव, फिल्म उत्सव, योग और फैशन शो या वस्त्र प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए भारतीय मिशनों को प्रोत्साहित किया जाता है। संस्कृति मंत्रालय संबंधित मंत्रालय या संगठन के साथ संपर्क को सुविधाजनक बनाता है।

V. भारतीय मिशन की भूमिका

भारत महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव करने वाले मिशनों को पैनल सूची में से उत्कृष्ट और होनहार कलाकारों की श्रेणी से कला रूपों का चयन करना चाहिए। संस्कृति मंत्रालय अपने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों से लोक नृत्य, संगीत के लिए सांस्कृतिक मंडली भेजता है या संगीत नाटक अकादेमी, कलाक्षेत्र आदि जैसे अपने स्वायत्त संगठनों से शास्त्रीय नृत्य, संगीत आदि के लिए कला और सांस्कृतिक मंडली भेजता है। संस्कृति मंत्रालय और ललित कला अकादेमी या साहित्य अकादेमी जैसी अकादेमियों के तहत संग्रहालय के माध्यम से प्रदर्शनियां और/या व्याख्यान आयोजन में भी सहायता दी जाती है। कला रूप के संबंध में निर्णय लेते समय, मिशन भारतीय संस्कृति, स्थानीय पसंद और संवेदनशीलता के प्रदर्शन को व्यापक आधार देने के उद्देश्य से अपने देश में आयोजित हाल ही के कार्यक्रमों को ध्यान में रखेंगे।

VI. प्रक्रिया

महोत्सव की तारीख और महोत्सव में शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित कार्यकलापों के लिए मिशनों से सुझाव प्राप्त होने पर माननीय संस्कृति मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

मंत्री द्वारा कार्यकलापों के अनुमोदन के बाद, मिशन से संस्कृति मंत्रालय द्वारा कार्यकलापों के लिए अनुमानित बजट हेतु दी जाने वाली निधि के साथ–साथ प्रत्येक प्रस्तुति के लिए सटीक तिथियां और प्रत्येक शहर में स्थान सहित उत्सव के विस्तृत कार्यक्रम के लिए कार्य करने हेतु कहा जाएगा। मंत्रालय भारत की सांस्कृतिक मंडलियों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा, वीजा के लिए बुकिंग, कलाकारों को प्रदर्शन शुल्क का भुगतान आदि जैसी व्यवस्थाएं करने हेतु नोडल एजेंसी की पहचान करेगा। अनुमोदित बजट को दो किस्तों में जारी किया जाता है– वित्तीय और प्रशासनिक अनुमोदन के बाद 75 प्रतिशत और शेष उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति पर उत्साव के समापन पर दिया जाता है।

संस्कृति मंत्रालय उत्सव अवधि के पहले, दौरान और बाद में सतत प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता है। मिशनों द्वारा रिपोर्ट, फोटोग्राफ्स और वीडियो रिकार्डिंग्स (यदि तैयार की गई हों) भेजी जानी चाहिए।

7.2

भारत–विदेश मैत्री सांस्कृतिक सोसाइटियों हेतु सहायता अनुदान

(I) उद्देश्य

- भारत की संस्कृति के संबंध में अधिक समझ पैदा करना।
- अन्य देशों के लोगों के साथ मित्रता को और घनिष्ठ बनाना।
- संबंधित विषयों आदि पर संगोष्ठियों के आयोजन द्वारा विख्यात भारतीय विद्वानों के उनके विदेशी समकक्षों के साथ परस्पर संवाद को बढ़ावा देना।

(II) स्कीम की मुख्य विशेषताएं :

- इस स्कीम के तहत उन भारत–विदेश मैत्री/सांस्कृतिक सोसाइटियों को अनुदान संस्वीकृत किया जाएगा जो भारत और संबंधित विदेश के बीच गहरी मित्रता और सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। यह अनुदान राजस्व शीर्ष से प्रदान किया जाएगा।
- इस स्कीम के तहत जारी किए जाने वाले अनुदान विदेश मंत्रालय के माध्यम से भारतीय मिशनों को प्राधिकृतियों के रूप में जारी किए जाएंगे तथा प्राधिकृत राशि को मिशन के पास उनके खाते में रखा जाएगा।
- इस अनुदान का उपयोग सामान्यतः सोसाइटी के कार्यकलापों के लिए किया जाएगा न कि मिशन के सीधे कार्यकलापों के लिए।

(III) वे कार्यकलाप जिसके लिए अनुदान दिया जाता है

इस स्कीम के तहत, अनुदान, मुख्यतः अनुदान प्राप्त कर्ताओं के उन कार्यकलापों के खर्च को कवर करने के लिए दिया जाएगा जो भारत की सांस्कृतिक छवि के संवर्धन तथा संबंधित देश में उसकी सांस्कृतिक विरासत, वर्तमान स्थिति और परिप्रेक्ष्यों की बेहतर समझ का सृजन करने और द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों आदि को बढ़ाने में सहायक हों, उदाहरणार्थ, भारत से संबंधित मामलों में रूचि रखने वाले प्रख्यात विद्वानों, कलाकारों आदि को आमंत्रित करके भारतीय संस्कृति, इतिहास, सभ्यता पर चर्चाएं प्रायोजित की जा सकती हैं। वे अपने भवन को भारत से संबंधित पुस्तकों, भारतीय कला वस्तुओं के प्रतिरूपों, भारतीय हस्तशिल्प आदि से सुसज्जित कर सकते हैं। सोसाइटियों द्वारा आरंभ किए जाने योग्य अन्य कार्यकलापों में राष्ट्रीय दिवसों, भारतीय महोत्सवों और महान हस्तियों की वर्षगांठ मनाना, भारतीय दलों द्वारा प्रदर्शन, पुस्तकों की प्रदर्शनी, योग, हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में कक्षाओं/पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना, पुस्तकों/ जर्नलों का प्रकाशन, भारत से संबंधित साहित्य रखने वाले पुस्तकालय/ पठन कक्ष चलाना और भारत दौरे पर आए प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, कलाकारों आदि का उनके स्थानीय समकक्षों के साथ पारस्परिक संबंध बढ़ाना आदि शामिल हैं।

यह अनुदान, पात्र सोसाइटियों या केन्द्रों आदि को नकद के साथ–साथ वस्तु रूप में या आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु रूप में इन सभी कार्यकलापों के लिए प्रदान किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, ऐसी सोसाइटियों के भवनों को नकद अनुदान के स्थान पर भारतीय कला वस्तुओं, हस्तशिल्पों या पुस्तकों आदि से सुसज्जित किया जा सकता है। भारतीय कला वस्तुएं, हस्तशिल्प, पुस्तकें आदि मिशन द्वारा सीधे ही उपयुक्त रूप से प्राप्त करने के पश्चात प्रदान किए जा सकते हैं। इसके अलावा, बहुमूल्य भारतीय चित्रों, कलाकृतियों आदि के डिजिटल पुनर्मुद्रणों

या प्रतिकृतियों को मिशन द्वारा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (एनजीएमए), ललित कला अकादमी (एलकेए), भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय और राज्य एम्पोरिया तथा भारत या विदेश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों या संगठनों से अधिक सक्षम रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

जब भी किसी प्रख्यात भारतीय सांस्कृतिक व्यक्तित्व के सांस्कृतिक दल द्वारा देश में योजनाबद्ध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना हो तथा देश के मिशन प्रमुख यह महसूस करें कि उस दल या प्रख्यात भारतीय सांस्कृतिक व्यक्तित्व द्वारा कुछ अतिरिक्त पारस्परिक वार्ताएं/परस्परिक क्रिया का आयोजन करने से उक्त स्कीम के उद्देश्यों को काफी कम लागत पर आगे बढ़ाया जा सकेगा तो मिशन द्वारा इन सभी खर्चों को इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाएगा और इस दल की लागत को सीधे ही कवर करके या आयोजकों को ऐसा करने के लिए नकद अनुदान देकर किया जाएगा। यदि मिशन द्वारा यह खर्च सीधे ही उठाया जा रहा हो, तो सोसाइटी को भेंटे/ क्रियाकलाप के लागत अनुमान की सूचना दी जाए तथा भारतीय मिशन द्वारा यह खर्च सीधा ही उठाए जाने से संबंधित स्वीकृति लिखित रूप से सोसायटी से प्राप्त की जाए। इस प्रकार उठाया जाने वाला खर्च उक्त स्कीम के अंतर्गत सोसाइटी की स्वीकार्यता के लिए समायोजित किया जाएगा।

(IV) अनुदान की राशि

अनुदान की राशि निधियों की उपलब्धता तथा वित्त प्रबंधित किए जाने वाले अनुदान प्राप्तकर्ता के कार्यकलापों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तथापि, यह अनुदान सामान्यतः 10,00,000/–रु. (दस लाख रु.) प्रति वर्ष प्रति सोसाइटी से अधिक नहीं होना चाहिए। मिशन को प्राधिकृत की जाने वाली निधियों की कोई निर्धारित सीमा नहीं है क्यों कि यह सोसाइटियों की उपलब्ध संख्या के अनुसार सांस्कृतिक संवर्धन के लिए मिशन द्वारा उपयोग में लाई जा सकने वाली निधियों पर निर्भर करेगा। सामान्य परिस्थितियों में अर्थात 10,00,000/– रु. तक मैत्री सांस्कृतिक सोसाइटियों के लिए अनुदान संस्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी संबंधित प्रभाग के संयुक्त सचिव हैं। एक सोसाइटी के लिए अनुमत अधिकतम सीमा से ऊपर की अतिरिक्त राशि, संस्कृति मंत्रालय के उस संबंधित सचिव (संस्कृति) के विवेकानुसार प्रदान की जाएगी जहां संस्कृति मंत्रालय, सांस्कृतिक दलों आदि की मेजबानी के लिए खर्च जुटाने के लिए भारत महोत्सव/संस्कृति सप्ताहों के आयोजन का प्रस्ताव करती है। अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (संस्कृति) के परामर्श से सचिव (संस्कृति) द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे मामलों में सोसाइटी के लिए संस्वीकृत अनुदान 25 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।

इस स्कीम के तहत संस्वीकृत अनुदान उन सामान्य शर्तों के अधीन होंगे जो भारत में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों हेतु गैर–आवर्ती अनुदान पर लागू होती हैं, किन्तु अनुदानों से संबंधित संपरीक्षित लेखा विवरण प्रस्तुत करने की शर्त में छूट दी जाएगी। मिशन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण–पत्र (अनुबंध–। के अनुसार) स्वीकार किया जाएगा।

मिशन इस संबंध में अनुदान प्राप्तकर्ता के खातों की अनौपचारिक रूप से जांच करेगा और इस बात की संतुष्टि करेगा कि अनुदान का उचित उपयोग किया गया है।

(V) अनुदान प्राप्त करने हेतु सांस्कृतिक सोसाइटियों की पात्रता

भारतीय मिशन, मैत्री सोसाइटियों को अनुदान आबंटित करने से पहले, यह सुनिश्चित करेंगे कि–

- सोसाइटी, संबंधित देश में मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने तथा भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करने में सक्रिय भूमिका निभा रही है।
- सोसाइटी के पास कार्यकलापों का एक निर्धारित और सुनियोजित कार्यक्रम है जिसके लिए भारत सरकार की वित्तीय सहायता आवश्यक है।

- सोसाइटी ने भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत पूर्व अनुदान, यदि कोई हो, को लाभजनक रूप से उपयोग किया हो।

इस प्रयोजन हेतु उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यूसी) सहित (अनुबंध क और ख अनुसार) निष्पादन–सह–उपलब्धता प्रपत्र मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाए। अनुबंध ग के अनुसार मिशन द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि सोसाइटियां (एनजीओ) किसी प्रकार के भ्रष्ट कार्यों में शामिल नहीं है। इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि सोसाइटी ऐसे किसी कार्यकलाप को बढ़ावा नहीं देती जिसे सांप्रदायिक कहा जा सके (अनुबंध घ)।

(VI) विदेश में भारतीय मिशनों द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया

मिशनों का प्राधिकरण, जैसा कि ऊपर वर्णित है, दूतावास द्वारा निष्पादित नीचे दी गई शर्तों के अधीन होगाः–

- अनुदान प्राप्तकर्ता को इस अनुदान का एक अलग खाता रखना होगा जिसकी जांच संबंधित मिशन द्वारा की जाएगी।
- दूतावास के उपयोगिता प्रमाण–पत्र में यह भी दर्शाया गया हो कि उपयोग में लाई गई राशि के लिए जिन निर्धारित, परिमाणित और गुणात्मक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना था, क्या वे वास्तव में प्राप्त किए गए हैं और यदि नहीं, तो उसके कारण बताएं।
- अनुदान प्राप्तकर्ता, संस्कृति मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान का एक सहायक खाता तैयार करेंगे।
- जिसके लिए अनुदान संस्वीकृत किया गया है उसकी कार्य निष्पादन सह उपलब्धि रिपोर्ट (2 प्रतियां) भारतीय दूतावास द्वारा मंत्रालय को अग्रेषित की जाएं। इसके अलावा यह अनुदान समय दर समय संशोधित जीएफआर में दी गई शर्तों के अधीन है।
- अनुदान प्राप्त कर्ता के पास खर्च नहीं हुई शेष राशि, यदि कोई हो, अविलंब सरकार को सौंप दी जाएगी।
- अनुदान प्राप्तकर्ता को सलाह दी जाती है कि वह अनुदान का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए न करे और संबंधित कार्य की स्कीम का निष्पादन किसी अन्य संस्था या संगठन को न सौंपें तथा अनुदान की नियम एवं शर्तों को माने। यदि अनुदान प्राप्तकर्ता अनुदान का उपयोग उस प्रयोजन से करने में असमर्थ रहता है जिस प्रयोजन से इसकी संस्वीकृति की गई थी, तो अनुदान प्राप्तकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर सहित पूरी राशि वापस लौटा दे।
- सभी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थाओं या संगठनों के लेखाओं का निरीक्षण मंत्रालय द्वारा तथा लेखापरीक्षा, सीएजी (डीपीसी) अधिनियम 1971 के प्रावधान के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक दोनों द्वारा तथा आंतरिक लेखापरीक्षा, मंत्रालय के प्रधान लेखा अधिकारी द्वारा की जाएगी, जब भी संस्था या संगठन से ऐसा करने को कहा जाएगा।
- अनुदान प्राप्तकर्ता को सदृश कार्यकलाप /प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्रोत से सहायता अनुदान की संस्वीकृति नहीं दी गई है।
- सदृश प्रयोजन से किसी अन्य बिल या किस्त का भुगतान अनुदान प्राप्तकर्ता को पहले ही नहीं किया गया हो।
- अनुदान प्राप्त करने वाली सोसाइटी उन कार्यकलापों में शामिल नहीं हैं जिन्हें साम्प्रदायिक कहा जा सकता है।

8

भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण हेतु स्कीम

भारत के पास उत्कृष्ट कृतियों वाली जीवंत और विविध सांस्कृतिक परंपराएं, पारंपरिक अभिव्यक्तियां, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की विशाल धरोहर मौजूद है, जिसे सांस्कृतिक विरासत के इन कला रूपों के अस्तित्व, और प्रचार–प्रसार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों का समाधान करने के उद्देश्य से संस्थागत सहायता प्रदान करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। यद्यपि, ऐसे परिरक्षण संबंधी प्रयास खंडित रूप से किए जा रहे है, अतः एक संस्थागत और केन्द्रीयकृत स्कीम की अपेक्षा महसूस की जा रही है, ताकि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आईसीएच) में व्यावसायिक रूप से जागरूकता और रूचि बढ़ाने, इसे सुव्यवस्थित रूप से संरक्षित करने, संवर्धित करने और प्रचार–प्रचार करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा सकें।

2. इस प्रयोजनार्थ, संस्कृति मंत्रालय ने विभिन्न, संस्थाओं, समूहों, व्यक्तियों, चिन्हित गैर–संस्कृति मंत्रालय की संस्थाओं, गैर–सरकारी संगठनों, अनुसंधान कर्ताओं तथा विद्वानों पर पुनः बल देने और इन्हें पुनर्जीवित करने संबंधी उद्देश्य के साथ ''भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण स्कीम'' नामक एक स्कीम तैयार की है, ताकि ये भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलापों/परियोजनाओं हेतु कार्य कर सके।

3. इस स्कीम में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, मंच कला, सामाजिक प्रथाओं, रीति–रिवाजों और उत्सव घटनाक्रमों, प्रकृति और विश्व से संबंधित ज्ञान तथा प्रथाओं, पारंपरिक शिल्प कौशल आदि के माध्यम के रूप में भाषा सहित मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्तियां जैसे आईसीएच विषयक सभी मान्यता प्राप्त कार्यक्षेत्र शामिल होंगे।

4. कार्य क्षेत्र

इस स्कीम का उद्देश्य, विभिन्न पणधारियों के प्रयासों की तुलना में यूनेस्को द्वारा इसकी मान्यता सहित भारत की समृद्ध, विविध एवं विशाल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की व्यापक मान्यता और स्वीकार्यता, प्रचार–प्रसार, परिरक्षण एवं संवर्धन हेतु समर्थन और इसे सुदृढ़ करने का है। इस स्कीम का उद्देश्य निम्नलिखित को सहायता प्रदान करना है :–

(i) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों आदि के परिरक्षण और प्रचार–प्रसार में कार्यरत संस्थाएं/विश्वविद्यालय/राज्य सरकारें/संघ–राज्य क्षेत्र प्रशासन/गैर–संस्कृति मंत्रालय की संस्थाएं/सोसायटियां/गैर–सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करना।

(ii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों आदि के अनुसंधान, प्रशिक्षण, परिरक्षण, स्थायीकरण, प्रसार और प्रचार में कार्यरत व्यक्तियों, अनुसंधानकर्ताओं, विद्वानों, व्यावसायिकों को सहायता प्रदान करना।

5. स्कीम के अंतर्गत सहायता

इस स्कीम के अंतर्गत सहायता, इन सांस्कृतिक परंपराओं/अभिव्यक्तियों को जीवंत बनाए रखने में शामिल उपरोक्त पैरा 4 में उल्लिखित संगठनों/व्यक्तियों आदि को सुदृढ़ करते हुए आई सी एच के सभी रूपों के अस्तित्व और

प्रचार–प्रसार के साथ–साथ कार्यशालाओं के लिए छात्रों, कलाकारों, प्रदर्शकों से लेकर व्यावसायिकों को प्रशिक्षण सहायता देते हुए इन्हें परिरक्षित करने, प्रसारित करने, संवर्धित करने आदि, कलाकारों का प्रलेखन करने, डाटा बेस सृजन करने, और शिक्षा एवं संस्कृति आदि का समन्वय करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों का समाधान करने के उद्देश्य से, अनावर्ती अनुदान, मानदेय, अवसरंचना आदि के रूप में प्रदान की जाएगी।

6. सहायता, आईसीएच से संबंधित लघु अनुसंधान और संदर्भित कार्य, इसकी प्रस्तुति, संवर्धन के साथ–साथ आईसीएच पर ध्यान केन्द्रित करने वाली विरासत शिक्षा, विरासत को लोकप्रिय बनाने तथा प्रकाशन कार्य आदि के क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए भी दी जाएगी।

7. स्कीम के अंतर्गत समर्थित किए जाने वाले कार्यकलाप

इस स्कीम का स्वरूप अधिक व्यापक है, क्योंकि यह भारत के सभी आईसीएच रूपों को कवर करती है। संस्कृति मंत्रालय पहले से ही सांस्कृतिक समारोह अनुदान स्कीम, वेतन/निर्माण अनुदान स्कीम, छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति स्कीम जैसी अनेक स्कीमें संचालित कर रहा है। ये स्कीमें भारत की आईसीएच का परिरक्षण और संवर्धन करने के लिए केवल विशिष्ट क्षेत्रों को कवर करती हैं। तथापि, यह स्कीम एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए आईसीएच के सभी मान्यता प्राप्त कार्यक्षेत्रों की संपूर्ण श्रेणी के साथ–साथ भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं को कवर करती है। तदनुसार, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत/विविध सांस्कृतिक परंपराओं से संबंधित निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी :–

(i) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की विस्तृत सूची के लिए राष्ट्रीय/राज्य/जिला/स्थानीय स्तर की पंजिका सृजित करने के प्रयोजनार्थ प्रलेखन/डाटा सृजन/ सूचीकरण आदि करना।

(ii) यूनेस्को द्वारा अभिलेख के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के नामांकन डोजियरों को तैयार करने सहित भारत की अमूर्त सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों/विविध सांस्कृतिक परम्पराओं की उत्कृष्ट कृतियों का परिरक्षण, सहायता और संरक्षण करना, ताकि इन कला रूपों के अस्तित्व और प्रचार–प्रसार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों का समाधान किया जा सके, इन क्षेत्रों में छात्रों और कलाकारों को प्रशिक्षण सहायता देना, कार्यशालाओं के लिए कलाकारों को सहायता प्रदान करना, विभिन्न मीडिया के माध्यम से कला–प्रस्तुतियों का प्रलेखन करना और डाटा बेस का सृजन करना, प्रचार–प्रसार के लिए सहायता देना आदि।

(iii) भारत की आईसीएच/विविध सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में शिक्षा और संस्कृति के समेकन हेतु कार्यकलाप।

(iv) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण अर्हता रूपरेखा (एनवीईक्यूएफ) के अंतर्गत कला से संबंधित क्षेत्र कौशल परिषदों को स्थापित करने में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल का समर्थन करना।

8. पात्रता मानदण्ड/शर्तें

स्कीम के तहत वित्तीय सहायता की राशि एवं विस्तृत पात्रता मानदण्ड निम्नानुसार हैं :

(i) आवेदक संगठनों/संस्थानों/सोसाइटियों/राज्य या संघ राज्य प्रशासनों के पास सुविधाओं व संसाधनों, पूर्व अनुभव (वों) आदि सहित उचित रूप से गठित प्रबंधन/शासकीय परिषद/निकाय होना चाहिए। उन्हें अपने कम से कम पिछले 3 वर्ष के संपरीक्षित लेखाओं का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा।

(ii) संगठनों/संस्थानों/पंजीकृत निकायों/राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासन, अकादमियों/विश्वविद्यालयों,

सोसाइटियों के लिए विशिष्ट परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता की राशि 10 लाख ₹ तक होगी। व्यक्तियों के लिए, सहायता की राशि 5 लाख ₹ तक होगी।

(iii) यह अनुदान 3 किश्तों में जारी किया जाएगा–50 प्रतिशत अग्रिम रूप से, 25 प्रतिशत मूल्यांकन के पश्चात दूसरी किश्त के रूप में और शेष 25 प्रतिशत परियोजना/क्रियाकलाप के पूरा होने और उसके प्रमाण के तौर पर संगत दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने के पश्चात।

(iv) निधि जारी करने का कार्य इलैक्ट्रॉनिक ट्रांसफर द्वारा किया जाएगा।

9. स्कीम का प्रचार/विज्ञापन

संगीत नाटक अकादमी/ संस्कृति मंत्रालय, दोनों की ही वेबसाइटों और साथ ही साथ प्रिंट मीडिया में इस स्कीम के तहत आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक विज्ञापन दिया जाएगा। निर्धारित वित्त वर्ष में, आवेदन प्रस्तुत करने हेतु, विज्ञापन छपने की तारीख से 60 दिन की अवधि दी जाएगी।

10. आवेदनों का प्रस्तुतीकरण

यह आवेदन, संलग्न निर्धारित प्रारूप में उसमें उल्लिखित विवरणानुसार ''सचिव, संगीत नाटक अकादमी, तृतीय तल, रबीन्द्र भवन (मंडी हाऊस दूरदर्शन केंद्र के सामने), 35 फिरोज़ शाह रोड, नई दिल्ली 110001'' को संबोधित किया जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन या आवेदन प्रस्तुत किए जाने की निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. आवेदनों पर आगे की कार्रवाई

(i) आवेदनों की प्राप्ति के पश्चात, आवेदनों पर आगे की कार्रवाई संगीत नाटक अकादमी द्वारा की जाएगी।

(ii) कोई प्रस्ताव/आवेदन जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत विशिष्ट स्कीमों के तहत कवर होता हो, उस पर इस स्कीम के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा तथा आवेदक को तद्नुसार सूचित कर दिया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु, स्कीम के अंतर्गत उल्लिखित विशेषज्ञ समिति में से एक उप–समिति/उप–समूह का गठन किया जाएगा जो प्रस्तावों/आवेदनों की संवीक्षा/छानबीन करेगा।

(iii) पूर्ण आवेदनों को हर दो वर्ष में गठित होने वाली विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(iv) विशेषज्ञ समिति, परियोजना की सिफारिश करते हुए, प्रस्तावित क्रियाकलाप के पूरा होने के समयांतराल निर्धारित करेगी ताकि दूसरी/तीसरी किस्तों का दावा प्रस्तुत किया जा सके।

(v) विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए संस्कृति मंत्रालय को भेजी जाएंगी।

(vi) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात्, अनुमोदित प्रस्तावों/मामलों की सूची संगीत नाटक अकादमी/संस्कृति की वेबसाइटों पर दर्शाई जाएगी। इसके अलावा, संबंधित प्रस्तावकों/आवेदकों को अलग से सूचना भिजवाई जाएंगी।

(vii) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात्, संस्वीकृत राशि की पहली किस्त इलैक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के द्वारा जारी कर दी जाएगी।

(viii) निधियों की दूसरी किस्त जारी होने से पूर्व विशेषज्ञ समिति, या संगीत नाटक अकादमी के सदस्यों या संस्कृति मंत्रालय या उसके किसी संगठन सहित किसी नामित एजेंसी/पदधारी द्वारा परियोजना का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि समय–सीमा का पालन नहीं किया गया हो, जैसाकि ऊपर पैरा 11 (iv) में वर्णित है, तो अयोग्यता/वसूली उपबंध लगाया जा सकता है।

(ix) निधियन की अंतिम किस्त परियोजना के पूरा होने एवं उसके प्रमाण के रूप में दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के पश्चात जारी की जाएगी। ये किस्तें 50 : 25 : 25 के अनुपात में जारी की जाएंगी।

12. आवेदन के साथ उपलब्ध करवाए जाने वाले दस्तावेज

I संगठनों / संस्थानों / समूहों के लिए

(i) पंजीकरण प्रमाण–पत्र/अधिनियम/सरकारी संकल्प या आदेश जिसके तहत वह संगठन एक विधिक निकाय बना।

(ii) संगठन का विधान, संगम ज्ञापन, नियम एवं विनियम, जहां लागू हो।

(iii) प्रबंधन बोर्ड एवं/या शासी निकाय का वर्तमान संघटन।

(iv) नवीनतम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट की प्रति।

(v) जिस प्रस्ताव के लिए सहायता का अनुरोध किया गया हो, उसकी अवधि तथा परियोजना के लिए नियोजित किए जाने वाले स्टाफ/व्यक्ति(यों), यदि कोई हो, की अर्हताएं व अनुभव सहित विवरण सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव।

(vi) निधियां प्राप्त करने के स्रोतों तथा मद–वार विवरण देते हुए प्रस्ताव का वित्तीय विवरण।

(vii) एक वचनपत्र जिसमें यह कहा गया हो कि संस्कृति मंत्रालय या उसके संगठनों की किसी अन्य स्कीम के तहत कोई मिलता जुलता प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

(viii) आवेदक संगठन/संस्थान का पिछले तीन वर्ष का आय एवं व्यय विवरण तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट या सरकारी लेखा–परीक्षक द्वारा प्रमाणित गत वर्ष के तुलन पत्र की प्रति।

(ix) समुचित राशि के स्टैम्प पेपर पर एक निर्धारित प्रपत्र में, आवेदक संगठन के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित क्षतिपूर्ति बंधपत्र।

(x) संस्वीकृत निधियों के इलैक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के लिए एक निर्धारित पत्र में, बैंक अकाउंट का विवरण।

II व्यक्तियों के लिए

(i) व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के लिए, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट दस्तावेज में से, उपरोक्त (I) से (IV) में वर्णित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने आवश्यक नहीं हैं। इसके बदले आवेदक अपना निजी ब्यौरा व गत पांच वर्ष में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में उसके द्वारा किए गए कार्य/कार्यकलापों का एक संक्षिप्त विवरण उपलब्ध करवाएगा।

(ii) आवेदन में, शैक्षिक अर्हताओं, अनुभवों आदि के संबंध में दिए गए ब्यौरे के समर्थन में, डिग्री, डिप्लोमा व प्रमाण–पत्र, आदि यदि कोई हो, की एक सत्यापित प्रति। किसी भी स्थिति में मूल दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाएं।

(iii) एक नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ ;

(iv) भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संबंधी उपलब्धियों तथा किए गए कार्य के दस्तावेज़/फोटोग्राफों की सत्यापित प्रतियां।

13. अयोग्यता उपबंध

आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए वचनपत्र में दिए गए उपबंधों / शर्तों में से कोई भी यदि बाद में झूठा/ गलत पाया जाता है तो आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

14. विशेषज्ञ समिति

(i) विशेषज्ञ समिति का गठन, संस्कृति मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, दो कैलेण्डर वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।

(ii) अध्यक्ष सहित, विशेषज्ञ समिति के सदस्यों को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत/विविध सांस्कृतिक परंपराओं के विभिन्न क्षेत्रों से नामित किया जाएगा जैसा कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रस्तावित एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

(iii) भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत/विविध सांस्कृतिक परम्पाराओं के प्रख्यात विशेषज्ञ द्वारा विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता की जाएगी।

(iv) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित संयुक्त सचिव और सचिव, संगीत नाटक अकादमी, समिति के पदेन सदस्य होंगे। सचिव, संगीत नाटक अकादमी या उसके प्रभारी, विशेषज्ञ समिति की बैठकों के संयोजक होंगे।

(v) विशेषज्ञ समिति के सदस्यों की संख्या विभिन्न राज्य/संघ शासित प्रदेशों (यू टी) की जनसंख्या के समानुपातिक होगी। सामान्यतः, संबंधित राज्य/यू टी की प्रत्येक चार करोड़ की जनसंख्या हेतु एक सदस्य का चयन किया जाएगा। राज्य/यूटीज के मामले में इस मानदण्ड में छूट दी जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से कम से कम एक सदस्य चुना जाए।

(vi) स्कीम के उद्देश्यों के संदर्भ में विशेषज्ञ समिति के सदस्यों में से उप–समिति (यों)/समूह (हों) का गठन किया जा सकता है। प्रत्येक उप–समिति/समूह से कम से कम 7 सदस्य होंगे।

15. अवसंरचना का सृजन/विकास

स्कीम के अंतर्गत अवसंरचना व वास्तविक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए कोई निधि प्रदान नहीं की जाएगी।

16. अनुवीक्षण प्रणाली

विशेषज्ञ समिति/उप–समिति या संस्कृति मंत्रालय या उसके किसी संगठन सहित किसी अन्य नामित एजेंसी/पदधारियों द्वारा किसी भी समय, लाभार्थी का मूल्यांकन/निरीक्षण किया जा सकता है। संस्कृति मंत्रालय, को स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में, आवधिक रिपोर्टों/रिटर्न आदि के द्वारा सूचना भिजवाई जाती रहेगी। संस्कृति मंत्रालय में संबंधित संयुक्त सचिव, किसी भी समय स्कीम से संबंधित पदधारियों सहित कोई भी ब्यौरे/सूचना मांग सकते हैं।

17. वित्तीय विनियमों का अनुपालन

जी.एफ.आर/डी एफ पी आर के प्रावधानों जिसमें अनुदान प्राप्तकर्ता/लाभार्थी द्वारा देय उपयोगिता प्रमाण–पत्र के अग्रिम निपटान से संबंधित प्रावधान भी सम्मिलित हैं, सहित सभी वित्तीय विनियमों/अनुदेशों का पालन किया जाएगा। तद्नुसार, कार्यान्वयन एजेंसी के लेखाओं का नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक द्वारा लेखा–परीक्षा/निरीक्षण किया जा सकता है जिसमें सी सी ए/ संस्कृति मंत्रालय द्वारा की जाने वाली आंतरिक लेखा–परीक्षा भी शामिल है।

18. दिशानिर्देशों में छूट/संशोधन

सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम के अधीन की जाने वाली प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए इन दिशानिर्देर्शों में किसी प्रकार की छूट/संशोधन किया जा सकता है अर्थात आई एफ डी/ए एस एवं एफ ए की सहमति से, सचिव (संस्कृति) द्वारा छूट/संशोधन किया जा सकता है।

SANSKRITIKA

सत्यमेव जयते

Ministry of Culture

Government of India

New Delhi

2018

Published by Ministry of Culture and Printed at Indu Cards & Graphics, Chawri Bazar Delhi-6,
Ph: 011-23278311, Mob : 9811419531

डा. महेश शर्मा
Dr. Mahesh Sharma

संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
भारत सरकार, नई दिल्ली–110 115
Minister of State (IC) For Culture
Minister of State for Environment,
Forest & Climate Change
Government of India, New Delhi

MESSAGE

Ministry of Culture deals with the Tangible and Intangible Heritage of India. Tangible and Intangible Cultural Heritage encompass several strands including monuments and archaeology; folk and tribal art; literature; archives; library; performing arts including music, dance and drama and visual arts in the form of paintings, sculpture and graphics. All activities of the Ministry relating to promotion, preservation and conservation of the cultural heritage of the country are implemented through a network of 2 attached offices, 6 subordinate offices and 34 autonomous organizations under its control and number of schemes directly operated by the Ministry for promotion and dissemination of art and culture. Its activities and programmes have been organized under several broad heads viz., Promotion and Dissemination, Archaeology, Museums, Archives, Anthropology, Performing Arts, public Libraries and Buddhist and Tibetan Institutes, Indira Gandhi National Centre for the Arts, Memorials, Centenaries and Anniversaries, International Cultural Relations and Building Projects etc.

In order to bring awareness among the public of the schemes, the Ministry has brought out a compendium named "Sanskritika". this edition of Sanskritika contains details of all existing schemes of the Ministry of Culture.

I am happy to place this edition of the compendium in the hands of the users with the hope that it is found to be useful for them for getting financial assistance for promotion of art and culture. Further, the details of these schemes are also available on the website of the Ministry at www.indiaculture.nic.in

(Dr. Mahesh Sharma)

अरूण गोयल, भा.प्र.से.
सचिव
Arun Goel, IAS
Secretary

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
नई दिल्ली–110 115
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTERY OF CULTURE
NEW DELHI-110 115

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

सत्यमेव जयते

MESSAGE

Ministry of Culture published the last edition of 'Samarthan' in 2014 containing details of the Schemes implemented by Ministry of Culture. Since then a large number of schemes have been revised and some new schemes have been initiated by the Ministry. In order to disseminate the latest and updated information related to the various schemes administered by this Ministry, the revised version of 'Samarthan' is being published with a revised name i.e. 'Sanskritika'. I am sure that Government Departments, State Governments and various organizations and individuals associated with the realm of culture will benefit from having the necessary information at one place.

I am also confident that this compendium will facilitate and motivate the officials of this Ministry and its organizations in effectively implementing all the schemes and ensuring delivery in the spirit in which they were envisaged.

(ARUN GOEL)
Secretary (Culture)

Contents
Schemes of the Ministry of Culture

SI. No.	Name of the Scheme	Page No.
1.	**Scheme of Financial Assistance for Promotion of Art and Culture**	**159**
1.1	Repertory Grant	160-163
1.2	Financial Assistance to Cultural Organizations with National Presence	164-167
1.3	Cultural Function and Production Grant	168-170
1.4	Financial Assistance for Preservation and Development of Cultural Heritage of the Himalayas	171-174
1.5	Financial Assistance for the Development of Buddhist/ Tibetan Arts and Culture	175-179
2.	**Scheme for Pension and Medical Aid to Artistes**	**180-186**
3.	**Scheme of Scholarship and Fellowship for promotion of Art & Culture**	**187**
3.1	Award of Senior/Junior Fellowships to Outstanding Artistes in the Field of Culture.	188-190
3.2	Award of Scholarships to Young Artists in different Cultural fields.	191-194
3.3	Award of Tagore National Fellowship for Cultural Research.	195-204
4.	**Scheme of Financial Assistance for Creation of Cultural Infrastructure**	**205**
4.1	Financial Assistance for Building Grants including Studio Theatres	206-215
4.2	Financial Assistance for Tagore Cultural Complexes	216-225
5.	**Museum Grant Scheme**	**226**
5 .1	Development and Establishment of Museums at the Regional, State and District Levels.	227-232
5.2	Digitization of Museum Collections	233-236
5.3	Capacity Building and Training of Museum Professionals	237-241
6	**Scheme for Promotion of Culture of Science**	**242-253**
6.1	Science City	254-263
6.2	Science Centres	264-280
6.3	Innovation Hub	281-285

6.4	Modernization/ Upgadation of existing Science Cities/ Science Centres/ Innovation Hubs	286-288
7.	**Scheme for Promotion of International Cultural Relations**	**289**
7.1	Festival of India Abroad	290-292
7.2	Grant in aid to Indo Foreign Friendship Cultural Societies Scheme.	293-295
8.	**Scheme for Safeguarding the Intangible Cultural Heritage and Diverse Cultural Traditions of India**	**269-300**

1

Scheme of Financial Assistance for Promotion of Art & Culture

This Scheme has the following five components:-

Component-I: Repertory Grant.

Component-II: Financial Assistance to Cultural Organizations with National Presence

Component-III: Cultural Function & Production Grant (CFPG)

Component-IV: Financial Assistance for Preservation and Development of Cultural Heritage of the Himalayas.

Component-V: Financial Assistance for the Development of Buddhist/Tibetan Arts and Culture.

1.1

Repertory Grant

A. Preamble

This grant will be titled as “Repertory Grant”. Under this financial assistance will be provided to dramatic groups, theatre groups, music ensembles, children theatre and for all genres of performing arts activities.

B. Eligibility and Criteria for grant

1. The Group ensembles to be assisted for Repertory Grant will be expected to have a repertoire of adequate number and quality and should have given performances on an all India basis.
2. Those grantees who are getting Repertory Grant, would be recommended for renewal of Repertory Grant only when they stage at least two productions during the financial year. Out of this two, at least one production must be a new production i.e. which has not been staged earlier.
3. The Repertory Grant will be reviewed annually by the Expert Committee set up for the purpose.
4. Organizations will be eligible to obtain only one grant in a financial year.
5. Physical verification would be compulsory for continuation of repertory grant after every 4th (fourth) year.
6. Repertory Grant will be disbursed in one installment on fulfillment of the following conditions at the time of proposal for renewal of grant:-
   - (a) The Organisations granted financial assistance would mandatorily organise at least two cultural activities (function, lecture, seminar, workshop, exhibition etc.) in any of the school in their vicinity. A certificate to this effect from the Principal of the school would be a mandatory requirement for renewal and release of grant.
   - (b) Organizations getting repertory grant are required to upload videos of their Production/ Function/Seminar etc. on YouTube and provide a link to YouTube/Facebook/Twitter page of the Ministry of Culture and this will be a pre-requisite condition for renewal of Repertory Grant and comments received from general public on their uploaded videos/ material will also be taken into account for renewal of Repertory Grant.

C. Advertisement seeking applications under the Repertory Grant

1. While an advertisement will be placed annually on the website of National School of Drama, New Delhi and Ministry of Culture, Organizations may apply between 1st February to 15th March of the year (both dates included) for the coming financial year, which will be evaluated periodically by the Expert Committee set up for the purpose. The applications received before or after the prescribed date shall not be considered. The application should be duly recommended by concerned State Governments /U.T. Administrations or any of the State Akademies or National Akademies including National School of Drama (NSD), Kalakshetra Foundation, Centre for Cultural Resources and Training (CCRT), Indira Gandhi National Centre for Arts (IGNCA), Zonal Cultural Centers (ZCCs) and bodies of similar stature.

2. The application must be accompanied by documents as specified in Para-F below. Any application submitted without these documents is liable to be rejected.

3. National School of Drama (NSD) under Ministry of Culture will notify the 'Repertory Grant' annually through NSD's/Ministry's websites: nsd.gov.in/indiaculture.nic.in.

4. Application in the prescribed proforma supported by necessary documents as mentioned at Para F of the 'Repertory Grant' guidelines, may be submitted to "The Director, National School of Drama, Bahawalpur House, Plot No. 1, Bhagwan Das Road, New Delhi-110001". [Any deficiency in the Application Form(s) informed to the applicant organisation(s) by the National School of Drama (NSD), may be furnished directly to the Director, NSD itself].

D. Mode of Selection

1. Repertory Grant will be considered and recommended by the Expert Committee constituted for the purpose. The constitution of the Expert Committee and its tenure will be for the period as decided and approved by the Ministry. The Expert Committee will give justification on case to case basis for its recommendations. After recommendation of the Expert Committee, the proposals will be examined by the concerned Division and approval of the Competent authority will be obtained before release of fund.

2. The scrutiny of applications by the Expert Committee will be done periodically subject to the availability of funds and applications for the grant.

3. Initially the Repertory Grant for new organizations may be for one Guru and two Artistes which may be gradually increased upto one Guru and eighteen Artistes. However, the increase should not be more than 100% of the existing strength at any point of time and for the fields of dance and music, it should not exceed one Guru and ten Artistes.

4. Keeping in view the budgetary constraints and in order to give opportunity to new artistes group/organizations, 10% of the existing organizations getting Repertory Grant may be phased out every year. Criteria of phasing out may be past performance, reputation, art of working (rare/traditional/experimental/innovative/ original/endangered art form etc.).

5. There will be personal interaction for renewal of Repertory Grant proposal.

E. Amount of Grant

1. Assistance for each Guru/Director will be at the rate of Rs.10,000/- (Rupees ten thousand only) per month whereas in respect of each Shisya/Artiste the same shall be as under:-

Categories of shisya/ artiste	Age Group	Amount of assistance/honorarium per month
(a) Adult shisya/artiste	(18 years age and above)	Rs.6,000/-(Rupees six thousand only)
(b) A category child shisya/artiste	(12-<18 years age)	Rs.4,500/-(Rupees four thousand five hundred only)
(c) B category child shisya/artiste	(6-<12 years age)	Rs.2,000/-(Rupees two thousand only)
(d) C category child shisya/artiste	(3-<6 years age)	Rs.1,000/-(Rupees one thousand only)

2. The expenditure under Repertory grant should be limited to the allocated outlay under the grant.

Note: Payment of the grant to the applicant Organisations shall invariably be made through Electronic mode/RTGS as per practice in vogue.

F. Documents to be submitted with the Application

(i) Brief introduction of applicant organisation along with press reviews, press advertisements, souvenir's copies of tickets etc. in respect of previous year's activities of the organisation.

(ii) Photocopy of the Registration Certificate and Memorandum of Association/Deed, Bye-laws.

(iii) A copy of Unique ID number of the organisation obtained from the NGO-DARPAN Portal.

(iv) A copy of Permanent Account Number (PAN) issued by Income Tax Department.

(v) Duly filled-in Resolution in the prescribed format (in original).

(vi) Duly filled in indemnity Bond in the prescribed format (in original), signing on every page by the authorized signatory with stamp of the organization along with signature of two witnesses with their name and complete address at the given place.

(vii) Annual action plan of the organisation (along with proof), indicating, inter-alia, the following-

(a) details of at least two cultural activities (function, lecture, seminar, workshop, exhibition etc.) organised by the organisation in any of the school in their vicinity. A certificate to this effect from the Principal of the school should be enclosed mandatorily for renewal and release of grant.

(b) details regarding annual programme of at least two productions to be staged [in not more than 150 type-written words (out of this two, at least one production must be a new production i.e. which has not been staged earlier)] with their estimated cost indicating item-wise details viz. cost of rehearsals, costumes, transportation, research, scripting, staging, etc.; and

(c) Proof of uploading videos of their Production/Function/Seminar etc. on YouTube & providing a link to YouTube/Facebook/Twitter page of the Ministry of Culture [this will be a pre-requisite condition for renewal of Repertory Grant] along with hard copy of the comments received from general public on their uploaded videos/material [this will also be taken into account for renewal of grant].

(viii) Complete details of Guru/Director and Shisya/Artistes enrolled with the organisation for which financial assistance is sought in the prescribed format.

(ix) Justification for seeking financial assistance as Fresh Repertory Grant <u>or</u> Renewal of Repertory Grant <u>or</u> Enhancement of Repertory Grant.

(x) Last three year's audited statement of accounts along with sources and pattern of receipt & payment and income & expenditure etc., covering all the activities of the organisation.

(xi) Last three year's Income Tax Assessment orders.

(xii) Last three year's balance sheet with auditor's certificate.

(xiii) Utilization Certificate (in original) in the prescribed format (i.e. FORM GFR 12-A along with its annexure I & II) and receipts & payment statement (in original) issued by Chartered Accountant(CA) on his/her letter head (membership number of the CA should be indicated on the letter head) duly countersigned by the authorized signatory of the grantee organisation with stamp in respect of last grant received by the organization.

(xiv) Press reviews, press advertisements, souvenir's copies of tickets etc. of the productions of the previous years.

(xv) Documentary proof to the effect that grantee organisation has transferred cash component of the last year's grant received electronically against the bank account of each and every individual beneficiary (i.e. Guru and Shishya/Artistes) (viz. copy of bank statement of each and every individual beneficiary) [this is a mandatory condition for renewal of Repertory Grant]

(xvi) A duly filled-in and signed prescribed Bank Proforma/Authorization letter which is verified and signed by the Manager of the concerned Bank (in original).

(xvii) Duly filled-in check list accompanied with the application form.

(xviii) The application should be duly recommended by concerned State Governments /U.T. Administrations or any of the State Akademies or National Akademies including National School of Drama (NSD), Kalakshetra Foundation, Centre for Cultural Resources and Training (CCRT), Indira Gandhi National Centre for Arts (IGNCA), Zonal Cultural Centres (ZCCs) and bodies of similar stature. In this regard, a recommendation letter obtained in the prescribed format (in original) should be enclosed with the application form.

Note: 1. Exemption would be given to the Padma awardees from getting the recommendation from concerned State Governments/UT Administrations or any of the State Akademies or National Akademies including National School of Drama, Kalakshetra Foundation, Centre for Cultural Resources and Training, Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA), Zonal Cultural Centres and bodies of similar nature.

2. Applications should be complete in all respect as per the guidelines of the existing Repertory Grant. In case any discrepancy/shortcomings are found, they may not be considered. The decision of NSD/Ministry of Culture in this regard will be final.

G. Evaluation and Monitoring of the Repertory Grant

The Ministry of Culture will evaluate the grantees through periodical inspections, field visits etc. as may be felt necessary for Repertory grantees on a periodical basis. As regards the fresh cases of Repertory Grant, the approved grant in each case shall be released only after a physical verification of the Organisations as decided by the Ministry. Further, a minimum 5-10% of new recommended proposals / Renewal cases would be physically inspected / verified by the Under Secretary/Section Officer level Officers concerned in Ministry of Culture or any other officers authorised by the Ministry of Culture.

1.2

Financial Assistance to Cultural Organizations with National Presence

1. Eligibility:-

(a) The applicant Organization should, in order to qualify for grant, have a properly constituted managing body or governing body or governing council with its powers, duties and responsibilities clearly defined and laid down in the form of written constitution.

(b) It should have facilities, resources, personnel and experience to take up the project for which grant is required.

(c) The Applicant Organization should be registered in India having an all India Character with national presence and should have operational presence at national/international level.

(d) The activities of the organization should be primarily or significantly Cultural.

(e) The Organization should have capacity to do at least 20 events/programmes in a year.

(f) The Organization should have adequate working strength artistes/staff/volunteers.

(g) The Organization should have spent Rs.1 crore or more during 3 of the last 5 years on cultural activities.

(h) Financial assistance will be given for all or any of the items listed below:

(i) Normally up to 25% of total Govt. grant may be utilized for Maintenance (Salary of staff, Office Expenses, Miscellaneous Expenses) and Construction/Repairs/Extension/ Restoration/ Renovation of the Building of the Institute/Organization/Culture focused on promotion of Art & Culture.

(ii) Normally up to 75% of the total Govt. grant should in any case be utilized for Payment of Honorarium and other miscellaneous expenses on showcasing/ production of events important to the preservation or promotion of cultural heritage and arts including Research Projects on promotion of Art & Culture.

2. Mode of selection and Conditions for release of grant:-

(a) The grant shall be given based on the appraisal of applications/proposals received under the grant by the Steering Committee and thereafter by the administrative approval of the competent authority in the Ministry of Culture.

(b) Grant will be paid in two installments (i.e. 75% & 25%), the first being released at the time of approval of the project. The second installment will be released on receipt of Utilization Certificate in the proper format [as per GFR 12-A along with its annexure I & II], duly audited statement of accounts showing the utilization of the entire amount of grant plus the share of the grantee and other documents certified by a Chartered Accountant. The release of balance of grant will be decided on the basis of the actual expenditure incurred on the project subject to the maximum limit of the grant sanctioned.

(c) An Organization in receipt of financial assistance under the grant shall be open to inspection

by an officer/representative authorized by the Ministry of Culture, Government of India or the State Government concerned.

(d) The accounts of the project shall be maintained properly and separately and submitted to the Government of India as and when required and will be subject to check by an officer of the Central Government or the State Government or by the Comptroller and Auditor General of India at his discretion.

(e) The Organization shall submit detailed break-up of expenditure utilized for Maintenance (Salary of staff, Office Expenses, Miscellaneous Expenses) and Constructions/Repairs/Extension/ Restoration/Renovation of the Building of the Institute/Organisation/Culture focused on promotion of Art & Culture.

(f) The grantee shall maintain:

  (i) Subsidiary accounts of the grant-in-aid received from the Government.

  (ii) Cash book Register in hand-written bound book duly machine numbered.

  (iii) Grant-in-aid Register for the grant received from the Government and other agencies.

  (iv) Separate ledgers for each item of expenditure like construction of hostel building, etc.

(g) The Organization shall maintain a record of all assets acquired wholly or substantially out of the Central Government grant and shall not dispose of or encumber or utilize for purposes other than those for which the grant was given without prior written approval of the Government of India.

(h) If at any time, the Government of India has reason to believe that the sanctioned money is not being utilized for approved purposes, the payment of grant may be stopped and the earlier grants recovered.

(i) The Organization must exercise reasonable economy in the working of the approved project.

(j) The grantee Organization shall furnish to the Ministry of Culture a quarterly progress report of the project indicating in detail both the physical achievements and the expenditure incurred on each of the approved items separately.

(k) Applications against which previous grant/Utilization Certificate is pending will not be considered.

(l) The Organizations should mandatorily organize at least two activities (function, lecture, seminar, workshop, exhibition etc.) in any of the schools in their vicinity. A certificate to this effect from the Principal of school would be a mandatory requirement for release of 2nd installment.

3. Quantum of Assistance:-

An Organization would normally be given financial assistance amounting to Rs.1.00 crore. Further, the financial assistance by the Ministry would be limited to Rs.2.00 crores only. However, the amount may be enhanced up to Rs.5.00 crores in exceptional/deserving cases, with the approval of HCM. Assistance under the Grant to an Organization will be restricted to a maximum of 67% of the approved cost, subject to the ceilings given above. The balance 33% of the approved cost is to be incurred by the Organization as its 'matching share' (other than the contribution by State/UT Government/Union Ministries/ PSUs/ Universities etc.).

4. Accounting procedures:-

(a) Separate accounts shall be maintained in regard to the grants released by the Central

Government.

(b) The Accounts of the grantee organization shall be open to audit at any time by the Comptroller and Auditor General of India or his nominee at his discretion.

(c) The grantee Organization shall submit to the Government of India, a Statement of Accounts audited by a Chartered Accountant stating the expenditure incurred on the approved project and indicating the Utilization of the Government grant in the preceding years. If the Utilization Certificate is not submitted within the prescribed period, the grantee shall arrange to refund immediately the whole amount of the grant received together with interest thereon at the prevailing borrowing rate of the Government of India unless specially exempted by the Government.

(d) The grantee Organization will be open to a review by the Government of India, Ministry of Culture by appointing a committee or in any other manner decided by the Government as and when deemed necessary by the Government.

(e) The grantee Organization shall not invite foreign delegations (being invited in connection with the events financially supported by the grant of Ministry of Culture) without obtaining permission from the Ministry of External Affairs, application for which shall be routed through Ministry of Culture.

(f) It will be subjected to such other conditions as may be imposed by the Government from time to time.

5. Procedures for submission of Application:-

Advertisement to call applications from eligible organizations will be uploaded on the official web-site of Ministry of Culture. The applications duly filled in prescribed Proforma should be recommended by the cultural Department/Wing of the concerned Central Government/State Government/UT Administration or any of the Zonal Cultural Centers of the Ministry of Culture/ National Academies including National School of Drama(NSD), Sangeet Natak Academy(SNA), Lalit Kala Akademy(LKA), CCRT, Indira Gandhi National Centre for Arts(IGCNA) and bodies of similar stature and should be routed through these Organizations only. However, Ministry of Culture will have discretion to entertain an application directly.

6. Documents to be attached with the application:-

(a) Constitution of the Organization;

(b) Constitution of the Board of Management of Governing Body and particulars of each member.

(c) Copy of the latest available Annual Report.

(d) A detailed project report including:

1. Description of the project for which assistance is required along with its duration.

2. Financial statement of the project giving item wise details of recurring and non- recurring expenditure separately, and

3. The source(s) from which counterpart funds will be obtained.

(e) A statement of income & expenditure and a copy of the balance sheet of the applicant organization for the last three years.

(f) An Indemnity Bond in the prescribed Performa on a stamp paper of appropriate denomination.

(g) Details of the bank account in the prescribed Proforma to enable electronic transfer of sanctioned grant.

7. Relaxation:-

In exceptional cases Ministry of Culture reserves the right to relax any of the criteria of the guidelines on the recommendations of the Experts/Steering/Advisory Committee for the reasons recorded in writing.

1.3

Cultural Function & Production Grant (CFPG)

1. Title

This scheme will be known as Cultural Function and Production Grant (CFPG).

2. Scope

This scheme component covers all 'not-for-profit' organizations, NGOs, Societies, Trusts, Universities and individual for supporting the Seminars, Conference, Research, Workshops, Festivals, Exhibitions, Symposia, Production of Dance, Drama-Theatre, Music etc. and small research projects on different aspects of Indian Culture. The Organization should have been functioning and registered under the Societies Registration Act (XXI of 1860), Trusts Act, Companies Act or any Central or State Act for at least three years. For individual applying for financial assistance under the scheme component, there is no such requirement.

The scheme component will, however, not be applicable to such organizations or institutions which are functioning as religious institutions, or as schools/colleges. The scheme component is not meant for College/University Festivals.

Grant will be provided for all types of interactive for a such as conferences, seminars, workshops, symposia, festivals and exhibitions, production on any subject important to the preservation or promotion of cultural heritage, arts, letters and other creative endeavors.

3. Eligibility

(a) The applicant organization that are voluntary organizations or NGOs, should, in order to qualify for the grant, have a properly constituted managing body with its powers, duties and responsibilities clearly defined and laid down in the form of a written constitution. This is not applicable in respect of individual.

(b) The Organization/individual must have tied up or planned the matching resources at least to the extent of 25 % of the project cost.

(c) The Organization/individual should have facilities, resources, personnel and experience to take up the event/ project for which a grant is required.

(d) Past experience of holding such functions, as applied for, would be given preference.

4. Types of activities to be assisted and extent of assistance

Financial assistance may be given for the following purposes:

(a) Holding of Conference, Seminars, Workshops, Symposia, Festivals, Exhibitions, Production of Dance, Drama-Theatre, Music etc. and undertaking small research projects, etc. on any art forms/important cultural matters.

(b) To meet expenditure on activities of development nature like conduct of surveys, pilot projects, etc. on cultural subjects including publications thereof.

5. Quantum of assistance

Grant for specific projects under Para 4 above shall be restricted to 75% of the expenditure, subject to a maximum of Rs.5.00 lakhs per project as recommended by the Expert Committee.

The Ministry may in exceptional circumstances, increase the assistance to any project of outstanding merit and relevance upto Rs. 20 Lakhs with the approval of Hon'ble Minister of Culture.

6. Accounting procedures

Separate accounts shall be maintained in regard to the grants released by the Central Government

(a) The Accounts of the grantee organization/individual shall be open to audit at any time by the Comptroller and Auditor General of India or his nominee at his discretion.

(b) The grantee organization/individual shall submit to the Government of India, a Statement of Accounts audited by a Chartered Accountant, stating out the expenditure incurred on the approved project and indicating the utilization of the Government grant in the preceding years. If the utilization certificate is not submitted within the prescribed period, the grantee shall arrange to refund immediately the whole amount of the grant received together with interest thereon at the prevailing borrowing rate of the Government of India unless specially exempted by the Government.

(c) The grantee organization/individual will be open to a review by the Government of India, Ministry of Culture by appointing a committee or in any other manner decided by the Government as and when deemed necessary by the Government.

(d) The grantee organization/individual shall not invite foreign delegation without obtaining permission from the Ministry of External Affairs, application for which shall invariably be routed through Ministry of Culture.

(e) It will be subjected to such other conditions as may be imposed by the Government from time to time.

7. Procedure for submission of Application

This scheme component is open throughout the year. The application in the prescribed proforma for grant under the component may be sent to the Director, North Central Zone Cultural Centre (NCZCC), 14, CSP Singh Marg, Allahabad-211001. Telephone No. 0532-2421855, 0532-2423698. The application should either be recommended by any of the National Akademies, any other culture-related organization under the Government of India or by concerned State Government /UT Administration, State Akademies.

8. Documents to be attached with the application:

(a) Constitution of the Organization. It will not be applicable for individual.

(b) Constitution of the Board of Management or Governing Body and particulars of each member. It will not be applicable for individual.

(c) Copy of the latest available Annual Report.

(d) A detailed project report including:

(i) Description of the project for which assistance is requested along with its duration and the qualifications and experience of the staff to be employed for the project;

(ii) Financial statement of the project giving item wise details of recurring and non recurring expenditure separately, and (iii) the source(s) from which funds will be managed.

(e) A statement of income and expenditure of the applicant organization/individual for the previous three years and a copy of the balance sheet for the previous year certified by a Chartered Accountant or a Government Auditor.

(f) An Indemnity Bond in the prescribed Performa on a stamp paper of appropriate denomination;

Details of the bank account in the prescribed proforma to enable electronic transfer of sanctioned funds.

9. Installments

The Grant will be released in two installments of 75% (First Installment) and 25% (Second Installment).

10. Mode of Payment

All payments will be made only through electronic transfers.

11. Output of the scheme component

The grantee organizations/individuals are required to upload videos of their Production/Function/ Seminar etc. on You tube and provide a link to You tube/Facebook/Twitter page of Ministry of Culture.

12. Contact us:

Section Officer (S&F), Phone No. 011-24642157.

Enquiry time is between 3.00 P.M. and 4.00 P.M from Monday to Friday.

1.4

Scheme of Financial Assistance for the Preservation and Development of Cultural Heritage of the Himalayas

1. **Objective** : The objective of the scheme is to promote, protect and preserve the cultural heritage of the Himalayan region spreading in Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh through research, documentation, dissemination, etc.

2. **Criteria for Grants :**

   i. The voluntary organization should be registered as a society under the Societies Registration Act 1860 or as a public trust under Indian Trust Act, 1882 and shall have been functioning for a period of three years.

   ii. The Colleges and Universities are also eligible to apply.

   iii. The organisation should have the capacity to undertake and promote research projects. It should have facilities, resources and personnel to implement the scheme for which the grant is required.

   iv. The Colleges and Universities should introduce in their curricula or research course aspects of studies relating to Preservation of Himalayan Art and Culture, in case not already done.

   v. A college applying for the grant should be affiliated to the University.

   vi. The grants will be ad-hoc and of non-recurring nature.

   vii. Grants from this scheme will be given only to those organizations which are not in receipt of grants from any other source for similar purposes.

   viii. Organizations which are doing good work in the field and having resources for meeting matching funds will be given preference.

3. **Purpose & quantum of assistance**: The financial assistance is given for any of the items listed below up to a maximum of Rs.10.00 lakhs to any single organisation :

S.No.	Items	Maximum amount per annum
i.	Study and research on cultural heritage	Rs.10.00 lakhs
ii.	Preservation of old manuscripts, literature, art & crafts and documentation of cultural activities/events like music, dance, etc.	Rs.10.00 lakhs
iii.	Dissemination through audio-visual programmes of art and culture	Rs.10.00 lakhs
iv.	Training in Traditional and Folk Art	Rs.10.00 lakhs

3.1 The maximum grant admissible to an organization would be 75% of the total expenditure to be incurred on any item subject to maximum ceiling fixed. The remaining 25% expenditure or more should be met by the State Govt./U.T. Administration failing which the grantee organization could contribute the amount from their own resources. However, in the case of Arunachal Pradesh and Sikkim, funding will be shared between the Government of India and the organization in the ratio of 90:10 respectively.

4. Procedure for application :

4.1 The organization/individual shall submit complete application along with the following documents/ information to judge the eligibility of the organization through the State Government, where the project is proposed to be implemented, to the Ministry of Culture. The organisations, however, located in Sikkim, Arunachal Pradesh & Leh and Kargil districts of Jammu & Kashmir are exempted to submit their applications direct to Ministry of Culture only with the recommendation of concerned District Collector/Dy Commissioner. The Universities and Colleges shall forward their applications through the U.G.C to Ministry of Culture.

S.No.	Documents/information
I	Copy of the valid Registration Certificate clearly showing the validity of the Registration. The copy of the Registration Certificate will be duly certified by a Gazetted Officer.
Ii	Copy of Memorandum of Association
Iii	Copies of Audited Accounts for last three years.
Iv	Copies of Annual Report for last three years supported by documentary evidence of Achievements.
V	Write-up on the activity to be undertaken along with detailed break-up of the cost estimate, funds requirement from the Govt., other sources of funding, completion schedule of the project, etc.
Vi	Brief profile in case of research personnel.

4.2 **Recommendation**: The State Governments/District Collector/ Deputy Commissioner/UGC while recommending the proposal will:

i. Verify the Registration status of the organisation.

ii. Certify that the voluntary organisation is capable of undertaking such projects.

iii. Certify that project on the title/area proposed to be undertaken has not been undertaken in the past and it is a new project.

iv. Recommend the activity/activities and the amount thereto.

5. Mode of and Conditions for Release of Grants:

a. The Grants will be paid in two equal instalments, the first being normally released with the approval of the project. The second instalment will be released on completion of project and on receipt of duly audited statement of accounts showing the utilization of the entire amount of grant plus the share of the grantee/concerned State/U.T. Government and other documents. The release of the balance of grant will be decided on the basis of the actual expenditure incurred on the project subject to the maximum limit.

b. An organization in receipt of financial assistance under the scheme shall be open to inspection by an officer of the Ministry of Culture, Government of India or the State Government concerned.

c. The accounts of the project shall be maintained properly and separately and submitted to the Government of India as and when required and will be subject to check by an officer of the Central Government or the State Government or by the Comptroller and Auditor General of India at his discretion.

d. The grantee shall maintain : -

   i. Subsidiary accounts of the grants-in-aid received from the Government.

   ii. Cash book Register in hand written bound books duly machine numbered.

   iii. Grant-in-aid Register for the grant received from the Government and other agencies.

   iv. Separate ledgers for each item of expenditure like construction of civil work, etc.

e. The organization shall maintain a record of all assets acquired wholly or substantially out of the Central Government grant and shall not dispose of or encumber or utilize for purposes other than those for which the grant was given without prior approval of the Government of India.

f. If at any time, the Government of India has reason to believe that the sanctioned money is not being utilized for approved purposes, the payment of grant may be stopped and the earlier grants recovered.

g. The organization must exercise reasonable economy in the working of the approved project.

h. The grantee organization shall furnish to the Ministry of Culture a quarterly progress report of the project indicating in detail both the physical achievements and the expenditure incurred on each of the approved items separately.

i. The grantee shall submit three copies of the Project Report duly bound/Audio-Video CDs/ Photographs to the Ministry of Culture and one copy to the State Government where the project has been undertaken.

j. Applications of the organisations against which previous grant/ Utilisation certificate is pending will not be considered.

6. Mode of Payment :

All payments will be made through electronic transfers.

7. Outcome of the Scheme :

A Performance-cum-achievement Report on the activity undertaken will be submitted in triplicate, duly bound, at the time of seeking final instalment to the Ministry. It should include, interalia, an Executive Summary of the Project Report, number of beneficiaries, location of project, etc as per the prescribed format.

8. Incomplete applications:

Incomplete applications not supported by the required documents and applications received without recommendation of the prescribed authority will not be considered and summarily rejected.

9. Special Provision:

Ministry of Culture in the Govt. of India may undertake any project on the subject through any of the agencies of its choice or directly and may finance the project beyond the maximum limit but not exceeding Rs.30.00 lakhs from this scheme with the approval of Secretary (Culture) and concurrence of AS & FA, Ministry of Culture. Wherever the Ministry of Culture decide to entrust a particular project etc to an organization of its choice, the concerned State Government's recommendation will not be necessary. The Expert Advisory Committee on the scheme is empowered to recommend or reject any proposal received without or with the recommendation of State Government/ Local Administration and also recommend the amount beyond the ceiling as above.

10. Inspection and Monitoring:

Inspection would be carried out by Ministry officials every year at least in 5% of the cases. The concerned State Govt., District Collector/Dy. Commissioner will also monitor.

11. Penalties in case of misutilisation of Grants:

The members of the executive body of the organisation would be liable for recovery of misused grants. The organisation will also be blacklisted for misuse of funds, fake registration certificate, etc. All immovable assets created from the Government grants would be taken over by local administration prescribed by the Ministry of Culture.

1.5

Scheme of Financial Assistance for the Development of Buddhist/Tibetan Culture and Art

1. Objective :

To give financial assistance to the voluntary Buddhist/Tibetan organizations including Monasteries engaged in the propagation and scientific development of Buddhist/Tibetan culture, tradition and research in related fields.

2. Criteria for Grants :

i. The voluntary Institutions/Organizations and Societies should be registered as a Society under the Societies Registration Act (XXI of 1860) or similar Acts.

ii. Only those Organizations which are mainly devoted to Buddhist/ Tibetan studies and have been functioning at least for the last three years will qualify for applying for a grant.

iii. The Organization should be of regional or all-India character;

iv. The grants will be ad-hoc and of a non-recurring nature;

v. Grants from this scheme will be given only to those organizations which are not in receipt of grants from any other source for similar purposes.

vi. Financial assistance may also be given for construction of hostel building, classrooms, school buildings and training centres ; and

vii. Organizations which are doing good work in the field and having resources for meeting matching funds will be given preference.

3. Purpose and quantum of Assistance :

3.1 Financial assistance is given for all or any of the items listed below upto a maximum of Rs.30.00 lakhs per year for any single organization. In case of the organizations of all-India character and running a school for imparting monastic education, the financial assistance may be given beyond the ceiling, on the recommendation of the Expert Advisory Committee and approved by the Minister (Culture) in consultation with the FA, Ministry of Culture.

S.No	Items	Maximum Amount per annum
i	Maintenance (Salary of staff, Off. Exp/Misc. exp)	Rs.5,00,000/-
Ii	Research Project on promotion of Buddhist/Tibetan Art and Culture	Rs.2,00,000/-
iii	Purchase of books, documentation and cataloguing relating to Buddhism	Rs.5,00,000/-
iv	Award of scholarships to monk/nunnery students	Rs.5,00,000/-

v	Holding of special courses on promotion of Buddhist / Tibetan Art and Culture	Rs.2,00,000/-
vi	Audio- Visual Recording/Documentation/ Archiving of the traditional materials for preservation and dissemination of Buddhist Art & Culture	Rs.5,00,000/-
vii	IT upgradation and IT-enabled Teaching/ Training aids for monastic/nunnery schools	Rs.5,00,000/-
viii	Transport facilities for monastic/nunnery schools and monasteries located in remote areas	Rs.5,00,000/-
ix	Salary of teachers where organization is running a school imparting monastic/ nunnery education	Rs.5,00,000/-
x	Repairs, restoration, renovation of ancient monasteries and Heritage Buildings associated with Buddhism	Rs.30,00,000/-
xi	Construction/Repairs/Extension with toilet and drinking water for Class Rooms, School Buildings, Hostels and Training Centres which are focused on Buddhist/ Tibetan Art and Culture as well as skill development of traditional craft for monastic/ nunnery school	Rs.30,00,000/-

3.2 The maximum grant admissible to an organization would be 75% of the total expenditure to be incurred on any item subject to maximum ceiling fixed. The remaining 25% expenditure or more should be met by the State Govt./U.T. Administration failing which the grantee organization could contribute the amount from their own resources. However, in the case of North-Eastern States and Sikkim, funding will be shared between the Government of India and the State Government in the ratio of 90:10 respectively failing which the grantee organization could contribute from their own resources.

4. Procedure for application:

4.1 The organization shall submit complete application along with the following documents/ information to judge the eligibility of the organization through the concerned State Government/ UTs. The organisation, however, located in North Eastern States, Sikkim, Leh and Kargil districts of Jammu & Kashmir are exempted to submit their applications direct to Ministry of Culture only with the recommendation of concerned District Collector/Dy. Commissioner.

S.No.	Documents/information
i.	Copy of the valid Registration Certificate clearly showing the validity of the Registration. The copy of the Registration Certificate will be duly certified by a Gazetted Officer.
ii.	Copy of Memorandum of Association
iii.	Copies of Audited Accounts for last three years.
iv.	Copies of Annual Report for last three years.
v.	Item-wise write-up on each activity to be undertaken incorporating detailed break-up of funds sought, no. of target beneficiary, time schedule of the Project, etc.

vi.	List of books to be purchased and their cost, if applicable.
vii.	Copy of registration certificate & other documents in proof of ownership of the land/ building in case of civil construction, if applicable.
viii.	Detailed Project Report for civil works incorporating information, inter-alia, total land availability, estimated cost item wise, phasing of expenditure, completion schedule, approved estimates from State PWD for each item, details of Architect, details of class rooms – whether primary or secondary, Number of classrooms, Number of students per class rooms, what are the courses to be offered and upto which class, etc., if applicable.
ix.	Details of teachers - name, age, qualifications and salary paid. Proposal relating to Salary of Teachers will be subject to the following:
	i. If the society is running a Monastic/Nunnery School in its building or it is running a school in its monastery. ii. Number of monk/nun students taking training in such school. iii. Number of teachers, their age and qualifications and salary paid to the teachers. iv. Is the Monastic/Nunnery School affiliated with some local Education Board in the State or any other Educational Board? v. Are the student's day scholars or resident in the school?
x.	Proposal relating to Award of Scholarship to students will be subject to the following conditions:- i. Criterion for selection of persons for payment of scholarship. ii. Does the organization notify in the beginning of the financial or academic year about the release of scholarship to the candidates to apply for scholarship? If yes mode of such notification and proof be given.

4.2 **Recommendation**: The State Governments/UTs, District Collector/Dy. Commissioner while recommending the proposal will verify the following:

i. Registration status of the organization.

ii. Whether as per Memorandum of Association the objectives and activities of organisation are related to promotion of Buddhist/Tibetan Art and Culture.

iii. In case funds are sought for IT upgradation, transport facilities, civil construction/ salary of teachers whether a Monastery, Monastic/Nunnery School exists/owned by the organisation.

iv. Whether the organisation is capable of undertaking such projects.

v. Recommend the activity/activities and the amount thereto.

4.3 The Central Institute of Buddhist Studies, Leh will act as 'Help Window', for the organisations located in Leh and Kargil districts of J & K.

5. Mode of and Conditions for Release of Grants:

a. Grant shall be given based on the appraisal of applications and recommendation by the Expert Advisory Committee and thereafter administrative approval and financial concurrence of

competent authorities in the Ministry of Culture. The Joint Secretary In-Charge would be the competent authority for the release of funds upto 30.00 lakhs based on the recommendation of the Expert Advisory Committee and in consultation with IFD in each Case.

b. Grants will be paid in two equal instalments, the first being normally released with the approval of the project. The second instalment will be released on receipt of duly audited statement of accounts showing the utilization of the entire amount of grant plus the share of the grantee/ concerned State/U.T. Government and other documents on behalf of Chartered Accountant. The release of the balance of grant will be decided on the basis of the actual expenditure incurred on the project subject to the maximum limit.

c. An organization in receipt of financial assistance under the scheme shall be open to inspection by an officer of the Ministry of Culture, Government of India or the State Government concerned.

d. The accounts of the project shall be maintained properly and separately and submitted to the Government of India as and when required and will be subject to check by an officer of the Central Government or the State Government or by the Comptroller and Auditor General of India at his discretion.

e. The organisation shall submit detailed break-up of expenditure under the head “Maintenance” in a separate annexure forming part of accounts.

f. The grantee shall maintain :

   i. Subsidiary accounts of the grants-in-aid received from the Government.

   ii. Cash book Register in hand written bound books duly machine numbered.

   iii. Grant-in-aid Register for the grant received from the Government and other agencies.

   iv. Separate ledgers for each item of expenditure like construction of hostel building, etc.

g. The organization shall maintain a record of all assets acquired wholly or substantially out of the Central Government grant and shall not dispose of or encumber or utilize for purposes other than those for which the grant was given without prior approval of the Government of India.

h. If at any time, the Government of India has reason to believe that the sanctioned money is not being utilized for approved purposes, the payment of grant may be stopped and the earlier grants recovered.

i. The organization must exercise reasonable economy in the working of the approved project.

j. The grantee organization shall furnish to the Ministry of Culture a quarterly progress report of the project indicating in detail both the physical achievements and the expenditure incurred on each of the approved items separately.

k. The organisations availing grant for civil works will not be eligible for the grant for similar purpose for the next ten years.

l. The grantee shall furnish PWD completion certificate and photographic evidence for Civil Works.

m. The grantee shall submit five copies of the Research Project.

n. The grant for Repairs, restoration, renovation of Heritage Buildings associated with Buddhism is subject to certificate from Archaeological Survey of India. An officer of appropriate level from ASI office/Circle concerned will be associated by the organisation for this activity.

o. Applications against which previous grant/Utilisation certificate is pending will not be considered.

6. Mode of Payment :

All payments will be made through electronic transfers.

7. Outcome of the Scheme :

A Performance-cum-achievement Report on the activity undertaken will be submitted in triplicate, duly bound, at the time of seeking second and final instalment to the Ministry as per the prescribed format.

8. Incomplete applications:

Incomplete applications not supported by the required documents and applications received without recommendation of the prescribed authority will not be considered and summarily rejected.

9. Special Provision:

The Expert Advisory Committee on the scheme is empowered to recommend or reject any proposal received without or with the recommendation of State Government/U.T. administration/ Local Administration and also to recommend the amount beyond the maximum limit but not exceeding Rs.1.00 crore from this scheme. In respect of any proposal which is of outstanding merit for which the EAC feels that the maximum limit would not be sufficient for undertaking the said project, with the approval of Minister (Culture) and concurrence of AS&FA, Ministry of Culture. However, in each such case, detailed justification would be given by EAC for exceeding the limit of Rs. 30.00 lakhs.

10. Inspection and Monitoring:

Inspection would be carried out by Ministry officials every year at least in 5% of the cases and also the services of autonomous institutions like Central University of Tibetan Studies, Sarnath, Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, Central Institute of Buddhist Studies, Leh, ZCCs would be utilized. The concerned state Govt./UTs Administration, District Collector/Dy. Commissioner will also monitor. The concerned State Govt/UTs Administration, District Collector/Dy Commissioner will also monitor.

11. Penalties in case of misutilisation of Grants:

The members of the executive body of the organisation would be liable for recovery of misused grants. The organisation will also be blacklisted for misuse of funds, fake registration certificate, etc. All immovable assets created from the Government grants would be taken over by local administration prescribed by the Ministry.

2

Scheme for Pension and Medical Aid to Artistes

1. Preamble

The Scheme shall be known as 'Scheme for Pension and Medical Aid to Artistes'. The Scheme is meant for improving the financial and socio-economic status of the old artistes and scholars who have contributed significantly in their specialized fields of arts, letters etc. in their active age or are still contributing in the field of arts, letters etc. but due to old age they have to lead a miserable life or are in penury condition. The Scheme also envisages to provide medical aid facility to these Artistes and his/her spouse by covering them under a convenient and affordable Health Insurance Scheme of the Government for treatment of diseases involving hospitalization through an identified network of health care providers.

This Scheme has following two provisions/components:-

(A) National Artistes Pension Fund; and

(B) National Artistes Medical Aid Fund

2. National Artistes Pension Fund:-

(1) This will cover the following two types of cases/requests:-

(i) Existing beneficiaries getting monthly artistes pension under the 1961 Scheme of 'Financial Assistance to Persons Distinguished in Letters, Arts and Such other Walks of life who may be in indigent circumstances' as amended from time to time; and

(ii) Fresh cases of artistes, writers, etc. who are eligible for a grant/monthly financial assistance under the extant guidelines of the Scheme.

(2) Eligibility Criteria for monthly Artistes Pension:-

(i) To be eligible for assistance under the Scheme, a person's contribution to art and letters, etc. must be of significance. Traditional scholars who have made significant contribution in their fields would also be eligible notwithstanding the absence of any published works.

(ii) Personal income of the applicant (including income of the spouse) must not exceed Rs.4,000/- (Rupees four thousand only) per month or annual income of Rs.48,000/- (Rupees forty eight thousand only) [This excludes artiste pension assistance amount already getting by a beneficiary from the Government (i.e. concerned State Govt./UT Administration and/or Ministry of Culture)].

(iii) The applicant should not be less than 60 (sixty) years of age (This does not apply in the case of spouse).

(iv) The applicant artiste is getting pension of at least Rs.500/- per month from the concerned State Government/UT Administration.

(v) The artistes who are below the age of 42 years and want to get Artist Pension in future should immediately register themselves under the Atal Pension Scheme. With effect from year 2035, i.e. 18 years from now when the Atal Pension Scheme will start giving benefits, no new applicants will be entertained by Ministry of Culture under this Scheme because the applicants will be covered under Atal Pension Scheme. For in-between period the artists who are awardees (State Awardees or National Awardees) or categorized/recognized artistes of Akashwani/Doordarshan and who can substantially prove their source of earning from the art activity during their active age will be eligible to apply. Application of such applicant artiste should be recommended by respective State Government/Union Territory Administration along with indicating the amount of monthly financial assistance/pension being provided to the said applicant artiste at the specified place of the Application Form. After receipt of the application complete in all respects at the specified location in Ministry of Culture, the particulars of the applicant artiste will be got physically verified/inspected by officer(s) of the Ministry of Culture or one of the organizations of Ministry of Culture and subsequent to finding the applicant artiste eligible in all respects in terms of guidelines of the Scheme, his/her application shall be placed before the Expert Committee set up under the Scheme for appropriate decision for award of Pension.

(vi) The applicant artistes should not be getting financial assistance under other Schemes of the Ministry viz. Repertory Grant etc.

(3) Procedure for Submission of Applications:-

The eligible artistes may submit their applications in prescribed form (Appendix) enclosing therewith the following requisite documents, through respective State Government/UT Administrations with their recommendations. **Without recommendations of State Government/UT Administrations, the application shall not be considered and rejected summarily.**

Documents required to be enclosed with the application form:-

[Note: All documents must be in English or Hindi. Documents in other than English or Hindi should be accompanied with typed English translation from authorized translator].

(i) A recent (not older than six months) clear & coloured passport size photograph of the applicant to be affixed on the specified place in the application form;

(ii) Self attested copy of any one document from the following listed documents for address proof:-

(a) Aadhaar Card issued by Unique Identification Authority of India(UIDAI); (b) Elector's photo identity card; (c) Passport; (d) Driving License; (e) Electricity Bill^; (f) Landline telephone or broadband connection bill^; (g) Water Bill^; (h) Consumer gas connection card or book or piped gas bill^; (i) Bank account statement^ (j) Domicile certificate issued by the Government; (k) Passport of the spouse; (l) Post office pass book having address of the applicant; (m) Property registration document

[^ Should not be more than three months old on the date of application]

(iii) Self attested copy of any one document from the following listed documents for proof of Date of Birth:-

(a) Aadhaar Card issued by UIDAI; (b) PAN Card (c) Elector's photo identity card; (d) Passport; (e) Driving License; (f) Birth Certificate issued by the Municipal Authority or any office authorized to issue Birth and Death Certificate by the Registrar of Birth and Deaths; (g) Marriage certificate issued by Registrar of Marriages; (h) Matriculation/ 10th class certificate or mark sheet of recognized Board; (i) Domicile certificate issued by the Government.

[Note: Certificate enclosed by an applicant in support of Date of Birth issued by a Doctor/any other authority certifying age on the basis of physical appearance of the applicant will not be accepted and application of such applicant will be rejected summarily].

(iv) Self attested copy of Aadhaar Card issued by UIDAI.

(v) Original copy of Income Certificate in the prescribed format [Annexure-II(A)] issued by the Competent Authority of the State/UTs concerned.

[Note: The Competent Authority for issue of Income Certificate in various States/Union Territories is given in Annexure-II(B)].

(vi) Copies of relevant documents which support the applicant's contributions made in the field of Art, Culture etc. or awards, recognition, or distinction received by the applicant from Central/State Government/Union Territory or any prominent Literary or Arts Society.

(vii) Duly filled-in and signed prescribed Bank Authorization letter (Annexure-IV) which is verified & signed by the Manager of the concerned Bank (in original).

(viii) Recommendation letter obtained from the Culture Department of concerned Stated Government/UT Administrations in the prescribed format [Part-II of the Application Form (Appendix)].

The application may also be made online through using the Registration/login Page of Culture Scheme Monitoring System (CSMS) http://csms.nic.in/login/index.php on the website of the Ministry of Culture www.indiaculture.gov.in under the heading of 'MOC Schemes Application'.

Till the Ministry of Culture allows/develops fully end-to-end receiving online application process, the hard copy of duly filled-in application form (Appendix) for award of Artistes Pension along with all the necessary enclosures as mentioned in the application form may be sent to "The Director, South Central Zonal Cultural Centre, 56/1, Civil Lines, Opposite MLA's Hostel, Nagpur, Maharashtra, Pin-440001" through respective State Government/UT Administrations with their recommendations in the prescribed format.

Note: 1. All entries in the application form should be legible and filled clearly. Incomplete applications and applications without the recommendation of respective State Government/UT Administrations and necessary enclosures as mentioned in the application form will not be entertained, in any respect and rejected summarily. Each page of the application and enclosures should be serially numbered and signed by the applicant. Further the page number of the relevant document should clearly be indicated on the check list (Annexure-I).

Note: 2. Ministry of Culture may make such changes in the Application Form as may be felt necessary from time to time.

(4) Nature of Financial Assistance:-

Financial assistance from the Government may be in the form of monthly allowance. Such allowance given to the Artistes recommended under the Centre-State Quota will be shared by the Centre and State Government /UT Administration concerned, with the latter paying a monthly allowance of at least Rs.500/- per month per beneficiary. The monthly allowance contributed by the Central Government in such cases shall not exceed Rs.3500/- per month per beneficiary. In any circumstances the contribution of Central Government and State Government/UT Administration altogether will not exceed Rs.4000/- per month per beneficiary in which contribution of State Government/UT Administration should be at least Rs.500/- per month per beneficiary. Out of Rs.4000/-, the monthly contribution of allowance of Central Government will be less to the extent the monthly contribution of allowance being provided to the applicant by State Government/UT Administration.[eg. If State Government is already providing Rs.1000/- per month pension to an artiste recommended to get financial assistance from the Central Government under this Scheme, in that case the contribution of Central Government would be only Rs.3000/- per month].

(5) Selection of Applicants for award of Artistes Pension:-

The applications of eligible artistes found to be complete in all respects will be placed before Expert Committee constituted by Ministry of Culture under the Scheme after getting physical inspection/verification of the applicants done by officer(s) of the Ministry of Culture or one of the organizations of Ministry of Culture. The Expert Committee will comprise heads of various cultural organisations under Ministry of Culture and also assisted by a number of eminent artistes in different fields of art and culture who have proven their expertise in their respective fields, as decided by Ministry of Culture from time to time.

The Expert Committee will consider the applications in terms of extant guidelines of the Scheme and recommend the names of deserving candidates for award of Artistes Pension solely on merit considering financial position and eminence etc. of the applicant artistes. The recommendations of the Expert Committee are to be examined by the Administration Division with reference to the Scheme guidelines and the rules of the Govt. as also availability of fund under the Scheme to facilitate an appropriate decision by the Competent Authority. The cases of all the recommended candidates will be submitted finally for getting approval of Competent Authority who will be one level above to the Chairperson of the Expert Committee. Before release of financial assistance to the approved candidates, concurrence of Internal Finance Division shall be obtained.

(6) Disbursement of artistes pension:-

Monthly Artistes Pension to the approved existing beneficiaries (i.e. pensioner) and new artistes to be included in the beneficiaries list subsequent to the recommendation of Expert Committee and thereafter approval of the Competent Authority, will be disbursed by the Ministry of Culture through Public Financial Management System (PFMS)/ Direct Benefit Transfer(DBT) or through Service Provider (appointed by Ministry of Culture for disbursement of Artistes Pension) directly into their bank account subject to receiving the following documents mandatorily online on the email of Artistes Pension Section of the Ministry i.e. apsection-culture@nic.in every year in November and after examination/scrutiny, the same are found to be in order:-

(i) Digital Life Certificate (DLC) of the beneficiary processed through Jeevan Pramaan Portal (https://jeevanpramaan.gov.in) by using necessary information like Aadhaar number,

Mobile number and Pension Payment Order (PPO) displayed by the Ministry on its website[Till the time the Aadhaar Card is made mandatory by the Government for individual residing in the State of Assam, Meghalaya and Jammu & Kashmir, they may submit coloured scanned copy of their original Life Certificate in the prescribed format (Annexure-III)]; and

(ii) Coloured scanned copy of original Income Certificate in the prescribed format [Annexure-II(A)] issued by the concerned Competent Authority of the States/UTs[Annexure-II(B)].

The beneficiaries will have to furnish any other requisite information/document(s) as sought by the Ministry from time to time. In case the requisite documents sought by the Ministry are not received from a beneficiary, the pension will not be released to him/her. Further, if any discrepancy is found in the documents furnished by the beneficiary, the pension may not be released or stopped forthwith till such time the discrepancy is rectified.

(7) Renewal of financial assistance to existing beneficiaries:-

Subject to the above provisions the recurring monthly allowance sanctioned under the Scheme to the existing beneficiaries shall be for such period as may be determined by the Central Government and/or may be continued on year-to-year basis on receipt of Digital Life Certificate (DLC) and Income Certificate from them as mentioned in above para 2.(6).

(8) Discontinuance of allowance:-

If the financial means of a recipient improve beyond Rs.4000/- (Rupees four thousand only) per month or annual income of Rs.48,000/- (Rupees forty eight thousand only) [This excludes artiste pension assistance amount already getting by a beneficiary from the Government (i.e. concerned State Govt./UT Administration and/or Ministry of Culture)], allowance under the Scheme will be discontinued forthwith without any notice to the recipient. Government may also at its discretion terminate the allowance after giving three months notice to the recipient.

Any recipient may also relinquish his/her right to receive allowance by giving written notice to the Government. In such cases, the allowance will be discontinued with effect from the date of his/ her letter of relinquish.

(9) Pension to the spouse in case of death of beneficiary:-

In case of death of a beneficiary getting artistes pension, the financial assistance may be transferred, at the discretion of the Central Government, in the name of the spouse of the beneficiary till life if such request application is received in the Ministry of Culture from the spouse along with the under-mentioned documents within the period of six months from the date of death of the beneficiary artiste. The request may be considered beyond six months upto the period of one year from the date of death of the beneficiary artiste if the competent authority is satisfied that there was genuine reasons due to which delay has occurred and the applicant could not submit his/her application in the prescribed time limit. After the period of one year, the claim for transfer of pension in the name of spouse will stand to be forfeited and no request in this regard shall be entertained:-

(i) Copy of death certificate of late beneficiary in original or self attested;

(ii) Documentary proof to support that the late beneficiary was getting artistes pension;

(iii) Legal heir certificate in the prescribed proforma issued by the Competent Authority and an affidavit from SDM or 1st Class Magistrate in proforma;

(iv) Self attested copy of Digital Life Certificate (DLC) of the spouse processed through Jeevan **Pramaan Portal (**https://jeevanpramaan.gov.in**);**

(v) Self attested copy of latest Income Certificate of the spouse in the prescribed format [Annexure-II(A)] issued by the concerned Competent Authority of the States/ UTs[Annexure-II(B)];

(vi) Self attested copy of Aadhaar Card of spouse issued by UIDAI;

(vii) Self attested copy of any document in support of address proof of the spouse as mentioned in para 2.(3)(ii) above;

(viii) An undertaking that he/she is not getting financial assistance under other Schemes of the Ministry of Culture or other Ministry/Department of Central Government for the same purpose.

(ix) Bank Authorization Letter in the prescribed format (Annexure-IV)

The financial assistance may be transferred in the name of spouse after getting physical inspection/verification of the applicant done through officer(s) of the Ministry of Culture or one of the organizations of Ministry of Culture and finding affirmative report, examination of the request of spouse in consultation with IFD of the Ministry and finally obtaining the approval of the Competent Authority.

The following time-lines are prescribed for prompt process of such requests, subsequent to receiving the same from spouse along with the requisite documents in the Ministry and found to be complete in all respects:-

(i) Physical inspection/verification : Three weeks;

(ii) Concurrence of Integrated Finance Division(IFD) after affirmative report established on physical verification: Two weeks

[if IFD seeks some clarification/document, the prescribed period will be counted after the same are received from spouse or Administrative Division of the Ministry];

(iii) Approval of the Competent Authority after concurrence of IFD: One week; and

(iv) Pension starting to the spouse: From consequent month after approval of the competent authority.

3. National Artistes Medical Aid Fund

(1) Introduction

Ministry of Culture has been administering 'Scheme of Financial Assistance to Persons Distinguished in Letters, Arts and Such other Walks of life who may be in indigent circumstances and their dependents' since 1961 as amended from time to time to support and sustain old and poor artistes in the form of monthly allowance (pension). The indigent artistes do not have the financial resources to bear the cost of medical treatment and due to poor financial position they are exposed to vulnerability in getting medical treatment which increases when they have to pay out of pocket for their medical care with no subsidy or support. Through this fund, the endeavour is to provide a convenient and affordable Health Insurance Coverage of the Government for the existing beneficiary Artistes and his/her spouse. This will provide a probable relief to such artistes by overcoming financial handicaps, improving access to quality medical

care and providing financial protection against high medical expenses. This fund will be utilized by Ministry of Culture for providing services of appropriate Health Insurance coverage for the existing beneficiaries and his/her spouse through the concerned Ministry/Department which is implementing the aforesaid Health Insurance Scheme.

(2) Objective

The objective of this fund shall be to provide a convenient and affordable Health Insurance Coverage of the Government for the existing beneficiary Artistes and his/her spouse the quality medical care for treatment of diseases involving hospitalization through an identified network of heath care providers.

(3) Eligible beneficiary for the facility of Health Insurance

The existing beneficiary Artistes who are getting financial assistance under the 'Scheme for Pension and Medical Aid to Artistes' along with his/her spouse will be eligible to get this facility.

(4) Expenses on getting Health Insurance Coverage

The expenses on getting Health Insurance coverage of the existing beneficiaries and his/her spouse shall be borne by the Central Government in addition to the monthly pension amount being disbursed to them.

4. Administration of the Scheme

The Scheme will be implemented by the Ministry in support of all Zonal Culture Centres and SCZCC, Nagpur will be the main coordinator. The Ministry reserves the right to modify the provisions of the Scheme at any time. In order to implement the Scheme in better perspective, the Scheme Guidelines will be circulated widely through State Governments/UT Administrations along with sharing the data of beneficiaries of Central Government with them.

3

Scheme for Scholarship and Fellowship for Promotion of Art & Culture

Components of Scheme:-

Component-I: Award of Senior/Junior Fellowships to Outstanding Artistes in the Fields of Culture.

Component-II: Award of Scholarships to Young Artists in different Cultural Fields.

Component-III: Award of Tagore National Fellowship for Cultural Research.

3.1

Award of Senior/Junior Fellowships to Outstanding Artistes in the Fields of Culture

A. Objectives

A review of Government efforts in the fields of creative arts revealed that while academicians, scientists had scope for independent work both in an institutional frame-work through fellowships instituted by the University Grants Commission, Council of Scientific and Industrial Research, there was no scheme which provides similar facilities and opportunities in the fields of creative arts or for revival of some of our traditional forms of art. A milieu of freedom supported by financial security could perhaps provide the much needed congeniality of atmosphere for further works in this field. It is also observed that although there are schemes to cover the age group of 10-14 years (Cultural Talent Search Scholarships Scheme) and the age group of 18-25 years (Scheme of Scholarships for Young Artistes in Different Cultural Fields), there were no schemes which would provide the basic financial support either for very advanced training or individual creative effort for revival of some of our traditional forms of arts. The scheme of awarding fellowships to outstanding persons in various creative fields of culture is intended to fill this gap. The scheme would also cover artistes in rural/tribal areas.

The fellowships are awarded for undertaking research oriented projects. The applicant should provide evidence of his/her capabilities in undertaking the project.

The Fellowships are not intended for providing training, conducting workshops, seminars or documenting memoirs/or writing autobiographies, fiction, etc.

B. Fields/Areas

a) Senior/Junior Fellowships in the Field of Performing, Literary and Plastic Arts.

1. Performing Arts (Music/Dance/Theatre/Folk Traditional & Indigenous Arts including Puppetry)
2. Literary Arts (Travelogue/History & Theory of Literature)
3. Plastic Arts (Graphics/Sculpture/Painting including Folk Paintings and Research Work on Traditional Paintings/Creative Photography).

b). Senior/Junior Fellowships in the New Areas related to Culture**.**

In the 'New Areas related to culture', projects are sought in the following fields:

1. Indology
2. Epigraphy
3. Sociology of Culture
4. Cultural Economics
5. Structural and Engineering Aspects of Monuments
6. Numismatics

7. Scientific and Technical aspects of Conservation

8. Management aspects of Art and Heritage

9. Studies relating to application of Science and technology in areas related to culture and creativity.

The objective is to encourage analytical application of new research techniques, technological and management principles to contemporary issues in areas related to art and culture. General and theoretical macro-studies will not be considered. The proposal should be innovative and application oriented and preferably inter-disciplinary in nature.

C. Name

This shall be known as the 'Award of Senior/Junior Fellowships to outstanding persons in the field of culture'.

D. Number of fellowships

The number of fellowships will be up to 400 each year. These are of two types, namely, senior and junior fellowship. The number of senior fellowships will be 200 of the value of Rs.20,000/- each per month for the artistes in the age group of above 40 years. The Number of junior fellowships will be 200 and these will be of the value of Rs.10,000/- each per month for the artistes in the age group of 25-40 years. Age will be reckoned as on 1st April of the year.

E. Publishing Grant

In addition, there could be a one time grant up to maximum of Rs. 20,000/- or 50% of the cost of the publication, whichever is less, for publication of selected Project documents. This will be restricted to 20% of the awardees.

F. Eligibility

Applicant for senior Fellowship should not be the recipient of pension from Ministry of Culture under the scheme for grant of financial assistance to artistes in indigent circumstances.

An applicant should not have availed of the same fellowship earlier. However an applicant who had been awarded a Junior Fellowship can apply for a Senior Fellowship, provided 5 years have elapsed after the closure of the earlier project.

Graduation is the minimum educational qualification for applicants in the fields/areas listed in Para II (b) of the Scheme.

G. Conditions *and procedure for disbursement of fellowship instalment*

- Applicants who are regular employees in Central/State Government/University etc. will have to apply through proper channel and also submit leave proof from that Organisation.
- *Under the Senior and Junior Fellowships, the awardees will submit a six-monthly progress report. The six monthly progress reports should contain details of the work done during relevant period.*
- *The first and second six monthly instalments will be released directly into the bank accounts of the Fellows after the receipt of 1st and 2nd six monthly progress report and due government processes.*
- *The third instalment will be released after review of progress of your 1st and 2nd six*

monthly progress report during mid-term evaluation by Expert Committee and receipt of 3rd six monthly progress report.

- *After the fourth six monthly report and bound copy of the Report, a final evaluation of the same will be done by the Expert Committee. The final instalment will be released after the successful evaluation of the reports.*
- In cases where such reports are not received timely, the Ministry may withhold further releases of the Fellowship amount.

The selected candidates will have to undertake academic or application oriented research work on projects for which they have been awarded the Fellowship. They will complete their Projects within two years and submit the same to the Ministry. Extension of time by maximum three months will be permissible without any additional financial liability to the Government.

H. Review/Assessment of Performance

A mid-term review/assessment of performance in each case will be carried out after one year and further continuance of Fellowship will depend on such review/assessment.

I. Procedure for selection

1. Applications for award for Fellowship will be invited every year, through advertisement. Applicants are required to submit online applications on the website of the Ministry i.e. www.indiaculture.nic.in or CCRT i.e. www.ccrtindia.gov.in.
2. If the applicants are employed in Central/State Government Departments/Institutions/ Undertaking/University etc., they will have to take leave for a period of 2 years for the period of the Fellowship. They should submit their fellowship applications through the head of Department/ Institution/ Undertaking/University etc. with the written assurance that in case the fellowship is sanctioned, the candidate will be granted leave for the duration of the Fellowship. The first installment of the Fellowship will be released on production of proof of leave sanctioned, in addition to other conditions as applicable.
3. An Expert-Committee comprising experts in different fields will be constituted by the Ministry of Culture, Government of India, which would in the first stage examine all applications and shortlist the most meritorious among them for eventual selection of the required number of Fellows in different fields/areas.
4. Short-listed Junior Fellowship candidates will be called for an interview/talk by the Expert Committee who will then select the most meritorious candidates up to the required number of Junior Fellowships in different fields/areas. No such interview/talk would be necessary in the case of Senior Fellowships.

J. Disbursing Authority

All awards sanctioned under the scheme shall be disbursed by the Central Government, directly.

3.2

Award of Scholarships to young artists in different cultural fields

A. Scope

This Scheme seeks to give assistance to young artistes of outstanding promise for advanced training within India in the field of Indian Classical Music, Indian Classical Dance, Theatre, Mime, Visual art, Folk, Traditional and Indigenous Arts and Light Classical Music.

B. Number:- Total Number of Scholarships 400

C. Subjects/ Fields in which Scholarships can be awarded

1. Indian Classical Music Classical Hindustani Music (Vocal and Instrumental) Classical Carnatic Music (Vocal & Instrumental etc.)

2. Indian Classical Dance/ Dance Music

   Bharatnatyam, Kathak, Kuchipudi, Kathakali, Mohiniattam, Odissi Dance/ Music, Manipuri Dance/ Music, Thangta, Gaudiya Nritya, Chhau Dance/ Music, Sattriya dance.

3. Theatre Any specialized aspect of theatre art, including acting, direction, etc., but excluding play writing and research.

   Mime.

4. Visual Arts Graphics, Sculpture, Painting, Creative Photography, Pottery & Ceramics, etc.

5. Folk, Traditional and Indigenous Arts Puppetry, Folk Theatre, Folk dances, Folk Songs, Folk Music, etc.(An indicative list can be seen at Para 10 ‘Note’)

6. Light Classical Music

   1. Thumri, Dadra, Tappa, Qawali, Ghazal,
   2. Light Classical music based on Carnatic Style, etc.
   3. Rabindra Sangeet, Nazrul Geeti, Atulprasad.

D. Duration and Term of Scholarship

The duration of scholarship will be two years.

The nature of training will be determined in each case after taking into consideration the previous training and background of the scholar. Normally, it will be in the nature of advance training under a Guru/ Master or in a recognized institution.

The Scholar will be required to undergo a rigorous training. Such training will include minimum of three hours a day for practice alone apart from the time spent for acquiring knowledge of the theory of the subject/field concerned and also an appreciation of the related disciplines.

E. Amount of Scholarship and conditions for release.

- Each scholar will be paid Rs. 5000/- per month for a period of two years to cover his/her living expenses on traveling, books, art material or other equipment and tuition or training charges, if any.
- *The scholar will submit four six monthly progress reports for the training undergone by him/her(as per the proforma given after selection), duly signed by the Guru/Institution, after the completion of each six monthly period.*
- *However, the first six monthly instalment will be released after the selection of the candidates and after the receipt of required documents from these candidates. The second, third and fourth scholarship instalments will be released after the receipts of the reports for the relevant period.*

F. Conditions of Eligibility

a. Candidates should be Indian Nationals.

b. Candidates should have an adequate general education to pursue their training effectively.

c. Candidates must give evidence of their desire to make the pursuit of their training effectively.

d. As the scholarships are meant for advanced training and not for beginners, candidates must have already acquired a degree of proficiency in the chosen field.

e. The candidate should have undergone a minimum of 5 years training with their Guru/Institutes. The Certificate to this effect in Part II of the Proforma duly signed by the present Guru / Institute and former Guru/ Institute (if any) should be submitted along with the application.

f. Candidates should have an adequate knowledge in the connected arts/ disciplines.

g. The candidate's age should not be less than 18 years and not more than 25 years as on 1st April of the year in which the application is being made. Age relaxation is not permissible.

G. Advertisement

An advertisement inviting applications will be issued by Centre for Cultural Resources and Training (CCRT), 15-A, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110075. Tele- 011-25074256.

H. Documents to be submitted with application

Following documents are required to be submitted along with the application (with photograph) at the time of Interview:

1. One self-attested copy of Education Qualifications (Degrees, Diplomas etc.), experiences etc. In no case the original documents are to be attached.
2. One self-attested copy of the Matriculation or equivalent certificate or other admissible evidence of age. (Other than Horoscope).
3. One Passport size recent photograph.

4. In the case of candidates applying for scholarship in the field of Painting, Sculpture and Applied Arts, they are required to come with self-attested copies of photograph of the Original works. The minimum qualification for Visual Arts is BFA or equivalent.

5. Separate on line application should be submitted for each field, if the candidate wants to apply for more than one field.

6. As the scholarships are awarded for advanced training, the candidates should have undergone a minimum of 5 years training with their Gurus/Institutes. The certificates to this effect duly signed by the present Guru/ Institute and former Guru/ Institute (if any) should be submitted along with the application.

I. General

1. Candidates will be required to appear for an interview/ performance before an expert Committee. The date, time and venue of the interview/performance will be intimated to the candidates through e-mail given by the candidates in their online application. The selection will be made purely on merit.

2. Result will be published on the website of the Ministry. Award letter will be sent to the selected candidates by speed post.

3. Any change in the address may be given to the Ministry in writing. While doing so subject/field of training, File No. (if any) should invariably be given.

4. **For any future correspondence, the candidates must give the following particulars:-**

a. Name of the Scheme.

b. Name of the candidate in capital letters.

c. Subject/field of training.

d. Registration Number.

J. Indicative List of Folk, Traditional and Indigenous Art

Puppet Theatre

Shadow Puppets

1. Ravanchaya of Orissa
2. Chamdyacha Bahulya of Maharashtra,
3. Thol Pavakoothu of Kerala
4. Tholu Bommalattam of Tamilnadu
5. Tholu Bommalattam of Andhra Pradesh
6. Tolagu Gombe Atta of Karnataka

Rod or string Puppets

1. Putulnautch of West Bengal
2. Kathpulti of Rajasthan
3. Gombeatta of Karnataka
4. Pavakuthoo of Kerala
5. Bommalattam of Tamil Nadu
6. Sakhi-Kundhei of Orissa
7. Kalasutri Bahuley of Maharashtra
8. Chadar Badar of Bihar

Glove Puppets

1. Gulabo Sitabo of Uttar Pradesh
2. Pawa Kathakali of Kerala

Traditional Theatre

Devotional Music

1. Harikatha of Kathakalashepam
2. Thevaram, Tirupugazh, Kavadicchindu

3. Bhajan & Abhangas of Maharashtra
4. Songs of various religious sects.
5. Sankirtan of Manipur
6. Baul of Bengal
7. Divyaprabndam and Araiyasevai

Folk Music

1. Women's songs of all regions
2. Songs for children and by children
3. Songs relating to the epics
4. Songs of various castes
5. Songs of Mother Goddess of all regions
6. Various types of Lavanis of Uttar Pradesh Gujarat, Maharashtra, Karnataka
7. Gaulans of Maharashtra
8. Kuravanji Songs of the South
9. Kalgi Tura of various regions; including Nagesi Hardesi (Karnataka)
10. Songs of Goravas (of Kalgi Tura)
11. Gondhals of Karnataka and Maharashtra
12. Bingi Pada (antike pantike)
13. Tattva songs (ektari mela)
14. Kinnari jogi songs
15. Kane-pada
16. Gigipada
17. Gundika pada
18. Jokumara Songs
19. Songs of dombui dasa (ballad)
20. Songs of nila gara
21. Pandhari Bhajans
22. Songs of rivayat (saval-javab) and Marsiya kahani
23. Folk and Tribal musical instruments
24. Ensemble playing (Panchamukha-Vadya Karadi, Majlu, Valaga, Citti, Mela, Chhakri, Anjuman, etc

Other Miscellaneous Traditional forms

1. Pena lsei of Manipur
2. Folk Music (Caste Music)
3. Maand of Rajasthan.
4. Ranamalyem of Goa.
5. Deodhani of Assam
6. Chandayani of Madhya Pradesh
7. Bhand Jasan of Kashmir.
8. Theyyamthura.
9. Study of Tibetan Painting and Wood Craft at the library of Tibetan Works and archives, Dharamsala.

The list is illustrative and not exhaustive.

3.3

Tagore National Fellowship for Cultural Research

A. Objective

The Scheme has been introduced in order to invigorate and revitalise the various institutions under the Ministry of Culture (MoC) and other identified cultural institutions in the country, by encouraging scholars/ academicians to affiliate themselves with these institutions to work on projects of mutual interest. With a view to infuse fresh knowledge capital into the institutions, the scheme expects these scholars/academicians to select specific resources of the institutions to take up projects and research work that are related to the main objectives of these institutions and to enrich them with a new creative edge and academic excellence. The Scheme will be open to both Indian nationals and foreign citizens. The proportion of foreigners will not normally exceed one–third of the total Fellowships awarded in a year.

B. Title

This shall be known as “Tagore National Fellowship for Cultural Research”.

C. Participating Institutions

The Scheme shall cover the institutions under the Ministry of Culture (MoC), as listed below, and may cover other such institutions in future. The scheme will also cover such Non-MoC cultural institutions as have, in the opinion of the National Selection Committee (NSC), cultural resources like manuscripts, artefacts, antiquities, books, publications, records, etc. and seek to take advantage of the scheme, to engage distinguished scholars to work on its resources and come out with publications that enrich our understanding of the subject or the institution. Apart from considering the applications received from willing institutions for their inclusion in the Scheme, NSC can, on its own motion, identify such institutions that should be invited to benefit from the Scheme. On receipt of their consent, the institutions concerned will be covered by the Scheme. The MoC and Non-MoC institutions that stand presently covered by the Scheme have, for the purposes of the Scheme, been divided into two Categories (I & II) and four different Groups, as under:

Group-A: Archaeology, Antiquities, Museums & Galleries

1. **MoC Institutions (9)**

    1) Archaeological Survey of India, New Delhi
    2) National Gallery of Modern Art, New Delhi
    3) Indian Museum, Kolkata
    4) National Museum, New Delhi
    5) Salarjung Museum, Hyderabad
    6) Allahabad Museum, Allahabad
    7) Victoria Memorial Hall, Kolkata

8) Lalit Kala Akademi, New Delhi

9) National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow

2. **Non-MoC Institutions (3)**

1) Chhatrapati Shivaji Maharaj Vaastu Sangrahalaya, Mumbai

2) Gandhi Sangrahalaya, Patna

3) Government Museum & Art Gallery, Chandigarh

Group-B: Archives, Libraries and General Scholarship

1. **MoC Institutions (6)**

1) National Archives of India, New Delhi

2) National Library, Kolkata

3) Rampur Raza Library, Rampur (UP)

4) Khuda Bakhsh Oriental Public Library, Patna

5) Raja Rammohun Roy Library Foundation, Kolkata

6) Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi

2. **Non-MoC Institutions (4)**

1) Asiatic Society, Mumbai

2) AP State Archives & Research Institute, Hyderabad

3) Thanjavur Maharaja Serfojis Sarasvati Mahal Library & Research Centre, Thanjavur

4) Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune

Group-C: Anthropology & Sociology

1. **MoC Institutions (10)**

1) Anthropological Survey of India, Kolkata

2) Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal

3) Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi

4) North Zone Cultural Centre, Patiala

5) North Central Zone Cultural Centre, Allahabad

6) Eastern Zonal Cultural Centre, Kolkata

7) North East Zone Cultural Centre, Dimapur

8) West Zone Cultural Centre, Udaipur

9) South Central Zone Cultural Centre, Nagpur

10) South Zone Cultural Centre, Thanjavur

3. **Non-MoC Institutions (Nil)**

Group D: Performing and Literary Arts

1. **MoC Institutions (4)**
   1) Sangeet Natak Akademi, New Delhi
   2) National School of Drama, New Delhi
   3) Kalakshetra Foundation, Chennai
   4) Sahitya Akademi, New Delhi
2. **Non-MoC Institutions (1)**
   1) Jawaharlal Nehru University (School of Arts & Aesthetics), New Delhi

D. Scope of the Scheme

The scope of the Scheme is to enable the identified cultural institutions engage scholars of outstanding merit, to work on research projects that unravel their unexplored resources. The institutions as well as scholars may identify areas to be explored, but the subject of research need not be confined/ limited to one institution. For purposes of convenience, monitoring, accounting and responsibility, one of the institutions listed in para 3 would be the Nodal Institution for each project, and the Fellow will be attached/ anchored to that institution.

4.1 Areas of Research and Eligible Projects

4.1.1 The Fellow selected will normally work on a project that benefits the Nodal Institution in terms of unraveling its resources. The subject of research should be one that can be usefully pursued with the resources and facilities of the Nodal Institution awarding the Fellowship, though he/ she will be free to draw on the resources and facilities of other institutions, as well.

4.1.2 If the subject of research extends to more than one institution or the Fellow otherwise needs to draw upon the resources and facilities of other institution(s), the Nodal Institution awarding the Fellowship would recommend the Fellow to such other institution(s). In rare cases, where two institutions appear to be of almost equal importance to the Fellow, the second institution may be deemed to be the Co- institution and the two may sign a Tripartite MoU regarding Intellectual Property, Publication, Credit sharing, facilities, etc. But accounting shall be with the Nodal Institution.

4.1.3 Since the Scheme is focused on unravelling the cultural resources of the Nodal Institution, the project must be driven in that direction, that is, to use substantially the resources of the Nodal Institution. The inputs required for the project should have a very strong linkage with the resources available with the Nodal Institution and (in rare cases) the Co-institution.

4.1.4 At the end of it, the project outcome must benefit the Nodal Institution, Co- institution, if any, and the subject under consideration; and add to the existing knowledge of the institution/ subject.

4.2 Eligibility of Scholars to be appointed as Tagore National Fellows

4.2.1 Scholars who have sound academic or professional credentials and have made significant contribution to knowledge in their respective fields, as reflected in publications in reputed and referred journals and books authored by them, or persons with significant creative work in any field of art or culture, will be eligible to be considered for the award of the Fellowship.

4.2.2 Scholars to be engaged must have both the credentials as laid down in the preceding paragraph (4.2.1), as well as a strong reputation in the field covered by the Nodal Institution. As the honour and the honorarium are both of a very high order, the Institution Level Search-cum-Screening Committee of the sponsoring institution and the National Selection Committee (defined in para 11 later) may keep these in mind while recommending/ selecting the Tagore National Fellows.

4.2.3 Those selected as Tagore National Fellows have, therefore, to:

a) be of highest standing in terms of research and years of experience;

b) have a very impressive list of publications, that have found acceptability in the scholarly world; and

c) have past experience in dealing with the projects directly connected to the Nodal Institution and/or allied institutions.

4.2.4 In short, a person selected for the Tagore National Fellowship should be one who has already become a legend in his area of work or is regarded very highly. It is appropriate that those who do not come near this description may not apply or be considered for the highest honour and honorarium accorded to a scholar in India under this Fellowship.

E. Terms of Engagement

The Fellow selected will have to attend the Nodal Institution, as the objective of this scheme is to provide such institutions with academic expertise and to induce academic orientation in the activities of the Nodal Institution. Their physical presence for substantial periods would lend an academic orientation to the officials and cultural specialists working in the Nodal Institution and will also provide interaction with visiting academics from other institutions. Though the Fellow may need to go out from time to time for purposes of the project work or his/her other professional commitments, but during the major period of the Fellowship, he/she is expected to work primarily with the Nodal Institution and its resources. Therefore, candidates who have substantial commitments elsewhere or are (and continue) in regular employment cannot avail the Fellowship. Similarly, those who are unable to stay in the town where the Nodal Institution is located will not normally be considered. But, if the subject or resources that are the core of the research are such that do not require constant presence in the said town, the NSC may consider such cases. Those employed in an institution participating in this scheme are also debarred, except in the most exceptional circumstances (to be decided by the NSC), to be Fellows at their parent institution.

F. Number of the Tagore National Fellowships and Funding Thereof

6.1 To start with, 15 Fellowships per annum are paid by the Ministry of Culture, to institutions that seek it. The total number may be much higher as almost all the MoC institutions have sufficient funds to expend for their Fellows. An institution can award a maximum of two Fellowships in a year, but the National Selection Committee (NSC) will have the discretion to relax this condition, especially for broad-band institutions like the ASI and the IGNCA, if there are deserving proposals.

6.2 If for any year, starting from the year 2009-10, Fellowships awarded from MoC funds are less than 15, the balance may be carried forward to the immediate next year, subject to availability of funds for the purpose in that year. Similarly, applications and projects submitted in a particular

financial year could well be carried over and considered/ recommended next year, if otherwise found worthy of consideration.

6.3 It is clarified that the attached and subordinate offices under the Ministry of Culture will bear all the expenditure on the Tagore National Fellows from within the overall Plan budget allocated to them, while the autonomous organizations (fully funded by the Ministry of Culture) may bear it from within the general pool of funds available with them by way of Annual Plan grants or by internal generation. If additional funds be required by any of them for supporting the Fellows thus engaged, the Ministry of Culture will allot the required additional amount as part of their grant-in-aid allocation in the case of autonomous organizations and make additional budget provision if the institution is an attached/subordinate formation of the Ministry. The institutions will have the full freedom and flexibility to administer the Scheme (for which the Ministry will provide the grant-in-aid/ budgetary provision, as explained above), within the broad parameters laid down herein under and as may be advised by the NSC.

6.4 Non-MoC institutions covered by the Scheme will be provided funds directly from the budget head of this scheme, which will be utilized by them for meeting their expenditure on the Tagore National Fellow(s) selected to work for them, and accounted for separately.

G. Value of Tagore National Fellowship

7.1 A Tagore National Fellow who is from a University, College, Research Institute or Government set-up in India would be entitled to the same pay, including grade pay, etc., which he/she would have drawn had he/she continued in his/her parent organization. Essential or mandatory contribution of the employer to Provident Fund etc. would also be paid by the Nodal Institution as may have been paid by the employer had he/she continued in his/her parent organization.

7.2 A Fellow from abroad or from a set-up other than University, College, Research Institute or Government, or who has since retired from active service and/or is on pension, would be entitled to a fixed honorarium of Rs. 80,000/- per month.

7.3 Such top-up amount, as may be decided by the NSC, would be permissible to a Fellow who may be receiving some funds from other sources, to bring his/her total emoluments upto the level of honorarium, or even beyond it,in select cases. But in no case will the top-up amount exceed Rs. 80,000/- per month.

7.4 No payment of honorarium would normally be made to a Fellow receiving full funding from other sources upto the level of the honorarium, but such Fellow will, however, receive Contingency Grant and other allowances and facilities, as decided by the NSC.

H. Contingency Grant

In case of foreign research scholars and Indian research scholars residing or serving abroad, economy return airfare to/from their country of residence will be provided/reimbursed by the Nodal Institution once during the course of the Fellowship. All scholars who take up the Fellowship under the Scheme will be reimbursed, on actuals basis, contingent expenses for making academic trips, engaging research assistants, etc. up to a ceiling of Rs. 2.50 lakhs per annum, during the tenure of Fellowship. For proper monitoring and control of the Contingency Grant, the nodal institution will maintain a Control Register for the purpose.

I. Duration of the Fellowship

The duration of the Fellowship will be for a maximum period of two years. In exceptional cases,

the institution may recommend to the NSC an extension for a period of upto one more year, or reduction to somewhat less than two years, if it is supported by its assessment of the quality of the work undertaken. The award of the Fellowship will commence from the date of joining and the months and years would be reckoned accordingly.

J. Modes of Selection

10.1-Application

Ministry of Culture and/or the concerned institution will widely advertise the Fellowship, by way of prominent advertisements in national/ regional newspapers, having wide readership and also on its website (which should give all details) and also disseminate the scheme through professional associations/ forums in the relevant fields, so that maximum publicity is accorded to the Scheme. Eligible scholars who can spare time of about two years to do a project based on the resources of any of the participating institutions can apply at any time during the year directly to the concerned institution/ nodal institution. Candidates may submit their application on plain paper along with bio-data, list of publications, other relevant documents including one-page synopsis of the work he/she wishes to do, and names of two referees along with their contact details. The applicant should enclose a declaration stating that if selected for the Fellowship, he/she will complete the tenure of the Fellowship.

10.2-Selection

The applications so received will be examined by the Institution Level Search-cum-Screening Committee (ILSSC) (further elaborated in para 11) constituted by each participating institution for the purposes of this scheme, and the applications found worthy of consideration will be shortlisted and recommended by it to the National Selection Committee (NSC). The best senior scholars, who have well-established reputations in the fields of specialization as are relevant to this scheme, would be invited by the Ministry of Culture to join the NSC.

10.3-Search and Invitation

However, the selection of candidates need not be confined to those who respond to the advertisement. It is open to the institution to consider, suo moto, names of eminent scholars, who in the opinion of the institution and members of its ILSSC, have expertise in subjects relevant to it, and invite them to submit their proposal for recommending to the NSC. The final decision will be of the NSC that can also invite any eminent scholar to become a Fellow (but only of an institution under the Ministry of Culture), in consultation with the concerned institution. In the event of a difference of opinion arising between Board of Trustees/Governing Body of the concerned institution and the National Selection Committee (NSC), the matter may be settled at the level of Minister of Culture.

K. Process of Selection

11.1 An Institution Level Search-cum-Screening Committee (ILSSC) will be constituted by each institution. Director or the Head of the institution will be the Convener of the ILSSC and it will have at least three academics or cultural experts and not more than two officials. Depending on the availability of officials in the institution or allied institutions in the same station, effort will be made to ensure that at least one of the two officials nominated to the ILSSC is a professional/ subject expert. In the case of autonomous institutions, the ILSSC will be constituted by the institution with the approval of its Governing Body/ Board of Trustees. If, however, no meeting of the Governing Body/ Board of Trustees takes place or it is not possible to take their approval,

the ILSSC may be constituted with the approval of the Chairman and placed for ratification of the Governing Body/ Board of Trustees, whenever it meets next. The attached/ subordinate offices will be expected to constitute the ILSSC from amongst the members of their Advisory Boards/ Committees, to the extent possible, and with the approval of Ministry of Culture in the concerned administrative Division.

11.2 The selection will be based on the relevance of the study and its requirement for the Nodal Institution and also the credentials and reputation of the scholar. Only such proposals may be selected that seek to (a) engage scholars who have achieved national or international recognition and proven acceptance of their work in national/ international circles; (b) bring out resources that are not yet fully out in the public domain; and (c) result in publications that benefit the concerned institution. This will be done in two stages.

11.3 The first stage could be of short listing of projects and candidates by the ILSSC, according to the criteria broadly specified as part of the Search-cum-Screening process. Apart from considering the applications received, the ILSSC is expected to adopt a pro-active approach and identify relevant projects and search reputed scholars in the field, contact such scholars and encourage them to submit their proposals. If no proposals worthy of consideration are received, the ILSSC need not feel compelled to recommend proposals that are not of the desired standard or are irrelevant, for consideration of the NSC. To identify appropriate areas/ research projects and search for suitable scholars who may be able to do those research projects will be part of ILSSCs mandate. The ILSSC can do so on the personal knowledge of its members and/or solicit the advice of other knowledgeable/ eminent persons in the field, including the members of the Governing Body/ Board of Trustees of the institution and of various expert committees constituted by the Ministry of Culture. The main purpose of going through the ILSSC is to ensure that the highest standards are maintained in the selection of the projects and the scholars and that the brand equity of the Scheme is not compromised. While the academic members of the ILSSC themselves will not be treated as disqualified if they offer their own services for doing a project under the scheme, the ILSSC should take care to ensure that no projects proposed to be done by any member of the Executive Board/ Governing Body/ Trust of the institution, giving rise to a situation of conflict of interest, are recommended. Proposals, if any, involving a member of the ILSSC will only be considered in a meeting in which the candidate member is not present. Therefore, a candidate member will not be invited to the meeting of ILSSC at which his own name is to come up for consideration; and if awarded the Fellowship, he/she will stand dissociated from the ILSSC. However, the Ministry of Culture will be at liberty to re-induct him/her as a member of the ILSSC after the conclusion of his/her project under this scheme.

11.4 At the second stage, applications/names of short-listed candidates will be considered by the NSC for each institution. Secretary (Culture) will be the Convener of the NSC, and the Director or Head of the institutions will be its ex-officio Members. The other members of the NSC will be scholars or artistes of repute, or experts who may be appointed by the Ministry of Culture. The NSC will meet at least twice a year, to oversee the selection of Fellows and the administration of the Fellowships. The NSC may be constituted and function in different parts, each part of the NSC looking at proposals of a particular Group of institutions. However, if a proposal of some institution categorized in one Group is more in the nature of projects being dealt by another part of the NSC, such projects can be placed before such other part of the NSC. As in the case of ILSSC, members of the NSC may also suggest the areas that need to be studied in a particular institution and propose names of scholars who may be able to do justice with a

project in those areas. The pool of eminent scholars being very small, the Scheme may not afford to keep the NSC (or ILSSC) members out of its scope. Proposals, if any, involving a member of the NSC will, however, be considered only in a meeting in which the candidate member is not present. In fact, such candidate member will not be invited to the meeting of NSC at which his own name is to come up for consideration; and if awarded the Fellowship, he/she will stand dissociated from the NSC. However, the Ministry of Culture will be at liberty to re-induct him/her as a member of the NSC after the conclusion of his/her project under this scheme.

L. Administration of the Scheme

The total number of Fellowships administered by the institutions may be decided by the Ministry of Culture from time to time, in consultation with the participating institutions. This will be based on certain criteria such as the size of its untapped holdings, physical facilities already existing in the institution, capacity of the institution to guide and inspire the Fellows to get the best out of them, its past record in publication and research, need for research/study in a particular area, etc. An amount of up to 2% of the total allocation may be set aside for meeting expenses related to the administration of the scheme including monitoring, implementation, inspection, review, etc. of the research work carried out by the Fellows, through outsourcing or Consultants.

M. Release of the Fellowship Amount

Fellowship amounts may be released on a monthly basis to each Fellow by the Nodal Institution. All Fellows will submit a work plan for the period of research to the Head of the Nodal Institution. The Fellow would be required to submit six-monthly progress reports to *his/her respective* Nodal Institution who will then *evaluate them and send the same to the Nodal Institution handling the Scheme component,along with its comments thereon*, for placing before the NSC by the Nodal Institution. *The first and second six monthly instalments may be released after receipt of these two six monthly reports. Thereafter the reports may be considered and evaluated in a mid term review by the NSC. The third six monthly instalment may be released after the successful mid term review by NSC. The fourth and final instalment may be released after the successful evaluation and approval of the final report by the NSC.* If the review of a six-monthly progress report submitted by the Fellow results in a finding that the work done is unsatisfactory and if the NSC is of the opinion that further grants need to be stopped or curtailed, then instruction would be given to the Nodal Institution accordingly. *However, if the NSC meeting cannot be held due to administrative or other reasons, the six monthly reports may be seen and evaluated by the concerned Group Members of NSC by circulation, for smooth fund flow.* The fund flow to the Fellows should continue smoothly, otherwise.

N. Support to Fellows

14.1 Infrastructural support will be provided by the Nodal Institution to the Fellows to enable them conduct their research. This may include provision of a computer with peripherals and connectivity and working space in the institutions facilities, to provide a congenial atmosphere to carry out research. Other facilities, like appropriate seating arrangements, library facilities, etc., will also be made available. One important advantage of these Fellowships will be the access of Fellows to national institutions for study and research material. In respect of foreign scholars engaged under this scheme, necessary political/security clearances from the concerned Ministries/Departments shall be obtained by Ministry of Culture. Head of the institution will function as the nodal officer for all the Fellows working in an institution. In the Ministry of

Culture, the Director/Deputy Secretary in-charge of the Scheme will function as nodal officer to monitor implementation of the Scheme.

14.2 Encouragement and financial support may also be given to enable the Fellows present papers at conferences hosted by the concerned institution or other related organizations and institutions, which will be met out/ reimbursed, on actuals basis, with a ceiling of Rs. 1.00 lakh per annum, provided adequate academic interaction is arranged for.

O. Accommodation

A Fellow will be entitled to Accommodation Allowance up to 30% of his usual pay, including Grade Pay or the honorarium paid, subject to presentation of rent receipts.

P. Settling in Allowance

A Fellow from outstation will be given a lump sum grant of Rs.1.00 lakh as settling in allowance for packing/transportation etc., of his personal effects from old station to the new station of his stay during the tenure of Fellowship, if he moves station or otherwise transports books and academic effects. Allowance of an equal amount will be given at the conclusion of the Fellowship for moving out of station. On a case to case basis, economy airfare from his/her place/country of residence will be provided/reimbursed on joining and on conclusion of the Fellowship.

Q. Publication

A Fellow shall be required to:-

(a) Deliver one public lecture per annum on the subject of his research under the Fellowship.

(b) At the conclusion of his term, the Fellow will have to submit a Report on the work carried out under the Fellowship, indicating the expected and the achieved output. He/ she will also have to make a presentation on the outcome of his/her research to the NSC.

(c) The Nodal Institution is expected to publish the research work of each Fellow at the completion of the project. The rights of the research work resulting from the award of the Fellowship will be owned by the Nodal Institution, unless the NSC permits any other arrangement, for justifiable reasons to be recorded. Subject to the issues of copyright, the academic output resulting from the work of the Fellow in association with the national cultural institution would be made public also through the internet/web publishing.

(d) If the Nodal Institution does not publish or enter into a co-publishing arrangement and provide support for the actual printing of the book, within one year after completion of the Fellowship, it will be open to the Fellow to get the same published through a private publisher duly acknowledging the contribution of the Ministry of Culture and the rights of the Nodal Institution.

(e) Co-publishing of the project will also be encouraged and the Fellow may also arrange a private publisher who agrees to co-publish the work with the Nodal Institution and accepts it for such publication within one year of the completion of the project. Collaborations with established names in publication will be welcome.

(f) The language of the project will be allowed to be determined by the nature of the project and/or the language skills of the Fellow. Wherever a project is done in a language other than English, the Nodal Institution will also make provision for translation and publication of the translated work.

R. Participating Institutions

18.1 In cases where the ILSSC or the NSC is of the opinion that-

a. A scholar is not of such a standing as to merit award of the Tagore National Fellowship, but is very good and eminently suited to take up a certain project that the concerned institution finds most useful, be it original research, identification and cataloguing of the resources available with the institution or archiving and creation of new resources that the institution should have; or b. The project is of a shorter duration than two years;

they may offer to engage him/her at a lower honorarium of upto Rs. 50,000 (total) per month for any period ranging from 3 months to 2 years as may be considered adequate for the project. However, if such scholar is from a University, College, Research Institute or Government set-up in India, he/she would be entitled to the same pay, including grade pay, etc., which he/she would have drawn had he/she continued in his/her parent organization. Essential or mandatory contribution of the employer to Provident Fund, etc. would also be paid by the Nodal Institution as may have been paid by the employer had he/she continued in his/her parent organization. All such scholars will also be paid a contingency grant on actuals basis upto a ceiling of Rs. 10,000 per month and such of the other allowances/ benefits provided in this scheme ***for Fellows***, and to the extent, as may be specifically decided in each case by the ILSCC/ NSC (within the limits applicable in the case of Tagore National Fellows), depending on the nature and the duration of the project.

18.2 To distinguish these scholars from Tagore National Fellows, they will be called Tagore Research Scholars, but they will have all the obligations the Scheme casts upon Tagore National Fellows, as applicable.

18.3 As with Tagore National Fellows, the cases of Tagore Research Scholars (as also the terms of their engagement) may preferably be recommended by the ILSSC (in rare cases, the NSC may select as in para 10.3 and suggest for concurrence of the concerned institution) and finally decided by the NSC. While six-monthly/ final reports in the case of Tagore Research Scholars with projects of more than six-month duration will be reviewed by the NSC, such reports in the case of projects of six or less than six months duration may be reviewed by the ILSSC at its own level.

18.4 Apart from the candidates who apply for the Tagore National Fellowship but are offered the Tagore Research Scholarship, other candidates will be free to directly apply for a Tagore Research Scholarship in the same manner as prescribed in para 10.1 for the Tagore National Fellowships.

18.5 The total number of Tagore Research Scholars to be selected in a year and paid by the Ministry of Culture from the Scheme budget will not exceed 25 for any year.

S. Applying Again

Once awarded a Tagore National Fellowship, a candidate cannot apply again for a Fellowship / Scholarship under this scheme, either at the same or any other institution covered under the Scheme, but this restriction will not apply to Tagore Research Scholars.

4

Scheme of Financial Assistance for Creation of Cultural Infrastructure

The Scheme has the following two components:-

Component-I : Financial Assistance for Building Grants including Studio Theatres.

Component-II : Financial Assistance for Tagore Cultural Complexes.

4.1

Financial Assistance for Building Grants including Studio Theatres

1. OBJECTIVE:-

The objective of the Scheme component is to support voluntary cultural organizations and government-aided cultural organizations in their efforts to create appropriately equipped training, rehearsal and performance spaces for artistes.

2. ELIGIBLE PROJECTS:-

2.1 Grants will be given to projects for creating cultural spaces, which will include:

2.1.1 Conventional Cultural Spaces for Performing Arts:

(a) Performance venues, like Auditoria, Open-air Theatres, Concert Halls.

(b) Rehearsal halls for Theatre/ Music/ Dance.

(c) Training Centres/ Schools for Theatre/ Music/ Dance.

2.1.2 Flexible Spaces, i.e., Studio Theatres, etc.: Non-proscenium rehearsal-cum-performance spaces, referredto as Studio Theatre or Experimental Theatre, that are characterized by the following special features:

(a) A small theatre, with all the essential equipment for the performance of live music, dance or theatre or combination of these arts;

(b) An unconventional space that cannot qualify as an auditorium in the traditional sense; therefore, the stage or performance area is not normally placed within a proscenium arch nor raised too high or separated from the audience by a clearly demarcated division.

(c) A seating arrangement for spectators that is totally flexible and can be moved fluidly from one part of the space to another depending on the artistic aim of a particular performance; therefore, the seats/chairs must not be fixed in position.

(d) A capacity that usually does not go over 100 to 200; therefore, such a space is often called a “little theatre” or “intimate theatre”, because it allows for close-up and intimate viewing by spectators.

(e) One or two adjoining green room(s) / dressing room(s) /makeup room(s) with toilet(s) for the performers, and a storage area; therefore, the entire unit, though minimal, functions as a theatre in every sense.

2.2 A project proposal to create an auditorium, a studio theatre or other cultural space(s) may include an appropriate combination of any of the following components:

(a) New construction or purchase of a built-up space.

(b) Renovation/ upgradation/ modernization/ extension/ alteration of an existing building/ space/ facility.

(c) Remodeling of the interiors of an existing built-up space/cultural centre.

(d) Provision of facilities like electricals, air conditioning, acoustics, light and sound systems and other items of equipment, such as musical instruments, costumes, audio/ video equipment, furniture and stage material that may be required for a studio theatre, auditorium, rehearsal hall, classroom etc.

3. ELIGIBLE ORGANIZATIONS:-

3.1 This scheme component covers:

All not-for-profit organizations that fulfill the following criteria:-

(a) The organization has a predominantly cultural profile, working primarily for the promotion of arts and culture in fields such as dance, drama, theatre, music, fine arts, Indology and literature at least for a period of three years.

(b) The organization is registered as a society under the Registration of Societies Act (XXI of 1860) or similar Acts, or as a Trust or as a Not-for-Profit Company, at least for a period of three years.

(c) The organization is well established and known to be doing meaningful work in the field of its activity and has gained a local, regional or national identity.

(d) Its charter is devoted to the preservation, propagation and promotion of Indian arts and culture.

(e) Government-sponsored bodies for promoting the performing arts.

(f) University Departments or Centres dedicated to the performing arts.

(g) Colleges set up to promote the performing arts.

3.2 An organization that has been receiving Repertory grant for the last 3 years under the Ministry's Scheme of" Financial Assistance for Promotion of Art and Culture" will be deemed to have fulfilled all the above conditions.

3.3 A Government-sponsored body, University Department/Centre or College dedicated to the performing arts may also be automatically eligible, provided its record over the preceding three years is satisfactory.

3.4 Religious institutions, public libraries, museums, schools, colleges or University Departments/ Centres that are not specifically dedicated for the performing arts and allied cultural activities, departments or offices of the Central Government/ State Governments/ U.T. Administrations/ Local Bodies will not be eligible.

3.5 An organization that has availed of a grant for its building project grant under the erstwhile 'Scheme of Building Grants to Cultural Organizations'/ 'Scheme of Building Grants, including Studio Theatres' or under this scheme component will not be eligible for a second grant under this Scheme component before the completion of the project sanctioned earlier, except where such second grant is sought for a Studio Theatre (or Experimental Theatre) and the applicant organization has not defaulted on the ongoing sanctioned project.

4. NATURE AND EXTENT OF ASSISTANCE:-

4.1 All grants under this Scheme component will be of a non-recurring nature. Recurring expenditure, if any, will be theresponsibility of the grantee organization.

4.2 Maximum assistance under this scheme component will be as under:-

CITIES	TYPE OF PROJECT	LIMIT OF ASSISTANCE
Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kolkata, Mumbai.	Projects involving new construction or purchase of built up space.	Rs. 50 lakhs (Rupees fifty lakhs only)
	All other projects	Rs. 25 lakhs (Rupees twenty five lakhs only)
All Non-Metro Cities, towns or places.	All projects	

4.3 The quantum of Central Financial Assistance to an organization pertaining to other than North-Eastern Region (NER) will be restricted to a maximum of 60% of the approved estimated project cost, subject to the maximum financial ceilings as given in para 4.2 above. The balance of the approved estimated project cost would have to be arranged and incurred by the applicant organization itself as its 'matching share'.

In respect of projects of North Eastern Region (NER) which comprises States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura, the maximum amount of Central Financial Assistance will be restricted to 90% of the approved estimated project cost subject to the maximum financial ceiling as given in para 4.2 above. The balance of the approved estimated project cost would have to be arranged and incurred by the applicant organization itself as its 'matching share'.

ILLUSTRATIONS:- FOR PROJECTS INVOLVING NEWCONSTRUCTION/ PURCHASE OF BUILT UP SPACE IN METRO CITIES

CASE: 1 If the approved cost of the project is Rs.100 lakhs, the maximum grant which may be sanctioned wouldbe Rs. 50 lakhs, the matching share of the grantee organization being Rs. 50 lakhs.

CASE: 2 If the approved cost of the project is Rs. 70 lakhs, the maximum grant which may be sanctioned wouldbe Rs.42 lakhs, the matching share of the grantee organization being Rs. 28 lakhs.

FOR PROJECTS INVOLVING NEW CONSTRUCTION/ PURCHASE OF BUILT UP SPACE AND ALL PROJECTS UNDER PARA 2.2 (b, c and d) ABOVE IN NON-METRO CITIES OF OTHER THAN NER

CASE: 3 If the approved cost of the project is Rs. 60 lakhs, the maximum grant which may be sanctioned wouldbe Rs. 25 lakhs, the matching share of the grantee organization being Rs.35 lakhs.

CASE: 4 If the approved cost of the project is Rs. 40 lakhs, the maximum grant which may be sanctioned wouldbe Rs. 24 lakhs, the matching share of the grantee organization being Rs.16 lakhs.

4.4 Cost of the land (actual consideration paid by the recipient organization and not market value) and development charges borne by the organization shall be accounted as matching share.

4.5 Expenditure already incurred by the organization on construction/ purchase/ development of land & building and purchase of fixtures and fittings within a period of one year from the date of application, shall also be accounted as matching share. The organization will submit accounts of expenditure incurred in this regard duly certified by Chartered Accountant.

4.6 In case the cost of the project is enhanced subsequently, the liability of the Government of India will berestricted to the original sanctioned amount, and all the extra expenditure will be met by the grantee organization from its own resources.

4.7 Once the project proposal has been considered and approved for a certain amount, no subsequent requests for review and enhancement of project cost will usually be entertained.

4.8 The validity of sanction of financial assistance will be three years from the date of release of the 1st installment and all projects must be completed within this 3-year period.

5. APPLICATION PROCEDURE:-

5.1 National School of Drama (NSD), New Delhi under the Ministry of Culture will notify the Scheme component annually throughNSD's/Ministry's websites: nsd.gov.in/indiaculture.nic.in .

5.2 A brief advertisement to publicize the scheme component will be brought out at least once a year by Ministry of Culture.

5.3 Applications in the prescribed Proforma would have to be submitted to "The Director, National School of Drama, Bahawalpur House, Plot No.1, Bhagwan Das Road, New Delhi – 110 001 [Any deficiency in the Application Form(s) intimated by the National School of Drama to the applicant organisation(s), may be furnished directly to NSD itself].

5.4 All documents mentioned under Clause(Para) 6 below must accompany the application. Applications received without any of these mandatory documents will not be taken up for consideration and returned to the applicant organisation.

6. DOCUMENTS TO BE ATTACHED:-

The application should be accompanied by the following documents:

6.1 Project Report/Proposal which will include–

(a) Organization's profile containing a description of the organization, its strengths, achievements and year-wise details of its activities over the last three years.

(b) Description of the project/proposal including its rationale/ justification.

(c) Summary of the cost estimates (building/ equipments/ facilities).

(d) Sources of finance/funds.

(e) Time schedule for completion of project, and

(f) Post completion- how the organization will manage the operation & maintenance of the facility created through the project and meet the recurring maintenance/ operational costs.

6.2 Copy of the Certificate of Registration under the Societies Registration Act, 1860 or other relevant Acts.

6.3 Copy of the Memorandum of Association (or Trust Deed) of the organization including Rules & Regulations, if any.

6.4 List of present members of the Board of Management/ Office Bearers/Trustees with name & address of eachmember.

6.5 Copies of Statements of Annual Accounts for the last 3 financial years (duly certified / audited by a Chartered Accountant orGovernment Auditor) along with sources and pattern of receipt & payment and income & expenditure, Balance Sheet etc. covering all the activities of the organisation.

6.6 Copies of last three year's Income Tax Assessment orders.

6.7 Copy of the title deed (registered conveyance deed, gift deed, lease deed, etc.), showing

(a) Ownership of the land/building for the project in the name of the applicant organization and confirming that the property can be used for commercial, institutional or educational purpose. In the case of a proposal to purchase built up space, copy of Allotment letter/ Agreement to Sale be submitted.

(b) Cost of land/building. In case the cost of land/ building is not indicated in the title deed, relevant documents in support of cost be submitted.

6.8 Copy of Building / Development Plans duly approved by the appropriate civic body/ local authority(Municipality, Panchayat, Development Authority, Improvement Trust etc.).In case of proposal to purchase built up space, copy of the layout plan and completion certificate duly approved/issued by competent civic body/local authority to be submitted.

6.9 Cost estimates (Building/ Equipments), duly approved by a registered Architect who will also certify that:

(a) The quantities are in conformity with the structural requirements/necessities of the project.

(b) The rates are in conformity with the prevailing market rates, and

(c) The cost estimates are reasonable.

6.10 Documentary evidence in support of the claim that the organization has secured or made arrangements to secure its matching share e.g. a bank statement, certificate of expenditure already incurred on the project (with break-up, duly certified by Chartered Accountant), loan sanction letter, letter of the State Government / Union Territory Administration/ Local Body etc. sanctioning funds for the project.

6.11 Resolution (in the prescribed format) of the Board of Management/ Executive Board/ Governing Body of the organization authorizing a person to sign the application for grant, bond etc. on behalf of the organization.

6.12 A Bond (in the prescribed format) for the assistance sought, on a stamp paper of prescribed denomination.

6.13 A copy of Unique ID number of the organisation obtained from the NGO-DARPAN Portal.

6.14 A copy of Permanent Account Number (PAN) of the organization issued by Income Tax Department.

6.15 A Bank Authorization letter (in the prescribed format) showing ECS details of the Bank Account of theorganization.

NOTES

(a) The applicant organizations are free to attach any other document they may wish to submit in support of their proposal (e.g. certificate or recommendation letters from a national or state level Government body or Akademi, annual reports, press clippings/ reviews, award letters, aûliation letters etc.).

(b) Wherever the documents are in a regional language, an English or Hindi version must also be made available Wherever copies of certain documents are being submitted, the same should be duly attested by a Gazetted Officer or Notary Public.

(c) For proposals from Government-sponsored bodies, University Departments or Centres and Colleges that are dedicated to the Performing Arts, out of the documents specified at point nos. 6.2 to 6.15 above, only such documents as are relevant to the applicant organization will need to be provided.

7. EVALUATION PROCEDURE:-

7.1 All applications received by the National School of Drama (NSD), New Delhi will be scrutinized for completeness as per the requirements of the Scheme component. Applications which are incomplete (without requisite documents provided under clause/para no.6 above) will not be processed further for evaluation by the Expert Committee.

7.2 Before evaluation by the Expert Committee, wherever the Committee so desires, the applications may also be subjected to a pre-verification check with the assistance of any organization under the Ministry of Culture or a group of experts or an agency appointed for the purpose. Alternatively, the proposal may be subjected to a pre-appraisal by a Peer Group the Ministry may constitute in particular cases or as a standing arrangement. The purpose of this pre-verification or pre-appraisal will be to make a local assessment of the standing and the capabilities of the applicant organization and worthiness of the project.

7.3 Applications complete in all respects will be taken up in batches for consideration by the Expert Committee,which will be appointed by the Ministry of Culture and will meet from time to time during the year, depending on the number of applications received for the grant.

7.4 The Expert Committee will evaluate each project proposal on its merit, with specific reference to the following :

(a) Whether the applicant organization is well established in the field and has got an identity of its own.

(b) Whether the proposal is well-conceived

(c) Whether the cost estimates are reasonable; and

(d) Whether the organization has capacity or has made arrangements to bring in their matching share to complete the project. (Where the applicant organization has already spent full amount of the matching share, this requirement will be deemed to have been fulfilled).

7.5 The Expert Committee will include artistes, representing different fields of performing arts and culture, andmay also include an Architect, a Civil Engineer and a Technical Expert in light/ sound/stage craft, as also concerned officials of Ministry of Culture.

8. SANCTION AND RELEASE OF GRANT:-

8.1 On approval of the project proposal, the Ministry will communicate the decision to the organization, indicating the approved total cost of the project, the quantum of assistance sanctioned, the quantum of matching share of the organization and other terms and conditions for release of the sanctioned amount of assistance.

8.2 The sanction letter will also specify the building/ equipments for which the assistance has been sanctioned.

8.3 The sanctioned amount of assistance will be released in installments in the following manner:

8.3.1 First Installment: The first installment equal to 40% of the sanctioned assistance will be released onapproval of the project proposal/sanction by the Ministry without any further correspondence.

8.3.2 Second Installment: The second installment equal to 30% of the sanctioned grant will be released onsubmission of:

(a) Physical and financial progress report on the project from a registered Architect, giving details of the work already carried out/ completed, along with the photographs of project site.

(b) A certificate from registered Architect to the effect that: The project has been completed/ is in progress as per the approved plan; That there has been no violation of the local laws or the approved plan of construction/development; The work done is of satisfactory quality; and indicating Valuation of the cost of the work done and the further amount required to complete the project.

(c) The audited statement of accounts of the project, duly signed by a Chartered Accountant.

(d) A Utilization Certificate from Chartered Accountant in the prescribed format of GFR-12 A, certifying that the first installment of assistance has been fully utilized for the project.

(e) A certificate from Chartered Accountant certifying that the organization has spent 40% of its matching share.

8.3.3 Third/Final Installment: The third & final installment equal to 30% of the sanctioned grant will be released after the grantee organization has submitted the following documents:

(a) Physical and financial progress report on the project from a registered Architect, giving details of the work already carried out/ completed, along with the photographs of site.

(b) A certificate from registered Architect to the effect that:

- The project has been completed/ is in progress as per the approved plan;
- That there has been no violation of the local laws or the approved plan of construction/development;
- The work done is of satisfactory quality; and indicating

- Valuation of the cost of the work done and the further amount required to complete the project.

(c) The audited statement of accounts of the project, duly signed by a Chartered Accountant.

(d) A Utilization Certificate from Chartered Accountant in the prescribed format of GFR-12 A, certifying that the second installment of assistance has been fully utilized for the project.

(e) A certificate from Chartered Accountant certifying that the organization has spent 70% of its matching share.

(f) The Ministry of Culture has got the project physically inspected through its representative(s). Depending on the nature and the size of the project, the Ministry may for such field verification, depute an official from the Ministry and/ or any of its organizations or a team of officials and/ or experts drawn from various offices/disciplines, or it may engage a third party to carry out the inspection.

Note:- If the final requirement of funds arrived at, falls short of the approved project cost or the amount of matching share spent by the organization is less than 40% of the approved project cost, the amount of the third & last installment of the grant will be reduced correspondingly.

8.4 Proposals up to Rs.25.00 lakhs would be approved by the concerned Joint Secretary, on the recommendationof the Expert Committee and proposals above Rs.25.00 lakhs and up to Rs. 50.00 lakhs, would be approved at the level of Secretary (Culture).

9. CONDITIONS OF GRANT:-

9.1 Separate accounts shall be maintained in respect of the grants released by the Government of India.

9.2 The accounts and the site of the project shall be open for inspection by the representatives of the Ministry of Culture at any time for verification.

9.3 If the project is not completed within a period of three years from the date of release of the 1st installment,no further grant shall be released to the organization and the claim will become time barred.

9.4 The accounts of the organization will be open to audit at any time by the Comptroller and Auditor General ofIndia or his nominees at his discretion.

9.5 Within six months of the close of the financial year of the release of grant or any installment thereof, thegrantee shall submit to the Government of India a Statement of Accounts audited and certified by a Chartered Accountant setting out the expenditure incurred on the approved project and a Utilization Certificate indicating the utilization of the Government of India grant in the preceding year. If the utilization certificate is not submitted within the said period, the grantee may be asked to refund immediately the whole amount of the grant received together with interest thereon at the prevailing borrowing rate of the Government of India unless specially exempted by the Government of India.

9.6 For closure of the case the applicant shall submit the following documents within 6 months of the close of the financial year in which the final installment is released: a) In cases of projects involving new construction, copy of the intimation of completion of the building sent to the appropriate civic authority or the Completion certificate issued by it; and in cases of projects involving purchase of ready built space, copy of the receipts of all the payments made to the builder/ seller, possession letter, and the registration/ ownership deed.

(a) Project completion report from the architect.

(b) Certificate from the Chartered Accountant that the organization has spent full amount of its matching share.

9.7 A register of the permanent and semi-permanent assets acquired wholly or mainly out of the Government ofIndia grant should be maintained in prescribed form. Every year, a copy of this register should be furnished to the Ministry of Culture by the grantee.

9.8 The grantee shall execute a bond in prescribed form with two sureties, in favour of the President of India, providing therein that he will abide by the conditions of the grant. In the event of his failing to comply with the conditions of the grant or committing a breach of the bond, the grantee and the sureties shall individually or jointly refund to the President of India the entire amount of the grant, together with interest thereon at the prevailing borrowing rate of the Government of India.

9.9 The first lien on the buildings and other assets acquired with Central assistance will vest in the President of India and neither the building nor the equipment shall be leased or mortgaged to other parties without the prior approval of the Government of India. Provided, however, that the lease of the studio theatre or other facilities, so acquired, to other parties for temporary use shall be excluded from this rule.

9.10 If at any stage the Government is not satisfied about the proper utilization of the Government grant, or of the facilities created out of it, the Government may ask for the refund of the entire amount of the grant together with interest thereon at the prevailing lending rates of the Government of India.

9.11 The grantee organization will acknowledge the financial support of the Government of India, Ministry of Culture by appropriately displaying the name of the Ministry at the studio theatre/ cultural space developed with assistance under this Scheme component.

9.12 The grantee organization will be solely responsible for any violation of the laws governing construction of buildings or the use of land and buildings as may be applicable in the local area.

9.13 Such other conditions as may be imposed by the Government of India from time to time.

9.14 The Organizations should mandatorily organize at least 02 activities (function, lecture, seminar, workshop,exhibition etc.) in any of the schools in their vicinity. A certificate to this effect from the Principal of school would be a mandatory requirement for release of 2nd installment".

10. MISCELLANEOUS:-

The cases sanctioned under the erstwhile Scheme of Building Grants to Cultural Organizations/ Scheme of Building Grants, including Studio Theatres will not be usually reopened nor will the sanctioned amount be usually enhanced under the provisions of this scheme component, but the installments pending for disbursement in such cases of building grant may, at the request

of the grantee organization, be released by following the procedure and the documentary requirements contemplated in this scheme component for the release of different installments. However, in cases where no installments have been released, the grantee organization may request for cancellation of the earlier sanction and fresh consideration of its project under this scheme component. In past cases where the sanctioned grant has not been released in full and the project is lying incomplete and the grantee organization seeks a review of its case and enhancement of the sanctioned grant under this scheme component, a view will be taken on a case to case basis.

4.2

Financial Assistance for Tagore Cultural Complexes

1. Background

1.1 In the VIII Five Year Plan (1992-97), a scheme for grant of financial assistance to State Governments/ State-sponsored bodies for setting up Multi-Purpose Cultural Complexes (MPCCs) was introduced with the objective of improving the quality of life of our young people by making them sensitive to what is aesthetically and morally good in the society and exposing them to the finest forms of creative action. Under the scheme, cultural complexes were set up in the States, for coordinating and fostering activities in various cultural fields, such as music, dance, drama, literature, fine arts, etc. As was provided in the scheme, the requests of State Governments were examined by an Advisory Committee keeping in view the existing facilities in the State or the location, the financial position of the concerned cultural departments, their commitment to provide funds for meeting matching grant and recurring expenditure of the MPCCs. This scheme provided for grant of a maximum of Rs.1.00 crore to the State Government, subject to 50% of the project cost being provided by the State Government as matching grant.

1.2 The scheme was reviewed, taking into consideration the past performance, and the parameters laid down in the scheme were revised in the year 2004. The revised scheme provided for two categories (I & II) of MPCCs. For Category I, project cost was Rs.5.00 crores and for Category II, it was Rs. 2.00 crores.

1.3 In all, 49 MPCCs were assisted in different States/ UTs before the scheme was discontinued by the Planning Commission at the end of X Plan. Subsequently, during the Mid Term Appraisal of XI Plan, Planning Commission agreed that the scheme may be revived with proper modifications.

1.4 In a related development, the National Committee under the Prime Minister and the National Implementation Committee under the Finance Minister, set up to commemorate the 150th Birth Anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore, felt that there was a need for renovation, upgradation and expansion of the large number of Rabindra ‘Bhawans’, ‘Sadans’, ‘Rangshalas’, ‘Manchas’ and other Cultural Centres created across the country through Central assistance as part of a nation-wide programme that was launched on the occasion of Centenary Celebrations of Gurudev Rabindranath Tagore in 1961. These Centres were in operation for over 30 years and had served the community well.

1.5 As part of the Commemoration of Tagore’s 150th birth anniversary, it was, therefore, decided to restore/renovate/upgrade/modernize/expand the existing Rabindra Bhawans and also create new cultural complexes in the State Capitals and other cities where no such complexes exist, within the framework of a revised MPCC scheme. The erstwhile MPCC scheme was therefore revamped and reintroduced in the name of Tagore, called Tagore Cultural Complexes (TCC) Scheme w.e.f. 07.05.2011 so that besides facilitating the setting up of new cultural complexes of varying scales, it could also support upgradation, modernization and modification of the existing Rabindra Auditoria into state-of-the-art cultural complexes. Subsequent to review of the Scheme after 12th Five Year Plan, it has been continued as Scheme component of ‘Financial Assistance for Tagore Cultural Complexes (TCC)’ under the ‘Scheme of Financial Assistance for Creation of Cultural Infrastructure’.

1.6 The Ministry of Culture also feels that there is a big gap in the art-related infrastructure in the country. This gap has to be bridged through injection of due funding through this Scheme component which effort is directly connected with the propagation and promotion of performing arts, in particular and art and culture in general. For this purpose, the Government of India envisages to continue with the Scheme component of 'Financial Assistance for Tagore Cultural Complexes (TCC)' concerning a vast tapestry of spaces for practically all purposes to promote arts in general have been included. The Scheme component aims at creating new spaces of all types as well as upgradation of existing spaces. This will encourage promotion of arts all over the country. Since a lot of this work is being done outside the public domain, Not for Profit organisations and such like bodies have been included as eligible applicants under the Scheme component. It is also felt that several projects in the country under the erstwhile MPCC Scheme also are in the need of some funds for infrastructure towards upgradation of existing MPCC, Rabindra 'Bhawans', 'Sadans', 'Rangshalas' as well as restoration, renovation, extension, alteration, upgradation, modernization etc. of existing physical facilities.

1.7 These requirements were accordingly incorporated in the comprehensive, broad-based Scheme component of 'Financial Assistance for Tagore Cultural Complexes (TCC)'. Provision of necessary stake/matching share of the grantee State Governments/UT Administrations/Not for Profit Organisations have been built in to ensure their whole-hearted participation and dedication as well as intellectual ownership of the project.

2. OBJECTIVE

2.1 The revisited version of Scheme component of 'Financial Assistance for Tagore Cultural Complexes (TCC)' will continue to foster and coordinate activities in the States/ UTs in different cultural fields such as music, drama, dance, literature, fine arts, etc. and promote through them the cultural unity of the country and provide avenues for creative expression and learning to the younger generation.

2.2 These cultural complexes will work as centres of excellence in all forms of art and culture, with facilities and infrastructure for stage performances (dance, drama and music), exhibitions, seminars, literary activities, film shows, etc. They are intended, therefore, to go beyond the original Tagore Auditorium scheme and foster a multi-dimensional interest in creativity and cultural expressions.

3. ELIGIBLE ORGANIZATIONS

Under the scheme component, financial assistance will be provided to the following:

3.1 State Governments/ UT Administrations;

3.2 Bodies set up or sponsored by State Governments/ UT Administrations;

3.3 Bodies set up or sponsored by the Central Government organizations under it; Universities, Municipal Corporations and other Government-approved agencies; and

3.4 Reputed not-for-profit organizations that are capable of setting up and operating the project, arranging 40% or 10% of the project cost, as the case may be, as their matching share (may refer para 5 below) and meeting the recurring costs, provided they have been inspected and recommended by an appropriate agency of the Central Government or the concerned State Government/ UT Administration and fulfill the following criteria:

3.5 The organization is registered as a society under the Registration of Societies Act (XXI of 1860) or similar Acts, or as a Trust or Not-for-Profit Company at least for a period of three years.

3.6 Its charter is primarily devoted to the preservation, propagation and promotion of Indian arts and culture.

3.7 The organization has a predominantly cultural profile, working primarily for the promotion of arts and culture in fields such as dance, drama, theatre, music, fine arts, Indology and literature at least for a period of three years. The organization is well established and known to be doing meaningful work in the field of its activity and has gained a local, regional or national identity and reputation/standing.

4. ELIGIBLE PROJECTS

Financial assistance under this scheme component will be given to projects of the following nature:

4.1 **New Tagore Cultural Complexes (TCCs):-** Every project must include an auditorium, except in the case of district/ municipal complexes which may instead have a mini-auditorium or open-air amphitheatre or improvised Manch. TCC will be a multipurpose cultural complex but the facilities to be provided in a particular project would depend on the local needs and cultural ethos. Ideally, for the purposes of this scheme component, a TCC may aim to have the following state-of-the-art facilities and infrastructure:

4.2 An Auditorium (or a set of auditoria of varying capacities), for the performance of live music, dance or theatre or combination of these arts, with a seating capacity appropriate to local needs; can also be used as a venue for lectures, film screenings, etc..

4.3 Rooms of varying capacities for seminars, conferences, workshops, etc.

4.4 Green room(s)/dressing room(s)/makeup room(s) for the performers, and a storage area.

4.5 Rehearsal hall(s) for theatre/ music/ dance.

4.6 Training Centre/ school for theatre/ music/ dance.

4.7 Dormitory for visiting artistes.

4.8 Exhibition areas for art and photography.

4.9 Library/reading room.

4.10 Common facilities for office, cafeteria/catering, wash rooms, reception/waiting lounge, parking, etc.

4.11 **Upgradation of existing Auditoria/ Cultural Complexes. The scheme component will cover projects of upgradation of existing:**

4.12 Rabindra ‘Bhawans’, ‘Sadans’, ‘Rangshalas’,

4.13 Multipurpose Cultural Complexes (MPCCs), and

4.12 other auditoria/ cultural complexes; and may involve any or appropriate combination of the following components:

(a) Restoration, renovation, extension, alteration, upgradation, modernization of existing physical facilities;

(b) Remodeling of the interiors; and/ or

(c) Provision/ upgradation of facilities like electricals, air-conditioning, acoustics, light and sound systems and other items of equipment, such as audio/ video equipment, furniture and stage material.

4.13 **Completion of approved/ ongoing MPCC Projects:-** The projects approved under the erstwhile MPCC Scheme will not be re-opened nor will the sanctioned amount be enhanced under provisions of this scheme component. However, in case of projects that were approved by the Expert Committee before the scheme was discontinued or ongoing projects where any installments are pending for disbursement, the Central assistance will continue to be disbursed under this scheme component, but only to the extent and as per the provisions of the said MPCC scheme.

5. NATURE AND EXTENT OF FINANCIAL ASSISTANCE

5.1 The quantum of Central Financial Assistance to State Govt./UT or concerned organization pertaining to other than North-Eastern Region (NER) will be restricted to a maximum of 60% of the approved project cost, subject to the maximum financial ceilings as given in para 5.4 below. The remaining amount i.e. 40% of the approved project cost would have to be arranged and incurred by the applicant organization itself as its 'matching share'.

5.2 In respect of projects of North Eastern Region (NER) which comprises States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura, the maximum amount of Central Financial Assistance will be restricted to 90% of the approved project cost subject to the maximum financial ceiling as given in para 5.4 below. The remaining amount i.e. 10% of the approved project cost would have to be arranged and incurred by the applicant organization itself as its 'matching share'.

5.3 Cost of the land will not be included in matching share. Developed land with approach road will be made available by the concerned State Government, free of cost, unless the organization has land of its ownership.

5.4 Financial assistance under this scheme component for any project will normally be up to a maximum of Rs.15 crore. In extremely rare cases, of outstanding merit and relevance, the financial assistance can go up to Rs.50 crore, but then each such individual case of Central assistance beyond Rs.15 crore will be subjected to the usual appraisal/ approval mechanism prescribed for new Plan schemes.

5.5 All recurring expenditure will be met by the State Government/ UT or concerned organization.

5.6 0.5% of project cost may be released for preparation of Detailed Project Report (DPR) **only after the approval of concerned zone Sub-Committee and National Appraisal Committee (NAC)**.

6. APPLICATION PROCEDURE

6.1 The prescribed application proforma/ other related forms/proforma(s) is available on the Ministry of Culture's website i.e. www.indiaculture.nic.in.

6.2 Application in the prescribed proforma supported by necessary documents mentioned at Para 8 of the 'Scheme component', may be submitted to *"The Under Secretary, P.Arts Section-II, Room No. 207, 2nd Floor, Puratatva Bhawan, GPO Complex, INA, New Delhi – 110023.* [Incomplete application(s)/proposals in any respect and without the requisite enclosures shall

not be entertained and summarily be rejected and returned in original to the applicant organization(s)].

6.3 All documents mentioned in para 8 below and other relevant documents must accompany the application.

6.4 Applications received without any of these mandatory documents will not be taken up for consideration and will be summarily rejected and returned in original to the applicant organization(s)].

7. DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH APPLICATION

The application should be accompanied by the following documents:

7.1 Project Proposal along with a Feasibility Report of the proposed project, including:

7.2 Building/development plans (existing/proposed); (b) Summary of the cost estimates (Building, equipments, facilities, etc.);

7.3 Sources of finance/funds for the matching share;

7.4 Time schedule for completion of project;

7.5 Post-completion plan to show how the organization will manage the operation & maintenance of the facility created through the project and meet the recurring maintenance/ operational costs; and

7.6 The organization should include training and refresher courses for the staff as an integral part of its proposal.

8. SUPPORTING DOCUMENTS

A. For applications by Government departments/bodies/agencies:

8.1 Evidence in support of allocation of land in the case of new projects and the layout plan & details of facilities and infrastructure already available if the proposal is for upgradation of an existing auditorium or multipurpose cultural centre; and

8.2 A letter of commitment for providing the matching share.

8.3 While applying, the State Government/departments/bodies shall have to mention the "Implementing Agency" (This agency could be a state Government department/office/ organization under the State Govt. having all the requisite details for registration under PFMS) who shall carry out the work of their entire project.

8.4 A bank authorization letter (in the prescribed format) showing ECS details of the Bank account of the "Agency" into which grant shall be remitted.

B. For applications by reputed not-for-profit organizations:

8.5 Copy of the Certificate of Registration under the Societies Registration Act, 1860, **<u>registered trust deed</u>** or other relevant Acts;

8.6 Copy of the Memorandum of Association (or Trust Deed) of the organization including Rules & Regulations, if any;

8.7 List of present members of the Board of Management/ Office Bearers/Trustees with name & address of each member;

8.8 Copies of Annual Accounts for the last 3 financial years (duly certified / audited by a Chartered Accountant/ Government Auditor), along with IT returns for the last three years;

8.9 Organization's Profile containing a description of the organisation, its strengths, achievements and year-wise details of its activities over the last three years;

8.10 PAN Card and Registration under Section XII A, 80G of IT Act, if any;

8.11 Copy of the title deed (registered conveyance deed, gift deed, lease deed, etc.), showing ownership of the land/building in the name of the applicant organization and confirming that the property can be used for Commercial/ Institutional purpose. In case the proposal is for upgradation of an existing auditorium or multipurpose cultural centre, layout plan and details of facilities and infrastructure as already available, may be provided;

8.12 Documentary evidence in support of the claim that the organization has secured or made arrangements to secure its matching share e.g. a bank statement, certificate of expenditure already incurred on the project (with an year-wise break-up duly certified by Chartered Accountant), loan sanction letter, or letter of the State Government/Union Territory Administration, Local Body, etc. sanctioning funds for the project;

8.13 A Resolution (in the prescribed format) of the Board of Management/ Executive Board/ Governing Body of the organization authorizing a person to sign the application for grant, bond, etc. on behalf of the organization;

8.12 A Bond (in the prescribed format on a stamp paper of prescribed denomination) for the amount of assistance sought; and

8.13 A Bank Authorization Letter (in the prescribed format) showing ECS details of the Bank Account of the applicant organization.

9. EVALUATION PROCEDURE

9.1 All applications received by the Ministry of Culture **will be scrutinized for its completeness** as per the documentary requirements. Applications which are incomplete (i.e. without requisite documents provided under para 8 above) will not be processed further, until the deficiencies are removed in consultation with the applicant organisations.

9.2 After the documentary scrutiny, all the complete applications will be placed before the concerned zone Sub-Committee for evaluation/recommendations of the Detailed Project Report (DPRs) of the project. If the Sub-Committee approves the DPR with affirmative recommendations then the application/proposal will be kept before National Appraisal Committee (NAC) for final recommendations.

9.3 All the complete applications/project proposals will be examined by a National Appraisal Committee appointed by the Ministry of Culture (under para 9.5 below) for:

(a) Determining the eligibility;

(b) Evaluating worthiness of the proposal; and

(c) Recommending the amount of central assistance for a project.

9.4 The National Appraisal Committee will meet from time to time and evaluate each project proposal on its merits, with specific reference to the following:

(a) Whether the applicant organisation is well established in the field and has got an identity of its own;

(b) Whether the proposal is well-conceived;

(c) Whether the cost estimates are reasonable; and

(d) Whether the organisation has the capacity or has made arrangements to bring in its matching share to complete the project and to meet the recurring operational costs, post-completion. While sanctioning new projects under the scheme component, the National Appraisal Committee shall also consider and evaluate the utility and output of the existing complexes, population and size of the state, and actual need for the new complex.

9.5 The Ministry of Culture will constitute a National Appraisal Committee (NAC) under the Secretary (Culture) - which may include officials of Ministry of Culture, Ministry of Urban Development, representative of CPWD/ HUDCO/ NBCC, School of Planning & Architecture, artistes representing different fields of arts and culture including at least one technical expert in light/ sound/stage craft etc., as deemed appropriate.

9.6 Project proposals seeking Central assistance will be examined by the NAC and funds will be released in consultation with Internal Finance. In its examination of the project proposals, the NAC will be assisted by its Sub-Committees. Project proposals seeking a Central assistance will be examined by the National Appraisal Committee, first for an in-principle approval and on submission of the DPR for its final approval. The amount recommended by the Committee will be released by the Ministry of Culture in consultation with Internal Finance.

9.7 Projects seeking Central assistance exceeding Rs.15 crore will, with the prior permission of the Minister of Culture, be examined by the National Appraisal Committee for its in principle approval. On submission of the DPR, the same will be appraised through the usual SFC/ EFC mechanism and funds will be released in consultation with Internal Finance and with the approval of the competent authority i.e. Minister of Culture. (For such projects, special additional funds will need to be made available to the Ministry).

9.8 After in-principle approval of the project proposal by the National Appraisal Committee, Ministry of Culture will communicate the decision to the applicant organization, whereupon it will be required to get a DPR prepared as per Planning Commission format/guidelines etc. For this purpose, up to 0.5% of the tentatively approved project cost may be released on the request of the organization. Besides submitting DPR, the applicant organization may also be required to make a presentation before the Committee.

9.9 Before according its in-principle approval or the final approval, the National Appraisal Committee will be at liberty to get an appraisal/ site inspection/ verification etc. done by Sub-Committee/ Ad-hoc committees of experts including officials of the Ministry of Culture or its organisations or by an outside agency/ institute/ organisations etc.

10. SANCTION OF FINANCIAL ASSISTANCE

10.1 On approval of the DPR, **Ministry of Culture** will communicate the decision to the concerned organization indicating the approved total cost of the project, quantum of Central Financial Assistance sanctioned, quantum of matching share of the organization and other terms and conditions etc. for release of the sanctioned amount of assistance.

11. RELEASE OF FINANCIAL ASSISTANCE

11.1 The financial assistance will be released in two equal installments of 50% each of the sanctioned amount of Central assistance.

11.2 1st Installment of the sanctioned amount would be released on approval of proposal and DPR by Ministry of Culture, after adjusting the amount, if any, released for preparation of the DPR. Before release, it will be ensured that the building plans have been approved by the concerned civic authority.

11.3 2nd Installment of the sanctioned amount would thereafter be released on submission of following documents:

11.4 Physical and financial progress report on the project, giving details of the work already carried out/ completed, along with the photographs of site etc.

11.5 A Utilization Certificate from Chartered Accountant, certifying that the 1st installment of assistance has been fully utilized for the project.

11.6 An Undertaking from the applicant organisation to the effect that the project will be completed within a period of three year from the date of release of 1st Installment.

11.7 The audited statement of accounts of the project duly signed by a Charted Accountant, showing that the first installment as also the proportionate matching share has been utilized for the project.

11.8 A certificate from State PWD/ CPWD or a registered Architect to the effect that :

(a) The project is in progress as per the approved plan;

(b) That there has been no violation of the local laws and the approved plan of construction/ development;

(c) The work done is of satisfactory quality; and

(d) Valuation of the cost of work done and the further amount required to complete the project.

<u>Note</u>: If the final requirement of funds arrived at, falls short of the approved project cost or the amount of matching share spent by the organization is less than 40% of the approved project cost, the amount of the second installment of grant will be reduced correspondingly.

11.9 Before releasing the second installment, the Ministry will get the project physically inspected through its representative(s) or a team of experts.

12. CLOSURE

For closure of the case, the grantee organization will be required to submit the following documents within 12 months of release of the last installment:

12.1 Project completion report from the State PWD/ CPWD or a Registered Architect.

12.2 Final statement of accounts duly certified by a chartered accountant/ Government auditor.

12.3 Utilization Certificate from the chartered accountant, of the amount of second installment.

12.4 Certificate from the chartered accountant that the organisation has spent corresponding amount of its matching share.

12.5 Completion certificate issued by appropriate civic authority or copy of a letter of the organization to the civic authority informing it of the completion of the project (in case of new construction).

13. CONDITIONS OF THE GRANT

13.1 The cultural complexes will be operated and maintained by the concerned State Government department, body, agency, autonomous organization, or Not-for-Profit Organization. Land provided for the project will be transferred in the name of the Registered Society or the concerned Department of the State Government. Central Government may nominate its representatives on the various bodies (General Council, Finance Committee, Executive Board, etc.) of the Society/ organization running the complex.

13.2 Separate Accounts shall be maintained by the Society/ Organisation in respect of the grant released by the Central Government.

13.3 The accounts of the Institution shall be open to audit at any time by the CAG of India or his nominee at his discretion.

13.4 The State Government or organization shall submit to the Government of India its Statement of Accounts audited by a Chartered Accountant/ Government Auditor, setting out the expenditure incurred on the approved project and indicating utilization of the grants released by Central and State Government.

13.5 The functioning of the project will be open to a review by the Government of India, Ministry of Culture in any manner decided by it, as and when deemed necessary.

13.6 The institution/organisation/State Government shall exercise reasonable economy in its works.

13.7 The first lien on the building and assets acquired with Central assistance will vest in the President of India and neither the building nor the equipment shall be leased or mortgaged to other parties without the prior approval of the Government of India. However, the lease of the auditorium and other project facilities to other parties for temporary use shall be excluded from this rule.

13.8 The applicant organisation will be bound to complete the project within a period of three years from the date of release of first installment failing which project will become time barred, no further grant will be released and the concerned project authority /institution/organisation/ State Govt. will also be liable to refund entire amount released by the Ministry along with the penal rate of interest thereon at the prevailing borrowing rate of the Government of India. But in case of projects related to far flung areas /hilly areas (area/location where pace of work may be slow due to harsh geographical conditions)/ delay caused by unfortunate factors or areas under natural calamity/disaster then this period may further increase to 1 year depending upon the situation and the factors that led to delay. But in any case further extension beyond the period of 3+1 years cannot be provided.

13.9 It should be ensured by the grantee organization that the complexes are optimally utilized throughout the year.

13.10 Recipient organization will give an undertaking/detailed justification in the beginning itself to the effect that post completion of the project/complex i.e. at the time the complex is operational they will provide necessary funds for day-to-day activities/running of the Complex, post completion how the project will become self-sufficient to meet the recurring expenses of the complex such as electricity/water/house-keeping bills, any wear & tear, repair etc. and if there

is any other source of Income generating factors through that infrastructure to meet such expenses then it should be mentioned in the undertaking/justification.

13.11 The Central Government's financial liability will be limited to providing infrastructural facilities to the extent of its share of the approved project cost and not extend to the running cost of the complex, or to meet additional expenditure on account of cost escalation etc.

13.12 The grantee shall execute a bond in the prescribed form in favour of the President of India providing therein that he will abide by the conditions of the grant. In the event of his failing to comply with the conditions of grant by committing a breach of the bond, the Government of India may decide to recover the grant with interest thereon at the prevailing borrowing rate of the Government of India and charge penal rate of interest in case of delay as fixed by the Government of India.

13.13 All beneficiary organisations under the scheme component are required to send their progress report within six months of the sanction of the grant and subsequently for every three months i.e. on a quarterly basis till the completion of the project.

13.14 The grantee organization will acknowledge the financial support of the Government of India, Ministry of Culture by appropriately displaying the name of the Ministry at a prominent place in the complex.

13.15 The grantee organisation(s) will give an undertaking in the beginning itself to the effect that they will give due importance to fire safety in the complex/facility and the required safety equipments will be installed inside/premises of the complex wherever required/necessary.

13.16 Grant-in-Aid/Central Financial Assistance will be provided to only such projects which are recognised in the name of "Rabindranath Tagore" *i.e "Construction of new Tagore Cultural Complex"*. Any other project/in any other name will not be considered under this scheme component and summarily be rejected without being evaluated and will be returned, in original, to the applicant organization(s).

13.17 The grantee organisation(s) will give an undertaking in the beginning itself to the effect that they will give preference/priority to the local material, labour, expertise in the construction work of the complex.

13.18 The grantee organisation(s) will give an undertaking in the beginning itself to the effect that they will maintain/ensure the cleanliness & Sanitation in their offices/inside/ entire premises of the complex as well as the place where seminars, research, workshops, auditorium, open air-theatres, festivals and exhibition etc will be organised and will promote and propagate awareness about the Swachh Bharat among the people.

13.19 The grantee organisation(s) will give an undertaking in the beginning itself to the effect that they will use renewable energy, energy saving devises/equipments such as LEDs lights, power saver machineries etc. in the complex.

13.20 The grant released will not be used for the Administrative Building, Residential Quarters, Director's Bungalow or for any external development, like approach roads, etc.

13.21 Such other conditions as may be imposed by the Government of India from time to time.

5

Museum Grant Scheme

Background

Museums are a repository of a nation's culture as they connect the past with the present and the future. Museums conserve collections of artefacts and other objects of artistic, cultural, historical, or scientific importance and makes them available for public viewing through exhibits that may be permanent or temporary. Museums preserve and interpret the material evidence of the human race, human activity and the natural world. Museums serve as a knowledge resource centre for the present generation to understand the past and prepare for the future. The strengthening of the museum movement across the country is thereby an important activity covered under the ambit of the Ministry of Culture.

Objectives

The objective of the scheme is to provide financial assistance for setting up of new Museums by State Governments and Societies, Autonomous bodies, institutions/Local Bodies and Trusts registered under the Societies Act/Company Act under section 8 and to strengthen and modernize the existing museums at the regional, state and District level, digitization of art objects in the museums across the country for making their images/catalogues available over the website and for capacity building of Museum professionals.

Scope

Financial assistance will be given for the establishment of new museums, development of existing museums, digitization of art objects in the museums and training of museums professionals of museums managed by State Governments, Societies, Autonomous bodies, local bodies, Academic Institutions and Trusts registered under the societies Act. The broad range will include (**a**) museums having collections of Antiquities, Numismatics, Paintings, Ethnological collections, Folk art and others including Art & Crafts, Textiles, Stamps etc. (**b**) Online Virtual Museums displaying objects in any or all of the above disciplines and (**c**) Theme based museums

Monitoring

The museums granted financial assistance under the scheme would be required to send yearly footfall in the museums for 5 years after the completion of the project. A Project Monitoring Committee will monitor the work progress of the proposals granted financial assistance under the scheme.

The Scheme will have 3 components as given below:

A. Development and Establishment of Museums at the regional, state and District level
B. Digitization of Museum Collections
C. Capacity building and training of Museum Professionals

The eligibility criteria, quantum of admissible grant and other details of each component is as described below:

5.1

Development and Establishment of Museums at the Regional, State and District level

1. Eligibility Criteria

For the purpose of support under this component, museums have been classified into three categories:

(i) Category I: Central or State Government owned museums in State Capitals.

(ii) Category II: State Govt. owned museums (in places other than State Capital)

(iii) Category III: All other museums

Category I

Existing renowned Museums of the Central or State Governments located in the state capitals subject to the following:

i) The museum must be located in the capital of the state/union territory.

ii) It must be of high repute, having a significant collection of objects/artifacts.

iii) It must have had an annual footfall of 1 lakh visitors per annum in the preceeding 2 years.

Category II

State Govt. owned museums (In places other than State Capital)

Category III

Societies, Autonomous bodies, local bodies, Academic Institutions and Trusts registered as a society under the Indian Societies Act of 1860 (XXI) or a similar legislation of the state governments, or as a Public Trust under any law at the time being in force subject to the following:

(i) It should have been in existence for at least three years prior to the application. However, this condition can be relaxed in exceptional cases at the discretion of the Expert Committee, the reasons for which should be recorded in writing;

(ii) It should have a well-defined constitution and laid down rules/bye laws for its functioning

(iii) It should be in ownership and possession of a substantial collection of objects of historical and / or cultural importance for display in the museum.

(iv) It should be able to maintain the Museum and bear all recurring costs;

(v) It should have the necessary infrastructural facilities, resources and personnel to execute the work for which the grant is required;

(vi) It should produce a certificate from the State Government (Department of Culture or equivalent) attesting to its satisfactory performance;

(vii) It should not be run for personal profit.

(viii) It should be the owner of the land on which the museum is situated or proposed to be constructed, which should be easily accessible to visitors.

2. Admissible Components

The following activities are eligible to be taken up with the grant provided under the Scheme:

i) Construction of new building/Galleries for the museum.

ii) Renovation/Repairs, Extension and Modernization of Galleries, Modernization of storage for the objects.

iii) Publications

a. Catalogues

b. Museum Guides

c. Gallery-sheets

d. Photo-Index cards

e. Picture Post cards

f. Folios containing prints of museum objects

g. Monographs

h. Hand Lists, etc.

iv) Conservation Laboratories/Conservation Projects Assistance under this scheme will be for setting up of, expansion and up-gradation of conservation laboratories and for conservation of objects. Development of Museum Library Grant will be made available for upgrading existing Museum Libraries and for increasing the collection.

v) Purchase of Equipment Financial assistance will be given for purchase of the following equipment:

I. Equipment (General)

a) Display items such as podiums and panels.

b) Special lighting for display of museum objects.

c) Computers for documentation.

d) Cameras, Slide Projectors and Screen.

e) CCTV.

II. Equipment for Security System

Door Frame Metal Detector, Hand held Metal Detector, Vehicle Inspection Mirrors, Radio sets, Hand Baggage X-Ray Machine, CCTV and Recording systems, Magnetic Latch for the door, Glass Break Detectors, Magnetic Switches, Vibration Detectors, Alarm System, Video Motion Detectors, Passive Infra Red Devices, Infra Red Beam Barriers, RFID Tags etc.

III. Any other equipment that may be considered to be essential, by the Expert Committee.

vi) Documentation of objects.

vii) Installation of roof top solar system.

3. Quantum of Financial Grant

(i) The financial assistance will be provided to the museums in the following way:

	Maximum Amount of financial assistance (**Rs. In Crores**)
Category I	15
Category II	
Setting up of New Museums	10
Development of Existing Museums	8
Category III	
Setting up of New Museums	5
Development of Existing Museums	4

(ii) For Category I Museum, the maximum amount of financial assistance will be limited to Rupees 15 Crores per museum.

(iii) For Category-II & III museums, the maximum amount of financial assistance which may be given under this component would be 80% of the total project cost subject to the maximum financial ceiling as given in para 3(i) above. In case of museums in North-Eastern region including Sikkim the financial assistance would be 90% of the total project cost subject to the maximum financial ceiling as given in para 3(i) above. The remaining amount of the project cost would have to be arranged by the applicant itself and the applicant will have to submit an undertaking for the same.

4. Procedure for the Release of the Financial Grant

i) For all purposes, the share of the Central Government will be released in 3 instalments in the ratio of 2:1:1. The first instalment, being 50% of the Central Government's share, will be sanctioned and released immediately on approval of the project by the Expert Committee.

ii) The second instalment, being 25% of the Central Government's share, will be released after the grantee has utilized 80% of first instalment released by the Central Government.

iii) The third & final instalment, being the balance 25% of the Central Government's share, will be released only after the grantee has fully utilized the first and second instalments released by the Central Government.

iv) The 2nd and 3rd instalments will be released after receipt of a utilization certificate (as per GFR 2017) and statement of accounts audited by Comptroller & Auditor General of India (in case instalment is 1 Crore or more)/a firm of Chartered Accountants (in case instalment is less than 1 Crore) in respect of the previous instalment. This statement should also certify that the previous instalments have been utilized for the purpose for which the grant was sanctioned. The release of the second and third instalments will also be subject to furnishing other documents such as progress report along-with photographs of the construction site.

5. Project Duration

The project should be completed within three years from the release of 1st instalment. If there is any delay in the execution of the project permission for extension may be sought from the Ministry giving full justification for the delay, failing which subsequent instalment will not be released. In case there is a delay in the completion of the project and permission has not been taken by the Museum from the Ministry for the delay, the Museum concerned will have to refund the entire amount of the grant given to it by the Ministry along with penal interest (10%).

6. Procedure for making an application and for consideration of proposals received under this component

(i) The scheme is open throughout the year. There will be no fixed last date for receiving project proposals. Application for financial assistance under this component may be made in prescribed form I. Applications will be processed and appraised on first come first served basis.

(ii) In addition to the prescribed application form I with annexures mentioned therein, the applicants should submit the proposals in the form of a Detailed project Report containing detailed estimates on each and every item. A sample DPR is placed on the site of Ministry of Culture at **http://indiaculture.nic.in** The detailed project report, Plan & Estimates submitted with the application should be verified and certified by the Public Works Department (or equivalent organization.)

(iii) The project proposal should also contain the existing visitor's profile of the concerned museum and projected changes in such profiles after implementation of the project. The applications will be scrutinized by an Expert Committee under the Chairmanship of the Additional Secretary set up by the Ministry of Culture and grants will be sanctioned on the basis of recommendations of this Committee. Once the recommendation of the expert committee has been accepted by the Competent Authority(HCM), the Joint Secretary concerned shall be competent to release funds from time to time, in installments, in consultation with Integrated Finance Division of the Ministry. The final installment will be released only after physical inspection by a committee consisting of officers from Ministry of Culture.

7. List of documents to be attached with the project proposal.

i. Detailed Project Report containing detailed estimates and drawings on each and every item. This DPR and estimates should be prepared by a reputed agency in the field and the estimates duly authenticated by the Govt./CPWD/PWD Engineer. The project proposal should also contain the existing visitors' profile of the Museum and the projected changes in such profiles after implementation of the project. Photos of the artifacts and collections of the Museum must be enclosed with the DPR/Estimates.

ii. A report on the state of the museum along with a diagnostic study;

iii. A strategy paper spelling out how the museum is proposed to be modernized and developed, including a sustainability plan to demonstrate the approach planned to ensure long term management of the museum;

iv. An Action Plan containing detailed costing, sequencing and a timeframe for each of the measures proposed to be taken to modernize the museums;

v. The project proposal should address the various aspects of Renovation/Repairs, Extension and Modernization of galleries, Modernization of Reserve Collection, Publication, Conservation, Laboratory/ Conservation Projects, Museum Library, Equipment and Documentation, possibility ofinstalling roof top solar system etc. Furthermore, the project report should spell out clearly how the matching resources will be raised and indicate a specific timeframe.

vi. Copies of the audited statement of accounts for the last three years

vii. Latest Annual Report/Activity Report Approved for the last three years

viii. Details of other sources of funding the project (Matching share) and future sustainability plan for the Museum.

ix. Documents regarding ownership and possession of land in the name of organization (Attested English/Hindi Version)

x. Details showing the value of land paid at the time of its acquisition.

xi. Certificate as per rule 230(1) GFR 2017 in the prescribed proforma regarding non receipt of grant for the same purpose from any other institution under the Govt. of India.

xii. Utilization certificate along with annexure as per new GFR 2017 of previous grant/ grants if any.

xiii. Authorization letter for sending grant directly into Bank.

xiv. Copy of the Memorandum of Association and Articles of Association of the Organization/ Rules and Bye laws of the Society/Trust, as the case may be.

xv. Copy of the Registration Certificate.

xvi. State Government's recommendation in the prescribed proforma.

xvii. Registration of Agency under Central Plan Monitoring Scheme of Ministry of Culture (in the prescribed proforma).

xviii. Copy of registration number of **the NGO-Partnership System (NGO-PS) Portal (NGO-DARPAN)** portal of Niti Aayog at http://ngo.india.gov.in.

8. NOTE

(i) The Grant will be given only once. Any further requirement will be met by the applicant institution.

(ii) The Museum which has been given a grant under this component will be eligible for a subsequent grant after 10 years from the payment of the last instalment of the previous grant.

(iii) An organisation which has been given a grant under this component for setting up or renovation of museum will not be eligible for a grant for another museum until it submits the completion certificate and a physical inspection has been carried out in respect of the museum for which grant was received.

(iv) Government of India's financial commitment will be limited to funding the development of infrastructural facilities and not for running the museum.

(v) The grant will not be used to cover recurring expenses like rent, salaries, electricity bills etc.

(vi) Not more than 60% of the sanctioned grant can be utilized for Civil works

(vii) Grant will not be used for procurement of land and artefacts for the museum.

(viii) Wherever the work has been assigned to agencies other than Government agencies, the implementing agency should be selected through a transparent competitive method, inviting open tender/ quotations. A report should be submitted to this Ministry to this effect.

(ix) In the construction of building priority/preference may be given to local material, labour, expertise. Also, wherever possible community participation may be encouraged. Cleanliness and sanitation must be ensured inside the Museum building, in the premises of the Complex and around it. Use of renewal energy, energy saving devises may be given top preference.

(x) The applicant organisation should ensure sufficient natural light and use of LED bulbs and other energy efficient provision to the extent in the buildings being constructed or renovated with the grant sought from this Ministry.

(xi) Due importance may be given in the Building for fire safety, and all required fire safety equipments must be installed inside the Building and in the premises of the Complex.

(xii) Ten copies of the published document should be sent to the Central Government before release of the final installment. The following line should be added on the cover page of the document thus published "Published with the financial assistance received from the Ministry of Culture, Government of India."

(xiii) Mis-utilisation of funds or non-submission of Utilization Certificates in time will be viewed seriously. The defaulter organization will be blacklisted and debarred from receiving future grants from Govt. of India, and will be proceeded against under the law.

(xiv) A completion-cum-valuation certificate from the PWD for Government Museums and from PWD/Registered Architect in the case other Museums should be supplied within three months of the completion.

5.2

Digitization of Museum Collections

1. Eligibility Criteria:

For the purpose of financial support under the scheme museums have been classified into two categories:

(i) Category-I: Government-owned State level museums

(ii) Category-II: All other museums.

Category I

Government-owned State level museums

Category II

Societies, Autonomous bodies, local bodies, Academic Institutions and Trusts registered as a society under the Indian Societies Act of 1860 (XXI) or a similar legislation of the state governments, or as a Public Trust under any law at the time being in force would be eligible for being considered for grants subject to the following:

(i) The applicant institution should have been in existence after registration for at least three years prior to the application. However, this condition can be relaxed in exceptional and deserving cases by the Secretary Culture upon the recommendation of the Expert Committee, the reasons for which should be recorded in writing.

(ii) It should have a well-defined constitution and laid down rules / bye-laws for its functioning.

(iii) It should be in ownership and possession of a substantial collection of objects of historical and / or cultural importance being displayed in the museum. The nature and number of objects possessed and displayed by the museum should be clearly indicated in the proposal while applying for financial assistance under the scheme.

(iv) It should produce a certificate from the State Government (Department of Culture or equivalent) attesting to its satisfactory performance.

(v) It should not be run for any profit.

(vi) The applicant institutions must be willing to share their collections for online viewing over a website for public information.

2. Admissible Components

(i) Digitization of collections of the museum by procuring and using "JATAN" software developed by Ministry of Culture and C-DAC Pune and is being used by renowned Museums in the country.

(ii) Photography of art works of museum for digitization purposes.

(iii) Creation of a digital catalogue of works available in the museum for public dissemination through the museum website.

(iv) Procurement of hardware like servers, clients, LAN, scanners, cameras etc., for digitization works for the museum.

(v) Development of an online museum library.

(vi) Development of interactive information kiosks for the museum.

(vii) Development of QR Code for the Museum.

3. Quantum of Financial Grant

(i) The financial assistance will be provided to the museums in the following way:

	Maximum Amount of financial assistance (**Rs. In Lakhs**)
Category I	50
Category II	25

(ii) The maximum amount of financial assistance which may be given under this component would be 80% of the total project cost subject to the maximum financial ceiling as given in para 3(i) above. In case of museums in North-Eastern region including Sikkim the financial assistance would be 90% of the total project cost subject to the maximum financial ceiling as given in para 3(i) above. The remaining amount of the project cost would have to be arranged by the applicant itself and the applicant will have to submit an undertaking for the same.

4. Procedure for the Release of the Financial Grant

i) The financial grant under the scheme component would be released by the Ministry of Culture in two equal installments. The first installment, being 50% of the Central Government's share, will be sanctioned and released after obtaining approval of the competent authority on the recommendations of the project proposal by the Expert Committee of the Ministry of Culture constituted for the purpose.

ii) The second installment of the remaining 50% of the financial grant will be released after the grantee institution has utilized 100% of the grant given under the first installment by the Ministry of Culture along with its matching share. The release of the second and final installment would be incumbent upon the receipt of a utilization certificate, statement of accounts audited by a firm of chartered accountants in respect of the previous installment of grant given by the Central Government as well as the matching share of the museum.

5. Procedure for making an application under the scheme and for proposals received under the scheme

(i) The scheme is open throughout the year and there will be no fixed last date for submission of proposals. Application for financial assistance under this component may be made in prescribed form II. Applications will be processed and appraised on first come, first served basis.

(ii) The applications will be scrutinized by an Expert Committee under the Chairmanship of the Additional Secretary set up by the Ministry of Culture and grants will be sanctioned on the basis of recommendations of this Committee. Once the recommendation of the

expert committee has been accepted by the Competent Authority (Secretary (Culture)), the Joint Secretary concerned shall be competent to release funds in instalments, in consultation with Integrated Finance Division of the Ministry. The final instalment will be released only after physical inspection by a committee consisting of officers from Ministry of Culture.

6. List of documents to be attached with the project proposal.

i. Application Form along with annexures in the prescribed format.

ii. Copies of the audited statement of accounts for the last three years

iii. Latest Annual Report/Activity Report Approved for the last three years

iv. Details of other sources of funding the project (Matching share) and future sustainability plan for the Museum.

v. Certificate as per rule 230(1) GFR 2017 in the prescribed proforma regarding non receipt of grant for the same purpose from any other institution under the Govt. of India.

vi. Utilization certificate along with annexures as per new GFR-2017 of previous grant/ grants if any.

vii. Authorization letter for sending grant directly into Bank.

viii. Copy of the Memorandum of Association and Articles of Association of the Organization/ Rules and Bye laws of the Society/Trust, as the case may be.

ix. Copy of the Registration Certificate.

x. State Government's recommendation in the prescribed proforma.

xi. Registration of Agency under Central Plan Monitoring Scheme of Ministry of Culture (in the prescribed proforma).

xii. Copy of registration number of **the NGO-Partnership System (NGO-PS) Portal (NGO-DARPAN)** portal of Niti Aayog at http://ngo.india.gov.in.

7. Project duration:

The digitization project undertaken by the applicant institution should be completed within 2 years from the date of release of first instalment of grant by the Ministry of Culture. If there is any delay in the completion of the project, permission for extension of time may be sought from the Ministry giving full justification for the delay, failing which subsequent instalment will not be released. In case there is a delay in the completion of the project and permission has not been taken by the Museum from the Ministry for the delay, the Museum concerned will have to refund the entire amount of the grant given to it by the Ministry along with penal interest (10%).

8. Note

(i) Financial grant for the purpose of digitalization of museum collections and development of website under the scheme would be given only once in ten years. Any further requirement for upgradation of hardware, software, etc., in subsequent years would have to be met by the applicant museum out of its own funds.

(ii) The grant will be given for works of capital nature like procurement of computer hardware and software and other equipments like scanners, cameras etc. and development of website and it shall not be used for recurring items of expenditure such as website hosting and management charges, salaries to IT staff employed for the purpose etc.

(iii) The objects will be digitized using JATAN Software being operated by **CENTRE FOR DEVELOPMENT OF ADVANCED COMPUTING,** a Scientific Society Of Department of Electronics and Information and Technology, Ministry of Communication and Information Technology, Government of India, having its head office at Pune University Campus, Ganeshkhind, Pune 411 007, C-DAC Pune. The art objects after digitization will be uploaded on the website: museumsofindia.gov.in

5.3

Capacity Building and Training of Museum Professionals

The Ministry of Culture attracts due importance to professional development of museum personnel. There is a need to up-grade the human resources in Indian museums in order to broaden their vision, upgrade their skills and leadership management qualities to international standards. In-service skill development and training opportunities for museum professionals are very limited. Hence, there is a felt need for capacity building in-service programmes which will help bring about key changes in our museums to make them more enjoyable, educative and popular for visitors; accessible for all sections of our society and manage and preserve our priceless art collections with up-to date systems and best practices. This component of the scheme aims to create expertise and specializations in various fields of museum work such as collection management, design, education, marketing which are found lacking in most Indian museums.

1. Scope

The scope of this component will be to support:

I. Fund requirement of institutions who wish to depute their professionals for intensive capacity building, training programmes in order to upgrade their expertise/skills in the following and fields in collaboration with national and internationally well-known museums and institutions:

  i. Collection management: documentation, preventive care and storage

  ii. Museum/ Exhibition design: display, lighting, interpretation and access

  iii. Museum management, marketing and Leadership training

  iv. Museum education and outreach

  v. Preservation and conservation of museum collections/ scientific study for better conservation of museum collections

II. To meet the fund requirements for training of museum professionals selected for training under Memorandum of Understanding signed by Ministry of Culture with Foreign institutions/museums of repute.

2. Eligibility Criteria for financial assistance under sub component (i) of the Scope

I. Category I

All museums under the Central and State Governments.

II. Category II

Museums registered as societies, voluntary institutions or trusts under the Indian Societies Act of 1860 or a similar legislation would be eligible for getting financial assistance under the Scheme subject to the following:

i) The applicant institution should have been in existence after registration for at least 3 (three) years prior to application. However, this condition can be relaxed in exceptional

and deserving cases at the discretion of the Secretary (Culture), the reasons for which should be recorded in writing.

ii) It should have a well defined constitution and laid down rules/bye laws for its functioning.

iii) It should be in ownership and possession of substantial collection of objects of historical/cultural/scientific importance that are on public display at all times. The nature and number of objects possessed and displayed by the museum should be clearly indicated in the proposal while applying for financial assistance under the Scheme.

iv) The museum should be for public service and not-for profit.

3. Admissible Components

I. Support in-service museum professionals for their participation in well structured training programmes/internships/fellowships/workshops in collaboration with reputed international institutions (Sub component (i) of Scope). The grant will cover expenses towards:

i. Training fee to host institution

ii. Foreign and domestic travel for purposes of training

iii. Subsistence costs (lodging and boarding) for the duration of training,

iv. Purchase of books or other intellectual material necessary for such training,

v. Costs for purchase of stationary and teaching aids,

vi. Travel insurance for foreign travel (wherever mandated by foreign countries)

vii. Costs for Visa fee and similar permits.

II. Support in-service museum professionals/museum professionals of the museums granted financial assistance under Museum Grant Scheme for their participation in training programmes/internships as per Memorandum of Understanding (MoU) signed by Ministry of Culture with reputed international museums (Sub component (ii) of Scope).

4. Quantum of Financial Grant

(i) The financial assistance will be provided to the museums in the following way:

	Maximum Amount of financial assistance (**Rs. In Lakhs**)
Category I	30
Category II	25

(ii) In case of Category I Museums, the maximum amount of financial assistance which may be given under this component would be 80% of the total estimated cost of training programme subject to the maximum financial ceiling as given in para 4(i) above. In case of Category II Museums, financial assistance would be 70% of the total estimated cost of training programme subject to the maximum financial ceiling as given in para 4(i) above. The balance cost will have to be managed by the museum concerned themselves and the applicants will have to submit an undertaking for the same.

(iii) In case of MoUs signed by Ministry of Culture with reputed International Museums/institutions for providing training to the in-service professionals/museum professionals

of museums granted financial assistance under Museum Grant Scheme, financial assistance will be provided as per the terms and conditions of MoU signed with international museums.

5. Procedure for the Release of the Financial Grant

I. For sub component (i) of the Scope, the Financial Grant will be released by the Ministry of Culture in two installments in following way.

(i) The first installment will be 75% of the Ministry's share. This amount will be sanctioned and released after obtaining approval of competent authority.

(ii) The second installment of the remaining 25% of the Ministry's share will be released after The grantee has utilized 100% of the grant given under the first installment by the Ministry of Culture along with its own contribution (20% in case of Central/State Government Museums and 30% in case of other museums). The release of the second installment would also be incumbent upon the receipt of a utilization certificate and statement of accounts audited by a firm or chartered accountants in respect of the previous installment of grant given by the Central Government as well as matching share of the museum; and the candidate has submitted a full report on his/her training.

II. For sub component (ii) of the Scope, fund release will be governed by the terms and conditions of MoU signed with international museums.

6. Procedure for making application and for consideration of proposals received under this component (applicable in case of assistance under sub component (i) of the Scope).

I. The scheme is open throughout the year and there will be no fixed last date for submission of proposals. Applications will be processed and appraised on first-come-first-serve basis under the scheme in the Ministry of Culture. The Applicant institutions should send a covering letter, including nomination of their candidate/s for capacity building and training programme in prescribed form III with annexure mentioned therein, describing their suitability for the training subject to the following:

i) The proposed international institution/museum with which partnership for training is proposed should have agreed in writing to host the museum candidate or provided invitation letter expressing interest in hosting the participant prior to making application for this grant.

ii) The sanction and release of grant shall be subject to submission of original confirmation letter of admission received from the foreign institution/museum and a valid passport (not expiring within 6 months of making this application) for undertaking foreign travel, if necessary for such training.

III. The applications received for financial assistance under this component will be scrutinized by an Expert Committee consisting Joint Secretary (Museums) as Chairman and Director/ Deputy Secretary (Museums) & Director/Deputy Secretary (Finance) as Members and grants will be sanctioned on the basis of recommendations o this Committee. Once the recommendation of the expert committee has been accepted by the Competent Authority (Secretary (Culture) , the Joint Secretary concerned shall be competent to release

funds from time to time, in installments, in consultation with Integrated Finance Division of the Ministry.

IV. A two member committee comprising of officers from Ministry of Culture including representative from National Museum Institute will monitor the grant-in-aid to be released by the Ministry to the institutions.

7. List of documents to be attached with the project proposal (applicable in caqse of assistance under sub component (i) of the Scope).

i. Registration Certificate of the museum/institution

ii. Copy of the Memorandum of Association of the Institution

iii. Copy of the Rules/by laws of the Society/Trust

iv. Copies of the audited statement of accounts for the last three years

v. Annual Report/Activity Report for the last three years

vi. Details of the proposed capacity building/training programme with complete budget estimates.

vii. Full CV of the nominated candidate and copy of his/her passport duly attested by the candidate.

viii. Statement duly signed by the Head of the institution on how will the museum benefit from training the candidate under the proposed training programme.

ix. Details of other sources of funding the project

x. Letter of intent/invitation or acceptance letter from international institution willing to host the candidate for training

xi. Authorization letter for sending grant directly into Bank(In the Performa Enclosed).

xii. Certificate as per rule 209(1) GFR 2005 (In the Performa enclosed).

xiii. Copy of registration number of **the NGO-Partnership System (NGO-PS) Portal (NGO-DARPAN)** portal of Niti Aayog at http://ngo.india.gov.in.

7. Duration of Training

I. For sub-component (i) of the Scope, the duration of any capacity building or training programme may range between a minimum of 2 weeks to a maximum of 2 years.

III. For sub component (ii) of the Scope, duration of any capacity building or training programme will be governed by the terms and conditions of MoU signed with international museums.

8. Note

I. Candidatesnominated by applicant institutions should fulfil the following conditions

i) The candidate should be an Indian national.

ii) The candidate should have a basic qualification of Graduation in any subject

iii) The candidate/s proposed to be sent on training by the institution should have

at least 3 years experience working in/for a museum and should produce relevant documents to support the same even in cases where he/she has not worked with the applicant institution for 3 years.

iv) Individuals who do not work with a museum/institution and only undertake freelance work will not be supported through this grant.

v) In case of candidates from non-government museums registered as trusts/ societies as per eligibility criteria at (i) above, the Museum should acknowledge the support from the Ministry under this scheme in the following manner:

a. The Ministry of Culture logo and name should appear at a prominent place at the Museum's entry and remain there for a period of 3 years from the date of release of grant to acknowledge its support.

b. The Ministry's support should be acknowledged in the final report of the training prepared by the Museum/candidate.

c. The international institution/museum being collaborated with should provide a letter of acknowledging the contribution of the Ministry of Culture towards supporting the candidate.

II. Assistance will not be provided for participation in international conferences or seminars under this scheme.

III. Financial Grant for the purpose of capacity building and training of museum professionals will be given to a museum once in 3 years.

6

Scheme for Promotion of Culture of Science

1. Genesis

Considering the gradual decline in the interest level of young students to pursue careers in the field of S & T in the country, there is a pressing need to strengthen STEM (science, technology, engineering & mathematics) education by creating additional infrastructure for hands-on and engaging activities, especially in non-formal mode of education. There is also a need to have an adequate level of awareness of science and technology in society.

The successive science policies of the Government of India have emphasised the popularisation and awareness of science and technology and creation of infrastructure for activity-based learning for the masses, especially the young generation. There is also a need to broaden the knowledge base of the people on science, technology and current global issues for sustainable development of the society and considered decision making. Since India has to progress in the knowledge economy era, it has to develop an innovative society through creation of facilities for engagement, creativity and innovation.

Furthermore, India is going to have a youth population of around 60-65% by 2020 and the future rests on its ability to harness their creative potential. There is a growing need to develop a culture of innovation and problem solving skills amongst the youth to enable them to engineer solutions in food, water, healthcare access, education and affordable housing; and find environment friendly energy sources. These solutions which are important to benefit a large section of society will be crucial for bridging the widening disparity in the country. A strong innovation eco-system is very important for creating an innovation society which facilitates the birth of new ideas and also provide platforms for the successful exploitation of these ideas.

Development of Science Cities/ Science Centres and Innovation Hubs in different parts of the country has been a focus area of activities of Ministry of Culture. National Council of Science Museums (NCSM), an autonomous organization of Ministry of Culture is the implementing agency to set up science cities/centres and Innovation Hubs.

2. Preamble

Science City

A Science City is aimed to be a popular tourist attraction of the location. It provides an experiment based immersive learning ambience to inculcate a spirit of inquiry, foster creative talent and create scientific temper in the community as a whole. It is characterised by its two-pronged channel of communication - exhibits and activities. While the exhibits, both indoor and outdoor, are mostly interactive, the demonstrations and training programmes are also fully participatory and help children and the adults alike to learn the basics of science through fun and enjoyment.

It will be large in dimension with a focus in frontier areas of Science and Technology and edutainment and shall be financially self-sustainable. It shall be conceptualized in such a manner that

it is attractive and useful to students, families, tourist and general public. It will use state-of-the-art communication tools and technology in its presentation.

Science Centre:

A Science Centre provides the scope of 'doing science' adopting a hands-on approach for which it offers to the visitor a number of experimental options through which they can discover the scientific concept themselves. Such mode of education has so far proved to be very effective in supplementing formal science education in our country.

Innovation Hubs:

Innovation Hubs would be co-located in the existing Science Cities/Science Centres, science museums and non-formal educational institutions that promote creativity & inspire innovations. This co-location would not only promote more effective utilization of these centres, but would redefine their usage and role in fostering problem solving and project based learning and provide hands on / practical learning and engagement in the process of science, technology and innovation. The hubs would serve as springboards for new ideas and innovation and thus helping the society and economy to face future challenges and meet rising aspirations of the growing population.

3. Objectives

The Science City/Science Centre will have primarily the following objectives:

- To portray the growth of science and technology and their application in industry and human welfare, with a view to develop scientific attitude and temper and to create, inculcate and sustain a general awareness amongst the people;
- To create awareness & enhance public understanding, appreciation & engagement of public in the process of Science & technology;
- To popularise science and technology for the benefit of students and for the common man of the region by organising exhibitions, seminars, popular lectures, science camps and various other programmes;
- To supplement science education given in schools and colleges and to organise various out-of-school educational activities to foster a spirit of scientific inquiry and creativity among the students;
- To design, develop and fabricate science museum exhibits, demonstration equipment and scientific teaching aids for science education and popularisation of science;
- To organise training programmes for science teachers / students/young entrepreneurs/ technicians/physically challenged/housewives and others on specific subjects of science, technology and industry.

The Innovation Hub will have primarily the following objectives:

- To equip and strengthen activities of the existing Science Cities/Science Centres/ institutions to inspire innovations by young children;
- To catalyse creation of more innovation hubs in different parts of the country especially in rural areas;
- To provide appropriate environment to nurture creative and innovating ideas of young children.

4. Categories

Ministry of Culture lays down the revised norms of the Scheme for setting up of the following types of Science Cities /Science Centres/Innovation hubs. The scheme also consists provision for the Modernization/Upgradation of existing science cities/science centres having satisfactory performance:

I. Science City

II. Science Centres:

- **Science Centre (Category-I)**
- **Science Centre (Category-II)**
- **Science Centre (Category-III)**

III. Innovation Hubs

IV. Modernization/Upgradation of existing science cities/science centres/Innovation Hubs

(Please refer Annexures A, B, C & E for details)

5. Basic Criteria

i. Population:

Sr. No.	Category	Location
1.	Science City	To be located preferably in those places where no major Science Centre exists. However, in locations where footfall to the science centre is substantial the science centre could be upgraded to a Science City or a separate Science City could be set up in State capitals or the largest city of the State provided that the Science City is viable and financially self-sustainable.
2.	Science Centre (Category-I)	To be located in a city / town with a population of 15 lakhs or more
3.	Science Centre (Category-II)	To be located in a city/ town with a population between 5 and 15 lakhs.
4.	Science Centre (Category-III)	To be located in a city/ town/locations with a population **less than 5 lakhs.**
5.	Innovation Hubs	To be preferably co-located in the existing Science Cities/Science Centres, science museums, non-formal education institutions that promote creativity & inspire innovations.

ii. Land:

Sr. No.	Category	Area required	Remarks
1.	Science City	At least 25 acres of; However to do justice to exhibits, facilities especially those requiring open spaces and future expansion 30 acres would be preferable.	Preferably centrally located, easily accessible, fully developed, without any low-lying area and of fairly regular shape, secured (with boundary wall) without any encumbrances

2.	Science Centre (Category-I)	Minimum 7 acres	-do-
3.	Science Centre (Category-II)	Minimum 5.0 acres For NE region, hilly terrains and island territories. 2.5 to 3.0 acres will be acceptable provided the land is having good vicinity & accessibility.	-do-
4.	Science Centre (Category-III)	Minimum 2.0 acres	-do-
5.	Innovation Hub	Minimum 1.0 acres	To be preferably co-located in the existing Science Cities/Science Centres, science museums, non-formal education institutions that promote creativity & inspire innovations.

iii. Project Cost

a) Science City

(Rs. In Crores)

Location	**Capital cost**	**Corpus Fund**	**Total Project Cost**
All locations (other than NER including Sikkim, Hilly Terrain and Island territories)	147.00	44.00	191.00
NER including Sikkim	177.00	53.00	230.00
Hilly Terrain and Island Territories other than location in NER including Sikkim	177.00	53.00	230.00

b) Science Centre (Category-I)

(Rs. In Crores)

Location	**Capital cost**	**Corpus Fund**	**Total Project Cost**
All locations (other than NER including Sikkim, Hilly Terrain and Island territories)	23.00	7.00	30.00
NER including Sikkim	27.60	8.40	36.00
Hilly Terrain and Island Territories other than location in NER including Sikkim	27.60	8.40	36.00

c) Science Centre (Category-II)

(Rs. In Crores)

Location	Capital cost	Corpus Fund	Total Project Cost
All locations (other than NER including Sikkim, Hilly Terrain and Island territories)	11.70	3.50	15.20
NER including Sikkim	14.00	4.20	18.20
Hilly Terrain and Island Territories other than location in NER including Sikkim	14.00	4.20	18.20

d) Science Centre (Category-III)

(Rs. In Crores)

Location	Capital cost	Corpus Fund	Total Project Cost
All locations (other than NER including Sikkim, Hilly Terrain and Island territories)	2.70	0.80	3.50
NER including Sikkim	3.25	1.00	4.25
Hilly Terrain and Island Territories other than location in NER including Sikkim	3.25	1.00	4.25

e) Innovation Hubs

(Rs. In Crores)

Location	Capital cost	Recurring Cost for 3 years (@0.20)	Total Project Cost
All locations	1.80*	0.60	2.40

*** Only for new Innovation Hubs. Innovation already approved by MoC shall continue with existing funding pattern.**

iv. Funding Pattern

The funding pattern of Science Cities, Science Centres and Innovation Hubs will be variable. Funds will be provided as per the three categories discussed below:

Type 'A': **Full funding from MoC, GOI**

Science City is not to be set up under Type 'A'. For Science Centres to be set up in locations /regions where the Science Centre activities have not yet started or in priority areas Ministry of Culture, Government of India may consider providing **full funding** for such Centres through NCSM. In no case, more than one Science Centre will be set up

in any State/U.T. in future, under the scheme. In states/UTs where NCSM centres are already existing, such provision shall not be applicable.

Type 'B': **Funding to be shared between GOI & State Govt./UTs**

The capital cost for Science City will be shared on 60:40 basis and for Science Centre (Category I, II, III) will be shared on 50:50 basis except for NER including Sikkim for which the capital cost for Science City and for Science Centre (Category I, II, III) is to be shared in 90:10 basis. The corpus fund, if shared by Government of India, in no case shall exceed 20% of the total Corpus Fund and the balance 80% to be borne by the State Govts./UTs.

Sharing of funds between GOI and State Govts./UTs (under Type 'B' funding)

Sr. No.	Details	Location	Share of Capital Cost (GOI: State Govt./UT)	Share of Corpus Fund (GOI: State Govt./UT)
1.	Science City	All locations (other than North East including Sikkim)	60:40	20:80
		NER including Sikkim	90:10	
2.	Science Centre (Category-I)	All locations (other than North East including Sikkim)	50:50	20:80
		NER including Sikkim	90:10	
3.	Science Centre (Category-II)	All locations (other than North East including Sikkim)	50:50	20:80
		NER including Sikkim	90:10	
4.	Science Centre (Category-III)	All locations (other than North East including Sikkim)	50:50	20:80
		NER including Sikkim	90:10	
5.	Innovation Hub	All locations	50:50*	No Corpus Fund, but Recurring grant for initial three years

* Including recurring cost of Innovation hubs.

Type 'C': **Full funding from the State Govt./UTs**

The State Govts./UTs shall fully fund science city/science centre project under this type and set up the science city/science centre with technical support from NCSM against payment of consultancy charges.

6. Recurring Expenditure:

Science Cities/Science Centres:

The recurring expenditure of the Science City & Science Centres will be completely borne by

the State/UT Government *except in cases where Govt. of India decides to fully fund the project and manage it through its professional agency like NCSM*. Every year provision for the annual recurring expenditure for maintenance of the centre and organising year round activities shall be made by the State/UT Government.

A corpus fund will be created to meet the Science City & Science Centres operational deficit funding. In no case, principal of the corpus fund will be utilized for any activity. Not more than 85% of the interest can be utilised to meet the operational deficit after inauguration and minimum 15% to be added back to the corpus fund to compensate the inflation on year to year basis. The corpus fund requirement will be projected as project cost & shall be shared between Government of India& State/UT Govt. as per norms.

The corpus fund shared by Government of India, in no case shall exceed 20% of the total Corpus Fund, *except in Cases where Government of India decides to fully fund the project and manage it.* The share of corpus fund of GOI and State Govt./UT to be released upfront after approval of the project and prior to commencement of the works.

The corpus fund shall be transferred to the Society formed by the State Govt./UT Govt. on handing over the Science Centre after the inauguration and will lie with the Society. However, the fund shall be managed by two members of the society, one of them being the representative of Ministry of Culture/National Council of Science Museums.

Estimated recurring costs for the Science Cities/Science Centres is attached at Annexure – A and B respectively.

Innovation Hubs:

The recurring cost for the first three years (@Rs. 20. Lakhs per year per hub) after opening of the Innovation hubs shall be provided by MoC, Govt. of India. The State Govts./UTs, institutions shall have to bear the gap funding and the recurring cost thereafter.

7. Operation & management:

Science City:

The new Science Cities shall be made independent autonomous bodies run and managed by societies with adequate representation of S &T and Science Communication professionals as members and representative from the administrative ministry of Govt. of India. The societies shall be formed by the respective State Govts./UTs in consultation with NCSM. If the project is undertaken by the Society, NCSM shall be paid normal consultancy fees for technical guidance and consultancy in exhibit development and manpower training during the execution of project. In that case NCSM shall be consulted for inputs for the project design & planning. These Societies are to be formed before start of execution of the project so that they are able to receive monetary grants from both Central and State/UT Govts., the private/ corporate/industry sources as well as raise loans from financial institutions. Gap funding for management & operation if any shall be provided by the State/UT Govts.

All Science Cities shall be maintained in the best possible way by generating enough funds by themselves and by recruiting adequate trained & professional staff to sustain all the operations. However capital grant for future developments may be raised from different sources. Corporate investments may be considered in two forms - either capital CSR grant or through Private Public Partnership if it is not forthcoming then through revenue support over the years against use of facilities and infrastructure.

Science Centres:

Based on the funding pattern, the Science Centres (Category – I, II, III) may be operated in any one of the following operational mode:

Type 'A': Science centres set up in priority areas or States/UTs where science centre activity has still not been initiated and set up with full funding from the Govt. of India shall be operated & maintained by the Ministry of Culture through NCSM.

Type 'B': State Governments/U.T. administration desirous of having more than one science centre or wanting accelerated development of Science Centres shall be given priority provided they agree to bear the entire operating cost of the centre after it is developed and handed over to the States/U.T.'s. These centres will be operated and managed by the respective state govt./UTs

Type 'C': Under this scheme, State Governments agreeing to fully fund the science centre project, provide land and other required facilities for the science centre and operate and manage them shall be accorded priority.

State Govts./UTs desirous of having exhibits and technical support from NCSM shall have to bear separate cost towards these components which would be charged separately by NCSM.

Science Centres project under Type 'B' & 'C' as above shall be operated and managed by a Society with adequate representation of S&T and science communication professionals. The Society should be formed immediately after the approval of the project and release of funds by the State/UT Government towards its share of the capital cost & corpus fund of the project. A representative of the Ministry of Culture, GOI and National Council of Science Museums shall be an ex-officio member of the Society or the Governing Council to maintain an organic link with MoC and NCSM. The Society shall ensure that the Science Centre functions as per the requirement of its objectives without any deviations.

8. Implementation Strategy:

a. Construction

Science Cities:

The project shall normally be undertaken by NCSM on turn-key basis. The funds for the project will be received by NCSM, both from Central Govt. & State Govts./UTs. NCSM shall set up the Science City and hand over to the State Govt./Society for operation & management. An MOU will be signed between NCSM & State Govt./UT for implementation of the Science City Project.

In case of a State/UT Govt. seeking financial support from Government of India for a new Science City project to be implemented by themselves, a society should be formed for the purpose by the respective State/UT Govts. The project will be vetted and processed by NCSM for approval of competent authority in Ministry of Culture, Govt. of India. In the case funds will be released by Govt. of India to the society based on the recommendations of a Project implementation committee constituted by Ministry of Culture, Govt. of India with representatives of Ministry of Culture, NCSM, experts in the field and the State Govt.

Science Centres:

- Science Centre being set up under Type 'A' & Type 'B':

NCSM will complete the Science Centre on a turn-key basis (including construction and commissioning of the Science Centre) and handover the project after completion to the State Government/U.T. NCSM shall start the construction work only after the share or funding is received from the State/UT Govt.

- Science Centre being set up under Type 'C':

  The State Government/U.T. shall do the construction of the building of the Science Centre as per inputs from NCSM and develop the Science Park etc. as per advice of NCSM. NCSM shall provide technical & professional support at cost and consultancy charges to the State/UT Govt. for the project.

Innovation Hubs:

The State Government/UTs. shall do the construction of the building/space for the Innovation hub as per inputs from NCSM. NCSM shall provide technical & professional support at cost and consultancy charges to the State/UT Govt. for the project.

b. Recruitment of Staff

The Registered Society so formed by the State/UT Government will complete the recruitment of the required core staff members within 6 months of the release of funds. NCSM shall provide professional support to the EC for recruitment and training of staff. The cost of training shall be borne by the Society.

For Science Centres to be operated by NCSM, staff shall be recruited by NCSM. The required core staff strength for the science centre shall be sanctioned by the Ministry and requisite fund shall be allocated annually to NCSM.

For Innovation Hubs, the Science Cities/Science Centres/Institutions shall deploy adequate manpower from the existing staff for the operation of the Innovation Hub and induct mentors for guiding the students.

9. Time Schedule:

Sr. No.	Type	Completion time from the date of issue of LOI for the construction work
1.	Science City	54 months
2.	Science Centre (Category-I)	33 months
3.	Science Centre (Category-II)	27 months
4.	Science Centre (Category-III)	24 months
5.	Innovation Hub	18 months

10. Year wise allocation/utilization of Funds(Capital & Corpus)

The year wise allocation/utilization of funds for the Science Cities/Science Centres/Innovation hubs are detailed in **Annexure-A, B and C** respectively.

11. Content

The contents of Science City/Science Centres/Innovation Hubs shall be as per **Annexure-A, B and C** respectively.

12. Staff Structure:

The staff structure of Science City/Science Centres shall be as per **Annexure – A and B.**

13. Monitoring

Science City:

Monitoring of Science Cities set up as individual Autonomous Societies shall be done by an Executive Council (high level committee) set up by the respective State/UT Governments with due representation from the Ministry of Culture, Government of India, NCSM, concerned State Government, their private/corporate partners (if any), and at least five eminent personalities in the fields of education, culture, S&T, industry, Science Communication and museology for recruitment of staff, budgeting, planning and execution of the Annual Plan of activities of the science city.

Science Centres:

Monitoring of Science Centres set up as individual Autonomous Societies under Type 'B' & 'C' shall be done by an Executive Council set up by the respective State/UT Governments with due representation from the Ministry of Culture, Government of India, NCSM, concerned State Government, their private/corporate partners (if any), and at least five eminent personalities in the fields of education, culture, S&T, industry, Science Communication and museology for **recruitment of staff, budgeting, planning and execution of the Annual Plan of activities of the science centre/city**.

Innovation Hubs:

The Innovation hubs shall be monitored by a local board constituted with representatives from Industry associations, academia, civil society, research organisations and so forth (minimum 5 members) and with representative from NCSM.

14. Outcome evaluation indicators:

The Science Cities/Science Centres/Innovation hubs set up under the scheme shall be monitored on the basis of the following Outcome Evaluation indicators:

Science Centres/Cities:

The science centres/cities should strive to achieve the following over a period of 5 years from opening:

a. Generate at least 50% of their operating cost;

b. Achieve an annual visitors footfall in the Science Centres as follows:

   i. Category – I around 250,000 (for NE Region - 200,000);
   ii. Category- II around 150,000 (for NE Region - 75,000);
   iii. Category-III (Science & Innovation Activity Centres) around 30,000;
   iv. Science Cities around 10.00 Lakhs (for NE Region – 5.00 Lakhs);

c. Organize a minimum of 25 Science communication activities, in house and outreach, annually including activities on climate change, biodiversity, nature conservation, topical issues, skill development etc.

Innovation Hubs:

After opening, the innovation hubs should strive to achieve the following:

a. Enroll at least 300 active innovation members annually;

b. Increase the number of exposure visits to innovation hubs by school/college students and teachers (Approx. 10,000 annually);

c. Filing of patents/copyrights on successful innovative prototypes;

d. Set up at least 10 Innovation clubs in nearby schools.

In addition, the IHs should also strive to:

- Organize activities such as idea contests, innovation festivals including contests on design and idea challenges on local problems periodically. This will help in involving and engaging youth at the grass-root level in innovative activities, fostering creativity and identification and analysis of local problems.
- Develop strong linkages with IITs/NITs/Universities/Research Institutions and Industry;
- Develop synergy with Atal Tinkering Labs (ATL) by collaborating with such labs in the school/institutions across the country by way of exposure visits of student participants to the innovation hub facilities, sharing of success stories and training of mentors.

15. Clearances from the Government/Requirements to be fulfilled by the State Govts./ UTs:

i. Any new proposal submitted by the State Govt. /UTs under the scheme shall be considered on the basis of challenge method guidelines as and when issued by the Government of India and as per the criteria/parameters prescribed for the purpose in the scheme.

ii. For setting up the Science City/Science Centres/Innovation hubs under the scheme, approval is required from Government of India.

iii. All other statutory clearances and approvals required by the local authorities of the Central/ State/UT Government/other bodies etc. shall be obtained by the State Govts./UTs.

iv. State/UT Govt. shall give commitment to provide free land and funds as per norms and employ adequate professional staff for operation and management of Science Cities/ Science Centres/Innovation Hubs.

v. An MOU will be signed between NCSM & State/UT Govt. for implementation of the Science Cities/Science Centres/Innovation Hub Projects, if undertaken and implemented by NCSM.

vi. It would be mandatory for the implementing agency to provide provisions for the solar roof top in the DPR for setting up of Science City/Science Centre/Innovation Hubs.

vii. The land of the science city/science centre shall be chosen in consultation and approval of NCSM.

viii. The land earmarked for the science centre should be free from all encumbrances and

encroachment. It should be fully developed and secured (with boundary wall) land with electricity, water, sewerage connection and telecommunication facility available in the nearby vicinity. The land should have good road connectivity for easy access and transport.

ix. Apart from the core staff (As per Annexures A, B & C), other essential services may be outsourced by the Society/Governing Council.

x. The Science City/Science Centre building will be developed in modular form to provide scope for future expansion, if need be, based on the growth of local population and visitor figures to the centre.

xi. In the construction of the building priority/preference may be given to local material, labour, expertise. Also, wherever possible community participation may be encouraged. Cleanliness and sanitation must be ensured inside the Science City/Science Centre/ Innovation Hub building, in the premises of the Complex and around it. Use of renewal energy, energy saving devices may be given top preference.

xii. All the buildings constructed under the scheme should be designed keeping applicable fire safety norms of the location and National Building Code (NBC).

16. Pre-requisites for approval by the Ministry of Culture, GOI

Detailed Project Report (DPR): State Govt./UTs desirous of having a Science City/Science Centres shall submit a DPR. The DPR should include feasibility report, demand survey for need of science city/science centre at the location, commitment of land free of cost and the recurring cost, projected footfall, expected revenue generation to determine whether the proposed Science City/Science Centre is viable and financially self-sustainable.

The Science Centres/institutions desirous of having Innovation hubs shall submit a DPR in the format enclosed at **Annexure D**.

17. Relaxation of Criteria:

The following eligibility criteria may be relaxed and/or modified in special cases/circumstances by the Minister of Culture, Government of India.

i. Population

ii. Land

iii. Funding Pattern

iv. Feasibility and Financial Viability of the project considering the intangible outcome of the facility in terms of knowledge gain.

18. Who are eligible for financial assistance?

State Governments/Union Territories and the Societies / Authorities promoted by the State/UT Govts. for the purpose of Science City/Science Centre/Innovation hubs shall be eligible for financial assistance from the GOI as per the norms.

19. How to submit the proposal?

Proposals with DPR may be submitted for consideration to:

M-II Division, Ministry of Culture,
Government of India,
Shastri Bhawan, New Delhi - 110001

6.1

Science City

1. Contents

The exhibits and activities of a Science City shall have the right mix of scientific values and novelty in presentation so as to be able to attract the common people from every walk of life. Edutainment shall be the key concept in designing the exhibit and activities of the Science City. It will provide wide opportunities for visitors' participation in activities related to science and technology. The following major areas may be considered:-

A) Face to face with science and technology

- A science exposition hall to provide an exposure on cutting edge areas of science and technology and their impact on the society through interesting and enjoyable thematic presentation, experience based and immersive exhibits like large format films, 3D presentations, virtual reality experiences, simulators and many more hi-tech systems; the thematic presentation shall highlight Indian endeavour.
- The exhibits shall be multidisciplinary in theme and of hands-on minds-on in nature to the extent possible showcasing frontier areas of S & T. The topics change over a period of time with emergence of new areas in S&T. However, in the present context, subjects like Nano-technology, Space technology, Bio-technology, Robotics and Optical fibres, Computers, Earth Science, Human Body, Information technology, Bio-informatics, Heavy industries, Agriculture, Environment and recent understanding of scientific concepts etc. may be considered.
- A dedicated infrastructure shall be provided for corporate bodies, R&D institutions, scientific departments etc. to showcase current status of science and technology and R & D initiatives in respective areas of their activity.
- A 600–1000 seated auditorium for multipurpose use viz. science education programmes and science film shows, organising educational, cultural, industrial/ corporate programmes; (the capacity of the auditorium has been fixed keeping in view that one million visitors would visit the Science City).

Other institutions shall be encouraged to organise their conferences, lectures, meetings, exhibitions and cultural events in the Science City on payment of rental charge to cover all expenses for regular running and operation of the auditorium including electricity charges, municipal taxes etc. Although the State Governments shall be approached to provide electricity at concessional rates and ensure municipal tax at non-commercial rate, all taxes and royalties for conducting such programmes shall be borne by the organisers.

B) Experimentation and curriculum supplement

- Interactive exhibits supplementing science education in schools and to explain basic principles of science and technology in an interesting and entertaining manner will be developed and set up here.

- Hands on activity based laboratories for the visitors and students with the intention to foster public awareness, engagement and understanding of cutting edge science and engineering like Biotechnology, Nanotechnology, Photonics etc shall be set up. Such labs shall aim to link science centres and educational institutions with research institutions engaged in active cutting edge science and technology experimentation and research.

C) Learning science outside the four walls

Science Park aims to facilitate **"edutainment"**, i.e., education through entertainment. It would be designed to make science relevant to everyday lives through a non-formal, "hands on, mind on" approach. Characterized by its two-pronged channel of communication – exhibits and activities, the exhibits will be mostly interactive and help children and the adults alike to learn the basics of science through fun and enjoyment in natural and non-coercive situations. It would have something of interest to everyone regardless of social strata, education or age group and create a culture of learning. Science Park will provide a bridge to unite business, industry and community.

D) Visitors' recreational facilities/amenities

This area will include water bodies, a nature trail, road train, fountains, food plaza, gift and souvenir shops, restaurants, rest rooms and such other facilities which shall not only satisfy the needs of the visitors but increase the holding time.

E) Infrastructure

The Science City will have following main facilities for the public:

- Science Exploration hall consisting of 5-7 large interactive science exhibitions
- Space Odyssey consisting of digital dome theatre, 3D show, simulator and space science exhibitions
- Demonstration areas to explain science through activities & experiments
- Outdoor Science Park
- Evolution Park
- Auditorium
- Workshop
- Public utilities consisting of cafeteria, gift store, visitor interpretation area etc.
- Car parking
- Gate Plaza with ticketing, security & visitor reception and interpretation area.

F) Innovation Hub:

This will be used for innovative experiments (tod-fod-jod), thematic projects and science activity camps for students.

2. Exhibition area

A. Floor area for indoor exhibitions (minimum)

(a) Science Exposition Hall - 10000 sq.mt.

(b) Open laboratory and interactive exhibits hall - 2500 sq.mt.

(c) Entrance Plaza and visitor's facilities - 1500 sq.mt.

Total: 14,000 sq.mt.

B. **Outdoor expositions**

(a) Science Park 20,000 sq.mt.

While developing the permanent infrastructure care must be taken to maintain a ratio of 25:75 for covered and open areas so that the visitors are not confined in a particular place and there is enough space to accommodate a large gathering on special days of the year.

Provision for future extension shall also be made. A portion of the land area may be developed as visitor's services zone which may beautified by other agencies for raising funds to meet the operation costs of the Science City in order to make it self-sustaining.

3. Budget Estimate

Total estimated Project cost for implementation of a new Science City project is approx. Rs.191 Crores(Capital cost is Rs. 147 Crore and corpus fund is Rs. 44 Crore). For NE region, hilly terrains and island territories, the project cost of Science Cities will be Rs.230.00 Crore (Capital cost is Rs. 177.00 Crore and corpus fund is Rs. 53.00 Crore). However, detailed estimate for an individual project element needs to be prepared depending upon site condition, building design, foreign currency value and local cost of construction.

A suggestive break up of different items of expenditure (Average based on DPAR 2015) **is as below:**

ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF SCIENCE CITY BUILDING

SL. NO	DESCRIPTION OF ITEM	AREA	UNIT	RATE	TOTAL (Rs. in Crore)
I.	**Expenditure on Building and other works**				
a.	Cost of land. * State Govt. shall provide it free of cost as part of its share for the project.				00.00
b.	Science Centre building 14,000 sq. mtrs (minimum) with indoor exhibition halls. @ Rs. 23500/- per **Sqmt)** i) R.C.C frame structure	14000.0	Sqm	23500.00	32.90
	ii) Stronger structural members to take heavy load above 500 kg/sqm. upto 1000 kg/sqm.	14000.0	Sqm	1500.00	2.10

	iii) Large modules over 35 sqm.	14000.0	Sqm	1500.00	2.10
	iv) Resisting earth quake forces.	8000.0	Sqm	1140.00	0.91
	v) Every 0.3m Additional height of floor above normal floor height of 3.35 M				
	a) **For building** (4.2m - 3.35m) = 0.85m/0.3m= 3no's (additional ht.) @ **270.00/- per 0.3m i.e (270.00x3)= 810.00/-**	14000.0	Sqm	810.00	1.13
	vi) Every 0.3 m higher plinth over normal plinth height of 0.6m	8000.0	Sqm	270.00	0.22
	vii) Pile foundation upto a depth of 25 mts (On ground floor area only)	8000.0	Sqm	23500.00	18.80
	(viii) Land development cost(levelling, Horticulture development, for Storm Water drainage etc.) @ Rs.285.00 per Sq. mtrs. as per current CPWD norms)	100000	Sqm	285.00	2.85
				SUB TOTAL =	**61.01**
c.	Internal electrification work 17.5%				10.17
d.	Internal Water supply & Sanitary Installation @ 4%				2.44
				TOTAL =	**73.62**
e.	**Cost Index 10%**				**6.78**
				SAY =	**80.40**
f.	Car and bus parking areas/ internal roads/ landscaping				3.50
g.	Air-condition/ insulation/ acoustics				4.50
h.	Transformer (2 MW)/ UPS/ DG, Set)				3.00
i.	Chairs/ Carpet				1.00
j.	Planning, supervision and construction @ 6 %				5.54
				TOTAL=	**97.94**
II.	**Expenditure on exhibits, equipment and stores**				
	a. Large format film projection unit with accessories b. Simulator and 3D Film Theatre				16.00 04.00
	c. Exhibits and artefacts				
	i) Thematic exhibits for Face to Face with S&T				08.00

	ii) Interactive exhibits for experimentation & curriculum supplement	02.00
	d. Projection equipment, audio-visuals, electrical installations etc.	
	i) For Auditorium	01.00
	ii. For Digital Panorama	12.00
	e. Misc. equipment	
	i) Workshop tools and machineries	01.00
	f. Development of Science Park exhibits including cost of exhibits	01.50
	h. Salary of Project staff	02.50
	i. TA/DA for project staff	0.40
	j. Other Adm. Expenses	0.40
	k. Advt. & Publicity	0.20
	Subtotal :	**49.00**
	Total :	**146.94**
		(Say147.00)
	Towards provision for Corpus Fund to meet the Operational deficit ~~gap~~ funding of Science City after inauguration (@30.0% of the project cost)	44.00
	Grand Total :	**191.00***
	For NE region, hilly terrains and island territories (project cost with an increase of 20%) Grand Total	230.00*
iii	**Foreign Exchange component included in Item (ii) above**	
	a. Large format film projection unit with accessories	16.00
	b. Space Capsule (Simulator) & 3D Theatre	04.00
	c. Projection equipment for Digital Panorama	12.00
	c**.** Misc. for other equipments	01.00
	Subtotal :	**33.00**

iv. **No foreign exchange is involved in bringing foreign experts or for buying foreign expertise.**

* The cost of the project is based on the average DPAR rates of 2015 and shall be subject to revision as per RBI cost indices from time to time.

(The above estimate is for budgetary purpose only. Detailed cost estimates for individual projects are to be worked out based on the master plan prepared for the project.)

Cost Index of Delhi as on 1/4/2014 over plinth area rates as on 01/10/2012, base 100	104%
Cost Index of Delhi as on 1/10/2014 over plinth area rates as on 01/10/2012, base 100	107%
Cost Index of Delhi as on 1/4/2015 as on prorata basis	110%
Cost Index of Delhi as on 1/4/2017 as on prorata basis	115%

4. Year wise utilization of capital expenditure

a. For all locations (other than North East including Sikkim/hilly terrain & island territories)

(Rs. in Crore)

Source	Project Cost (to be shared between GoI & State Govt. in 60:40)						Corpus fund	Grand Total
	1st Year (15%)	2nd Year (25%)	3rd Year (25%)	4th Year (25%)	5th Year (10%)	Total		
Govt. of India	13.25	22.05	22.05	22.05	8.80	88.20	8.80# (Maximum)	97.00
	22.05**	36.75**	36.75**	36.75**	14.70**	147.00**	44.00**	191.00**
State/UT Govt.	Rs. 94.00 Crore to be released by State/UT Govt. upfront prior to starting of the project including the minimum share of corpus fund of Rs. 35.20 Crore.							
**** In case of Govt. of India fully funded project.** # Corpus fund to be provided upfront prior to starting of the project from GOI & State Govt./UT								

b. For NE regions including State of Sikkim

(Rs. in Crore)

Source	Project Cost (to be shared between GoI & State Govt. in 90:10)						Corpus fund	Grand Total
	1st Year (15%)	2nd Year (25%)	3rd Year (25%)	4th Year (25%)	5th Year (10%)	Total		
Govt. of India	23.90	39.80	39.80	39.80	16.00	159.30	10.60# (Maximum)	169.90
	26.55**	44.25**	44.25**	44.25**	17.70**	177.00**	53.00**	230.00**
State/UT Govt.	Rs. 60.10 Crore to be released by State/UT Govt. upfront prior to starting of the project including the minimum share of corpus fund of Rs. 42.40 Crore.							
**** In case of Govt. of India fully funded projects.** # Corpus fund to be provided upfront prior to starting of the project from GOI & State Govt./UT								

c. **For hilly terrains, island territories other than b above.**

(Rs. in Crore)

Source	Project Cost (to be shared between GoI & State Govt. in 90:10)						Corpus fund	Grand Total
	1st Year (15%)	2nd Year (25%)	3rd Year (25%)	4th Year (25%)	5th Year (10%)	Total		
Govt. of India	15.93	26.55	26.55	26.55	10.62	106.20	10.60# (Maximum)	116.80
	26.55**	44.25**	44.25**	44.25**	17.70**	177.00**	53.00**	230.00**
State/UT Govt.	Rs. 113.20 Crore to be released by State/UT Govt. upfront prior to starting of the project including the minimum share of corpus fund of Rs. 42.40 Crore.							
**** In case of Govt. of India fully funded projects.** # Corpus fund to be provided upfront prior to starting of the project from GOI & State Govt./UT								

5. Project Timeline

	Programme Schedule	From the date of placing of order for the construction of building
a	Construction of Building including space theatre, science exploration hall, panorama etc.	48 months
b	Development of Entrance Plaza	12 months
c	Development of Science Park	36 months
d	Fabrication of exhibits	30 months
e	Installation of exhibits	09 months (after completion of other facilities)
f	Opening of the centre	54 months (approx.)

5. Schedule of Recruitment

Sl. No.	To be recruited and posted within 6 months from the release of the fund by the State Govt.		To be recruited and posted within two year from the release of the fund by the State Govt.	
01	Director	01	Curator	03
	SPA	01	Technical Assistant	02
	Curator	02	Education Assistant	02
	Executive Engineer	01	Technician	04

	Technical Assistant (Civil)	02	Assistant (Gen)	05
02	Education Assistant	02	Upper Division Clerk	01
	Administrative Officer	01	Lower Division Clerk	04
03	Finance & Accounts Officer	01	Driver	01
	Assistant (Gen)	03		
	LDC	04		
04	Technicians	04		
	Total	22	Total	22
	Grand Total - 44			

6. Expected Annual Expenditure after inauguration of a Science City

(Rs. in Crores)

Sl. No.	Item of expenditure	1st year	2nd year	3rd year
1.	Salary of regular staff	1.56	1.72	1.90
2.	Security/Conservancy contract	0.30	0.35	0.40
3.	Electricity (at concessional rate)	1.20	1.40	1.80
4.	Exhibit maintenance	0.25	0.40	0.50
5.	Equipment maintenance	0.15	0.15	0.20
6.	Building maintenance	0.10	0.10	0.15
7.	Paid publicity	0.10	0.15	0.20
8.	Space Odyssey film lease etc.	0.50	0.50	0.50
9.	Misc. office expenses	0.10	0.12	0.15
10.	Contingencies	0.10	0.12	0.15
11.	New Developments & Activities	0.15	0.30	0.90
12.	TA/DA	0.20	0.25	0.30
13.	Medical	0.05	0.06	0.10
14.	Books, Films etc	0.005	0.0075	0.01
	Total	**4.77**	**5.63**	**7.26**

8. Staff Requirement for Science City

Sl No.	Designation and Scale of Pay (Prerevised)	Grade Pay & Pay Band	No of posts	Total Yearly Remuneration (Rs. in Lakhs)
1.	Director (Rs.37,400-67,000)	8700, PB-4	1	12.00
2.	Curator (Rs. 15600 – 39100)	5400, PB-3	5	27.75
3.	Executive Engineer (Rs. 15600 – 39100)	6600, PB-3	1	7.00
4.	Education Assistant (Rs. 5200 – 20200)	2800, PB-1	4	12.00
5.	Technical Assistant (Rs. 5200 – 20200)	2800, PB-1	4	12.00
6.	Technician (Rs. 5200 – 20200)	1900, PB-1	8	15.00
7.	Administrative Officer, (Rs. 15600 – 39100)	6600 PB-3	1	7.00
8.	Finance & Accounts Officer (Rs. 15600 – 39100)	5400 PB-3	1	7.00
9.	Assistant (Gen) (Rs. 9300 – 34800)	4200, PB-2	8	30.00
10.	SPA (Rs. 9300 – 34800)	4600, PB-2	1	3.50
11.	Upper Division Clerk (Rs. 5200 – 20200)	2400, PB-1	1	3.00
12.	Lower Division Clerk (Rs. 5200 – 20200)	1900, PB-1	8	16.00
13.	Driver (Rs. 5200 – 20200)	1900, PB-1	1	3.00
		Total	44*	155.75 ~ 156.00

* Security, housekeeping, gardening work shall be outsourced; hence staff recruitment for this category has not been projected.

6.2

Science Centres

There will be 3 categories of Science Centres depending largely on population to be serviced:

I. Science Centre (Category-I)

1. Contents

The building will have a covered area of 4000 Sq. mtrs. (approx.) of which 1800 Sq. mtrs will be used as exhibit display halls, 1200 Sq. mtrs. as visitors' activity area and remaining 1000 Sq. mtrs as exhibit development laboratory, office etc. Scope will be provided for future extension of floor area.

Generally the following galleries and facilities will be set up in a Science Centre:

Permanent Galleries:

- Thematic Galleries: The Centre will have two thematic galleries. The galleries of the centre will be multidisciplinary in nature on themes of scientific importance as well as social relevance. The exhibits will be mostly interactive. These will be supplemented with visuals, illustrations and artefacts. The galleries will reflect all aspects of the chosen themes in a way easily comprehensible by students as well as common people.
- Fun Science: A group of interactive exhibits on Physical Science, Mathematics, Geography, Geology, Electronics, Life Science, Chemistry, Computer Science and Information Technology will form this gallery. The exhibits will be providing curriculum support to the students as well as make science learning a fun to the visitors

Temporary Exhibition Hall:

In this hall various temporary exhibitions on important themes will be organised periodically and on different occasions.

Innovation Hub:

This will be used for innovative experiments (tod-fod-jod), thematic projects and science activity camps for students.

Outdoor Science Park:

Science brought outside the boundary of four walls. Interactive exhibits placed aesthetically in the lush greenery of the park. Children play with them while learning the fundamentals of science. Waterbody, Aviary, Herbal and Medicinal plant corner, Picnic area for visitors etc. are added attractions.

Taramandal:

The inflatable dome planetarium can provide an excellent way of interactive learning of astronomy. The programme will be held regularly at the centre.

Exhibit Development Lab:

This will be used for regular maintenance of exhibits and development of exhibits and kits in future. The Lab will be equipped with tools and machinery for fitting, carpentry, sheet metal, welding, electrical, electronics and painting works.

Mobile Science Exhibition (Optional):

The Mobile Science Exhibition (MSE) bus of the Centre will travel to schools situated in remote areas and will conduct exhibitions on relevant science and environmental topics throughout the year. This facility will be added to the Science Centre, on allotment of separate budget by the State Govt./UT.

Other facilities:

Computer Training Room, Science Library, Conference Room, Office, Store etc.

Educational and Training Programmes:

The centre will hold regular educational programmes like Science Demonstration Lecture, Popular lecture, Creative Ability Programme, Sky observation through telescopes, Computer awareness programmes, Science Quiz, Science Seminars and Science Fairs, Teachers' Training Programme, Community Awareness Programme, Anti-superstition Programme, Science Film Show etc. for students, teachers and common people. A training hall and a 150-seater auditorium will be used for these purposes.

There will be a Science Curriculum based activity corner/Innovation corner where students will learn the basic principles of science through experimentation in science and fabrication of science models, which can be used as teaching aids. This will supplement the formal science education imparted in the schools. The Innovation corner will help in nurturing innovation, creativity in the young minds. There will also be a children's activity corner.

2. Budget Estimate

Total estimated Project cost needed for implementation of a new Science Centre (Category-I) is Rs.30.00 Crores (Capital cost is Rs. 23.00 Crore and Corpus Fund is Rs. 7.00 Crore). However, for NE region, hilly terrains and island territories, the capital cost of science centres will be Rs. 36.00 Crore (capital cost is Rs. 27.60 Crore and corpus fund is Rs.8.40 Crore). The required land for the science centre shall be made available free of cost by the State Govt./UT or the local body. However, detailed estimate for an individual project element needs to be prepared depending upon site condition, building design, foreign currency value and local cost of construction.

A suggestive break up of different items of expenditure (Average based on DPAR 2015) **is as below:**

ESTIMATE FOR SCIENCE CENTRE(Category-I)

SL. NO	DESCRIPTION OF ITEM	AREA	UNIT	RATE	TOTAL (Rs. in Crore)
I.	Cost of land.				00.00
a.	Science Centre :Total –4000 Sqm (minimum)				
	i) R.C.C frame structure: 1) G.F: 2000 SQM 2) 1ST FLOOR: 2000 SQM	4000.0	Sqm	23500.00	9.40
	ii) Stronger structural members to take heavy load above 500 kg/sqmupto 1000 kg/sqm.	4000.0	Sqm	1500.00	0.60
	iii) Large modules over 35 sqm.	4000.0	Sqm	1500.00	0.60
	iv) Resisting earth quake forces.	4000.0	SQM	1140.00	0.46
	v) Every 0.3m Additional height of floor above normal height				
	a) **For building** (4.0m - 3.35m) = 0.65m/0.3m= 3no's (additional ht.) **@ 270.00/- per 0.3m i.e (270.00x3)= 810.00/- (G.F.)**	4000.0	Sqm	810.00	0.32
	vi) Every 0.3 m higher plinth over normal plinth height of 0.9m	2000	Sqm	**540**	0.11
				SUB TOTAL =	**11.49**
b.	Internal & External electrification work 17.5%				2.01
c.	Internal Water supply ,Sanitary Installation and External service connection 9%				1.03
d.	Car and bus parking areas / internal roads / landscaping / water body / Sewer/ Strom drainage **(For 5.0 acre land)**	4000	Sqm	475	0.19
e.	Pile foundation, if required, will be considered after getting Soil Test Report				
				Sub Total =	**14.72**
f.	**Cost Index till date 10%**				1.47
	Total=				**16.19**
g.	Architect fee @4%				0.65
				Grand Total =	**16.84**

II.	a. Three thematic galleries of app. 600 sq. mtrs with 50 exhibits each	2.50
	b. Science Park of approx. 4 acres area with pathway and required exhibits (50 nos.)	0.90
	c. Inflatable dome planetarium system (Taramandal)	0.08
	d. Fully functional exhibit development lab	0.15
	e. Other facilities like Computer training area, Library, Conference Room, Stores, and Office etc. with all required infrastructures.	0.50
	f. Training of the recruited staff members and other miscellaneous expenses	0.10
	g. 3 D theatre facility with equipment, furniture etc.	0.60
	h. Misc. (Building/Auditorium furnishing, signage, murals etc.0.20	
	i. Salary & TA/DA of Project Staff	0.80
	Total	**22.6723.00**
	Towards Corpus Fund for the Operational deficit ~~gap~~ funding of Science Centre (Category-I) after Inauguration (@30% of the project cost)	7.00
	Grand Total	30.00*
	For NE region, hilly areas & Island Territories (with an increase of 20% of the project cost)	27.60**
	For NE region , hilly areas & Island Territories (with an increase of 20% of the corpus fund) 8.40	
	Grand Total	**36.00****

*The cost of the project is based on the current DPAR rates and shall be subject to revision as per RBI cost indices from time to time.

3. Year wise utilization of capital expenditure

a. For all locations (other than North East including Sikkim/hilly terrain & island territories)

(Rs. In Crore)

Source	**Project Cost (to be shared between GoI & State Govt. in 50:50)**				**Corpus fund**	**Grand Total**
	1st Year (40%)	**2nd Year (40%)**	**3rd Year (20%)**	**Total**		
Govt. of India	4.60	4.60	2.30	11.50	1.40# (Maximum)	12.90
	9.2**	9.2**	4.6**	23.00**	7.00**	30.00**

State/UT Govt.	**Rs. 17.10 Crore to be released by State/UT Govt. upfront prior to starting of the project including the minimum share of corpus fund of Rs. 5.60 Crore**
** In case of Govt. of India fully funded project. # Corpus fund to be provided upfront prior to starting of the project from GOI & State Govt./UT	

b. For NE region including Sikkim.

(Rs. in Crore)

Source	Project Cost (to be shared between GoI & State Govt. in 90:10)				Corpus fund	Grand Total
	1st Year (40%)	2nd Year (40%)	3rd Year (20%)	Total		
Govt. of India	9.90	9.90	5.00	24.80	1.70# (Maximum)	26.50
	11.00**	11.00**	5.60**	27.60**	8.40**	36.00**
State/UT Govt.	**Rs. 9.50 Crore to be released by State/UT Govt. upfront prior to starting of the project including the minimum share of corpus fund of Rs. 6.70 Crore**					
** In case of Govt. of India fully funded project. # Corpus fund to be provided upfront prior to starting of the project from GOI & State Govt./UT						

c. For hilly terrains & island territories other than locations in b above.

(Rs. in Crore)

Source	Project Cost (to be shared between GoI & State Govt. in 50:50)				Corpus fund	Grand Total
	1st Year (40%)	2nd Year (40%)	3rd Year (20%)	Total		
Govt. of India	5.52	5.52	2.76	13.80	1.70 # (Maximum)	15.50
	11.04**	11.04**	5.52**	27.60**	8.40**	36.00**
State/UT Govt.	**Rs. 20.50 Crore to be released by State/UT Govt. upfront prior to starting of the project including the minimum share of corpus fund of Rs. 6.70 Crore**					
** In case of Govt. of India fully funded project. # Corpus fund to be provided upfront prior to starting of the project from GOI & State Govt./UT						

4. Project Timeline

	Programme Schedule	From the date of placing of order for the construction of building
a	Construction of Building	24 months
b	Development of Science Park	12 months
c	Fabrication of exhibits.	30 months
d	Installation of exhibits	03 months (after completion of other facilities)
e	Opening of the centre	34 months (approx.)

5. Schedule of Recruitment

Sl. No.	To be recruited and posted within 6 months from the release of the fund by the State Govt.		To be recruited and posted within two year from the release of the fund by the State Govt.	
01	Curator	02	Assistant (General)	01
02	Education Assistant	02	Upper Division Clerk	01
03	Technical Assistant	01	Junior Steno	01
04	Technicians	08	Lower Division Clerk	02
	Total	13	Total	05
			Grand Total	**18**

6. Expected Annual Expenditure after inauguration of a Science Centre (Category-I)

(Rs. in Crores)

Sl. No.	Item of expenditure	1st year	2nd year	3rd year
1.	Salary of regular staff	0.62	0.67	0.72
2.	Security/Conservancy contract	0.084	0.09	0.095
3.	Electricity (at concessional rate)	0.015	0.02	0.025
4.	Exhibit maintenance	0.034	0.037	0.04
5.	Equipment maintenance	0.034	0.037	0.04
6.	Building maintenance	0	0.01	0.015
7.	Contingencies	0.025	0.03	0.035
	Total:	**0.83**	**0.91**	**0.99**

7. Staff Requirement for Science Centre (Category-II)

Sl No.	Designation and Scale of Pay (Prerevised)	Grade Pay & Pay Band	No of posts	Total Yearly Remuneration (Rs. in Lakhs)
1.	Curator (Rs. 15600 – 39100),	Rs. 5400	2	11.10
2	Education Assistant (Rs. 5200 – 20200),	Rs. 2400	2	5.96
3.	Technical Assistant (Rs. 5200 – 20200),	Rs. 2400	1	2.98
4.	Technician (Rs. 5200 – 20200),	Rs. 1900	8	15.44
5.	Assistant (Gen) (Rs. 9300 – 34800),	Rs. 4200	1	3.57
6.	Upper Division Clerk (Rs. 5200 – 20200),	Rs. 2400	1	2.64
7.	Jr. Stenographer (Rs. 5200 – 20200),	Rs. 2400	1	2.64
8.	Lower Division Clerk (Rs. 5200 – 20200),	Rs. 1900	2	3.86
		Total	18*	50.12

* *Security, housekeeping, gardening work shall be outsourced; hence staff recruitment for this category has not been projected.*

II. <u>Science Centre (Category II)</u>

1. Contents

The building will have a covered area of 2000 Sq. Mtrs. (approx.) of which 1000 Sq. Mtrs. will be used as exhibit display halls, 300 Sq. Mtrs. for Temporary Exhibition area, 700 Sq. Mtrs. as visitors' activity area, exhibit development laboratory, office, Auditorium, Taramandal (Inflatable dome planetarium), Children Activity Area, stores, conference room/library and adult activity area, visitor's amenities etc.

Generally the following galleries and facilities will be installed in a Science Centre:

<u>Permanent Galleries</u>**:**

- <u>Thematic Gallery</u>**:** The main gallery of the centre will be on a theme of scientific importance as well as of social relevance such as Environment, Forest, Mountain, Natural Resources, Indigenous Technology highlighting the local resources and their apt utilisation. The exhibits will be mostly interactive and supplemented with visuals, illustrations and artefacts.
- <u>Fun Science</u>: A group of interactive exhibits on Physical Science, Mathematics, Geography, Geology, Electronics, Life Science, Chemistry, Computer Science and Information Technology will form this gallery. The exhibits will be providing curriculum support to the students as well as make science learning a fun to the visitors.

Outdoor Science Park:

Science brought outside the boundary of four walls. Interactive exhibits placed aesthetically in the lush greenery of the park. Children play with them while they learn the fundamentals of science. Water body, Aviary, Herbal and Medicinal plant corner, Picnic area for visitors etc. are added attractions.

Taramandal:

The inflatable dome planetarium can provide an excellent way of interactive learning of astronomy. The programme will be held regularly at the centre.

Exhibit Development Laboratory:

This will be used for regular maintenance of exhibits and development of exhibits and kits in future.

Other facilities:

Temporary exhibition hall, Science Library, Conference Room, Office, Store etc.

Educational and Training Programmes:

The centre will hold regular Educational Programmes like Science Demonstration Lecture, Popular lecture, Creative Ability Programme, Sky observation through telescopes, Computer awareness programmes, Science Quiz, Science Seminars and Science Fairs, Teachers' Training Programme, Community Awareness Programme, Anti-superstition Programme, Science Film Show etc. for students, teachers and common people. A Training Hall and a 150-seat Auditorium will be used for these purposes.

There will be a Science Curriculum based activity corner/Innovation corner where students will learn the basic principles of science through experimentation in science and fabrication of science models, which can be used as teaching aids. This will supplement the formal science education imparted in the schools. The Innovation corner will help in nurturing innovation, creativity in the young minds. There will also be a children's activity corner.

Innovation Hub:

This will be used for innovative experiments (tod-fod-jod), thematic projects and science activity camps for students.

2. Budget Estimate

Total estimated Project cost needed for implementation of a new Science Centre (Category-II) is Rs.15.20 Crore (capital cost is Rs. 11.70 Crore and Corpus Fund is Rs. 3.50 Crore). However, for NE region, hilly terrains and island territories, the project cost of science centres will be Rs. 18.20 Crore (project cost is Rs. 14.00 Crore and corpus fund is Rs. 4.20 Crore). The required land for the science centre shall be made available free of cost by the State Govt. or the local body. However, detailed estimate for an individual project element needs to be prepared depending upon site condition, building design, foreign currency value and local cost of construction.

A suggestive break up of different items of expenditure (Average based on DPAR 2015) **is as below:**

ESTIMATE FOR SCIENCE CENTRE (Category-II)

SL. NO	DESCRIPTION OF ITEM	AREA	UNIT	RATE	TOTAL (Rs. in Crore)
I.	Cost of land.				
a.	Science Centre –Total: 2000Sqm (minimum)				
	i) R.C.C frame structure 1) G.F: 1000 SQM 2) 1ST FLOOR: 1000 SQM	2000	Sqm	23500.00	4.70
	ii) Stronger structural members to take heavy load above 500 kg/sqm. upto 1000 kg/sqm.	2000	Sqm	1500.00	0.30
	iii) Large modules over 35 sqm.	2000	Sqm	1500.00	0.30
	iv) Resisting earth quake forces.	2000	SQM	1140.00	0.23
	v) Every 0.3m Additional height of floor above normal height				
	a) **For building** (4.0m - 3.35m) = 0.65m/0.3m= 3no's (additional ht.) **@ 270.00/- per 0.3m i.e (270.00x3)= 810.00/- (G.F.)**	2000	Sqm	810.00	0.12
	vi) Every 0.3 m higher plinth over normal plinth height of 0.9m	1000	Sqm	**540**	0.05
				SUB TOTAL	**5.70**
b.	Internal &External electrification work 17.5%				1.00
c.	Internal Water supply, Sanitary Installation and External service connection 9%				0.51
d.	Car and bus parking areas / internal roads / landscaping / water body / Sewer/ Strom drainage **(For 5.0 acre land)**	2000	Sqm	475	0.10
e.	Pile foundation, if required, will be considered after getting Soil Test Report				
				Sub Total	**7.31**
f.	**Cost Index till date 10%**				0.73
				Total	**8.04**
g.	Architect fee @4%				0.32

	Grand Total	**8.36**
II.	a. Two thematic galleries of 250 Sq.m. (25 exhibits)	1.50
	b. Science Park of approx. 3 acres area with pathway and required exhibits	0.80
	c. Inflatable dome planetarium (Taramandal)	0.08
	d. Fully functional exhibit development lab	0.15
	e. Other facilities like Computer training area, Library, Conference Room, Stores, and Office etc. with all required infrastructures.	0.20
	f. Salary & TA/DA of Project Staff 0.60	
	Total	**11.69**
	Say	**11.70**
	Towards Corpus Fund for the Operational deficit funding of Science Centre (Category-II) after Inauguration (@30% of the project cost) (Say)~	3.51 **3.50**
	Grand Total	**15.20**
	For NE region, hilly terrains and island territories(Project Cost with an increase of 20%) (Say)~	14.04 **14.00**
	For NE region, hilly terrains and island territories(Corpus Fund with an increase of 20%) (Say)~	4.21 **4.20**
	Grand Total	**18.20**

3. Year wise phasing of capital expenditure

a. For all locations (other than North East including Sikkim/hilly terrain & island territories)

(Rs. in Crore)

Source	**Project Cost (to be shared between GoI & State Govt. in 50:50)**				**Corpus fund**	**Grand Total**
	1st Year (40%)	**2nd Year (40%)**	**3rd Year (20%)**	**Total**		
Govt. of India	2.34	2.34	1.17	5.85	0.70# (Maximum)	6.55
	4.68**	4.68**	2.34**	11.70**	3.50**	15.20**
State/UT Govt.	**Rs. 8.65 Crore to be released by State/UT Govt. upfront prior to starting of the project including the minimum share of corpus fund of Rs. 2.80 Crore**					
** In case of Govt. of India fully funded project. # Corpus fund to be provided upfront prior to starting of the project from GOI & State Govt./UT						

** In case of Govt. of India fully funded project.

b. For NE regions including Sikkim.

(Rs. in Crore)

Source	Project Cost (to be shared between GoI & State Govt. in 90:10)				Corpus fund	Total (100%)
	1st Year (40%)	2nd Year (40%)	3rd Year (20%)	Total		
Govt. of India	5.04	5.04	2.52	12.60	0.84# (Maximum)	13.44
	5.60**	5.60**	2.80**	14.00**	4.20**	18.20**
State/UT Govt.	**Rs. 4.76 Crore to be released by State/UT Govt. upfront prior to starting of the project including the minimum share of corpus fund of Rs. 3.36 Crore**					
** In case of Govt. of India fully funded project. # Corpus fund to be provided upfront prior to starting of the project from GOI & State Govt./UT						

c. For hilly terrains, island territories other than b above.

(Rs. in Crore)

Source	Project Cost (to be shared between GoI & State Govt. in 50:50)				Corpus fund	Total (100%)
	1st Year (40%)	2nd Year (40%)	3rd Year (20%)	Total		
Govt. of India	2.80	2.80	1.40	7.00	0.84# (Maximum)	7.84
	5.60**	5.60**	2.80**	14.00**	4.20**	18.20**
State/UT Govt	**Rs. 10.36 Crore to be released by State/UT Govt. upfront prior to starting of the project including the minimum share of corpus fund of Rs. 3.36 Crore**					
** In case of Govt. of India fully funded project. # Corpus fund to be provided upfront prior to starting of the project from GOI & State Govt./UT						

4. Project time Line

	Programme Schedule	From the date of placing of order for the construction of building
a	Construction of Building	18 months
b	Development of Science Park	12 months
c	Fabrication of exhibits.	24 months
d	Installation of exhibits	03 months (after completion of other facilities)
e	Opening of the centre	27 months (approx)

5. Schedule of Recruitment

Sl. No.	To be recruited and posted within 6 months from the release of the fund by the State Govt.		To be recruited and posted within two year from the release of the fund by the State Govt.	
01	Curator	01	Lower Division Clerk	02
02	Education Assistant	01		
03	Technicians	04	-	-
	Total	06		02
			GRAND TOTAL	**08**

6. Expected Annual Expenditure after inauguration of a Science Centre (Category-II)

(Rs. in Crores)

Sl. No.	Item of expenditure	1st year	2nd year	3rd year
1.	Salary of regular staff	0.50	0.55	0.60
2.	Security/Conservancy contract	0.062	0.063	0.066
3.	Electricity (at concessional rate)	0.01	0.012	0.015
4.	Exhibit maintenance	0.025	0.0275	0.03
5.	Equipment maintenance	0.025	0.0275	0.03
6.	Building maintenance	0	0.005	0.01
7.	Contingencies	0.025	0.03	0.035
	Total	0.65	0.72	0.79

7. Staff Requirement for Science Centre (Category-II)

Sl No.	Designation and Scale of Pay	Grade Pay & Pay Band	No of posts	Total Yearly Remuneration (Rs. in Lakhs)
1.	Curator (Rs.8000-13500),	Rs. 5400	1	5.55
2.	Education Assistant (Rs.5000-8000),	Rs. 2400	1	2.98
3.	Technician (Rs. 5200 – 20200),	Rs. 1900	4	7.72
4.	Lower Division Clerk (Rs. 5200 – 20200),	Rs. 1900	2	3.86
		Total	8*	20.11

* *Security, housekeeping, gardening work shall be outsourced; hence staff recruitment for this category has not been projected.*

III. Science Centre (Category III)

1. Contents

The building will have a covered area of 450 Sq. Mtrs. (approx.) of which 100 Sq. Mtrs. will be used as exhibit display halls, 100 Sq. Mtrs. for Temporary Exhibition cum multipurpose hall with activity area, office,, 250 Sq. Mtrs. as Innovation activity hall etc.

Generally the following facilities will be installed in a Science Centre (Category-III):

Gallery:

- Fun Science: A group of interactive exhibits on Physical Science, Mathematics, Electronics, Life Science, Chemistry, Computer Science and Information Technology etc. will form this gallery. The exhibits will be providing curriculum support to the students as well as make science learning a fun to the visitors.

Temporary exhibition cum Multipurpose Hall:

This will be used for periodic science exhibitions, science demonstrations, competitions, debates, quizzes, seminars, for students and teachers training etc.

Innovation Hub:

This will be used for innovative experiments (tod-fod-jod), thematic projects and science activity camps for students.

Other facilities:

Office, Store, public utilities etc.

Educational and Training Programmes:

The centre will hold science exhibitions, science demonstrations, competitions, debates, quizzes, seminars, for students and teachers training etc.

There will be a hands on activity corner/Innovation corner where students will conduct innovative experiments/science projects on various ideas. The Innovation corner will help in nurturing innovation, creativity in the young minds

2. Budget Estimate

Total estimated Project cost needed for implementation of a new Science Centre (Category-III) is Rs.3.50 Crores (capital cost is Rs. 2.7 Crore and Corpus Fund Rs. 0.80 Crore). However, for NE region, hilly terrains and island territories, the project cost of science centres will be Rs. 4.25 Crores (capital cost is Rs. 3,25 Crore and corpus fund Rs. 1.0 Crore). The required land for the science centre shall be made available free of cost by the State Govt. or the local body. However, detailed estimate for an individual project element needs to be prepared depending upon site condition, building design, foreign currency value and local cost of construction.

A suggestive break up of different items of expenditure (Average based on DPAR 2015) **is as below:**

ESTIMATE FOR SCIENCE CENTRE (Category-III)

SL. NO	DESCRIPTION OF ITEM	AREA	UNIT	RATE	TOTAL (Rs. in Crore)
I.	Cost of land				00.00
a.	Covered area of Science Centre –Total: 450 Sqm (minimum)				
	i) R.C.C frame structure	450	Sqm	23500.00	1.06
	ii) Stronger structural members to take heavy load above 500 kg/sqm. upto 1000 kg/sqm.	450	Sqm	1500.00	0.07
	iii) Large modules over 35 sqm.	450	Sqm	1500.00	0.07
	iv) Resisting earth quake forces.	450	SQM	1140.00	0.05
	v) Every 0.3m Additional height of floor above normal height	450			
	a) **For building** (4.0m - 3.35m) = 0.65m/0.3m= 3no's (additional ht.) **@ 270.00/- per 0.3m i.e (270.00x3)= 810.00/- (G.F.)**	450	Sqm	810.00	0.04
				SUB TOTAL	**1.28**
b.	Internal &External electrification work @17.5%				0.22
c.	Internal Water supply, Sanitary Installation and External service connection @9%				0.12

d.	Car and bus parking areas / internal roads / landscaping / water body / Sewer/ Strom drainage	450	Sqm	475	0.02
e.	Pile foundation, if required, will be considered after getting Soil Test Report				
				Sub Total	**0.36**
f.	**Cost Index till date 10%**				0.16
				Total	**1.80**
g.	Architect fee @4%				0.07
				Grand Total	**1.87**
II.	a. One Fun Science area galleries of 100 Sq.m. (20 exhibits)				0.30
	b. Setting up of temporary exhibition cum multipurpose hall (100 Sq. m)				0.20
	c. Innovation Hub				0.35
	d. Salary & TA/DA of Project Staff				0.08
				Total	**0.93**
				Say	**2.70**
	Towards Corpus Fund for the Operational deficit ~~gap~~ funding of Science Centre (Category-III) after Inauguration (@30% of the project cost)				**0.80**
				Grand Total	**3.50**
	For NE region, hilly terrains and island territories (Project Cost with an increase of 20%)				**3.25 (3.24 rounded off)**
	For NE region, hilly terrains and island territories (Corpus Fund with an increase of 20%)				1.00 (0.98 rounded off)
	Grand Total				**4.25**

3. Year wise utilization of capital expenditure

a. For all locations (other than North East including Sikkim/hilly terrain & island territories)

(Rs. in Crore)

Source	Project Cost (to be shared between GoI & State Govt. in 50:50)			Corpus fund	Total (100%)
	1st Year (60%)	2nd Year (40%)	Total		
Govt. of India	0.81	0.54	1.35	0.16# (Maximum)	1.51
	1.62**	1.08**	2.70**	0.80**	3.50**
State/UT Govt.	Rs. 1.99 Crore to be released by State/UT Govt. upfront prior to starting of the project including the minimum share of corpus fund of Rs. 0.64 Crore				
** In case of Govt. of India fully funded project. # Corpus fund to be provided upfront prior to starting of the project from GOI & State Govt./UT					

a. For NE regions including Sikkim.

(Rs. in Crore)

Source	Project Cost (to be shared between GoI & State Govt. in 90:10)			Corpus fund	Total (100%)
	1st Year (60%)	2nd Year (40%)	Total		
Govt. of India	1.76	1.17	2.93	0.20# (Maximum)	3.13
	1.95**	1.30**	3.25**	1.00**	3.50**
State/UT Govt.	Rs. 1.12 Crore to be released by State/UT Govt. upfront prior to starting of the project including the minimum share of corpus fund of Rs. 0.80 Crore				
** In case of Govt. of India fully funded project. # Corpus fund to be provided upfront prior to starting of the project from GOI & State Govt./UT					

c. For hilly terrains, island territories other than b above.

(Rs. in Crore)

Source	Project Cost (to be shared between GoI & State Govt. in 50:50)			Corpus fund	Total (100%)
	1st Year (60%)	2nd Year (40%)	Total		
Govt. of India	0.98	0.65	1.63	0.20# (Maximum)	1.83

	1.95**	1.30**	3.25**	1.00**	4.25**
State/UT Govt.	Rs. 2.42 Crore to be released by State/UT Govt. upfront prior to starting of the project including the minimum share of corpus fund of Rs. 0.80 Crore				
** In case of Govt. of India fully funded project. # Corpus fund to be provided upfront prior to starting of the project from GOI & State Govt./UT					

4. Project timeline

	Programme Schedule	From the date of placing of order for the construction of building
a	Construction of Building	15 months
b	Fabrication of exhibits	18 months
c	Installation of exhibits/Innovation and creative corner facility	08 months (after completion of other facilities)
d	Opening of the centre	24 onths (approx)

5. Schedule of Recruitment

Sl. No.	To be recruited and posted within 6 months from the release of the fund by the State Govt.		To be recruited and posted within two year from the release of the fund by the State Govt.	
01	Curator	01	Office Assistant	01
02	Education Assistant	01		
03	Technician	01	-	-
	Total	03		01
			GRAND TOTAL	**04**

6. Expected Annual Expenditure after inauguration of a Science Centre (Category-III)

(Rs. in Crores)

Sl. No.	Item of expenditure	1st year	2nd year	3rd year
1.	Salary of staff	0.13	0.15	0.17
2.	Security/Conservancy contract	0.03	0.04	0.05
3.	Electricity (at concessional rate)	0.005	0.007	0.009
4.	Exhibit/Equipment maintenance	0.005	0.01	0.015
5.	Building maintenance	0	0.005	0.01

6.	Purchase of consumables etc. for Innovation hub	0.01	0.015	0.02
7.	Contingencies	0.02	0.03	0.040
	Total	**0.20**	**0.257**	**0.314**

7. Staff Requirement for Science Centre (Category-III)

Sl No.	Designation and Scale of Pay	Grade Pay & Pay Band	No of posts	Total Yearly Remuneration (Rs. in Lakhs)
1.	Curator (Rs.8000-13500),	Rs. 5400	1	5.55
2.	Education Assistant (Rs.5000-8000),	Rs. 2400	1	2.98
3.	Technician (Rs. 5200 – 20200),	Rs. 1900	1	1.93
4.	Office Assistant(LDC) (Rs. 5200 – 20200),	Rs. 1900	1	1.93
		Total	4*	12.39

* *Security, housekeeping, gardening work shall be outsourced; hence staff recruitment for this category has not been projected.*

6.3

INNOVATION HUBS

1. Content & facilities

The Innovation Hub will have following facilities for students/mentors:

- *Hall of Fame*
- *Innovation Resource Centre*
- *Idea Lab*
- *Design Studio*
- *Tod Fod Jod/Break & Make Corner*
- *Kabbad se Jugad (Making useful things from scraps) Corner*
- *Idea Box*

2. Physical requirements

Innovation hubs could be set up in approximately 1 acre of land in the science centre/institutions which shall be provided by the host institution/State Government **free of cost**.

Approximately 300 sq metres built up area would be required for setting various facilities as per details below:

Innovation Hubs Facilities	Space Requirement (Approx.)	Objectives/Contents/Activities
Discovery Hall	100 M^2	This area will have 10 to 15 interactive science exhibits/experiments to create excitement about science through exploration and discovery of underlying principles. This will help promote logical thinking.
Innovation Resource Centre and Hall of Fame- *Celebrating Inventions & Innovation*	50 M^2	This space will be used to showcase innovative ideas/products/ implements that have transformed our world or have made significant impact on the way we conduct our lives along with respective inventors & innovators. Stories or inspirations behind such innovations/inventions will also be mentioned through appropriate modes. Besides these, implements/ samples of appropriate technology and traditional knowledge systems, art and craft and other areas of importance in public life in the respective regions shall be exhibited.
Idea Lab (Innovation Laboratory) with following components: -> Thod Phod	100 M^2	This lab will have necessary basic facilities to pursue creative and innovative hobbies/activities that involve model making, basic science experimentation, design & fabrication of useful gadgets of practical use, teaching/learning kits or aids for better classroom transactions, testing of samples like soil, water, food items etc. Students learn to do things with their own hands, dismantle,

Jod (Break & Remake) Corner -> Kabbad Se Jugad (Build from scraps) -> Idea Box		reassemble and remake devices/gadgets. Students learn more by doing things practically using day to day scrap. Students generate their own innovative ideas and create an idea bank. The best ideas are chosen for experimentation/model making/project work.
Design Studio	50 M^2	
Public Utilities	-	Toilets/drinking water outlets/mentor's room etc.
Mentors / Guides	At least one dedicated mentor on contract basis. Additional mentoring support may be provided by NCSM centres	As far as possible, each institution shall try to provide mentoring and guidance support for innovation activities in its own centres. But that may not always be possible and hence external experts in different fields will also be engaged on honorarium basis. It would, however, be appropriate to engage on contract basis at least one core mentor, who shall be primarily responsible for coordinating and conducting the innovation centre activities.

Even though support for constructing the 300 sq. metre space is available within the scheme, priority shall be given to institutions/science centres/museums who could offer ready built space for the Innovation Hub.

2. Capital Expenditure

The capital cost for setting up of the Innovation Hubs (new) shall be Rs. 1.80 Crore**. In case** built up space (approx. 300 Sq. mtrs) is available, the capital cost would be Rs. 1.00 Crore.

3. Recurring Expenditure

The expected expenditure*****after inauguration of the **Innovation Hubs would be** Rs. 20.00 lakh per year.

*****_The share of recurring cost of the Govt. of India shall be available for initial three years of operation as incentive under the Scheme. After initial three years of operation, the State Govt./ UTs/Institutions will undertake to continue the activities._

4. Sharing of Funds

The Capital and the recurring cost of new Innovation Hubs shall be shared in the ratio 50:50 between GOI & the State Govt./UT/Institutions.

5. Operation & Management

The respective Science Cities/Science Centres/institutions/State Govts. shall be responsible for operating and maintaining the Innovation Hubs, deployment of required staff. The recurring expenditure including the salary component will be completely borne by the respective organizations. NCSM shall train the staff members on operation and maintenance of the Innovation Hubs.

The Hub should also develop a network of supporting institutions for adequate knowledge sharing. This would ensure community participation and ownership, which are essential for the growth and sustenance of these Innovation Hubs.

7. Time schedule

The times required for implementation of the Innovation Hub project will be 18 months from the start of the construction work where space is to be created and 12 months where no space is required to be created.

8. Suggested activities

The Innovation Hubs would add innovation, creativity and enjoyment factors in learning. These would serve as springboards for new ideas and innovation helping the society and economy to face future challenges and meet rising aspirations of the growing population.

Normally the Innovation hub will target school/college going students in following manner:

- Group exposure/sessions of 2-3 hours for school/college students. This way about 10000 students would be targeted per year.
- Enrolment of students as 'Innovation Hub Members' and allow them to work on innovative projects or participate in activities after school, weekends or on holidays. At least 300 members should be enrolled annually. Students from Govt. schools/colleges should be encouraged by giving concessional membership.
- Engagement in developing designs of products and participation in annual design competition.
- Periodic regional and eventually national level activities/fairs and competitions would be held so as to keep the spark of creativity, innovation and design alive and thriving in students.
- Periodic interaction of the participants with Innovators/Inventors & researchers.
- Periodic workshops on problem solving, generation of new ideas and solutions
- Periodic film shows on inventions & innovators.
- Organization and participation in Innovation fairs with their projects to collectively work on innovative ideas.
- To provide technical support to schools and colleges interested in setting up Innovation Clubs on their premises and through them promote a culture of innovation in the schools and colleges.
- To encourage and engage young people in the design studio to conceive new designs and fabricate new items, products, craft and so forth.
- To encourage discussion and interaction among students from different schools and geographic regions. This would ensure formal and informal knowledge exchange among communities of students, with Hubs acting as nerve centres.

9 Selection of sites/institutions

A National Level Committee will scrutinize the applications/DPR received along with necessary commitments from the respective State Government/parent organisation and recommend potentially viable projects. Mere applying for the grant-in-aid will not guarantee allocation. Innovative approach, sustenance plan, activities will decide the merit of each proposal.

Format for preparation of a Detailed Project Report (DPR) for Innovation Hubs

Introduction

The Detailed Project Report (DPR) needs to be structured in accordance with the format given below. The DPR will need to be complete and the required information in all the sections provided irrespective of whether a part of it or whole of it was submitted with any of the earlier correspondence or the initial application. In other words the DPR will be a single document for assessing the application. An incomplete DPR will render the application liable for rejection.

The DPR will preferably be a hard bound volume in A4 size and in portrait alignment. Drawings for inclusion can be in A3 size, however integrated as a fold out within the volume.

The Drawings, Details, Views, Sketches and supporting photographs may also be submitted in addition on a CD/ DVD.

The DPR, in the prescribed format, will be submitted by all applicants.

The cues and/ or instructions against each Section/ Sub-section are given in *Italics*.

Contents of the DPR

1. **Cover Sheet**
2. **Abstract**
3. **Profile Sheet (This sheet will contain the following)**
   - i. Name of the Organisation:
   - ii. Registered Address:
   - iii. E-Mail ID and Telephone Number:
   - iv. Year of Establishment of the Organisation:
   - v. Type of Organisation:*(Government/ State Government/ Private/Society/ Trust etc.)*
   - vi. Details of Registration (if applicable): *(copy to be provided as annexure)*
   - vii. PAN Number *(if applicable)*:
   - viii. Service Tax Number *(if applicable)*:
   - ix. Authorised Contact Person & Designation:
   - x. Annual Budget:
   - xi. Source of Funding *(Self/ Govt./ Others)* :
   - xii. Authorised Contact Person & Designation: (with telephone, mobile numbers and e-mail id)

4. Mandatory Documents

i. Copy of Registration

ii. Memorandum of Association or Trust Deed

iii. Letter of Support from State Government

iv. Letter of Recommendation from District Authority

v. Authorisation Certificate

vi. Bond in Finalised Format

vii. Audited Statement of Accounts for Last Three Years

viii. Commitments for space, operation & sustenance of the facility

5. **Background Information:** Organisation *(where the present organization is a part of a larger organization)*

i. History of the Organisation

ii. Aims & Objectives of the Organisation

iii. Organisational Structure and Management

iv. Support Base, Benefactors

v. Financial Resources & Summary Balance Sheets

vi. Additional/ Special/ specific Information

6. The Proposal

(This section should provide the complete extent and details of the proposal for which Financial Assistance is being sought. Qualitative and Quantitative justifications should be well supported by rationale and measurements respectively. The elaboration should clearly bring out the estimate of costs for Buildings and Infrastructure as separate from estimate of costs for other requirements. The proposal should bear in mind the limits of Financial Assistance set out for the scheme. No proposal should aim to seek funding with a view to use it for achieving a partial fulfilment of goals without any plan for completing the remainder.)

7. Sustenance and Growth

i. Present Scenario of institutional financing

ii. Financial sustainable plan for the innovation hub

8. Conclusions

(The conclusions should clearly bring out the anticipated impact of the proposal both in terms of quantitative and qualitative. Local Innovation that will be brought about in the project.

Annexure *(additional ones if any)*

References

Acknowledgements

6.4

Modernization/Up-gradation of Existing Science Cities/Science Centres/Innovation Hubs under the Science Cities Scheme

1. Introduction

India has over 50-60 Science Museums/Centres/Cities functioning in different States/UT's. 49 of them have been developed by NCSM since 1959. 25 centres are managed by NCSM and remaining 24 have been handed over to respective States/UT's/Societies for operation and management. Some Science Centres have been developed by State Govt./UT's and are operated and managed by Societies formed by them.

The existing science museums and centres developed in the past are having varying architecture, facilities, content, infrastructure and some of which do not conform to the prevailing trends in the world. With rapid development in science and technology, communication techniques, digital technologies, the Science Centres/cities require modernization/up-gradation commensurate with the modern trends and requirements.

2. Objectives

The scheme aims to provide grant/funds to modernize/upgrade and create a congenial spatial setting for diverse exhibitions/galleries/visitor amenities in the existing science cities/science centres/Innovation hubs developed with funding from MoC, GOI or developed by the State Govt./UTs with full funding.

3. Eligibility Criteria

The Science Cities/Science Centres/Innovation Hubs who have completed **at least 5 years of operation and satisfactory performance** shall be eligible for receiving the grant under the scheme.

4. Pre-requisites for approval by the Ministry of Culture

Detailed Project Report (DPR): The Science Cities/Science Centres/Innovation Hubs desirous to receive the grant shall submit the DPR in the approved format to Ministry of Culture. The DPR shall be evaluated and vetted by NCSM or a committee constituted by Ministry of Culture with representation from NCSM.

5. Facilities to be added in the Modernization/Up-gradation

The existing science cities/science centres may be modernized/upgraded with the following facilities subject to availability of space and spare land within the funds sanctioned under the scheme:

a. Modernization of Galleries/Exhibitions & Halls/Science Parks/visitor's amenities.

b. Addition of galleries frontiers areas of Science & Technology and topics related to current issues in Science.

c. Digital panoramic thematic presentations based on important scientific topics as well as on science and culture inter-relationship.

d. Addition of open labs on Frontier Areas of Science & Technology to provide real scientific exploration by the public.

e. Presentations on social issues with scientific solutions after proper contextualization.

f. Addition of virtual and immersive experiences.

g. Creation of new facilities such as Tropical Forests, Outdoor Amphi-Theatre, Solar powered park, Holography theatre, Hall of Fame to celebrate inventions and inventors, Digitally recreated archaeological sites, Spark Theatre, Dark Rides, Simulators, Robotics corner, 3D facility, Interpretation centres etc.

P.S.: In no case the funds provided under modernization/Up-gradation scheme shall be utilized for acquiring land/vehicles etc. for the Science Centre/City.

6. Budget

The actual budget will depend upon facilities identified for up- gradation/modernization. Total estimated cost for implementation for modernization/up gradation of Science Cities/Centres/ Innovation Hubs would be as below.

Category	Total funding (Maximum) (Rs. In Crore)	Sharing of Funds between GOI & State Govt./UT / Society	Project/Scheme completion time (Maximum)
Science City (All locations (other than North East including Sikkim)	25.00	60:40	36 months
Science City in NE Region including Sikkim State	30.00	90:10	36 months
Science Centres -Category I(All locations (other than North East including Sikkim)	5.00	50:50	24 months
Science Centres - Category I in NER including Sikkim state	6.00	90:10	24 months
Science Centres -Category II (All locations (other than North East including Sikkim) Science Centres - Category II in NER including Sikkim State	2.50 3.00	50:50 90:10	24 months 24 months
Science Centres -Category III(All locations (other than North East including Sikkim)	1.50	50:50	18 months
Science Centres - Category III in NER including Sikkim State	2.00	90:10	18 months
Innovation Hubs	1.00	50:50	12 months

7. Project Implementation

The project shall normally be undertaken by NCSM on turn-key basis. The funds for the project will be received by NCSM, both from Central Govt. & State Govts./UT's/Societies. NCSM shall take up the modernization/Upgradation of the Science Cities/Centres/Innovation Hubs on its own or through CMD, a wholly owned section 25 company of NCSM. NCSM shall be paid normal consultancy fees for execution of the project. An MOU will be signed between NCSM & State Govt./UT/Society for implementation of the Project.

In case of a State/UT Government or the Societies formed by the State/UT Governments seeking financial support from Government of India for a modernization/Upgradation project, to be implemented by the concerned Societies, the project will be vetted and processed by NCSM for approval of competent authority in Ministry of Culture, Govt. of India and NCSM shall be paid normal consultancy fees for the purpose. In that case funds will be released by Ministry of Culture, Govt. of India to the State Govt./UT or the Societies in a phased manner subject to sanction and release of State/UT's share of funds from the respective State/UT Governments/ Societies and submission of utilization certificate by the State/UT Govt./Societies for the funds released from Government of India and the State Governments/UT/Societies.

7

Scheme for Promotion of International Cultural Relations

Overview

Culture represents a set of shared attitudes, values, goals and practices of a nation. Culture and creativity manifest themselves in almost all activities. A country as old and diverse as India is symbolized by the plurality and richness of its cultural fabric.

India has one of the world's largest collections of songs, music, dance, theatre, folk traditions, performing arts, rites and rituals, paintings and writings that are known, as the 'Intangible Cultural Heritage' (ICH) of humanity. In order to make the world aware of India's rich cultural heritage, the Ministry of Culture implements a scheme titled **"Scheme for Promotion of International Cultural Relations"** with the objective of providing artists practicing Indian art forms an opportunity to perform abroad under the banner of 'Festival of India'. The Scheme also provides financial assistance to cultural societies actively promoting Indian Culture abroad to organize cultural activities depicting Indian Culture to help encourage interest in India among foreign nationals.

The **"Scheme for Promotion of International Cultural Relations"** has following two components:

(A) Festival of India

(B) Grant in aid to Indo Foreign Friendship Cultural Societies Scheme.

7.1

Festival of India

I. Background and objectives

Festivals of India abroad seek to promote India's rich cultural heritage culture and enhance India's image in the global arena in a concerted manner. The Festivals of India (FOI) are organized with the aim of having a lasting impact on the people of the host country. Thus, they are tools of cultural diplomacy that project the soft power of India. This soft approach is expected to benefit Indian in the fields of tourism, health, education, commerce etc. and provide strategic depth to the growing influence of India. The Scheme of conducting Festivals of India abroad was revived in 2013. The events generally included in FoIs are Music, Dance, Theatre, Film Festival, Food Festival, Literary Festival, Folk Arts such as Mehandi Artistry, Exhibitions of various disciplines, Lecture Demonstrations and Workshops etc. The main focus of FoI is to connect and enhance the perception of India in the minds of local which should ultimately lead to more tangible results in terms of trade and commerce, tourism, medical tourism, Ayush and so on. Broadly speaking, Festivals of India abroad are conducted with the objectives to :

- ➢ promote Indian Culture abroad.
- ➢ strengthen bonds of foreign countries with India
- ➢ promote bilateral cultural contracts
- ➢ project India's cultural image abroad; and
- ➢ promote inbound tourism.

II. Institutional Set up

a. Standing Committee on Festivals

Under the Allocation of Business Rules, the Ministry of Culture is mandated with conducting Festival of India abroad and the exchange of artists, dancers, musicians under the cultural exchange programmes. For conducting Festivals of India abroad, the Ministry of Culture has established a Standing Committee for inter-ministerial coordination. All proposals for conducting Festivals of India (FoI) are approved by the Standing Committee under the Chairmanship of Secretary (Culture) which includes representatives from ICCR, Ministry of Tourism, Ministry of Information and Broadcasting, Planning Commission, Financial Advisor of Ministry of Culture, DG, ASI and other related departments/agencies. Standing Committee takes decision on selection of country, events, time span etc. The Ministry of Culture has successfully coordinated with the Ministry of External Affairs, ICCR, the Embassies of India abroad, Ministry of Information and Broadcasting, Ministry of Tourism, Department of AYUSH in successful conduct of Festivals of India abroad. Since 2013, FOIs have been held successfully in 33 countries till March, 2017.

b. Festival of India Cell

Festival of India Cell has been established to coordinate with all the participating agencies involved, for preparing a consolidated proposal containing detailed information about all possible aspects of the Festival from selection of artiist to budgetary requirement. The consolidated proposal contains all details of items like performances, delegation size and details, dates of

travelling, local venues, timings of the shows, local logistics and accommodation arrangement, cargo handling charges, contact details of concerned agencies, logo, posters.

Three consultants and two data entry operators have been engaged on contractual basis to man the FoI Cell.

c. Screening Committee

A Screening Committee has been constituted in the Ministry to facilitate participation of agencies/ persons other than those from Government organizations having expertise in the field of performing arts, literature, exhibitions etc. The persons desirous of participating in Festivals abroad are graded by the Committee and are empanelled. The list of persons empanelled is uploaded on website of Ministry of Culture. Indian Mission desirous of organizing a Festival of India are asked to select the art form from the empanelled list of artists.

III. Events for Festival of India

The events in a Festival of India could include:

(i) Dance(classical, fold, contemporary, fusion, etc.)

(ii) Music (vocal, instrumental, sufi, classical, semi-classical, carnatic, contemporary, etc.)

(iii) Exhibitions;

(iv) Theatre

(v) Folk Arts including Mehendi artists, puppetry etc.

(vi) Literary Festival (From Sahitya Akademi)

(vii) Food Festival

(viii) Film Festival

(ix) Yoga

(x) Fashion Show/Textile Exhibition

IV Funding

Ministry of Culture supports activities mentioned at Sl.No. (i) to (vii) above and meets the expenditure including expenditure on selected delegation such as international passage, performance fees, visa fee, travel insurance, cost of extra baggage, lodging in 3 or 4 star hotel etc. Besides the Ministry also supports venue hiring charges and publicity expenses.

The Missions are expected to explore sponsorship through local government and/or public private funding for venues, other infrastructure such as sound system, lighting etc. local hospitality, local transportation, etc. to the extent possible before including such expenditure in the budget for the FOI. This ensures maximizing the limited budget for FOI.

For a comprehensive presentation of Indian culture, Indian Missions are encouraged to organize Food Festivals, Film Festival, Yoga and Fashion Show or Textile Exhibition as part of FOI. Ministry of Culture facilitates the contacts with the concerned Ministry or organization.

V Role of Indian Mission

The Missions proposing to organize a Festival of India should select the art forms from the outstanding or promising category of artists on the empanelled list. Ministry of Culture also sends cultural troupe from its Zonal Cultural Centres for Folk dances, music, or art and cultural

troupe for classical dance, music etc. from its autonomous organizations such as Sangeet Natak Akademi, Kalakshetra etc. Exhibitions and/or lectures through museums under Ministry of Culture and academics such as Lalit Kala Akademi or Sahitya Akademi are also supported While deciding the art form, the Missions are expected to may keep in mind the recent cultural events held in their country with the view to broad base the projection of Indian culture, local tastes and sensetivities in mind.

VI. Procedure

Once the dates of the Festival and suggestions from the Missions are received for activities proposed to be included in the Festival, the approval of the Hon'ble Minister of Culture is obtained.

After approval of activities by the Minister, Missions are asked to work out the detailed programme of the festival including the precise dates for each performance and venues in each city along with the estimated budget for the activities to be funded by Ministry of Culture. The Ministry identifies a nodal agency in India for making arrangements for the cultural troupes in India such as booking to International passage, visas, payment of performance fees to the artists etc. The approved budget is released in two instalments – 75 percent after financial and administrative approval and balance on conclusion of the festival on receipt of utilization certificates.

Ministry of Culture expects constant feedback before, during and after the festival period. The Missions should send reports, photographs and video recordings (if made).

7.2

Grant-in-aid to Indo-Foreign Friendship Cultural Societies.

(I) Objectives

- Generate greater understanding of India's culture.
- Fostering closer friendship with people of other countries.
- Promoting interaction between eminent Indian scholars with their foreign counterparts holding of seminars on related topics etc.

(II) Salient features of the Scheme

- The Grants under this scheme will be sanctioned to Indo-Foreign Friendship/Cultural Societies actively functioning in foreign countries with the object of fostering closer friendship and cultural contacts between India and foreign country concerned. This Grant shall be given from Revenue Head.
- The Grants under this scheme will be issued as authorizations to the Indian Missions through MEA and amount authorized shall be placed with the Mission in their Accounts.
- The grants should normally be utilized for the activities of the society and not for the direct activities of the Missions.

(III) Activities for which the grant is given

Grants under the scheme will be given primarily to cover expenses of the grantees on activities which help projection of India's cultural image and generation of greater understanding of its cultural heritage, present situation and perspectives in the country concerned and for promoting bilateral cultural contacts etc, for instance, discussions on Indian culture, history, civilization by inviting eminent scholars, artistes, etc. who are interested in Indian affairs can be sponsored. They can furnish their premises with books on India, replicas of Indian art objects, Indian handicrafts etc. The type of other activities which the societies can take up are celebration of national days, Indian festivals, holding of seminars on topics of intellectual pursuits, and anniversaries of great personalities arranging performances of Indian troupes, exhibition of books classes/courses in Yoga, Hindi and other Indian languages, Indian music/dance, publication of books/journals, running of libraries/reading rooms having literature on India, promoting interaction between distinguished visiting Indian academics, artists etc with their local counterparts, etc. and expenditure on the kind component of the grant occurred by this Ministry against the grant sanctioned to the society.

The grant for all these activities can also be given to the eligible societies or centere etc., in cash as well as in kind, or partly in cash and partly in kind. For instance, furnishing the premises of such societies with India art objects, handicrafts or books, could be done in lieu of giving cash grant. Indian art objects, handicrafts, books, etc., may be given after suitably sourcing directly by the Mission. Again, digital reprints or replicas of valuable Indian paintings, artifacts, etc., may be sourced more efficiently by the Mission from National Gallery of Modern Art (NGMA), Lalit Kala Akademi (LKA), the Museum of India, the National and State Emporia and reputable private persons or organizations from India or abroad.

Whenever a cultural troupe of an eminent Indian cultural personality from India has pre-arranged programmes in the country and the HOM of the country feels that it will further the objectives of this scheme at a much lesser cost, if the troupe or eminent Indian cultural personality can stage a few additional shows/talks/interactions, the HOM may cover the expenses for the same under the scheme, either by directly covering the cost of the troupe or giving cash grant to the organizers to do so. In case the cost is being incurred directly by the Mission, the society should be informed about the cost estimate of the gift/activity and its consent should be obtained in writing for the cost being incurred directly by the Indian Mission. The cost so incurred will be adjusted against the admissibility of the society under the scheme.

(IV) Quantum of Grant

The quantum of the grant will depend on availability of funds and nature of activities of the grantee to be financed. However, the grant shall not ordinarily exceed Rs. 10,00,000/-(Rs. ten lakhs) per annum per society. There is no limit specified for funds to be authorized to the Mission since this would depend on the funds the mission can utilized for cultural promotion as per available number of societies. The competent authority to sanction grant to a friendship cultural society in normal circumstances viz. upto Rs.10,00,000/- is Jt. Secretary of the concerned Division. An additional amount over and above, the maximum limit permissible to a society, would be granted as per the discretion of Secretary(Culture) where the Ministry of Culture proposes to organize the Festival of India/culture weeks to enable expenditure towards hosting the cultural troupes, etc. The discretionary power would be exercised by Secretary(Culture) in consultation with AS & FA(C). The grant sanctioned to a Society in such cases should not exceed Rs.25.00 lakh.

The grants sanctioned under this scheme will be subject to usual conditions applicable for non-recurring grant to voluntary organizations working in India but the condition of submission of the audited statements of accounts in respect of the grants shall be relaxed. The certificate of utilization (as per Annexure-I) signed by the authorized officer of the Mission would be acceptable.

The Mission in this connection should informally check the accounts of the grantee and satisfy itself that the grant has been properly utilized.

(V) Eligibility of the Cultural Societies for receiving the grant.

Before allocation of grant to the Friendship Societies by the Indian Missions, they will ensure.

- That the society is actively engaged in the task of fostering friendly relations and projecting India’s culture in the country concerned.
- That the society has a definite and well-planned programme of activities for which financial assistance by the Government of India is considered necessary.
- That the society has gainfully utilized the earlier grant, if any, sanctioned by the Government of India.

For this purpose, the performance cum-achievement proforma to be submitted to the Ministry along with the UCs(as per Annexure A & B) . A certificate that the societies (NGOs) are not involved in corrupt practices should also be submitted by the Missions as per Annexure C. A certificate that society does not promote activities which can be termed as sectarian would also be required (Annexure D)

(VI) Procedure to be followed by Indian Missions abroad

The authorization to the Missions as stated above shall be subject to the conditions mentioned below to be executed by the Embassy:-

- The grantee will be required to maintain separate account of this grant which will be opened to check by the concerned Mission
- The utilization certificate from the Embassy should also disclose whether the specified, quantified and qualitative targets that should have been reached against the amount utilized were in fact reached and if not, the reasons thereof.
- The grantee shall maintain subsidiary accounts of the grants-in-aid received from the Ministry of Culture.
- A performance cum achievement report (2 copies) for which that grant has been sanctioned should be forwarded to this Ministry by the Embassies of India. The grant-in-aid is further subject to the conditions laid down in GFR as amended from time to time.
- Unspent balance, if any, with grantee, shall be surrendered to the Government without any delay.
- The grantee be advised not to divert the grants and entrust execution of the scheme of work concerned to another institution or organization and shall abide by the terms and conditions of the grant. If the grantee fails to utilize the grant, for the purpose for which the same has been sanctioned, the grantee will be required to refund the entire amount with interest thereon @10% per annum.
- The accounts of all grantee institutions or organizations shall be open to inspection by the Ministry and audit, both the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG (DPC) Act 1971 and Internal Audit by the Principal Accounts Officer of the Ministry, whenever the institution or organization is called upon to do so.
- The grantee has not been sanctioned grant-in-aid for the same activity/purpose from any other source.
- No other bill for the same purpose and installment has already been paid earlier to the grantee.
- That the society receiving the grant does not indulge in activities which can be termed as sectarian.

8

Scheme for Safeguarding the Intangible Cultural Heritage and Diverse Cultural Traditional of India

India has a vast basket of living and diverse cultural traditions, traditional expressions, intangible cultural heritage comprising masterpieces which need institutional support and encouragement with a view to addressing areas critical for the survival and propagation of these forms of cultural heritage. Though, such preservation efforts are being carried out in a scattered form, a need is being felt to have an institutionalized and centralized Scheme for concerted efforts in the direction of professionally enhancing awareness and interest in Intangible Cultural Heritage (ICH), safeguarding, promoting and propagating it systematically.

2. For this purpose, the Ministry of Culture has formulated a Scheme titled "Scheme for Safeguarding the Intangible Heritage and Diverse Cultural Traditions of India", with the objective of reinvigorating and revitalizing various institutions, groups, individuals, identified non-MOC institutions, non-government organisations, researchers and scholars so that they may engage in activities/ projects for strengthening, protecting, preserving and promoting the rich intangible cultural heritage of India.

3. The Scheme will cover all recognized domains of ICH such as oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage, Performing Arts,Social practices, rituals and festive events, knowledge and practices concerning nature and the universe,traditional craftsmanship etc.

4. Scope

The objective of the Scheme is to support and strengthen the efforts of various stakeholders vis-à-vis wider recognition and acceptance, dissemination, preservation and promotion of the rich, diverse and vast ICH of India including recognition of the same by the UNESCO. The Scheme aims to support

(i) Institutions/ Universities/ State Govts/ UT Administrations/ non-MoC Institutions/ Societies/ Non-government organisations, involved in the preservation and propagation of intangible cultural heritage, cultural expressions etc.

(ii) Individuals, researchers, scholars, professionals who are involved in the research, training, preservation, perpetuation, dissemination, and propagation of intangible cultural heritage, cultural expressions etc.

5. Assistance under the Scheme

Assistance under the scheme will be provided in the form of non-recurring grants, honoraria, infrastructure grants, etc. with a view to address areas critical for the survival and propagation of all forms of ICH by strengthening organisations/ individuals etc., mentioned in para 4 above,

involved in keeping these cultural traditions/ expressions alive, also for preserving, disseminating, propagating etc. them by giving training support to students, artists, performers, to practitioners for workshops, performers documentation, database creation, and integration of education & culture etc.

6. Assistance will also be provided for short research and referencing work of relevance to ICH, its presentation, promotion as well as for projects in the field of heritage education, heritage popularization and publication work etc. focusing on ICH.

7. Activities that can be supported under the Scheme

The Scheme is very comprehensive in nature since it covers all the ICH forms of India. Ministry of Culture is already administering several schemes like Cultural Functions Grant Scheme, Salary/ Production Grant Scheme, Scholarship/ Fellowship Schemes. These Schemes cover only specific areas for preserving and promoting the ICH of India. The scheme accordingly adopts a comprehensive approach and covers complete range of all recognized domains of ICH as well as diverse cultural traditions of India. Financial assistance will accordingly be provided for the following activities relating to intangible cultural heritage/ diverse cultural traditions of India:

i. Documentation/ data creation/ cataloguing, etc. for the purpose of creating a National/ State/ District/ Local Level Register for Inventory of Intangible Cultural Heritage.

ii. Preservation, support and safeguarding of intangible cultural expressions/ diverse cultural traditions of India that are masterpieces, including preparations of nomination dossiers of intangible culture heritage for inscriptions by UNESCO, in order to address areas critical for the survival and propagation of these forms, giving training support to students and artists in these areas, support to practitioners for workshops, performances documentation and database-creation through various media, support for dissemination, etc.

iii. Activities for integration of education and culture with reference to ICH/ diverse cultural traditions of India.

iv. Support to initiative of Ministry of HRD in setting up Sector Skill Councils relating to art under National Vocational Educational Qualifications Framework (NVEQF)

8. Eligibility criteria/ conditions

The detailed eligibility criteria and amount of financial assistance under the scheme are as under:

(i) The applicant organisations/ institutions/ Societies/ State or UT administrations should have a properly constituted managing/ governing council/ body, having facilities & resources, past experience(s) etc. They will also have to submit a statement of their audited accounts for the last 3 years.

(ii) For organisations/ institutions/ registered bodies/ State Govts/ UT administration, Academies/ Universities, Societies, the amount of financial assistance for specific projects will be upto Rs. 10 lakh. For individuals, the amount of assistance would be upto Rs.5 lakhs.

(iii) The grant will be released in three installments - 50% in advance, 25% as 2nd installment

after appraisal and balance 25% after completion of the project/ activity and submission of relevant documents as proof thereof.

(iv) The fund release will be done by electronic transfer.

9. Publicity/ advertisement of the Scheme

An advertisement will be placed both on the websites of the Sangeet Natak Akademi/ Ministry of Culture as well as in the print media for inviting applications under the Scheme. A period of 60 days from the date of publication of the advertisement will be given for submission of applications for a given financial year.

10. Submission of Applications

The application, in the prescribed format will have to be addressed to the "Secretary, Sangeet Nataka Akademi, 3rd Floor, Rabindra Bhawa (Opp.Madi House Doordarshan Kendra), 35 Firoz Shah Road, New Delhi -110001", as per the details mentioned thereon. Incomplete application or application received after the prescribed last date of submission will not be considered.

11. Processing of applications

(i) After receipt of the applications, the applications will be processed by the Sangeet Natak Akademi.

(ii) Any proposal/ application that can be covered under the specific schemes under Ministry of Culture will not be considered under this scheme, and the applicant would be intimated accordingly. For this purpose, a Sub Committee/ Sub Group out of the Expert Committee, mentioned under the Scheme, will be formed to scrutinize/ screen the proposals/ applications.

(iii) The complete applications will be placed before an Expert Committee constituted every two years.

(iv) The Expert Committee, while recommending the project, may/ shall fix also the time lag for completion of the activity proposed for submission of claims for 2nd/ 3rd instalments.

(v) The recommendations of the Expert Committee would be sent to the Ministry of Culture for approval of the competent authority.

(vi) After approval of the competent authority, the list of approved proposals/ cases would be displayed on the websites of the Sangeet Natak Akademi/ Ministry of Culture. In addition, separate communications may be sent to the concerned proposers/ applicants.

(vii) After approval of the competent authority, 1st installment of the sanctioned amount will be released through electronic transfer.

(viii) An appraisal of the project would be undertaken by the members of the Expert Committee, or Sangeet Natak Akademi or by any designated agency/ official including the Ministry of Culture or any of its organisation(s) prior to the release of the 2nd installment of funding. In case time limit is not adhered to, as mentioned in para 11(iv) above, the disqualification/ recovery clause may be imposed.

(ix) The final installment of funding will be released after completion of the project and submission of documents as proof thereof. The installments will be released in the ratio of 50:25:25.

12. Documents to be furnished along with the application

I. For organisations/ Institutions/ Groups

i. Copy of the Registration Certificate/ Act/ Government Resolution or Order whereby the Organization became a legal entity.

ii. Constitution of the Organization, Memorandum of Association, Rules and Regulations, where applicable.

iii. Present composition of the Board of Management and/ or Governing Body.

iv. Copy of the latest available Annual Report.

v. A detailed proposal including description of the proposal for which assistance is requested along with its duration and the qualifications and experience of the staff/ person(s), if any, to be engaged for the project ; and

vi. Financial statement of the proposal giving item wise details and the source(s) from which funds will be obtained.

vii. An undertaking that no proposal of the similar nature has been made under any other Scheme of the Ministry of Culture or its organisations.

viii. A Statement of income and expenditure of the applicant Organization/ Institution for the previous three years and a copy of the Balance Sheet for the previous year certified by a Chartered Accountant or Government Auditor.

ix. An Indemnity Bond in the prescribed proforma on a stamp paper of appropriate denomination, duly signed by the authorized signatory of the applicant Organization.

x. Details of the bank account in the prescribed proforma to enable electronic transfer of sanctioned funds.

II. For individuals

i. For proposals submitted by individuals, out of the documents specified above, the documents mentioned at (i) to (iv) above will not be required to be submitted. The applicant will instead furnish his/her personal particulars and a brief description of the activities/work done by him/her in the ICH of India in the last five years.

ii. One attested copy of degrees, diplomas and certificates, etc. if any, in support of the statement made regarding education qualifications, experience, etc. in the application. In no case should the original documents be attached.

iii. One recent passport size photograph;

iv. Attested copies of documents/ photographs of the work done and achievements in the ICH of India.

13. Disqualification Clause

The applicant shall be liable for disqualification if any of the clauses/ conditions of the undertaking given by him/ her is subsequently found to be false/ incorrect.

14. **The Expert Committee**

(i) The Expert Committee will be constituted, with the approval of the competent authority in Ministry of Culture, for a period of two calendar years

(ii) The members including Chairman of the Expert Committee will be nominated from different domains of ICH/ diverse cultural traditions of India as proposed by the Sangeet Natak Akademi and approved by the competent authority.

(iii) Renowned expert of ICH/ diverse cultural traditions of India would be the Chairman of the Expert Committee.

(iv) Joint Secretary concerned in the Ministry of Culture and Secretary, Sangeet Natak Akademi would be the ex-officio members of the Committee. Secretary, Sangeet Natak Akademi or In-charge thereof would be the convener of the meetings of the Expert Committee.

(v) The number of members of the Expert Committee would be proportionate to the population of various States/ Union Territory (UT). Normally, one member would be selected for every four crore population of the respective State/ UT. This criteria may be relaxed in case of States/ UTs in order to ensure that at least one member is selected from each State/ UT.

(vi) Sub-Committee(s)/ Group (s) may be formed from amongst the EC members with reference to the objectives of the Scheme. Each Sub Committee/ Group will have at least 7 members.

15. Creation/ development of infrastructure

No fund will be granted for creation of infrastructure and physical assets under the scheme.

16. Monitoring Mechanism

An appraisal/ inspection of the beneficiary may be done by the Expert Committee/ Sub-Committee or any other designated agency/ officials including Ministry of Culture or any of its organisations at any point of time. Ministry of Culture will be kept informed, through periodical reports/ returns, etc. of the progress of the implementation of the scheme. Joint Secretary concerned in the Ministry of Culture may call at any time, any detail/ information including officials concerning the Scheme.

17. Compliance of financial regulations

All financial regulations/ instructions including provisions of GFRs/ DFPRs, including that concerning advance settlement of due UCs etc. from the grantee/ beneficiary, as applicable, will be complied with. Accordingly, accounts of the implementing agency will be open to audit/ inspection by the Comptroller and Auditor General of India including internal audit by the CCA/ Ministry of Culture.

18. Relaxation/ amendment in guidelines

Any relaxation/ amendment to these guidelines may be carried out by the competent authority after following the procedure followed under the scheme i.e. Secretary (Culture), with the concurrence of IFD/ AS&FA.

MINISTRY OF CULTURE
GOVERNMENT OF INDIA

Designed & Printed by : Indu Cards & Graphics, Chawri Bazar, Delhi-06 M. 9811419531